



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

उद्गान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

प्रिलिम्स 2025

आधुनिक भारत



विषय एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीजन सीरीज



उद्गान

प्रिलिम्स वाला (स्टैटिक)

प्रिलिम्स-2025

आधुनिक भारत

These ebooks are free of
cost, Join our telegram
channel: @apna_pdf

क्विक एवं कॉम्प्रिहेन्सिव रिवीज़न सीरीज़

भूमिका

प्रिय अभ्यर्थियों,

यह सर्वज्ञात है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रिलिम्स परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यद्यपि अंतिम चयन में प्रिलिम्स के अंक नहीं जुड़ते परंतु प्रिलिम्स का दरवाजा पार किए बगैर आप मुख्य परीक्षा तक पहुँच भी नहीं सकते। ऐसा कहा जा सकता है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अर्ह होने के लिए स्नातक की शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ प्रिलिम्स परीक्षा का पास करना भी आवश्यक है।

कहने के लिए तो यह परीक्षा आपकी आधारभूत समझ की परख करती है परंतु यह आधारभूत समझ बहुस्तरीय होती है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप, उसकी गहनता तथा नियत समय सीमा में उसे हल करने की बाध्यता इसे और जटिल बनाती है। इस परीक्षा का कोई एक पैटर्न तय नहीं किया जा सकता है। अमूमन हर वर्ष आयोग अपने नवाचारी प्रयोगों से इसके स्वरूप को अद्यतित करता रहता है। फिर भी पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों का आकलन करने से विषय संबंधी एक सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है। यह पुस्तक उन्हीं सामान्य निष्कर्षों का निचोड़ है।

पिछले 10-15 वर्षों के प्रिलिम्स परीक्षा के प्रश्नों का आकलन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की बारंबारता अधिक है जबकि कुछ टॉपिक्स से बहुत कम या नहीं के बराबर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा आयोग कई बार सीधे पाठ्यक्रम के टॉपिक से प्रश्न न पूछकर उसके पीछे की गहरी अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। ऐसे टॉपिक्स, जो अक्सर न्यूज में रहे हैं उनसे जुड़े स्टैटिक हिस्सों को आधार बनाकर भी प्रश्न पूछता है। ऐसे में आवश्यक होता है कि प्रिलिम्स से पहले हर विषय से संबंधित ऐसे टॉपिक्स की बुनियादी समझ तैयार की जा सके जिनसे प्रिलिम्स के प्रश्नों को हल करना आसान हो सके। इसके अतिरिक्त प्रिलिम्स परीक्षा से पहले सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन भी आसान नहीं होता। 2 घंटे की परीक्षा में सामान्य अध्ययन तथा करेंट अफेयर्स से संबंधित सभी टॉपिक्स को एक साथ स्मृति में रखना जटिल तो है ही।

इन सभी जटिलताओं को देखते हुए हमने 'उड़ान-प्रिलिम्स वाला स्टैटिक' के नाम से एक सीरीज तैयार की है। इस सीरीज में प्रिलिम्स से संबंधित स्टैटिक विषयों पर अलग-अलग बुकलेट्स प्रकाशित की जा रही है। यह सीरीज प्रिलिम्स के पाठ्यक्रम तथा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। यह पूरी सीरीज योग्य तथा अनुभवी विशारदों की टीम द्वारा किए गए गहन शोध का निचोड़ है। इससे जुड़े सभी सदस्यों को कई प्रिलिम्स तथा मुख्य परीक्षा पास करने का अनुभव है तथा उन्होंने इस परीक्षा को निजी तौर पर गहराई से समझा है। यह पुस्तक बहुत बोझिल न हो और इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश भी हो सके, यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें शामिल एक एक टॉपिक का चयन उसकी महत्ता पर गहन चर्चाओं के बाद किया गया है। अब आपको पुस्तक सौंपते हुए हम आशा कर रहे हैं कि यह पुस्तक आपकी तैयारी को आसान करेगी।

उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी प्रिलिम्स परीक्षा की तैयारी में सहयोगी साबित होगी। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

शुभकामनाएँ

पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- प्रिलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश
- टॉपिक्स का बिंदुवार प्रस्तुतीकरण
- उपयोगी चित्र, ग्राफ, टेबल तथा माइंड मैप द्वारा विषयों की सरल स्वरूप में प्रस्तुति
- पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉपिक्स का समावेश
- अत्यंत जरूरी की-वर्ड्स को विशेष रूप से दर्शाना

विषय सूची

1. भारत में यूरोपियों का आगमन 1

- ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध..... 1
- यूरोपीय भारत क्यों आना चाहते थे? 1
- पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे? 1
- भारत में प्रमुख पुर्तगाली 2
- पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन 2
- भारत में डच प्रशासन 3
- ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र: 4
- भारत में फ्रांसीसी: 5
- कर्नाटक युद्ध (1740-1763): सर्वोच्चता के लिए
आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष 5
- ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत: 6
- क्षेत्रीय राज्यों का उदय: 7
- क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएँ: 8
- भारत में ब्रिटिश शक्ति
का विस्तार और सुदृढ़ीकरण 9
- कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध 10
- सिंध की विजय: 12
- पंजाब विजय 12
- ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध 13

2. 1857 का विद्रोह 15

- 1857 से पहले के विद्रोह 15
- 1857 का विद्रोह: प्रमुख कारण 15
- विद्रोह का विश्लेषण 16

3. भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत (1858-1905) 17

- राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण 17
- आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित करने वाले कारक 17
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 19
- नरमपंथी चरण का उद्भव (1885-1905) 21

4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1905-18) 23

- बंगाल का विभाजन (1905) 23
- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन (1903-1905) 23

5. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन: 1918-22 - गांधीवादी चरण 31

- प्रारंभिक जीवन और प्रभाव 31
- दक्षिण अफ्रीका प्रकरण 32
- भारत में गांधीजी का आगमन 32
- रौलेट एक्ट 33
- जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919) 34
- खिलाफत और असहयोग आंदोलन 34
- खिलाफत और असहयोग आंदोलन 35
- असहयोग आंदोलन पर जनता की प्रतिक्रिया: 36
- आंदोलन का अंतिम चरण 36
- घटना पर विविध विचार 37

6. वैचारिक धाराएँ और राजनीतिक यथार्थ: 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रवाद 38

- स्वराजवादी और समाजवादी विचारों का उदय 38
- 1920 के दशक में भारत में नई शक्तियों का उदय 39
- भारत में वामपंथी आंदोलन 39
- साइमन कमीशन (1927) 42
- नेहरू रिपोर्ट (1928) 42

7. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1929-42) 44

- सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर अग्रसर 44
- सविनय अवज्ञा आंदोलन 45
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत 47
- गोलमेज सम्मेलन 48
- सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ (1932-1934) 48
- गांधीजी का हरिजन अभियान और जाति व्यवस्था पर विचार 49
- पहले चरण की बहस (1934-35) 50
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 51
- कांग्रेस के भीतर दूसरे चरण की बहस (1937) 52
- द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 53
- अगस्त प्रस्ताव (अगस्त 1940) 55
- व्यक्तिगत सत्याग्रह 56
- क्रिप्स मिशन (मार्च 1942) 56

8. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1942-47) 58

- भारत छोड़ो आंदोलन (1942).....58
- सुभाष चंद्र बोस: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी नेता....61
- भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए): गठन और गतिविधियाँ.....62
- युद्ध के बाद का राष्ट्रीय परिदृश्य.....62
- कांग्रेस चुनाव (1945-1946).....63
- आईएनए का अवलोकन63
- तीन प्रमुख घटनाक्रम (1945-46 की शरद ऋतु).....63
- नौसेना विद्रोह: ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए अंतिम सहारा64
- कैबिनेट मिशन (1946).....64
- अंतरिम सरकार का गठन65
- वेवेल का 'ब्रेकडाउन प्लान'.....65

9. ब्रिटिश भारत में संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास 69

- ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास69
- ब्रिटिश भारत में पुलिस और सैन्य व्यवस्था70
- ब्रिटिश भारत में सैन्य संरचना और शासन.....71
- ब्रिटिश भारत में न्यायिक विकास72
- प्रशासनिक पुनर्गठन73
- भारत में ब्रिटिश विदेश नीति75
- अकाल नीति का विकास.....76
- रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति77

10. सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन 79

- परिचय79
- महिलाओं की स्थिति में सुधार79
- जाति संबंधी मुद्दे और सुधार.....81
- औपनिवेशिक भारत में निम्न जाति आंदोलन.....82

11. अंग्रेजों के विरुद्ध जनता का प्रतिरोध 91

- नागरिक विद्रोह.....91
- आदिवासी विद्रोह.....94

12. ब्रिटिश नीतियाँ और उनके आर्थिक प्रभाव 107

- औपनिवेशिक भारत के आर्थिक शोषण के चरण.....107
- औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना.....108
- ब्रिटिश नीतियों का कृषि प्रभाव.....109

13. आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण समितियाँ 113

- भारतीय शिक्षा एवं प्रेस में विकास113
- औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास.....116
- वुड्स डिस्पैच के बाद के घटनाक्रम (19वीं सदी के अंत में).....117
- भारतीय प्रेस का विकास120

14. आधुनिक भारत के प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व 128

- भारतीय व्यक्तित्व.....128
- प्रमुख भारतीय महिला नेत्रियाँ.....136
- स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व139
- असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व.....139
- सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व140

15. विदेशी व्यक्तित्व: गवर्नर जनरल, वायसराय और विदेशी स्वतंत्रता सेनानी 141

- गवर्नर जनरल और वायसराय141



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

UPSC FOUNDATION COURSES



Live/Recorded
G.S. Classes



CSAT
Classes



Daily MCQs +
Mains Question



Regular Doubt
Sessions

SANKALP 2026

Hinglish / हिन्दी

PRAHAR 2025

Hinglish / हिन्दी

TITAN 2026 / 2025

English

Starts From

₹ 9,499/-

COUPON CODE

PW0IAS500

FOR
EXTRA
DISCOUNT

UPSC OPTIONAL COURSE 2025

Hinglish / हिन्दी

Anthropology

PSIR

History

Sociology

Geography

Public Administration

Mathematics

हिन्दी साहित्य

At Just

₹ 8,999/-

COUPON CODE

PW0IAS500

FOR
EXTRA
DISCOUNT



9920613613



pw.live

1

भारत में यूरोपियों का आगमन

भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, लेकिन अंततः अंग्रेज विशाल भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने में सफल रहे और औद्योगिक युग की अग्रणी शक्ति बनकर उभरे।

ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध

- भारत और यूरोप के बीच सदियों से व्यापार होता रहा है, जैसा कि संगम युग में देखा गया, जब भारत में रोमन सोना और सामान की खोज की गई थी।
- व्यापार मार्गों में अमु दरिया नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर के माध्यम से रेशम मार्ग और अरब सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से समुद्री मार्ग शामिल थे।
- इतालवी व्यापारियों ने भूमध्य सागर पर अपने भौगोलिक लाभ का उपयोग करके प्रभाव प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत में यूरोपीय आगमन : एक नज़र में

विवरण	पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी	डच ईस्ट इंडिया कंपनी	ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी	डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी	फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
स्थापना	1498	1602	1600	1616	1664
मुख्यालय/राजधानी	गोवा (पुर्तगाली)	पुलिकट (बाद में नागापट्टिनम)	कलकत्ता (दिल्ली, क्राउन शासन के तहत)	त्रांकेबार	पांडिचेरी (पुदुच्चेरी)
व्यापारिक केंद्र (स्थापना वर्ष)	गोवा (1510), कोचीन (1503), दिव (1535), बसीन (1534), कन्नौर (1501), कालीकट (1500)	पुलिकट (1609), सूरत (1616), कोचीन (1663), चिन्सुरा (1653)	सूरत (1612), मद्रास (1639), बॉम्बे (1668), कलकत्ता (1690), हुगली (1651), मसूलीपट्टनम (1611)	त्रांकेबार (1620), सेरामपुर (1755)	पांडिचेरी (1674), चंदरनगर (1673), माहे (1721), कराइकल (1739), यनम (1723)
प्रस्थान वर्ष	1961	1825	1858 (क्राउन का शासन); 1947 में भारत छोड़ दिया	1845 (ब्रिटिश को बेचा)	1954
पहला कारखाना	कालीकट में 1500 ईस्वी	मसूलीपट्टनम में 1605	सूरत में स्थायी कारखाना 1613; मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना 1611	त्रांकेबार, तंजोर के पास- 1620	भारत में पहला कारखाना सूरत में, 1668

पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे?

- पोप का अधिकार:** पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी को वर्ष 1454 में पोप निकोलस पंचम द्वारा एक अधिकारपत्र दिया गया था जिससे उन्हें भारत तक के पूर्वी तटों के खोज का अधिकार मिल गया था।
- टॉर्डेसिलस की संधि 1494:** टॉर्डेसिलस की संधि (1494) के अनुसार, वर्ष 1497 में पुर्तगाल और स्पेन ने गैर-ईसाई दुनिया को केप वर्डे द्वीप समूह से 1,300 मील पश्चिम में अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित किया। पुर्तगाल को रेखा के पूर्व के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने और कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, इसमें भारत भी शामिल था।

यूरोपीय भारत क्यों आना चाहते थे?

- यूरोपीय और भारतीयों के बीच सीधा संपर्क पुनः स्थापित करना और वे अरब मुस्लिम मध्यस्थों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे।
- मसाले, चाय, रेशम और कीमती रत्नों जैसी भारतीय वस्तुओं तक आसान पहुँच, जिनकी दुनिया भर में उच्च माँग थी।
- पुनर्जागरण की भावना ने, जहाज निर्माण और नौवहन में प्रगति के साथ मिलकर, सभी यूरोपियों को समुद्र का पता लगाने एवं पूर्व तक पहुँचने के लिए उत्सुक बना दिया था।
- यूरोप में इस अवधि के दौरान, कई क्षेत्रों विशेषतः आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि देखी गई।
 - इस आर्थिक समृद्धि ने विलासिता की वस्तुओं, विशेष रूप से खाना पकाने और संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले मसालों की माँग बढ़ा दी।

- **नौवहन:** वर्ष 1487 में, **बार्थोलोम्यो दियास** ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और इसे भारत समझकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक पहुँच गया। हालाँकि अंततः मई, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँचा, जिससे यूरोपीय व्यापार के लिए समुद्री मार्ग खुल गया।

भारत में प्रमुख पुर्तगाली

● वास्कोडिगामा:

- वर्ष 1498 में अब्दुल मजीद नाम के एक गुजराती नाविक के नेतृत्व में भारत पहुँचा और उसका जमोरिन (कालीकट के शासक) द्वारा मित्रवत स्वागत किया गया, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च के व्यापार से भारी मुनाफा हासिल करने में सक्षम हुआ।
- वह **1501 में पुनः** भारत आया और कन्नानोर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया।

वास्को डी गामा ने तीन बार भारत का दौरा किया— वर्ष 1498, 1501 और 1524 में। उसके तीसरी बार आगमन के तीन महीने बाद ही 1524 में कोचीन में उसकी मृत्यु हो गई।

● पेड्रो अल्वारेज कैबरेल:

- पेड्रो अल्वारेज ने मसालों के व्यापार के लिए यात्रा शुरू की और सितंबर 1500 में कालीकट में एक कारखाना स्थापित किया।
- जब कालीकट में पुर्तगाली कारखाने पर हमला किया गया तो संघर्ष शुरू हो गया, जिससे पुर्तगाली हताहत हुए। जवाबी कार्रवाई में, **कैबरेल** ने अरब के व्यापारिक जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। माल जब्त कर लिया गया और जहाजों को जला दिया गया। **कैबरेल** द्वारा कालीकट पर बमबारी की गई।
- संघर्ष के बावजूद, **कैबरेल** ने बाद में कोचीन और कन्नानोर में स्थानीय शासकों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की।

● फ्रांसिस्को डी अल्मेडा:

- वर्ष 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया।
- अल्मेडा का मिशन पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना और अदन, हार्मुज तथा मलक्का पर कब्जा करना था। उन्हें अंजादिवा, कोचीन, कन्नानोर और किलवा में किले बनाने की सलाह दी गई थी।
- जमोरिन के विरोध और मिस्र के मामलुक सुल्तान की धमकी का सामना करना पड़ा। वेनिस के व्यापारियों के समर्थन से मिस्रवासियों ने पुर्तगाली हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए एक बेड़ा खड़ा किया। वर्ष 1507 में, मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना द्वारा दीव के पास एक नौसैनिक युद्ध में एक पुर्तगाली स्क्वॉड्रन को हरा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अल्मेडा के बेटे की मृत्यु हो गई।
- अल्मेडा ने वर्ष 1508 में दोनों नौसेनाओं को कुचलकर अपनी हार का बदला लिया।
- अल्मेडा का उद्देश्य **ब्लू वाटर पॉलिसी** (कार्टेज सिस्टम) को लागू करके पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था।

- ब्लू वाटर नीति हिंद महासागर की किलेबंदी थी, न कि हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापार की स्थापना के लिए।
- कार्टेज प्रणाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की एक लाइसेंसिंग प्रणाली थी जिसका उपयोग हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था।

● अल्फांसो डी अल्बुकर्क:

- अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में सफल हुए और उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
- हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण बनाए रखने के लिए हार्मुज, मालाबार, मलक्का के साथ-साथ लाल सागर में सफलतापूर्वक अड्डे स्थापित किए।
- उन्होंने अन्य जहाजों के लिए **‘कार्टेज सिस्टम’** शुरू की। [UPSC 2022]
- वर्ष 1510 में बीजापुर सुल्तान से **गोवा** का अधिग्रहण किया, जो सिंदूर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया।
- तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें, या नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किस्में लाई गईं।

● नीनो दा कुन्हा:

- नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने।
- वर्ष 1530 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया।
- गुजरात के बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूँ के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद माँगी। उन्होंने बेसिन द्वीप को उसकी निर्भरता के साथ सौंप दिया और पुर्तगालियों को दीव में एक आधार बनाने का वादा किया।
- वर्ष 1536 में जब हुमायूँ गुजरात से वापस चला गया तो संबंधों में विकृति आ गई। शहर के निवासियों के पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। बहादुर शाह का उद्देश्य विभाजन की दीवार खड़ी करना था जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो सके।
- वर्ष 1537 में बातचीत के दौरान गुजरात के शासक को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
- दा कुन्हा का लक्ष्य बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था, पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था।

नोट: मध्यकालीन शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। [UPSC 2024]

पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन

भौगोलिक विस्तार:

- उनके नियंत्रण में महत्वपूर्ण क्षेत्र थे गोवा, मुंबई, दमन और दीव, साथ ही दक्षिण में व्यापारिक चौकियाँ तथा पूर्वी तट पर सैन्य चौकियाँ, जैसे चेन्नई में सैन थोम एवं तमिलनाडु में नागपट्टिनम।

भारत में डच प्रशासन

- मैंगलोर, कालीकट, केन्नौर और कोचीन जैसे शहर पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती बन गई।

प्रशासन की संरचना:

- वायसराय प्रशासन का प्रमुख होता था और उसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता था। बाद के वर्षों में वायसराय को सचिव के साथ-साथ एक परिषद का भी समर्थन प्राप्त था।
- वेदोर दा फर्जेडा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था जो राजस्व, कार्यों और बेड़े के प्रेषण के लिए जिम्मेदार था।
- 'कारकों' (factors) की सहायता से कप्तानों का पुर्तगाल के अधीन किलों पर नियंत्रण था।

धार्मिक नीति:

- अपने सभी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार करना और मुसलमानों का विरोध करना चाहते थे।
- पुर्तगाली शुरू में हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, लेकिन बाद में उन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं पर अत्याचार किया।
- पादरी रोडक्ल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोनसेरेट को वर्ष 1580 में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भेजा गया और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। हालाँकि, लगातार प्रयासों के बाद भी, अकबर को परिवर्तित करने की पुर्तगाली उम्मीदें कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाईं।

मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध:

- अकबर और जहाँगीर ने पादरीयों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, जिससे शुरूआती वर्षों में अच्छे संबंध बने रहे।
- पुर्तगाली समुद्री डकैती के कृत्यों ने भी मुगल सरकार को परेशान कर दिया, जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए।
- शाहजहाँ के शासनकाल में, पुर्तगालियों ने वे सभी सुविधाएँ खो दीं जो उन्हें सम्राट अकबर के समय से मुगल दरबार में प्राप्त थीं।
 - 24 जून, 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप तीन महीने बाद हुगली पर कब्जा कर लिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य:

- **कोलंबिया:** यह कोलंबस की 1492 की यात्रा के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका तथा पुरानी दुनिया के बीच पौधों, जानवरों, संस्कृति, आबादी, प्रौद्योगिकी, बीमारियों एवं विचारों के व्यापक हस्तांतरण को संदर्भित करता है।
- **यूरोपीय अन्वेषण का प्रभाव:** अमेरिका में आक्रामक प्रजातियों और संक्रामक रोगों का परिचय।
- **प्रमुख आदान-प्रदान:**
 - पुरानी दुनिया से नई दुनिया: फसलें: कॉफी, गेहूँ, जौ, चावल, गन्ना, कपास, चुकंदर।
 - नई दुनिया से पुरानी दुनिया: फसलें: एवोकैडो, काजू, कोको बीन, आलू, मक्का, रबर, तंबाकू इत्यादि। [UPSC 2019]

डचों का आगमन और प्रसार:

- कॉर्नेलिस डी हाउटमैन वर्ष 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुँचने वाले पहले डचमैन थे।
- नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1602 में किया गया था जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र पर कब्जा करने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होने की शक्ति थी।
- डचों ने अपना पहला कारखाना वर्ष 1605 में मसूलीपट्टनम (आंध्र में) में स्थापित किया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास (चेन्नई) के पास नागपट्टम पर कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया।
- अन्य महत्वपूर्ण डच कारखाने सूरत (1616), बिमिलीपट्टम (1641), कराईकल (1645), चिनसुरा (1653), बारानगर, कासिम बाजार (मुर्शिदाबाद के पास), बालासोर, पटना, नागपट्टम (1658) और कोचीन (1663) में थे।
- वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात तथा कोरोमंडल से कपड़ा एवं रेशम, बिहार से शोरा व गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे।
- **नोट:** मुख्य व्यापार: नील, कपड़ा, रेशम, शोरा, अफीम और काली मिर्च।
- **काली मिर्च और मसालों** के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। वे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे।

डचों का पतन:

- डचों की रुचि साम्राज्य-निर्माण में नहीं थी, वे व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे।
- एंग्लो-डच प्रतिद्वंद्विता, जैसा कि अंबोयना नरसंहार (1623, इंडोनेशिया) जैसी घटनाओं में देखा गया, बाद में अपने भारतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई।
- वर्ष 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे वापस लेने पर सहमत हो गए और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से प्रस्थान कर गए।
- तीसरे एंग्लो-डच युद्ध में, डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाजों पर कब्जा कर लिया। 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और वर्ष 1759 में हुगली की लड़ाई जीत ली।
- हुगली की लड़ाई (1759), जिसे बेदरा की लड़ाई और चिनसुराह की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, इसने भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया एवं अंग्रेजों के उत्थान का कारण बना।
- वर्ष 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और वर्ष 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजों में उद्यम की एक नई भावना पैदा की।

भारत में डेनिश:

- डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1616 में हुई। तंजौर के पास ट्रांक्यूबार (1620) में पहली फैक्ट्री।
- सेरामपुर (कलकत्ता के पास) उनकी सबसे महत्वपूर्ण बस्ती बन गई।
- वाणिज्यिक या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय मिशनरी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया।

- डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1616 में हुई थी और उन्होंने वर्ष 1620 में तंजौर के पास त्रावनकोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया।
- कलकत्ता के पास सेरामपुर उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी।
- डेनिश वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे।

भारत में ब्रिटिश शक्ति:

• प्रारंभिक उद्यम

- 1580 ई.: फ्रांसिस ड्रेक की विश्व यात्रा।
- 1588 ई.: स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजी विजय ने ब्रिटिश उद्यम को बढ़ावा दिया।
- 31 दिसंबर, 1600: महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडीज में व्यापार करने के लिए लंदन के गवर्नर और व्यापारिक कंपनी को विशेष व्यापारिक अधिकार के साथ एक चार्टर जारी किया।

प्रारंभिक व्यापारिक प्रयास:

- महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडीज में विशेष व्यापार अधिकारों के साथ 'गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेण्ट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन्टू द ईस्ट इंडीज' नामक कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया, जिसे बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया।
- 1609: कैप्टन हॉकिन्स, एक फैक्ट्री स्थापित करने और व्यापार रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया।
- 1611: अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और वर्ष 1616 में वहाँ एक कारखाना स्थापित किया।
- 1612: कैप्टन थॉमस बेस्ट ने वर्ष 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप जहांगीर ने वर्ष 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी।
- 1615: सर थॉमस रो, जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत, वर्ष 1615 में आया और फरवरी वर्ष 1619 तक रहा। हालाँकि जहांगीर के साथ एक वाणिज्यिक संधि संपन्न करने में असफल रहे, थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त किए। [UPSC 2021]

ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र:

- अंग्रेजों को गोलकुंडा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार देने के लिए वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 'गोल्डन फरमान' जारी किया गया था।
- बॉम्बे को राजा चार्ल्स द्वितीय को देहेज उपहार के रूप में दिया गया था, जिन्होंने बाद में इसे वर्ष 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बाद में, बॉम्बे पश्चिमी प्रेसीडेंसी का मुख्यालय बन गया।
- वर्ष 1639 में, चंद्रगिरि के शासक (विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि) ने मद्रास में एक गढ़वाली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई और मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल दिया गया। [UPSC 2022]

- अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूर्व की ओर बढ़ाया और वर्ष 1633 में महानदी डेल्टा के हरिहरपुर तथा बालासोर (ओडिशा में) में कारखाने स्थापित किए।
- बंगाल में, शाह शुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। बाद में, हुगली (1651), कासिम बाजार, पटना में कारखाने स्थापित किए गए।
 - विलियम हेजेज ने एक किलेबंद बस्ती बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा।
 - जॉब चार्नॉक समझौता में सफल रहा और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत वर्ष 1691 में सुतानुति में एक अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई।
 - वर्ष 1698 में, अंग्रेज तीन गाँवों सुतानुति, गोबिंदपुर और कालिकाता (कालीघाट) की जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे।
 - वर्ष 1700 में इस किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया जब यह पूर्वी प्रेसीडेंसी पद (कलकत्ता) की सीट भी बनी और सर चार्ल्स आयर इसके पहले अध्यक्ष बने।

फरुखसियर का फरमान (1715):

- वर्ष 1715 में, जॉन सरमैन ने मुगल सम्राट फरुखसियर से तीन फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त हुए। फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता था।
- इनमें बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट, दस्तक जारी करने की अनुमति, कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क से मुक्ति शामिल थी।
- सूरत में, कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर सभी कार्यों से छूट दी गई थी। बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे।

कंपनी विकास:

- 1615: कंपनी को कैप्टनों को कमीशन जारी करने का अधिकार दिया गया।
- 1625: राज्यपालों और निदेशकों को दीवानी तथा फौजदारी मामलों में न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- 1686: अपनी नौसेना के लिए एडमिरल नियुक्त करने और विभिन्न सिक्के ढालने का अधिकार दिया गया।
- 1698-1702: वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को £2 मिलियन प्रदान करने में असमर्थ रहे।
- जनवरी 1701 - अप्रैल 1702: एकाधिकार व्यापार लाइसेंस के साथ एक समानांतर कंपनी उभरी, सर विलियम नॉरिस औरंगजेब के राजदूत के रूप में नियुक्त किये गए।
- 1702-1709: दोनों कंपनियों ने एक समझौते के तहत एक साथ काम किया।
- 1709: पुरानी कंपनी ने अपना चार्टर रानी ऐनी को सौंप दिया; संयुक्त कंपनी ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले इंग्लैंड के व्यापारियों ने कब्जा कर लिया।
- 1708: दो कंपनियों का यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेण्ट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग में विलय हुआ।

- ईस्ट इंडीज, वर्ष 1708 से 1873 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का प्रतीक है।

भारत में फ्रांसीसी:

व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी थे।

- कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएण्टल्स (फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी) की स्थापना वर्ष 1664 में **लुई XIV के शासनकाल** के दौरान मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। कंपनी को हिंद और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार एवं साथ ही अन्य रियायतें भी मिलीं।
- भारत में **पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री वर्ष 1667 में सूरत** में फ्रांसिस केरान द्वारा स्थापित की गई थी। केरन के साथ आए एक फ्रांसीसी व्यक्ति मर्करा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद वर्ष 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की।
- वर्ष 1673 में, फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की।
- फ्रांसिस मार्टिन को वर्ष 1674 में **शेर खान लोदी** द्वारा बीजापुर द्वारा पांडिचेरी का स्थान प्रदान किया गया था। बाद में, **पांडिचेरी** भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र बन गया।
- अन्य महत्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापार केंद्र माहे, कराईकल, बालासोर थे जिन्होंने भारत में उनके विस्तार में मदद की।
- वर्ष 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया लेकिन बाद में **रेजविक की संधि** के तहत इसे फ्रांसीसियों को वापस दे दिया गया।
- बाद में, वर्ष 1720 और 1742 के बीच गवर्नर लेनोर एवं डुमास के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी को पुनर्गठित किया गया।

कर्नाटक युद्ध (1740-1763): सर्वोच्चता के लिए आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1740-48):

- कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों को दिया गया नाम था। यह **ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण** यूरोप में हुए एंग्लो-फ्रेंच युद्ध का विस्तार था।
- वर्ष 1748 में **ऐक्स-ला शापेल की संधि** पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जिसने ऑस्ट्रियाई युद्ध को समाप्त कर दिया और मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया।
- प्रथम कर्नाटक युद्ध को **सेंट थॉम की लड़ाई** द्वारा चिह्नित किया गया था, जहाँ कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हराया था। इस जीत ने दक्कन में एंग्लो-फ्रांसीसी संघर्ष में एक अनुशासित सेना की प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्त्व को उजागर किया।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749-54):

- प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया।

- यह युद्ध निजाम-उल-मुल्क (हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक) की मृत्यु के बाद **उत्तराधिकार संघर्ष** के कारण हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग एवं चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया था, जबकि अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पक्ष में थे।
- **अंबर का युद्ध (1749):** वर्ष 1749 में, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों ने अंबर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हराया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया।
- एक अंग्रेजी कंपनी एजेंट **रॉबर्ट क्लाइव** ने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए वर्ष 1751 में अर्कोट पर कब्जा कर लिया। 53 दिनों की घेराबंदी के बावजूद, चंदा साहिब अर्कोट पर दोबारा कब्जा करने में विफल रहे। वर्ष 1752 में मुहम्मद अली ने चंदा साहिब को फाँसी दे दी। वित्तीय घाटे के कारण वर्ष 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गेडह्यू उसका उत्तराधिकारी बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी देशी विवादों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए तथा अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा।
- **पांडिचेरी की संधि (1754):** मुहम्मद अली खान वालजाह की नवाब के रूप में पुष्टि करते हुए युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसी वापसी की माँग की।

तृतीय कर्नाटक युद्ध:

- यूरोप में **सप्त वर्षीय युद्ध** के परिणामस्वरूप शुरू हुआ जिसका भारत में आंग्ल-फ्रांस प्रतिद्वंद्विता पर प्रभाव पड़ा।
- **युद्ध का प्रकोप (1757):** यूरोप में व्यापक संघर्ष के बीच शत्रुता फिर से शुरू हुई।
 - **मद्रास की घेराबंदी (1758):** काउंट डी लाली के तहत फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया।
 - **ब्रिटिश जवाबी हमला:** वर्ष 1759 में सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया।
- **वांडीवाश की लड़ाई (1760):** तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवाश में अंग्रेजों ने जीती थी। अंग्रेजों के जनरल आयर कूट ने **काउंट थॉमस आर्थर डी लाली** के अधीन फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और **बुस्सी** को बंदी बना लिया। इस लड़ाई के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे।
- **पेरिस शांति संधि (1763)** ने फ्रांसीसियों को उनके कारखाने लौटा दिए, लेकिन युद्ध के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया।

फ्रांसीसी अंग्रेजों से क्यों हार गए?

- अंग्रेजी कंपनी कम सरकारी नियंत्रण वाला एक निजी उद्यम था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिससे विलंबता और सरकारी नीतियों के कारण बाधित थी।
- अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठता ने उन्हें फ्रांस और भारत में उसकी संपत्ति के बीच समुद्री संपर्क को कम करने में मदद की।
- अंग्रेजों ने विस्तार के दौरान कभी भी अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा नहीं की, इस प्रकार उनके पास युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होती थी। दूसरी ओर, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के अधीन अपने व्यावसायिक

हितों के अधीन होने के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी।

- ब्रिटिशों के पास हमेशा सर आयर कूट और रॉबर्ट क्लाइव जैसे बेहतर सैन्य कमांडर थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल एक अच्छे सैन्य रणनीतिकार के रूप में डुप्ले था।

अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की सफलता के पीछे के कारण:

- इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित थी, उनके प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, जो राज्य के स्वामित्व वाली और सामंतवादी थीं।
- अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता ने उन्हें पुर्तगालियों को हराने के साथ-साथ हिंद महासागर में अन्य प्रतिस्पर्धियों के विस्तार को सीमित करने में मदद की।
- इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने भाप इंजन और पावरलूम जैसी मशीनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की तथा इंग्लैंड को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद की।
- ब्रिटिश सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और कुशल नेतृत्व में सेवा दी गई थी, जिससे अंग्रेजों को युद्ध में बड़ी सेनाओं को हराने में मदद मिली।
- ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता ने उसके व्यापार को समर्थन दिया, जबकि फ्रांस जैसे अन्य देश क्रांतियों और हिंसा में फँस गए थे।
- स्पेन, पुर्तगाल या डच की तुलना में, ब्रिटेन धर्म को लेकर कम उत्साही था और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कम प्रेरित था। इस वजह से, इसके शासन के विषयों ने इसे अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार किया।
- बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक था, ने अंग्रेजों को धन प्राप्त करने के लिए ऋण बाजार का उपयोग करने में मदद की। इस प्रकार, कंपनी के पास अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए धन उपलब्ध रहता था। इसकी तुलना में, आर्थिक रूप से ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में फ्रांसीसी अंततः दिवालिया हो गए।

ब्रिटिश विजय की पूर्व संस्था पर भारत:

अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन शुरू हो गया—

- औरंगजेब (1658-1707) के शासनकाल ने भारत में मुगल सत्ता के अंत की शुरुआत हो गई थी।
- बाद में, मुहम्मद शाह के शासन के दौरान, हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।
- मराठों ने शाही सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई क्षेत्रीय प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया।

मुगलों के सामने चुनौतियाँ:

बाहरी चुनौतियाँ:

- नादिर शाह का आक्रमण (1738-39): करनाल की लड़ाई (1739) में मुगल सेना को हराया और मुहम्मद शाह (मुगल शासक) को बंदी बना लिया।

- मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और कई मूल्यवान वस्तुएँ मुगलों से छीन ली गईं।
- नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र हासिल कर लिया। इस प्रकार, भारत एक बार फिर उत्तर-पश्चिम से होने वाले हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया।

अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण:

- वर्ष 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को शासन सौंप दिया।
- अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीब-उद-दौला (रोहिला प्रमुख) को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी, जिसे अब्दाली के एजेंट के रूप में कार्य करना था।
- पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761) में अब्दाली भारत वापस आया और उसने उन सभी मराठों को हराया जिन्होंने रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।

औरंगजेब के बाद कमजोर शासक:

- बहादुर शाह प्रथम (1707-1712): इसे 'शाह-ए-बेखबर' के नाम से भी जाना जाता है।
 - उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ शांति नीति अपनाई।
 - बाद में सिख नेता बंदा बहादुर विद्रोह का विद्रोह हुआ।
- जहाँदार शाह (1712-13)
 - जुल्फिकार खान की मदद से सम्राट बने, जिन्हें बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
 - उन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए इजारा प्रणाली की स्थापना की। जहाँदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया।
- फर्रुखसियर (1713-1718)
 - वह सैय्यद बंधुओं (अब्दुल्ला खान और हुसैन अली) की मदद से जहाँदार शाह की हत्या के परिणामस्वरूप सत्ता में आया, जो बाद में उनके दरबार में वजीर और मीर बख्शी बन गए।
 - इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया जैसा कि जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त करने जैसे कदमों में देखा गया।
 - वर्ष 1717 का फरमान देकर अनजाने में अंग्रेजों को आगे बढ़ने में सहायता की। बाद में वर्ष 1719 में, सैय्यद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार फर्रुखसियर अपने सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट बन गया।
- रफी-उद-दराजत (1719): सभी मुगल शासकों में उसका शासनकाल सबसे छोटा था।
- रफी-उद-दौला (1719): 'शाहजहाँ द्वितीय' की उपाधि धारण की। उन्हें सैय्यद बंधुओं द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया था, जिन्होंने सत्ता केंद्रित कर ली थी।
- मुहम्मद शाह रंगीला (1719-48)
 - उन्होंने निजाम-उल-मुल्क की मदद लेकर सैय्यद भाइयों को मार डाला, जिन्होंने बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।

- उन्हे करनाल की लड़ाई (1739) में नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया।
- **अहमद शाह बहादुर (1748-1754)**
 - उन्हें एक अक्षम शासक के रूप में देखा गया जिसने राज्य मामलों को 'रानी माँ' उधम बाई के हाथों में छोड़ दिया। बाद में उधम बाई को 'किबला-ए-आलम' की उपाधि दी गई।
- **आलमगीर द्वितीय (1754-1759)**
 - वह सम्राट जहाँदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुँचा।
 - उसके शासनकाल के दौरान, जून 1757 में **प्लासी की लड़ाई** लड़ी गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई।
- **शाह आलम द्वितीय (1760-1806)**
 - उनके शासनकाल में दो निर्णायक लड़ाइयाँ हुईं, अर्थात् **पानीपत की तीसरी लड़ाई (1761)** और **बक्सर की लड़ाई (1764)** बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि (1765) पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें निम्नलिखित शर्तें लगाई गईं—
 - उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की **दीवानी का अधिकार** देने का एक फरमान जारी किया तथा उन्हें अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, एवं उन्हें अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी गई।
- **अकबर शाह द्वितीय (1806-1837)**
 - उन्होंने राजा राम मोहन राय को 'राजा' की उपाधि दी।
 - वर्ष 1835 में, उनके शासनकाल के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट की अधीनता के रूप में संदर्भित करना बंद कर दिया और सम्राट के नाम वाले सिक्कों का उत्पादन बंद कर दिया।
- **बहादुर शाह द्वितीय (1837-1857):** अंतिम मुगल सम्राट।
 - 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें 'भारत का सम्राट' घोषित किया गया था।
 - बाद में उन्हें अंग्रेजों गिरफ्तार करके, रंगून भेज दिया।
- **पतन के कारण:** औरंगजेब के अत्यधिक विस्तार ने संसाधनों पर दबाव डाला और सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया, जिससे मुगल प्रशासन का निर्माण हुआ।
- **व्यापक असंतोष:** कमजोर उत्तराधिकारियों के पास शासन कौशल का अभाव था, जिससे गिरावट तेज हो गई। इससे उनका ध्यान सैन्य से विलासिता की ओर स्थानांतरित हो गया, और अदालती गुटों ने स्थिरता को नष्ट कर दिया। एक त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकार प्रणाली के कारण ऐसा हुआ।
- **सत्ता संघर्ष:** पेशवाओं के अधीन मराठा उत्थान ने सत्ता को चुनौती दी, जबकि सैन्य वफादारी कम हो गई।
- कमांडरों के लिए, अनुशासन को कमजोर करने तथा छापों और कुप्रबंधन से आर्थिक कठिनाई समाप्त हो गई।
- जागीरदारी प्रणाली में वित्त और प्रतिस्पर्धा ने कुलीन प्रतिद्वंद्विता को तीव्र कर दिया। इससे विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा मिला।
- विद्रोहों, विदेशी आक्रमणों (नादिर शाह, अब्दाली) ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया और इससे यूरोपीय उपस्थिति उजागर हो गई तथा व्यापार एवं युद्ध में ठहराव आया।

क्षेत्रीय राज्यों का उदय

- औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, जाट, सिख और मराठा जैसे क्षेत्रीय गुट मुगलों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
- मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया। औरंगजेब के बाद, बहादुर शाह प्रथम द्वारा राजपूत शक्ति पर अंकुश लगाने के प्रयासों को बढ़ावा मिला, जिससे फैली अशांति भविष्य के गठबंधनों को कठिन बना रही थी।



क्षेत्रीय राज्यों का वर्गीकरण

स्वतंत्र राज्य

- ऐसे राज्य मुख्य रूप से मुगलों की अपने प्रांतों पर कमजोर पकड़ के कारण अस्तित्व में आए।
- मैसूर और राजपूत क्षेत्र इसके उदाहरण हैं।

उत्तराधिकारी राज्य

- ये पूर्व मुगल प्रांत थे, जो साम्राज्य से अलग होने के बाद अलग-अलग राज्यों में परिवर्तित हो गए।
- हालाँकि उन्होंने मुगल शासक की सर्वोच्चता का विरोध नहीं किया, लेकिन उनके राज्यपालों द्वारा लगभग स्वतंत्र और वंशानुगत शक्तियों के निर्माण ने इन क्षेत्रों में स्व-शासित शासन के उदय का संकेत दिया।
- अवध, बंगाल और हैदराबाद इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

नवीन राज्य

- ये राज्य मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले गुटों द्वारा स्थापित किए गए थे।
- मराठा, सिख और जाट क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

हैदराबाद:

- इसकी स्थापना **किलिच खान** ने की थी, जो **निजाम-उल-मुल्क** के नाम से मशहूर थे। उन्होंने पहले मुगल साम्राज्य के तहत वजीर के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया।
- **शक्र-खेड़ा की लड़ाई (1724):** किलिच खान ने दक्कन के मुगल वायसराय को हराया और नियंत्रण ग्रहण किया। वह वायसराय बन जाता है और खुद को 'आसफ-जाह' की उपाधि प्रदान करता है।

अवध:

- **सआदत खान** द्वारा स्थापित, जिसे **बुरहान-उल-मुल्क** के नाम से जाना जाता था। सआदत खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, जो उससे भारी लूट की माँग कर रहा था। उनके बाद **सफदर जंग** अवध के नवाब बने।

बंगाल:

- **मुर्शिद कुली खान** द्वारा स्थापित, जो बाद में उनके बेटे शुजाउद्दीन को हस्तांतरित हुआ।
- बाद में **अलीवर्दी खान** ने सत्ता संभाली और वार्षिक कर देकर राज्य को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया।

मैसूर:

- शुरुआत में मैसूर पर **वाडयार राजाओं** का शासन था, **हैदर अली** ने सत्ता संभाली और अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध में शामिल रहे।

केरल:

- **मार्टंड वर्मा** के अधीन केरल एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसकी **राजधानी त्रावणकोर** थी।
- उन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए और अपनी सेना को पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसार संगठित करने का प्रयास किया।

जाट:

- वर्ष 1669 में, **गोकुला** ने मथुरा में मुगलों के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। हालाँकि, यह सफल नहीं हुआ।
- बाद में **चूड़ामन और बदन सिंह** ने सफलतापूर्वक भरतपुर राज्य की स्थापना की।
- सबसे उल्लेखनीय जाट नेता **सूरजमल** थे, जिन्होंने आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार किया। सूरजमल के बाद जाट राज्य छोटी-छोटी रियासतों में विभाजित हो गया।

सिख:

- **औरंगजेब का शासनकाल**
 - नौवें सिख गुरु, **गुरु तेग बहादुर** को वर्ष 1675 में औरंगजेब द्वारा हिरासत में लिया गया और मौत की सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
 - गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी **गुरु गोबिंद सिंह** ने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया। अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिखों को एक हिंसक समूह में बदल दिया। बाद में, वर्ष 1708 में, बंदा बहादुर सिखों के नेता बने, लेकिन वह युद्ध में मारे गए।
- बाद में, **रणजीत सिंह** ने पंजाब क्षेत्र में **12 मिसलों (संघों)** को मिलाकर एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की।
 - वह **सुकर चकिया मिसल** नेता महान सिंह के पुत्र थे।
 - सतलुज से झेलम तक फैले क्षेत्र को रणजीत सिंह ने अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में उन्होंने वर्ष 1802 में अमृतसर और 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया।
 - रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करके सिस-सतलुज क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दी।
 - हालाँकि, जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें वर्ष 1838 में शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ **त्रिपक्षीय संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पंजाब से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।

मराठा:

- पेशवाओं के नेतृत्व में, वे मुगल शासन के सबसे प्रबल विरोधियों के रूप में उभरे। उन्होंने मुगल प्रभुत्व के मुख्य उत्तराधिकारी होने के अधिकार का दावा किया।
- हालाँकि, वे **पानीपत की तीसरी लड़ाई** में अहमद शाह अब्दाली से हार गए और उनके शासन के तहत कभी भी समान भौगोलिक विस्तार प्राप्त नहीं कर सके।

रोहिलखंड और फर्रुखाबाद:

- नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगलों के कमजोर होने के बाद रोहिलखंड साम्राज्य की स्थापना **अली मुहम्मद खान** ने की थी।
- फर्रुखाबाद साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के पूर्व के क्षेत्र में एक अफगान मोहम्मद खान बंगश ने की थी।

क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएँ:

- अधिकांश ने मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को नाम मात्र के लिए स्वीकार किया और कुछ ने इसे नकारना जारी रखा।
- इन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति का उदय हुआ जिसमें प्रांतीय शासकों को स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय हितों में रुचि लेनी पड़ी।
- सुदृढ़ वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन पर आधारित प्रणाली विकसित करने में विफलता ने उनके विकास को सीमित कर दिया।
- पड़ोसी क्षेत्रीय शक्तियों के बीच लगातार युद्ध ने इन सभी राज्यों को इस हद तक कमजोर कर दिया कि मुगलों के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी शक्ति शून्य को भरने में सक्षम नहीं था।
- कृषि आय में आई गिरावट तथा जागीर चाहने वाले मनसबदारों की संख्या में वृद्धि के कारण **जागीरदारी संकट** गहरा गया।

कला, वास्तुकला और संस्कृति का विकास:

- **बड़ा इमामबाड़ा** लखनऊ में आसफ-उद-दौला द्वारा बनवाया गया था।
- **सवाई जय सिंह** ने **गुलाबी शहर (Pink City)** जयपुर का निर्माण करवाया। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में पाँच खगोलीय वेधशालाएँ भी बनवाईं। अंत में, उन्होंने जिज मुहम्मद-शाही तैयार की जो लोगों को खगोल विज्ञान का अध्ययन करने में मदद करने के लिए समय सारिणी का एक सेट था।
- केरल में **पद्मनाभपुरम महल** का निर्माण कराया गया।

भाषा एवं साहित्य:

- **उर्दू शायरी:** 18वीं सदी में मीर, सौदा, नज़ीर और मिर्जा गालिब जैसे प्रमुख कवियों के साथ फली-फूली।
- **मलयालम साहित्य:** त्रावणकोर शासकों द्वारा समर्थित था जिसमें कुंचन और नाम्बियार जैसे प्रभावशाली कवि शामिल हैं।
- **तमिल में सितार कविता:** तयुमनावर द्वारा मंदिर शासन और जाति की आलोचना के साथ उभरी।
- **पंजाबी महाकाव्य:** वारिस शाह ने हीर रांझा, एक प्रसिद्ध रोमांटिक कृति लिखी।
- **सिंधी साहित्य:** शाह अब्दुल लतीफ द्वारा समृद्ध, जिन्होंने रिसालो लिखा।
- विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित किया गया; राजा सवाई जय सिंह और परशुराम भाऊ के प्रयासों जिनमें विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना विफल रहा।

शिक्षा:

- **पारंपरिक शिक्षा:** साहित्य, कानून, धर्म और तर्क पर केंद्रित, विज्ञान तथा तकनीकी की कमी।
- **प्राथमिक विद्यालय:** मकतब (मुस्लिम) और पाठशालाएँ (हिंदू), मुख्य रूप से गणित पढ़ने और लिखने के लिए।

- **उच्चतर शिक्षा:** बिहार और बंगाल में चतुष्पथियों तथा टोल जैसे केंद्र, संस्कृत एवं फ़ारसी में विशेषज्ञता रखते थे। मदरसों में अरबी और कुरानिक अध्ययन पढ़ाया जाता था।

व्यापार और उद्योग

- **आत्मनिर्भरता:** भारत एक निर्यातक था, जो सोने और चाँदी के साथ व्यापार को संतुलित करता था।
- **आयात:** मोती, रेशम, ऊन, चाय, मसाले, दवाइयाँ और सोना।
- **निर्यात:** सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, मसाले और कीमती पत्थर।
- **वस्त्र केंद्र:** ढाका, सूरत, पटना, कश्मीर (ऊनी उत्पाद)।

नौसेना और जहाज निर्माण

- महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल और केरल (कालीकट, क्विलोन) में प्रमुखा।
- शिवाजी की नौसेना ने पुर्तगालियों का सामना किया; व्यापार संचालन के लिए सामान्यतः भारत में यूरोपीय जहाज बनाए जाते थे।

भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण

भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण:

- अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, सैन्य कमांडर और साथ ही रणनीति थी जो उन्हें हमेशा भारतीय शासकों की तुलना में बेहतर स्थिति में थी।
- वेतन भुगतान की एक नियमित प्रणाली ने सैनिकों को प्रेरित और वफादार बने रहने में मदद की।
- भारतीय शासकों की तुलना में अंग्रेजों के पास एक पेशेवर सेना थी और वे कभी-कभी भाड़े के सैनिकों को भी रखते थे।
- योग्यता को महत्व दिया जाता था, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों और सैनिकों को उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल के आधार पर प्रभाव दिया जाता था, न कि जाति या कबीले की वफादारी के आधार पर।
- भारतीय पक्ष में हैदर अली, टीपू सुल्तान और किलिच खान जैसे प्रभावपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन उनका समर्थन करने के लिए दूसरी पंक्ति का कोई नेतृत्व नहीं था।
- हमेशा कंपनी द्वारा आर्थिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया जिससे युद्धों का वित्तपोषण कर सके और साथ ही अपने शेरधारकों को भी खुश रख सके, जबकि मराठों जैसे प्रतिस्पर्धियों को कराधान के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के लिए अपने सैन्य अभियान बंद करने पड़े।
- 'कमजोर और विभाजित भारतीयों' में एकीकृत राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, उन्होंने आर्थिक रूप से समृद्ध ब्रिटिश लोगों का सामना किया जो भौतिक उन्नति में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर गर्व करते थे।

बंगाल पर ब्रिटिश विजय:

- **ब्रिटिश-पूर्व बंगाल की स्थिति:** बंगाल एक समृद्ध प्रांत था जो यूरोप को शोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, कपास, कपड़ा और हस्तशिल्प निर्यात करता था।
- **ईस्ट इंडिया कंपनी का निवेश:** 1630 के दशक से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चारों ओर से निवेश किया, इसमें से इसका 60% एशियाई आयात केवल बंगाल से होता था।

बंगाल में शासकों का कालक्रम:

- **मुर्शिद कुली खान** ने वर्ष 1700 से 1727 तक बंगाल के दीवान के रूप में शासन किया। उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने वर्ष 1739 तक शासन किया और इसके बाद सरफराज खान ने एक वर्ष तक शासन किया।
- **अलीवर्दी खान** ने सरफराज खान को मार डाला और वर्ष 1756 तक शासन किया। उसने मुगल सम्राट को भेंट देना भी बंद कर दिया।
- अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी उसका पोता **सिराजुद्दौला** था।

प्लासी का युद्ध (1757):

युद्ध का प्रारंभ:

- सिराजुद्दौला के दरबार में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता प्रचलित थी, मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।
- अंग्रेजों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अंग्रेज इस बात से चिंतित थे कि सिराज बंगाल में उनके हितों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ मिलीभगत कर रहा है।
- 'ब्लैक-होल त्रासदी' ने ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच घर्षण को और बढ़ा दिया।
- **सिराज की प्रतिक्रिया:** ब्रिटिश सैन्य जमावड़े से चिंतित सिराज ने जून 1756 में, कलकत्ता (अलीनगर) पर कब्जा कर लिया।
- **क्लाइव की रणनीति:** सिराज के आंतरिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ गठबंधन बनाया, जिससे ब्रिटिश जीत सुनिश्चित हुई।

युद्ध और उसके परिणाम:

- **रॉबर्ट क्लाइव** ने मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोगों के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया जो नवाब के गद्दार थे।
- षडयंत्र के कारण अंग्रेज आसानी से युद्ध जीत गए। अब अंग्रेजों के पास बंगाल के विशाल संसाधन थे।
- **मीर जाफर बंगाल का नवाब** बना और उसने अंग्रेजों को धन के साथ 24 परगने की जमींदारी भी दे दी। अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को तैनात किया और कलकत्ता पर उनकी संप्रभुता को मान्यता दी गई।

मीर जाफर का बंगाल पर शासन:

- अंग्रेजों से परेशान होकर मीर जाफर ने डचों के साथ षडयंत्र रचने का प्रयास किया। वर्ष 1759 में **बेदरा की लड़ाई** हुई और अंग्रेज जीत गए।
- कलकत्ता के नए गवर्नर **वैनसिटाट** ने मीर कासिम (मीर जाफर के दामाद) का समर्थन किया और वर्ष 1760 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं—
 - **मीर कासिम** ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव के जिले कंपनी को सौंप दिए। कंपनी को सिलहट के **चूना** व्यापार में आधा हिस्सा मिलेगा।
 - मीर कासिम को कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के साथ-साथ दक्षिणी भारत में उसके युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण में मदद करने को कहा गया।
 - इस बात पर सहमत हुए कि मीर कासिम के शत्रु कंपनी के शत्रु थे और उसके दोस्त कंपनी के दोस्त थे।
- मीर कासिम एक सक्षम शासक था जिसने बंगाल को मजबूत करने के लिए **राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर** स्थानांतरित करना, नौकरशाही का पुनर्गठन और सेना को फिर से तैयार करना जैसे कदम उठाया।

बक्सर का युद्ध (1764):

युद्ध की भूमिका:

- मीर कासिम ने स्वतंत्रता का दावा किया जिससे कंपनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया।
- कंपनी ने अपने **दस्तक** (व्यापार परमिट) का दुरुपयोग किया जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ और इस तरह तनाव पैदा हुआ।
- मीर कासिम** ने कर्तव्यों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। इससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गए और जवाब में, मीर कासिम ने अवध के नवाब **शुजाउद्दौला** एवं **शाह आलम द्वितीय** के साथ एक संघ बनाया।

युद्ध और उसके परिणाम:

- मेजर हेक्टर मुनरो** ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और मीर कासिम तथा उसके सहयोगियों पर निर्णायक जीत हासिल की। मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार गए जिससे अंग्रेजों का उस क्षेत्र पर प्रभुत्व हो गया।
- इलाहाबाद की संधि, 1765 **रॉबर्ट क्लाइव** द्वारा अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ संपन्न हुई।

इलाहाबाद की संधि:

नवाब शुजाउद्दौला

- वे इस बात पर राजी हो गए इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देंगे।
- युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करेंगे।
- बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार दे दिया जाएगा।

शाह आलम द्वितीय

- वे कंपनी के संरक्षण में, इलाहाबाद में निवास करने पर सहमत हुए।
- 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को **बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी** देने का फरमान जारी किया।
- उक्त प्रांतों के **निजामत कार्यों** (सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन) के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए देने का प्रावधान था।

बंगाल में द्वैध शासन (1765-72):

- रॉबर्ट क्लाइव** द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। कंपनी के पास प्रशासनिक (निजामत) और दीवानी दोनों अधिकार थे जो उसे क्रमशः बंगाल के सूबेदार और सम्राट से मिले थे।
- नवाब धन और सेना दोनों के लिए कंपनी पर निर्भर था। संक्षेप में, **नवाब एक कठपुतली शासक** बनकर रह गया था।
- दोहरी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई, जिसमें न तो कंपनी और न ही नवाब को जनता के कल्याण की परवाह थी। अंततः **वारेन हेस्टिंग्स** ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया।

कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध

अंग्रेजों से पहले मैसूर:

- तालीकोटा का युद्ध: (1565)** में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वोदेयार राजवंश ने मैसूर पर शासन किया।

- बाद में, हैदर अली ने शाही अधिकार छीन लिया और वर्ष 1761 में मैसूर का वास्तविक शासक बन गया तथा मैसूर की रक्षा के लिए सेना को मजबूत करने के उपाय किए।
- हैदर अली** ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल, जो अब तमिलनाडु में है, में एक हथियार फैक्ट्री की स्थापना की और उन्होंने पश्चिमी शैली का सैन्य प्रशिक्षण भी शुरू किया।
 - उन्होंने वर्ष 1761-63 में डोड बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे पर कब्जा कर लिया तथा दक्षिण भारत के पोलिगारों को अपने अधीन कर लिया।
 - 1774-76 के दौरान हैदर अली ने मराठों पर कई बार छापे मारे।

प्रथम आंगल-मैसूर युद्ध (1767-69):

- हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए मराठों को शांत करने और हैदराबाद के निजाम को अपना सहयोगी बनाने के लिए कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया।
- हैदर अली ने मद्रास पर हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ **मद्रास की संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

द्वितीय आंगल-मैसूर युद्ध (1780-84):

- फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली की दोस्ती ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया और उन्होंने माहे पर कब्जा करने की कोशिश की, जो हैदर अली के संरक्षण में थे।
- हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ **मराठों और निजाम के साथ गठबंधन** बनाया। उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया, अर्कोट पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1781 में जनरल बैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हरा दिया।
- सर आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेज मराठों और निजाम को हैदर के गठबंधन से अलग करने में कामयाब रहे। नवंबर 1781 में हैदर को फिर से अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और पोर्टोनोवो में हार का सामना करना पड़ा।
- असफलता के बावजूद, उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, अंग्रेजों को हराया और उनके कमांडर ब्रेथवेट को पकड़ लिया।
- वर्ष 1782 में, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के तहत हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण उनके बेटे, टीपू सुल्तान को बिना किसी निर्णायक परिणाम के एक और वर्ष तक युद्ध जारी रखना पड़ा। लंबे और अनिर्णायक संघर्ष का सामना करते हुए, दोनों पक्षों ने शांति का विकल्प चुना। मार्च 1784 में हस्ताक्षरित **मैंगलोर की संधि** ने शत्रुता के दौरान प्रत्येक पक्ष द्वारा लिए गए क्षेत्रों की वापसी का समझौता किया गया।

तृतीय आंगल-मैसूर युद्ध (1792):

- टीपू और त्रावणकोर राज्य के बीच विवाद अंग्रेजों द्वारा त्रावणकोर का पक्ष लेने के कारण युद्ध में बदल गया।
- अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और अपने आक्रमण में सफल हुए। वर्ष 1792 में **श्रीरंगपट्टनम की संधि** के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परिवर्तन हुए—
 - अंग्रेजों ने बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार पर नियंत्रण हासिल कर लिया।
 - मराठों ने तुंगभद्रा के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
 - निजाम ने कृष्णा से पेन्नार तक के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
 - टीपू सुल्तान को तीन करोड़ रुपए की युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था जिसमें से आधा तुरंत भुगतान किया जाना था और बाकी किश्तों में प्रदान किया जाना था। टीपू के दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था।

चतुर्थ आंगल-मैसूर युद्ध (1799):

- जब वोडेयार राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की।
- नए गवर्नर जनरल **लॉर्ड वेलेजली**, टीपू की फ्रांसीसियों के साथ मित्रता को लेकर चिंतित था और उसने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया।
- टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध 17 अप्रैल, 1799 को शुरू हुआ, जो 4 मई, 1799 को श्रीरंगपट्टम पर कब्जे के साथ समाप्त हुआ।
- टीपू को अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। **लॉर्ड वेलेजली** के भाई **आर्थर वेलेजली** ने भी संघर्ष में भाग लिया।
- अंग्रेजों को मराठों और निजाम से समर्थन मिला, उनकी सहायता के लिए क्षेत्रीय लाभ का वादा किया गया।
- मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक नाबालिग को अंग्रेजों द्वारा लागू की गई **सहायक संधि प्रणाली** के अधीन नए महाराजा के रूप में नियुक्त किया गया था।

टीपू सुल्तान के बाद मैसूर:

- मैसूर का नया राज्य एक छोटे शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश (वोडेयारों) को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक **संधि** स्वीकार करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 1831 में, **विलियम बेंटिक** ने मैसूर में कुशासन का दावा किया और नियंत्रण ले लिया। बाद में, वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया।

बाजीराव-1 (1720-40) के तहत, मराठा संघ की एक प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें प्रत्येक प्रमुख परिवार को प्रभाव क्षेत्र सौंपा गया था, जिसमें उन्हें मराठा राजा शाहू के नाम पर शासन करना था। प्रमुख मराठा परिवार इस प्रकार हैं—

- बड़ौदा के गायकवाड़
- नागपुर के भोंसले
- इंदौर के होल्कर
- ग्वालियर के सिंधिया
- पूना के पेशवा

अंततः मराठा **पानीपत के तीसरे युद्ध (1761)** में हार गए। इसके साथ ही वर्ष 1772 में युवा पेशवा, माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई जिससे पेशवाओं का नियंत्रण कमजोर हो गया। मराठा संघ पहले की तरह एकजुट नहीं थे और अंग्रेजों ने बंबई जैसे नए क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन विभाजनों का लाभ उठाया।

प्रथम आंगल-मराठा युद्ध (1775-82)

- मराठा नेतृत्व के भीतर उत्तराधिकार को लेकर असहमति के परिणामस्वरूप नाना फडनवीस की अध्यक्षता में बारह मराठा प्रमुखों ने रघुनाथ राव के स्थान पर शिशु 'सवाई' माधवराव का समर्थन किया।
- रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद माँगी और **सूरत की संधि (1775)** पर हस्ताक्षर किए जिसमें सालसेट एवं बेसिन के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए।
- हालाँकि, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने असहमति जताई और वर्ष 1776 में **पुरंदर की संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रीजेंसी ने रघुनाथ राव को हटा दिया एवं उन्हें पेंशन दी।

- नाना फडनवीस** ने संधि का उल्लंघन किया और युद्ध छिड़ गया। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया था और उन्होंने अंग्रेजों को फँसाने के लिए **झुलसी हुई पृथ्वी नीति (scorched earth policy)** का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और **वडगाँव की संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिससे सभी क्षेत्र मराठों को वापस दे दिए गए।
- बंगाल में गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग्स** ने वडगाँव की संधि को अस्वीकार कर दिया। उसने एक बड़ी सेना की स्थापना की और अंततः सिंधिया को हरा दिया तथा उन्हें **सालबाई की संधि** पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं—
 - सालसेट को अंग्रेजों के कब्जे में रहना था जबकि पुरंदर की संधि के बाद जीते गए सभी क्षेत्रों को मराठों को वापस कर दिया जाना था।
 - रघुनाथराव को पेशवा से केवल भरण-पोषण भत्ता मिलना चाहिए और अंग्रेजों द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी।
 - पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय राष्ट्र का समर्थन नहीं करना होगा और मराठा एवं अंग्रेज दोनों को यह वचन देना होगा कि उनके सहयोगी एक दूसरे के साथ शांति से रहें।

द्वितीय आंगल-मराठा युद्ध (1803-05):

- आगे, मराठों के बीच विभाजन के कारण अंग्रेजों को मराठा मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। वर्ष 1800 में नाना फडनवीस की मृत्यु से अंग्रेजों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ।
- जैसे ही जसवंत राव ने उन पर आक्रमण किया, **बाजीराव द्वितीय** घबराकर भाग गया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ **बेसिन की संधि (1802)** पर हस्ताक्षर किए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान थे—
 - पेशवा को कंपनी से 6000 से अधिक सैनिकों की देशी पैदल सेना प्राप्त होगी।
 - पेशवा ने सूरत शहर को आत्मसमर्पण करने के साथ-साथ कंपनी को अतिरिक्त क्षेत्र भी सौंप दिया।
 - पेशवा को किसी भी राष्ट्र के यूरोपीय लोगों को अंग्रेजों के साथ युद्ध में नियुक्त नहीं करना चाहिए और साथ ही अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए।
- पेशवा ने **सहायक संधि स्वीकार कर ली**, लेकिन सिंधिया और भोंसले परिवारों ने मराठों की स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश की। फिर भी, वे दोनों आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों से हार गए और क्रमशः **सुरजी-अंजनगाँव की संधि (1803)** तथा **देवगाँव की संधि (1803)** पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, होलकरों की हार के कारण **राजपुरघाट की संधि (1806)** पर हस्ताक्षर किए गए।

तीसरा आंगल-मराठा युद्ध (1817-19):

- युद्ध के पीछे के कारण—
 - लॉर्ड हेस्टिंग्स** का इरादा ब्रिटिश सर्वोपरिता लागू करने का था।
 - चाय को छोड़कर, चीन में व्यापार पर **ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार** 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए व्यापार के लिए नए बाजारों तक पहुँच की आवश्यकता थी।
 - पिंडारियों** ने लूट के लिए कंपनी के क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। इससे मतभेद पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने मराठों पर पिंडारियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

- अन्य मराठा नेता बेसिन की संधि से आहत थे जिसे 'सिफर (पेशवा) के साथ एक संधि' कहा गया था। उन्होंने इस संधि की व्याख्या स्वतंत्रता के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के रूप में की।
- पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा प्रमुखों को एकजुट किया और नागपुर में रेजीडेंसी पर हमला किया। हालाँकि, मराठा राज्यों में खराब प्रशासन के कारण मराठा अब काफी कमजोर हो गए थे।
- इस प्रकार, अंग्रेजों ने जवाबी हमला किया और पेशवा तथा अन्य परिवारों को हरा दिया। पेशवा के साथ **पूना की संधि (1817)** पर हस्ताक्षर किए गए और इसी तरह की संधियों पर सिंधिया (**ग्वालियर की संधि, 1817**) एवं होलकर (**मंदसौर की संधि, 1818**) के साथ हस्ताक्षर किए गए।
- अंततः 1818 में, **मराठा संघ को भंग कर दिया** गया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। अब शिवाजी के वंशज **प्रताप सिंह को सतारा का शासक** बनाया गया।

सिंध की विजय:

- मीर फतह (फतह) अली खान के नेतृत्व में, तालपुरा (बलूच जनजाति) ने वर्ष 1783 में सिंध पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और कल्लोरा राजकुमार को निर्वासित कर दिया। तत्कालीन दुरानी राजा ने मीर फतह खान के दावों को मान्यता दी और उन्हें देश को अपने भाइयों के बीच विभाजित करने का आदेश दिया गया, जिसे 'चार यार' भी कहा जाता है।
- चार यार, जिन्हें सिंध के अमीरों या लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ने 1800 में मीर फतह के निधन के बाद राज्य को आपस में बाँट लिया।
- वर्ष 1799 में, **लॉर्ड वेलेजली** ने फ्रांसीसी, टीपू सुल्तान और काबुल के राजा शाह जमान के गठबंधन का प्रतिकार करने के एक छिपे उद्देश्य से सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। हालाँकि, टीपू सुल्तान के प्रभाव में फतह अली खान ने ब्रिटिश एजेंट को सिंध छोड़ने का आदेश दिया।
- वर्ष 1807 में, सिंध और अंग्रेजों के बीच 'शाश्वत मित्रता' की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने के साथ-साथ एक-दूसरे के दरबार में एजेंटों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
- बाद में, 1832 की संधि पर हस्ताक्षर किए गए: विलियम बैंटिक ने अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कर्नल पोर्टिंगर को सिंध भेजा। प्रावधान इस प्रकार हैं—
 - अंग्रेजी यात्रियों और व्यापारियों को सिंध के माध्यम से अप्रतिबंधित मार्ग और व्यापार के लिए सिंधु के उपयोग की अनुमति दी जाएगी; युद्धपोत नहीं चलाये जाएँ, न ही युद्ध के लिए कोई सामान ले जाया जाएगा।
 - सिंध में कोई अंग्रेज व्यापारी नहीं बसेंगे और यात्रियों को पासपोर्ट की आवश्यकता होगी।
 - यदि प्रशुल्क दरों को अत्यधिक समझा जाता है तो अमीर उन्हें बदल सकते हैं और कोई टोल या सैन्य बकाया की माँग नहीं की जाएगी।
- वर्ष 1836 में **लॉर्ड ऑकलैंड** गवर्नर जनरल बने। उन्होंने भारत पर संभावित रूसी आक्रमण को रोकने और अफगानों पर जवाबी दबाव डालने की क्षमता हासिल करने की उम्मीद के दृष्टिकोण से सिंध पर विचार किया।
- अफगानिस्तान समस्या के समाधान के उद्देश्य से ब्रिटिश, रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच 1838 की एक **त्रिपक्षीय संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
 - रणजीत सिंह ने अमीरों के साथ अपने विवादों में ब्रिटिश मध्यस्थता स्वीकार कर ली।

- जब तक वार्षिक भेंट अर्पित की जाती, सम्राट शाह शुजा को सिंध में संप्रभु अधिकार छोड़ना पड़ा।
- वर्ष 1839 में, ब्रिटिश एक मजबूत शक्ति की धमकी के तहत सिंध को सहायक गठबंधन स्वीकार करने में सफल रहे। अब, सिंध में सैनिकों को तैनात किया जाना था, और अमीरों को उनके खरखाव के लिए भुगतान करना था। साथ ही, अमीरों को कंपनी की जानकारी के बिना विदेशी सरकारों के साथ बातचीत करने से भी मना किया गया था।
- **प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (1839-42)** के बाद अमीरों पर अंग्रेजों के विरुद्ध शत्रुता और असंतोष का आरोप लगाया गया। बाद में, तनाव बढ़ गया और अमीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालाँकि, सिंध ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को सिंध से भगा दिया गया।
- वर्ष 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सिंध पर कब्जा करने के बाद **चार्ल्स नेपियर** गवर्नर जनरल एलनबर्ग के साथ सिंध के पहले गवर्नर बने।

पंजाब विजय

सिक्खों के अधीन पंजाब का एकीकरण:

- बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान, अंतिम सिक्ख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिक्खों का एक समूह मुगलों के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़ा हुआ।
- बाद में, फर्रुखसियर ने वर्ष 1715 में बंदा बहादुर को हरा दिया और वर्ष 1716 में उसे मार डाला। अब, सिक्ख नेतृत्वहीन हो गए और दो समूहों यानी बंदाई (उदारवादी) तथा तख्त खालसा (रूढ़िवादी) में विभाजित हो गए। भाई मणि सिंह वर्ष 1721 में विवाद को खत्म करने और दोनों गुटों को एकजुट करने में सफल हुए।
- बाद में, वर्ष 1784 में, कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने दल खालसा की स्थापना की, जो एक संगठन था जो सिक्खों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एक साथ लाया। संपूर्ण खालसा आबादी दो गुटों में विभाजित थी— **तरुण दल**, या युवाओं की सेना और **बुद्ध दल**, या दिग्गजों की सेना।

रणजीत सिंह और अंग्रेज:

- 2 नवंबर 1780 को जब रणजीत सिंह का जन्म हुआ तब बारह महत्वपूर्ण मिस्त्रें थीं। गुरुमत्ता संघ ने मिस्त्र की केंद्रीय सरकार की नींव के रूप में कार्य किया; यह मूलतः एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी। सुकरचकिया मिस्त्र के नेता महान सिंह रणजीत सिंह के पिता थे।
- रणजीत सिंह ने मध्य पंजाब में अपने लिए एक राज्य बनाते हुए एक क्रूर 'रक्त और लौह नीति' विकसित की।
- अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने वर्ष 1799 में रणजीत सिंह को लाहौर प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया।
- वर्ष 1805 में जम्मू और अमृतसर के अधिग्रहण के बाद, रणजीत सिंह पंजाब की राजनीतिक राजधानी, लाहौर एवं धार्मिक राजधानी, अमृतसर के शासक बन गए।
- उन्होंने डोगराओं और नेपालियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे तथा उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया।
- **अमृतसर की संधि (1809)** ने सतलज नदी को अपने क्षेत्र और कंपनी के बीच की सीमा के रूप में स्वीकार करके पूरी सिक्ख आबादी पर अपना अधिकार बढ़ाने की रणजीत सिंह की लंबे समय से चली आ रही इच्छा को अस्वीकार कर दिया।
- राजनीतिक दबाव ने रणजीत सिंह को जून 1838 में अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने अफगान अमीर,

दोस्त मोहम्मद पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

- रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, उनके छोटे बेटे **दलीप सिंह** को महाराजा, हीरा सिंह डोगरा को वजीर और रानी जिंद को संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में हीरा सिंह की हत्या कर दी गई और रानी जिंद का प्रेमी लाल सिंह वजीर बन गया।

प्रथम आंगल-सिख युद्ध (1845-46)

- **युद्ध के कारण:**
 - इसे 11 दिसंबर, 1845 को सतलज नदी पार करने वाली सिख सेना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
 - महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर साम्राज्य में अराजकता फैल गई, जिसके कारण लाहौर दरबार और लगातार मजबूत एवं अधिक स्थानीय सेनाओं के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष शुरू हो गया।
 - वर्ष 1842 में अफगानिस्तान में अंग्रेजी सैन्य अभियानों और वर्ष 1841 में खालियार एवं सिंध पर कब्जे के बाद सिख सेना के भीतर गलतफहमी थी।
 - लाहौर राज्य की सीमा के करीब तैनात अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि।
- **युद्ध और उसके परिणाम:**
 - अंग्रेज भीतर से विश्वासघात करने में सक्षम थे, जिसके कारण विभिन्न लड़ाइयों में सिखों की लगातार हार हुई। अंततः वर्ष 1846 में लाहौर बिना किसी लड़ाई के अंग्रेजों के अधीन हो गया।
 - **लाहौर की संधि (1846)** सिखों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, जिसमें लाहौर में एक ब्रिटिश रेजीडेंट स्थापित किया जाना था, जालंधर दोआब को कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और सिख सेना की शक्ति कम कर दी गई। इसके अलावा, दलीप सिंह को रानी जिंद के अधीन शासक के रूप में मान्यता दी गई थी।
 - बाद में, सिख पूरे युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थ रहे और इस प्रकार कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। इससे सिखों में गुस्सा और आक्रोश का प्रसार हुआ एवं उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया।
 - दिसंबर 1846 में **भैरोवाल की संधि** पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंजाब के लिए रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी और इस संधि की शर्तों के अनुसार रानी जिंद को रीजेंट के पद से हटा दिया गया था। अंग्रेज निवासी हेनरी लॉरेंस ने परिषद बनाने वाले आठ सिख सरदारों की अध्यक्षता की।

द्वितीय आंगल-सिख युद्ध (1848-49)

- **युद्ध के कारण इस प्रकार हैं-**
 - सिखों के लिए, लाहौर और भैरोवाल की संधि की शर्तें, साथ ही प्रथम आंगल-सिख युद्ध में उनकी हार पूर्ण रूप से अपमानजनक थी।
 - रानी जिंद के साथ अमानवीय व्यवहार से सिख आक्रोश बढ़ गया, जो एक पेंशनभोगी बन गई थी और उसे बनारस स्थानांतरित कर दिया गया था।
 - मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने बदले जाने पर विद्रोह कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
- **युद्ध और उसके परिणाम:**
 - लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को पूरी तरह से अपने में मिलाने का अवसर मिल गया। उन्होंने पंजाब पर चढ़ाई की और **रामनगर** (सर ह्यू गफ के नेतृत्व में), **चिलहनवाला**, **गुजरात** (झेलम नदी के तट पर एक छोटा

शहर) की लड़ाई में अंग्रेजों को जीत दिलाई। आखिरकार, सिख सेना ने रावलपिंडी में आत्मसमर्पण कर दिया।

- डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा करने का अपना उद्देश्य पूरा किया और पंजाब पर शासन करने के लिए तीन सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की जिसमें लॉरेंस बंधु (हेनरी और जॉन) और चार्ल्स मैन्सेल शामिल थे।
- उनकी सेवाओं के लिए, डलहौजी के अर्ल को ब्रिटिश संसद का धन्यवाद दिया गया और सहकर्मि वर्ग में मार्क्वेस के रूप में पदोन्नति दी गई।
- आगे, वर्ष 1853 में बोर्ड को रद्द कर दिया गया और **जॉन लॉरेंस** पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त बने।

ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

आंगल-भूटानी संबंध:

- वर्ष 1826 में ब्रिटिशों द्वारा असम पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश और पहाड़ी राष्ट्र भूटान के करीब आ गए। इसके कारण भूटानियों द्वारा बंगाल और असम के पड़ोसी क्षेत्रों में लगातार छापे मारे गए।
- उपरोक्त के साथ-साथ, यह वर्ष 1863-1864 में एल्लिन के दूत के साथ किए गए कठोर व्यवहार और उस पर थोपी गई संधि के कारण था जिसने अंग्रेजों को असम की ओर जाने वाले दर्रा को सौंपने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन दर्रा पर कब्जा कर लिया।
- वार्षिक सब्सिडी के बदले में वर्ष 1865 में भूटानियों को दर्रा छोड़ने के लिए कहा गया था।

आंगल-नेपाली संबंध:

- वर्ष 1801 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया, तो कंपनी और गोरखाओं की सीमाएँ एक हो गईं। **लॉर्ड हेस्टिंग्स** के शासनकाल (1813-23) के दौरान बुटवल और श्योराज पर गोरखाओं का कब्जा संघर्ष का उत्प्रेरक था।
- यह युद्ध वर्ष 1816 में **सुगौली की संधि** में समाप्त हुआ, जिसके कारण नेपाल ने एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार कर लिया, गढ़वाल और कुमाऊँ के जिलों को सौंप दिया, तराई पर दावा छोड़ दिया तथा साथ ही सिक्किम से भी अपना अधिकार छोड़ना पड़ा।
- इस संधि के कारण अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि अब वे मध्य एशिया के साथ बेहतर व्यापार कर सकते थे, उन्होंने **शिमला, मसूरी और नैनीताल** जैसे हिल स्टेशनों के लिए स्थलों का अधिग्रहण किया। साथ ही, इस संधि के बाद गोरखा बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए।

आंगल-बर्मी संबंध:

तीन एंग्लो-बर्मी युद्ध और अंततः वर्ष 1885 में बर्मा का ब्रिटिश भारत में विलय ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी इच्छाओं का परिणाम था, जो बर्मा के वन संसाधनों के आकर्षण, बर्मा और शेष दक्षिण-पूर्व में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं की जाँच करने की आवश्यकता से प्रेरित थे। एशिया और बर्मा में ब्रिटिश विनिर्माण वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता प्रमुख थी।

प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26):

- यह तब हुआ जब अराकान और मणिपुर पर बर्मी कब्जे, उनके पश्चिम की ओर विस्तार तथा असम एवं ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए उनके खतरे के कारण बंगाल व बर्मा के बीच अस्पष्ट सीमा पर तनाव बढ़ गया था। आखिरकार, अंग्रेजों ने रंगून और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
- फिर, वर्ष 1826 में **यांडूब की संधि** पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने बर्मा सरकार पर कुछ शर्तें लगाईं-
 - युद्ध मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपए का भुगतान करना।

- संधि के प्रावधानों के अनुसार बर्मा को अपने तटीय प्रांत अराकान और टेनासिरिम को सौंपना पड़ा
- असम, कछार और जैतिया पर अपना दावा छोड़ना पड़ा।
- **मणिपुर** को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दें और इसकी राजधानी अवा में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करने के साथ-साथ अंग्रेजों के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करें।

द्वितीय बर्मा युद्ध (1852):

- **लॉर्ड डलहौजी** की साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश व्यापारिक जरूरतों के कारण द्वितीय युद्ध हुआ। ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के लकड़ी संसाधनों तक पहुँच हासिल करने के लिए उत्सुक थे और बर्मी बाजार में गहरी पैठ बनाने के लिए उत्सुक थे।
- अब अंग्रेजों ने बर्मा के एकमात्र बचे हुए तटीय प्रांत **पेगु** पर कब्जा कर लिया और निचले बर्मा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया।

तृतीय बर्मा युद्ध (1885):

- बर्मा के राजा भिंडन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र थीबो गद्दी पर बैठा। थीबो शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति विरोधी था और फ्रांस, जर्मनी तथा इटली जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ वाणिज्यिक संधियों पर बातचीत कर रहे था।
- **लॉर्ड डफरिन** ने वर्ष 1885 में ऊपरी बर्मा पर अंतिम कब्जा करने का आदेश दिया और एक मजबूत गुरिल्ला विद्रोह से लड़ने के बाद पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया।
- बाद में, राष्ट्रवादी आंदोलन को विभाजित करने के लिए वर्ष 1935 में **बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।**

आंगल-तिब्बती संबंध:

- ल्हासा में रूसी प्रभाव बढ़ रहा था और तिब्बत पर चीनी आधिपत्य निष्प्रभावी था। रूसी हथियारों और बारूद के तिब्बत में प्रवेश की अफवाहें थीं। चिंतित होकर, कर्जन ने तिब्बतियों पर समझौता करने के लिए दबाव डालने के इरादे से **कर्नल यंगहसबैंड** के नेतृत्व में एक विशेष मिशन पर एक छोटी गोरखा टुकड़ी को तिब्बत भेजा।
- तिब्बतियों ने अहिंसक प्रतिरोध का प्रस्ताव रखा और बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगस्त 1904 में यंगहसबैंड के जबरन ल्हासा में घुसने के कारण दलाई लामा भाग गए।
- **ल्हासा की संधि (1904)** पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें यंगहसबैंड ने तिब्बत के लिए निम्न शर्तें तय कीं-
 - तिब्बत को प्रति वर्ष एक लाख रुपए की दर से 75 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
 - तिब्बत को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था और ब्रिटिश भुगतान की सुरक्षा के रूप में चुंबी घाटी पर कब्जा किए रहेंगे।
 - तिब्बत को सिक्रिम की सीमा का सम्मान करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी अन्य विदेशी शक्ति को कोई रियायत नहीं देगा।
- अंत में, इसका संपूर्ण लाभ केवल चीन को मिला, क्योंकि **1907 के एंग्लो-रूसी सम्मेलन** में यह शर्त लगाई गई थी कि दोनों शक्तियाँ केवल चीनी सरकार की मध्यस्थ भूमिका के माध्यम से तिब्बत के साथ बातचीत में शामिल होंगी। हालाँकि, कर्जन की रणनीति ने तिब्बत में रूसी योजना को अप्रभावी दिया।

आंगल-अफगान संबंध:

- **ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी (1836)** में निहित था कि कंपनी को संधियों या पूर्ण विलय का उपयोग करके संभावित रूसी हमले से ब्रिटिश भारत की सीमा की रक्षा के लिए पहल करनी थी।
- अंग्रेजों, सिकखों और शाह शुजा द्वारा एक **त्रिपक्षीय संधि (1838)** की गई जिसमें शाह शुजा को सिंहासन पर बिठाना था और अंग्रेजों की सलाह से विदेशी मामलों का संचालन करना था। इससे सिकखों और अफगानों के बीच शांति बनाए रखने में भी मदद मिली।
- **प्रथम आंगल-अफगान युद्ध (1839-42):** यह युद्ध अग्रगामी (फॉरवर्ड) नीति का परिणाम था, जिसमें ब्रिटिश इरादा उत्तर-पश्चिम से आक्रमण के विरुद्ध एक स्थायी अवरोध स्थापित करना था जबकि अंग्रेज काबुल में मार्च करने और शाह शुजा को अफगानिस्तान का अमीर बनाने में सक्षम थे। अफगानों ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया और विद्रोह में उठ खड़े हुए। इस प्रकार, अंग्रेज अफगानिस्तान को खाली करने के लिए सहमत हो गए तथा पहले के शासक दोस्त मोहम्मद को बहाल कर दिया।
- **जॉन लॉरेंस** ने प्रथम अफगान युद्ध के जवाब में **उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति (Policy of Masterly Inactivity)** शुरू की। जब दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उसने उत्तराधिकार के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। इस नीति के पीछे मुख्य शर्त यह थी कि सीमा पर शांति भंग न हो और गृहयुद्ध में किसी भी उम्मीदवार ने विदेशी मदद न माँगी हो।
- लिटन ने **प्राउड रिजर्व की नीति** तैयार की जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएँ रखना और 'प्रभाव क्षेत्रों' की सुरक्षा करना था। लिटन अफगानिस्तान में अस्पष्ट स्थिति में स्पष्टता लाना चाहता था।
- **द्वितीय आंगल-अफगान युद्ध (1870-80):** अमीर रूस और ब्रिटिश भारत दोनों के साथ मित्रता बनाए रखना चाहता था। बाद में, **शेर अली (अमीर)** ने ब्रिटिश दूत रखने से इनकार कर दिया जबकि पहले रूसियों को भी यही विशेषाधिकार दिया गया था। लिटन ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और शेर अली अफगानिस्तान से भाग गया।
- अंग्रेजों और शेर अली के सबसे बड़े बेटे याकूब खान के बीच **गंडमक की संधि (1879)** पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें प्रावधान था कि अमीर अपनी विदेश नीति अंग्रेजों की सलाह पर चलाएगा। एक स्थायी ब्रिटिश निवासी को काबुल में तैनात किया जाना था और भारत सरकार को विदेशी आक्रमण के खिलाफ अमीर को सभी सहायता प्रदान करनी थी।
- बाद में अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति बन गई और लिटन अफगानिस्तान को तोड़ने में असफल रहे। आखिरकार लॉर्ड रिपन ने इस योजना को त्याग दिया और अफगानिस्तान को एक बफर राज्य बनाए रखने का निर्णय लिया। **डूरंड रेखा** को अफगान और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच एक सीमा रेखा के रूप में तैयार किया गया था। हालाँकि, यह लंबे समय तक शांति बनाए नहीं रख सका।
- **कर्जन (1899-1905) ने वापसी और एकाग्रता की नीति** का पालन किया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को प्रशिक्षित किया और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP) को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया।
- **तृतीय एंग्लो-अफगान युद्ध (1919):** अफगानिस्तान ने युद्ध की घोषणा की, लेकिन 1921 की संधि ने उसे विदेशी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया जिससे ब्रिटिश प्रभाव का अंत हुआ।

अतिरिक्त संदर्भ: रूस और फारस के साथ ब्रिटिश चिंताएँ

19वीं शताब्दी में, फारस में रूस के बढ़ते प्रभाव और ब्रिटिश हितों पर खतरों ने ब्रिटिश प्रयासों को प्रेरित किया कि वे अफगानिस्तान की तटस्थता सुनिश्चित करें ताकि वह ब्रिटिश भारत एवं रूस के बीच एक बफर राज्य बना रहे।

1857 से पहले के विद्रोह

- 1857 से पहले धार्मिक-राजनीतिक हिंसा, आदिवासी आंदोलन, किसान विद्रोह और कृषि दंगों सहित विभिन्न विद्रोहों के माध्यम से भारतीय आक्रोश प्रकट हुआ।
- उल्लेखनीय घटनाएँ:** वेल्लोर विद्रोह (1806), बैरकपुर विद्रोह (1824), बरेली विद्रोह (1816), कोल विद्रोह (1831-32) और संथाल विद्रोह (1855-56)।

नोट: ऐसे सभी विद्रोहों और आंदोलनों का विस्तृत विवरण बाद में एक अलग अध्याय, “अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का प्रतिरोध” में शामिल किया जाएगा।

शुरुआत: कारतूस विवाद

कारतूस मुद्दा: एनफील्ड राइफलों के प्रचलन से, जिनमें कथित तौर पर गोमांस और सूअर की चर्बी से कारतूसों को चिकना किया जाता था, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सिपाहियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया।

असंतोष के प्रारंभिक संकेत:

- बरहामपुर (फरवरी 1857):** 19वीं नेटिव इन्फैंट्री ने राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सेना को भंग कर दिया गया।
- बैरकपुर (अप्रैल 1857):** 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई, उसे मार दिया गया और उसकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया।
- मेरठ (9 मई, 1857):** कारतूसों से इनकार करने के कारण कैद किए गए तीसरी देशी घुड़सवार सेना के 85 सैनिकों ने विद्रोह को हवा दी। इस प्रकार, 10 मई, 1857 को दिल्ली से 58 किमी दूर मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया।

बहादुर शाह जफर नेता के रूप में:

विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया, जिससे दिल्ली विद्रोह का केंद्र बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट भारतीय मोर्चे का आह्वान किया।

1857 का विद्रोह: प्रमुख कारण

- आर्थिक कारण: किसान** - भारी कर, ऋण, बेदखली, गरीबी; **कारीगर** - संरक्षण की हानि, हस्तशिल्प का पतन; **व्यापार और उद्योग**- उच्च शुल्क, निर्यात में गिरावट; **जमींदार** - संपदा की हानि (विशेषकर अवध में)।
- राजनीतिक कारण:** सहायक संधि (1798), हड़प नीति (1848), प्रभावी नियंत्रण जैसी ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों ने देशी शासकों को कमजोर कर दिया; मुगलों को अपमान का सामना करना पड़ा; पैक्स ब्रिटानिका - विघटित सैन्य समूह।

- प्रशासनिक कारण:** भ्रष्टाचार - पुलिस, न्यायालय, राजस्व; विदेशी शासन; अभिजात वर्ग - उच्च पदों से वंचित।
- सामाजिक-धार्मिक कारण:** सुधार - सती (1829), विधवा पुनर्विवाह (1856); मिशनरी गतिविधियाँ; सांस्कृतिक असंवेदनशीलता - आटे में हड्डी का चूर्ण, गोमांस/सुअर की चर्बी वाले कारतूस।
- सिपाही असंतोष:** सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856) - जातिगत उल्लंघन; नस्लीय भेदभाव, कम वेतन; अवध की हानि (1856)।

बाह्य प्रभाव:

- प्रथम अफगान युद्ध (1838-42), पंजाब युद्ध (1845-49) और क्रीमिया युद्ध (1854-56) में विदेशों में ब्रिटिश क्षति ने ब्रिटिश अपराजिता के मिथक को तोड़ दिया।

विद्रोह का प्रसार, केंद्र और नेता

विद्रोह के स्थान	प्रमुख नेता	ब्रिटिश अधिकारी, जो विद्रोह को दबाने में शामिल थे
दिल्ली	बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खाँ	जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट विलीबी, लेफ्टिनेंट हडसन
लखनऊ	बेगम हज़रत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर, अहमदुल्लाह	हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउट्राम, सर कॉलिन कैम्पबेल
कानपुर	नाना साहेब, राव साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खाँ	सर कॉलिन कैम्पबेल, सर ह्यू व्हीलर
बरेली	खान बहादुर खाँ	सर कॉलिन कैम्पबेल
झाँसी	लक्ष्मी बाई	जनरल ह्यूरोज़
ग्वालियर	तात्या टोपे	जनरल ह्यूरोज़
अहमदाबाद और बनारस	मौलवी लियाकत अली	कर्नल ऑनसेल
बिहार	कुँवर सिंह और अमर सिंह	विलियम टेलर

नागरिक भागीदारी:

- विद्रोह में विशेषकर अवध और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में व्यापक नागरिक भागीदारी देखी गई।
- जनागरिकों ने साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश संस्थाओं को निशाना बनाया, वित्तीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, जो गहरी सामाजिक शिकायतों को दर्शाता है।

- अवध में, 100,000 से अधिक नागरिक मारे गए, जो विद्रोह के व्यापक पैमाने पर जोर देता है।
- विद्रोह में हिंदू-मुस्लिम सहयोग देखा गया, जिसमें राष्ट्रवादी छवि का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ रैली करने के लिए किया गया था।

विद्रोह का दमन:

- 20 सितंबर, 1857 को दिल्ली अंग्रेजों के अधीन हो गई, जो विद्रोह के लिए एक बड़ा झटका था। बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया तथा शाही राजकुमारों की हत्या कर दी गई। सर कॉलिन कैपबेल (कानपुर), सर ह्यूग रोज (झांसी) और कर्नल नील (बनारस) जैसे प्रमुख ब्रिटिश कमांडरों ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 1859 तक, नाना साहब नेपाल भाग गए जबकि तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और मार दिया गया।
- कुँवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, राव साहब (नाना साहब के भाई) और मौलवी अहमदुल्ला सभी मारे गए, जबकि अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- उत्तर भारत को मार्शल शासन के अधीन कर दिया गया और यहाँ तक कि सामान्य अंग्रेजों को भी विद्रोह के संदेह वाले भारतीयों को दंडित करने की शक्ति मिल गई।

विद्रोह का विश्लेषण

विद्रोह की विफलता के कारण

- **सीमित क्षेत्रीय प्रसार:** भारत के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से कमोबेश अप्रभावित रहे।

कुछ वर्गों ने भाग नहीं लिया:

- अधिकांश भारतीय शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे जैसे कि खालिज के सिंधिया और इंदौर के होलकर।
- बड़े जमींदार और साहूकार दूर रहे क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों के अधीन उनके हित सबसे अच्छे हैं।
- विद्रोह की सामंती, रूढ़िवादी प्रकृति ने शिक्षित मध्य वर्ग को अलग-थलग कर दिया।
- **हथियारों की खराब गुणवत्ता और असमानता:** पारंपरिक हथियारों से युक्त भारतीय सिपाही एनफील्ड राइफलों से युक्त अंग्रेज सिपाहियों के सामने नहीं टिक पाए।
- **नेतृत्व की विफलता:** विद्रोही नेताओं के बीच कोई केंद्रीय नेतृत्व या समन्वय नहीं।
- विद्रोहियों को एकजुट करने के लिए कोई एकीकृत विचारधारा या भविष्य की दृष्टि नहीं थी। विभिन्न शिकायतें एकता में बाधक थीं।

विद्रोह के परिणाम:

- भारत में बेहतर शासन के लिए अधिनियम, 1858 (Act of better government of India, 1858)
 - **कंपनी शासन का उन्मूलन:** ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

- **संप्रभुता की घोषणा:** महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बन गईं।
- **राज्य सचिव:** ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण लेने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति।
- **1858 की रानी की उद्घोषणा**
 - लॉर्ड कैनिंग (भारत के गवर्नर जनरल) को 'वायसराय' की उपाधि दी गई।
 - घोषणा की गई कि विलय और विस्तार का युग समाप्त हो गया है साथ ही यह भी घोषणा की गई कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को मानना होगा।
 - भारत के लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता, सभी की समानता और व्यक्तिगत मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का वादा किया।
- **श्वेत विद्रोह: सेना में आक्रोश:** कंपनी के सैनिकों ने बढ़ा (अतिरिक्त भत्ते) की हानि के कारण रानी के प्रति निष्ठा हस्तांतरण का विरोध किया। अंग्रेजों ने सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारों को रोक दिया और "व्हाइट मैन्स बर्डन" दर्शन को समाप्त कर दिया।

श्वेत विद्रोह:

- श्वेत विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों द्वारा इंग्लैंड की रानी की सेवा में स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध किया गया विद्रोह था।
- यह वर्ष 1859 और 1861 के बीच हुआ था और यह ब्रिटिश सेना का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह था।

विद्रोह की प्रकृति

- **जॉन सिले:** इसे "स्वार्थी सिपाही विद्रोह" के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें कोई स्थानीय नेतृत्व या लोकप्रिय समर्थन नहीं था।
- **आर. सी. मजूमदार:** तर्क देते हैं कि यह "न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता के लिए विद्रोह" था, जो इसके क्षेत्रीय और वर्ग-आधारित स्वरूप को उजागर करता है।
- **बेंजामिन डिजरायली:** इसे "गहरे अविश्वास में निहित राष्ट्रीय विद्रोह" कहते हैं तथा विद्रोह के लिए अंतर्निहित संघर्षों को स्वीकार करते हैं।
- **वी. डी. सावरकर:** इसे "प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम" कहते हैं, इसे स्वतंत्रता के लिए एक योजनाबद्ध और संगठित प्रयास मानते हैं।
- **एस. एन. सेन:** इसे "धर्म के लिए लड़ाई" के रूप में देखते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए एक व्यापक युद्ध में विकसित हुई।
- **टी. आर. होम्स:** इसे "सभ्यता और बर्बरता के बीच टकराव" के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक दृष्टिकोण जिसकी आलोचना इसके नस्लीय निहितार्थों और दोनों पक्षों द्वारा किए गए पारस्परिक अत्याचारों के प्रति उपेक्षा के लिए की जाती है।
- **कार्ल मार्क्स:** इसे विदेशी और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ सैन्य-किसान बलों के संघर्ष के रूप में देखा, जिसमें विशेष रूप से कपास जैसे उद्योगों में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया।
- **जवाहरलाल नेहरू:** इसे स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टि के बिना सामंती विद्रोह के रूप में देखा।
- **एस. बी. चौधरी:** इसे पहले वास्तविक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में पहचानते हैं, जिसने विदेशी शासन के खिलाफ कई क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया।



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

PRELIMS POWERPREP 2025

Prelims Crash Course + Rigorous Practice



LIVE
Lectures



Daily
Practice



LIVE Video
Solutions



Mentorship
Webinar



G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)

Hinglish | Online

~~₹ 15,999/-~~

₹ 7,999/-

FOR EXTRA
DISCOUNT



USE COUPON CODE

PWOIAS500

RPP 2025

Rigorous Prelims
Test-Series Program

English / हिन्दी | Online / Offline



Daily Practice
& **LIVE Video Solutions**



G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)



Mentorship
Webinar

Offline ~~₹ 12,999/-~~

₹ 4,999/-

Online ~~₹ 8,999/-~~

₹ 3,999/-

FOR EXTRA
DISCOUNT



USE COUPON CODE

PWOIAS500



9920613613



pwonlyias.com

Offline
Centres



KAROL BAGH



मुक़्खी नगर



PRAYAGRAJ



LUCKNOW



PATNA

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण

- **प्रारंभिक चरण-उदारवादी चरण (1885-1905):** शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व में, पश्चिमी उदारवादी विचारों से प्रभावित; सुधार के लिए एक अस्पष्ट दृष्टि।
- **द्वितीय चरण-उग्रवादी चरण (1905-1918):** स्वशासन (स्वराज) की आकांक्षाओं के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान तक विस्तारित। इस काल में, विभिन्न क्रांतिकारी तरीकों ने लोकप्रियता हासिल की।
- **अंतिम चरण-गांधीवादी चरण (1919-1947):** अहिंसक असहयोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) पर केंद्रित।

आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रेरित करने वाले कारक

- **प्रेस और साहित्य की भूमिका:**
 - 1877 तक, 169 क्षेत्रीय समाचार पत्रों (जैसे, द बंगाली, केसरी, द हिंदू) ने स्वशासन का समर्थन करते हुए 100,000 प्रतियाँ प्रसारित कीं।
 - बंकिम चंद्र चटर्जी और भारतेन्दु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया।
- **भारत के अतीत की पुनर्खोज:**
 - मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, आर.जी. भंडारकर जैसे विद्वान और स्वामी विवेकानंद ने भारत की समृद्ध विरासत, अच्छी तरह से विकसित संस्थानों, व्यापक व्यापार, सांस्कृतिक संपदा और इतिहास के औपनिवेशिक मिथकों को खारिज करते हुए चित्रित किया।
- **सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन:** ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ने एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया।
- **प्रतिक्रियावादी नीतियाँ और शासकों का जातीय अहंकार:**
 - **लॉर्ड लिट्टन की विवादास्पद नीतियाँ:** आई.सी.एस. के लिए अधिकतम आयु सीमा में कमी (21 वर्ष से 19 वर्ष) करना।
 - वर्ष 1877 में पड़े भीषण अकाल के दौरान भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करना।
 - वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम (1878) और शस्त्र अधिनियम (1878) जैसे प्रतिगामी अधिनियमों का क्रियान्वयन करना।
- **पश्चिमी विचार:** मिल्टन, शेली, जे.एस. मिल, रूसो, पेन, स्पेंसर और वोल्टेयर के विचारों ने उदारवाद, तर्कसंगतता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय राजनीतिक सोच को नया आकार दिया।
- **वैश्विक प्रभाव:** नौरोजी, तिलक जैसे भारतीय नेताओं ने वैश्विक आंदोलनों (जैसे, इतालवी एकीकरण, आयरिश होम रूल) से प्रेरणा ली।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन

नाम	संस्थापक	महत्वपूर्ण योगदान
1836: बंगभाषा प्रकाशिका सभा, कलकत्ता	राजा राममोहन राय के सहयोगी (प्रसन्ना कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, गौरी शंकर भट्टाचार्य, दुर्गा प्रसाद तारक पंचानन)	प्रशासनिक सुधारों, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा शिक्षा का समर्थन किया
1837: जर्मींदारी एसोसिएशन (लैंडहोल्डर्स सोसाइटी), कलकत्ता	द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देब, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र	जमींदारों के हितों की रक्षा की और संवैधानिक आंदोलन की नींव रखी।
1843: बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, कलकत्ता	जॉर्ज थॉम्पसन, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्र मोहन चटर्जी, परमानंद मैत्र	ब्रिटिश भारत के कल्याण संबंधी जानकारीयें जुटाई और भारतीयों में बेहतर नागरिक बनने को बढ़ावा दिया।

1851: ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता	अध्यक्ष- राधाकांत देब; महासचिव- देबेंद्रनाथ टैगोर (UPSC 2017)	लैंडहोल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय। विधान सुधारों जैसे अलग विधायिका की स्थापना, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों के पृथक्करण तथा कर कटौती का समर्थन किया। याचिका में शामिल: - तीन प्रेसीडेंसी में विश्वविद्यालयों की स्थापना (बंगाल, मद्रास और बॉम्बे) - लोकप्रिय स्वरूप की अलग विधायिका की स्थापना - कार्यकारी और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण - उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी - नमक शुल्क, आबकारी (नशा कर) तथा स्टॉप शुल्क का उन्मूलन। (UPSC 2017)
1852: बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे	जगन्नाथ शंकरशेट	विधायिका सुधारों के लिए एक याचिका दी, शासन में भारतीय भागीदारी का समर्थन किया तथा औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की। वर्ष 1876 में दादाभाई नौरोजी द्वारा पुनर्जीवित किया गया, लेकिन पश्चिमी भारतीय एसोसिएशन जैसे नए संगठनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
1852: मद्रास नेटिव एसोसिएशन (एमएनए), मद्रास	गजुला लक्ष्मीनरसु चेट्टी	मद्रास प्रेसीडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन। भूमि जमींदारों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया तथा ईसाई मिशनरी गतिविधियों और लेक्स लोकी कानूनों का विरोध किया।
1866: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन	दादाभाई नौरोजी	भारतीय कल्याण को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश जनता के विचारों को प्रभावित किया तथा भारत में शाखाएँ स्थापित कीं।
1867: पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे	महादेव गोविंद रानाडे	भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य किया।
1870: पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे	महादेव गोविंद रानाडे, जी. वी. जोशी, एस. एच. साठे, एस. एच. चिपलोनकर	सरकार और लोगों के बीच संपर्क के माध्यम के रूप में कार्य किया। सामाजिक सुधार और राजनीतिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया।
1875: इंडियन लीग, कलकत्ता	शिशिर कुमार घोष	राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, मध्यम वर्ग से अलग प्रतिनिधित्व का विस्तार किया।
1876: इंडियन एसोसिएशन (इंडियन नेशनल एसोसिएशन), कलकत्ता	सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस (UPSC 2017)	भारतीय सिविल सेवा सुधारों, प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण तथा दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध अभियानों का नेतृत्व किया। सन् 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन को प्रायोजित किया। दमनकारी शास्त्र अधिनियम और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के खिलाफ अभियान। "इंडियन एसोसिएशन का जर्नल" प्रकाशित किया। (UPSC 2017)
1883: अखिल भारतीय सम्मेलन, कलकत्ता	कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के लिए नींव रखी, सन् 1886 में इसमें विलय किया।
1884: मद्रास महाजन सभा, मद्रास	एम. वीरराघवचारी, पी. आनंद चालु, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, पी. रंगैया नायडू	विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थानीय राजनीतिक प्रयासों के समन्वय में योगदान दिया। न्यायिक और राजस्व कार्यों के पृथक्करण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया।
1885: बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे	फिरोजशाह मेहता, के. टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी	लॉर्ड लिटन की नीतियों और इल्बर्ट बिल विवाद की प्रतिक्रिया में स्थापित। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में भारतीय अधिकारों की वकालत पर केंद्रित। पुणे सार्वजनिक सभा के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा।
1885: लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन	दादाभाई नौरोजी	भारतीय विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने का मंच बना। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा अधिगृहीत।
1886: ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन	दादाभाई नौरोजी	भारतीय मुद्दों पर चर्चा करने और भारत के कल्याण पर ब्रिटिश विचारों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जर्नल प्रकाशित किया।

कांग्रेस-पूर्व के अभियान:

- वर्ष 1875 में कपास पर आयात शुल्क लगाने के लिए
- सरकारी सेवा का भारतीयकरण (1878-79)
- लिटन के अफगान नीति के विरुद्ध, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के खिलाफ (1878)
- स्वयंसेवी कोर में शामिल होने के अधिकार की वकालत की और वृक्षारोपण श्रम तथा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम (1881-82) का विरोध किया।
- ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों के लिए इल्बर्ट बिल (1883) का समर्थन किया।
- अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन कोष की स्थापना (1885)
- ब्रिटेन में भारत समर्थक पार्टियों के लिए प्रचार किया।
- आईसीएस परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में कमी के खिलाफ भारतीय सिविल सेवा आंदोलन (1877-80) का नेतृत्व किया।
- किसानों के मुद्दे: नील दंगों का समर्थन (बंगाल), दक्कन दंगे (पूना), और जल कर विरोध (चिनाब नहर कॉलोनी, पंजाब)। पूना सार्वजनिक सभा जैसे समूहों द्वारा सामाजिक कार्य, किसानों को राष्ट्रवादी आंदोलनों से जोड़ना।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (स्थापना और नरमपंथी चरण)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन

- ए.ओ. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सिविल सेवक, ने एक अखिल भारतीय संगठन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम सत्र का आयोजन करने के लिए उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क स्थापित किया।
- प्रथम कांग्रेस अधिवेशन:
 - आयोजन: दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किए गए थे।
 - इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें अधिकतर वकील थे।
 - समकालीन ब्रिटिश वायसरॉय: लॉर्ड डफरिन, भारतीय कल्याण और प्रतिनिधित्व की वकालत करते हुए ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी पर ध्यान केंद्रित किया।
- वार्षिक बैठकें: प्रथम सत्र के बाद, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में देश के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक बैठकें आयोजित की जाने लगीं।

इसके गठन के पीछे के सिद्धांत

- सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत:
 - उत्पत्ति: विलियम वेडरबर्न द्वारा वर्ष 1913 में ह्यूम की जीवनी में प्रस्तावित।
 - संदर्भ: वर्ष 1878 में, ह्यूम ने गुप्त रिपोर्टों की खोज की जिसमें निचले वर्गों के बीच महत्वपूर्ण असंतोष और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की योजना का खुलासा हुआ। चिंतित होकर, उन्होंने शिक्षित भारतीयों के लिए एक मंच बनाने के लिए लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की।

- लाला लाजपत राय और आर.पी. दत्त ने इसका समर्थन किया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं।

तड़ित चालक का सिद्धांत:

- गोखले द्वारा अंतर्दृष्टि: गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा शुरू किए गए क्रांतिकारी आंदोलन को बर्दाश्त नहीं किया होगा; इसलिए, इसमें ए.ओ. ह्यूम की भागीदारी महत्वपूर्ण थी।
- कार्य: जबकि ह्यूम ने कांग्रेस को राजनीतिक प्रवचन को प्रबंधित करने के साधन के रूप में देखा, भारतीय नेताओं ने इसे राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रसारित करने के लिए 'लाइटनिंग कंडक्टर' के रूप में उपयोग करने की मांग की।
- बिपिन चंद्र का परिप्रेक्ष्य: चंद्र ने दोहरे दृष्टिकोण पर ध्यान दिया- जबकि ब्रिटिशों को असहमति को नियंत्रित करने की आशा थी, भारतीय नेताओं का लक्ष्य अधिक राष्ट्रवादी जागृति के लिए इस मंच का लाभ उठाना था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास:

- कांग्रेस का गठन 1860 और 1870 के दशक में राजनीतिक जागृति की परिणति थी, जिसने 1870 के दशक के अंत और 1880 के दशक की शुरुआत में गति पकड़ी।
- कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया तथा समकालीन आंदोलनों से प्रेरित होकर राजनीतिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय जुड़ाव की इच्छा से प्रेरित थी।
- उद्देश्यों में बदलाव: कांग्रेस उदारवादी याचिकाओं से स्व-शासन की मुखर मांगों की ओर परिवर्तित हो गई।
- कांग्रेस के भीतर आंतरिक गतिशीलता: प्रारंभिक वर्षों में, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित थी:
- नरमपंथी: गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों के नेतृत्व में, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ याचिकाओं और सहयोग के माध्यम से क्रमिक सुधारों की मांग की।
- चरमपंथी: बाल गंगाधर तिलक और अन्य के नेतृत्व में, उन्होंने स्वराज की वकालत की तथा बहिष्कार एवं विरोध प्रदर्शन सहित अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने को तैयार थे।
- कांग्रेस का विकास: जैसे-जैसे कांग्रेस परिपक्व हुई, इसके उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से बदल गए।

कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र:

- नोट: 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादंबिनी गांगुली ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया था।
- मदन मोहन मालवीय: उन्होंने सबसे अधिक 4 बार (1909, 1918, 1930 और 1932) कांग्रेस की अध्यक्षता की। महात्मा गांधी उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" मानते थे। वर्ष 1934 में उन्होंने एम.एस. अणे के साथ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की।

वर्ष, स्थान, अध्यक्ष	प्रमुख संकल्प/घटनाएँ
1885, बम्बई, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष	प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
1886, कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी	कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस में विलय, कांग्रेस की नींव को मजबूत करना। नौरोजी ने तीन बार (1886, 1893, 1906) कांग्रेस की अध्यक्षता की।
1887, मद्रास, बदरुद्दीन तैयबजी	कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति; मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील। [UPSC 2015]
1888, इलाहाबाद, जॉर्ज यूल	कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज (गैर-भारतीय)
1896, कलकत्ता, रहीमतुल्लाह एम. सयानी	वंदे मातरम्' पहली बार रबींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में गाया था।
1905, बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले	अंग्रेजों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा; विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना।
1906, कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी	स्वराज (स्वशासन), बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर संकल्प अपनाए गए।
1907, सूरत, रास बिहारी घोष	कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच विभाजन; सत्र का स्थगन।
1910, इलाहाबाद, सर विलियम बेडरबर्न	एम.ए. जिन्ना ने भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 द्वारा शुरू की गई अलग निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की।
1911, कलकत्ता, बी.एन. धर	'जन गण मन' पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जो राष्ट्रीय एकता की शुरुआत का प्रतीक है।
1915, बंबई, सर एस.पी. सिन्हा	चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रवेश देने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया, जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक बदलावों को दर्शाता है।
1916, लखनऊ, ए.सी. मजूमदार	कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच एकता; मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
1917, कलकत्ता, एनी बेसेंट	कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। [UPSC 2015, 2013]
1918, बंबई, सैयद हसन इमाम	मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों और ब्रिटिश सुधारों में कांग्रेस की भागीदारी पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र।
1919, अमृतसर, मोतीलाल नेहरू	खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन; जलियाँवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई।
1920, कलकत्ता, लाला लाजपत राय	ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का लक्ष्य रखते हुए, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन (NCM) प्रस्ताव पेश किया गया था।
1920, नागपुर, सी. विजयराघवाचार्य	भाषायी आधार पर कांग्रेस का पुनर्गठन; एम.ए. जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी।
1922, गया, सी.आर. दास	कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन, वैचारिक मतभेद को दर्शाता है।
1924, बेलगाम महात्मा गांधी	एकमात्र सत्र जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिसमें कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व पर जोर दिया गया।
1925, कानपुर, सरोजिनी नायडू	कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
1927, मद्रास, डॉ. एम.ए. अंसारी	विदेशों में भारतीय सैनिकों के प्रयोग और साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित; पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया।
1928, कलकत्ता मोतीलाल नेहरू	युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन।
1929, लाहौर जवाहरलाल नेहरू	पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित; सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय; 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया।
1931, कराची बल्लभ भी पटेल	गांधी-इरविन समझौते का समर्थन; मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प।
1934, बॉम्बे राजेंद्र प्रसाद	कांग्रेस के संविधान में संशोधन, एक अद्यतन संगठनात्मक ढाँचे की आवश्यकता का संकेत दिया गया।
1936, लखनऊ जवाहरलाल नेहरू	कांग्रेस की नीतियों में समाजवादी सिद्धांतों पर जोर, वामपंथी आर्थिक विचारों की ओर बदलाव का प्रतीक है।
1937, फैजपुर जवाहरलाल नेहरू	कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन एक गाँव में आयोजित हुआ, जिसमें जमीनी स्तर और ग्रामीण भारत से जुड़ाव पर जोर दिया गया।
1938, हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस	स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई।
1939, त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस/राजेंद्र प्रसाद	सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए लेकिन विवादों के बाद इस्तीफा दे दिया; राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला; बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन।
1940, रामगढ़, अबुल कलाम आज़ाद	सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अंतिम निर्णय महात्मा गांधी पर छोड़ने का निर्णय लिया गया।
1946, मेरठ, जे.बी. कृपलानी	भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व का अंतिम सत्र; आजादी के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

नरमपंथी (1885-1905) और उग्रवादी चरण (1905-1919)

तुलना के बिंदु	नरमपंथी (1885-1905)	उग्रवादी (1905-1919)
सामाजिक आधार वैचारिक प्रेरणा	धनी ज़मींदार, उच्च-मध्यम वर्ग, शिक्षित पेशेवर। पश्चिमी उदारवादी दर्शन, संसदीय सिद्धांत, ब्रिटिश न्याय में विश्वास, क्रमिक सुधार।	शिक्षित मध्य और निम्न-मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता। भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, स्व-शासन (स्वराज), ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति से प्रेरित।
ब्रिटिश शासन पर विचार	माना जाता है कि ब्रिटेन के पास भारत पर शासन करने के लिए एक रणनीतिक रूप से पोषित मिशन था, औपनिवेशिक शासन कुछ मायनों में फायदेमंद था।	ब्रिटिश शासन को शोषणकारी, अन्यायपूर्ण मानकर खारिज कर दिया, ब्रिटिश सत्ता को अवैध माना।
जन भागीदारी	आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, महसूस किया गया कि जनता राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ थी।	राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने की जनता की क्षमता में विश्वास, व्यापक भागीदारी की वकालत की गई।
प्रमुख मांगें	संवैधानिक सुधारों ने भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, सिविल सेवा के भारतीयकरण को बढ़ावा दिया, विधायी चुनावों की शुरुआत की, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, ("प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं")।	● स्वराज (स्व-शासन): ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, जनता को सशक्त बनाने, कांग्रेस के सामाजिक आधार का विस्तार करने पर जोर दिया गया। ● आर्थिक: आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी (आत्मशक्ति), राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया।
संघर्ष के तरीके	याचिका, प्रार्थना, प्रचार, प्रस्तावों, प्रेस, सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से संवैधानिक आंदोलन।	बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन, उग्रवादी आंदोलन, अंग्रेजों के साथ सीधा टकराव, राजनीतिक लामबंदी के लिए पारंपरिक त्योहारों का उपयोग, स्वयंसेवी संगठन (समितियाँ)।
देशभक्ति का स्वरूप	देशभक्ति, औपनिवेशिक व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित, ब्रिटिश निष्पक्षता और उदार आदर्शों पर निर्भर थी।	सच्चे देशभक्ति, स्वतंत्रता के लिए बलिदान सहने और ब्रिटिश उत्पीड़न का मुकाबला करने को तैयार।
आर्थिक सुधार	औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की आलोचना की, औद्योगिक विकास, भूमि करों में कमी, भारतीयों को लाभ पहुँचाने वाली राजकोषीय नीतियों की वकालत की।	आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उद्योगों, बैंकों, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने की वकालत की।
शैक्षिक सुधार	आधुनिक शिक्षा के विस्तार, राजनीतिक चेतना बढ़ाने, अंग्रेजी और पश्चिमी शैली की शिक्षा पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।	स्वदेशी संस्कृति, भाषाओं और मूल्यों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया गया।
सांस्कृतिक प्रभाव	सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर कमजोर, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार पर अधिक ध्यान दिया गया।	सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद पर जोर, राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं, परंपराओं, त्योहारों का उपयोग।
प्रेस के साथ संबंध	राजनीतिक चर्चा, जन जागरूकता बढ़ाने और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया।	राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ावा देने के लिए कट्टरपंथी लहजे में प्रेस का इस्तेमाल किया गया।
महिलाओं और अन्य समूहों की भूमिका	यद्यपि प्रमुख समूहों की भूमिका ने बल प्रदान किया। महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सीमित भागीदारी, उनमें भी ज्यादातर शिक्षित अभिजात वर्ग थे।	महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और सक्रियता को व्यापक आधार तक विस्तारित किया गया।
नेतृत्वकर्ता	दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, आर.सी. दत्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, रासबिहारी घोष।	बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, सुब्रमण्यम भारती, वीर सावरकर, चिदंबरम पिल्लई, रासबिहारी बोस, सी.आर. दास।

नरमपंथी चरण का उद्भव (1885-1905)

उदारवादी चरण ने ब्रिटिश शासन के भीतर सुधारों की वकालत करते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **लोक सेवा आयोग (1886):** सक्षम भारतीय सिविल सेवा भागीदारी।
- **भारतीय परिषद अधिनियम (1892):** परिषदों का विस्तार किया गया और अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए लेकिन सीमित शक्ति की पेशकश की गई।
- **हाउस ऑफ कॉमन्स संकल्प (1893):** प्रशासन में भारतीय भागीदारी को मान्यता दी गई।

- **वेलबी कमीशन (1895):** भारत के आर्थिक बोझ को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना का समर्थन किया।

अन्य गतिविधियाँ:

- **आर्थिक आलोचनाएँ:** दादाभाई नौरोजी के धन विकास सिद्धांत में तर्क दिया गया कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत की संपत्ति को खत्म कर दिया। ब्रिटिश आयात के कारण विऔद्योगीकरण हुआ, स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुँचा और गरीबी बढ़ी। जमींदारी प्रणाली ने उच्च लगान के साथ किसानों का शोषण किया, जिससे कृषि संकट पैदा हुआ, जबकि बुनियादी ढाँचे ने मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों की सेवा की, भारतीय कल्याण की उपेक्षा की।
- **सुधार लक्ष्य:** सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना, न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करना, वित्त का विकेंद्रीकरण करना और शिक्षा में सुधार करना।

उग्रवाद के उदय के कारण (1905):

- **औपनिवेशिक शोषण:** ड्रेन थ्योरी ने ब्रिटिश शोषण को उजागर किया।
- **प्रमुख कार्य:** नौरोजी की गरीबी और गैर-ब्रिटिश शासन (*Poverty and Un-British Rule*), रानाडे के भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध (*Essays on*

Indian Economics), दत्त का भारत का आर्थिक इतिहास (*Economic History of India*))।

- **संकट (1896-1900):** अकाल, महामारी, अशांति ने ब्रिटिश विफलताओं को उजागर किया।
- **राष्ट्रवादी असंतोष:** भारतीय परिषद अधिनियम (1892) विफल रहा; नाटू बंधुओं जैसे नेताओं का निर्वासन।
- **बंगाल विभाजन (1905):** फूट डालो और राज करो का प्रतीक, विरोध को बढ़ावा।
- **वैश्विक साम्राज्यवाद-विरोधी प्रभाव:** रूस पर जापान की जीत (1905), बोअर युद्ध में हार (1899-1902) ने उग्रवाद को प्रेरित किया।
- **उग्रवादी नेता:** तिलक, लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ने स्वराज और सीधी कार्रवाई की वकालत की।
- **कर्जन की नीतियाँ:** कलकत्ता निगम अधिनियम (1899), दिल्ली दरबार (1902), भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902), भारतीय आधिकारिक गुप्त अधिनियम (1904) ने असंतोष को बढ़ावा दिया।




ONLYIAS
 BY PHYSICS WALLAH

PRELIMS POWERPREP 2025

Prelims Crash Course + Rigorous Practice


LIVE
 Lectures


Daily
 Practice


LIVE Video
 Solutions


Mentorship
 Webinar


G.S. & CSAT Tests
 (Sectional + Full Length)

Hinglish | Online
₹ 15,999/- → ₹ 7,999/-

**FOR EXTRA
DISCOUNT**

»

**USE COUPON CODE
PWOIAS500**


9920613613
|

pwonllyas.com

बंगाल का विभाजन (1905)

“भारत में वास्तविक जागृति बंगाल के विभाजन के बाद ही हुई।”

-एम. के. गांधी

- दो प्रांतों में विभाजन:
 - बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित किया गया था: पश्चिमी बंगाल (बिहार और उड़ीसा के साथ) और पूर्वी बंगाल (असम के साथ)।
 - राजधानियाँ: बंगाल के लिए कलकत्ता और पूर्वी बंगाल के लिए ढाका।
- आधिकारिक निहितार्थ: अंग्रेजों ने दावा किया कि बंगाल की 78 मिलियन की आबादी ने प्रशासन को कठिन बना दिया है। विभाजन का एक कारण असम का विकास भी बताया गया।

वास्तविक उद्देश्य

- भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना: भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्रबिंदु बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित करके कमजोर किया जाना था।
- भाषायी और धार्मिक विभाजन: बंगाली आबादी को अल्पसंख्यक बना दिया गया। एक हिंदू-बहुल पश्चिमी क्षेत्र और एक मुस्लिम-बहुल पूर्वी क्षेत्र बनाया गया।
- ब्रिटिश रणनीति: विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देकर विभाजित करने एवं शासन करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था।

विभाजन के प्रभाव

- विभाजन विरोधी आंदोलन: पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।
- स्वदेशी आंदोलन: ब्रिटिश वस्तुओं का आर्थिक बहिष्कार, राष्ट्रवादी अवज्ञा का प्रतीक।
- उग्रवाद का उदय: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर और अधिक आक्रामक रुख को जन्म दिया।
- मुस्लिम लीग का गठन (1906): विभाजन ने सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोए, जिससे वर्ष 1906 में, मुस्लिम लीग का गठन हुआ।

मुसलमानों से अपील

- लॉर्ड कर्जन की रणनीति: ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाकर कर्जन का लक्ष्य मुस्लिम समर्थन हासिल करना था।
- फूट डालो और राज करो की नीति: अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर कांग्रेस और बढ़ते राष्ट्रवाद का प्रतिकार करना चाहा।
- महत्त्व: विभाजन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया और स्वदेशी आंदोलन को उत्प्रेरित किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट किया।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन (1903-1905)

बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में 'स्वदेशी' और 'बहिष्कार' को अपनाया गया। (UPSC 2016)

उत्पत्ति और कारण

- दिसंबर 1903 में घोषित बंगाल के विभाजन के ब्रिटिश फैसले के जवाब में स्वदेशी आंदोलन उभरा। [UPSC 2016]
- आधिकारिक तौर पर, विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था, लेकिन असली मकसद भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को धार्मिक और भाषायी आधार पर विभाजित करके कमजोर करना था।
- प्रमुख नेतृत्वकर्ता: सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के.के. मित्रा, और पृथ्वीचंद्र रे।
- विरोध के तरीकों में याचिकाएँ, सार्वजनिक बैठकें और हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे समाचार पत्रों का उपयोग शामिल था।
- विरोध के बावजूद, जुलाई 1905 में आधिकारिक तौर पर विभाजन की घोषणा की गई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

नोट: 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है, जो पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। वर्ष 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। (UPSC 2023)

आंदोलन के पीछे के प्रमुख कारक

- बंगाल का विभाजन: इसे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे आक्रोश एवं प्रतिरोध भड़क उठा।
- राष्ट्रवाद: भारत में राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर ने स्वशासन की माँग की।
- आर्थिक शोषण: धन की निकासी सहित ब्रिटिश शोषण से भारतीय असंतोष।
- राजनीतिक दमन: दमनकारी ब्रिटिश नीतियाँ, जिनमें राजनीतिक अधिकारों से इनकार और नेताओं की कारावास सजा आदि शामिल हैं।

औपचारिक घोषणा:

- 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा को चिह्नित करते हुए, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। [UPSC 2023]
- 16 अक्टूबर, 1905 को बंगाल का आधिकारिक रूप से विभाजन कर दिया गया। इस दिन, भारतीयों ने उपवास करके, गंगा में स्नान करके, बंदे मातरम (आंदोलन का थीम गीत) गाकर और प्रतीकात्मक एकता बैंड बाँधकर शोक व्यक्त किया।
- रबींद्रनाथ टैगोर ने 'आमार सोनार बांग्ला' गीत की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया।

आंदोलन का प्रसार:

- स्वदेशी आंदोलन तेजी से बंगाल से आगे पूना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली और मद्रास जैसे क्षेत्रों में फैल गया।
- वर्ष 1905 के बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) सत्र (गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में) में, विभाजन की निंदा की गई और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया।
- वर्ष 1906 के कलकत्ता सत्र (दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में) में, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज (स्वशासन) को अपना लक्ष्य घोषित किया।
- नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच विभिन्न तरीकों को लेकर विवाद के कारण वर्ष 1907 में सूरत का विभाजन हुआ। [UPSC 2015]
- **संपूर्ण भारत में प्रमुख नेतृत्वकर्ता:** बंगाल: अश्विनी कुमार दत्ता; मद्रास: वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई; दिल्ली: सैयद हैदर रज़ा; आंध्र प्रदेश: टी. प्रकाशम और कृष्णा राव; पंजाब: लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह; बॉम्बे एवं पूना: बाल गंगाधर तिलक आदि।
- **नरमपंथी बनाम उग्रवादी:**
 - नरमपंथियों ने गोखले के नेतृत्व में, विभाजन का विरोध किया लेकिन बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष के डर से आक्रामक कार्रवाई से परहेज किया।
 - चरमपंथियों ने तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष के नेतृत्व में, अधिक मुखर दृष्टिकोण की मांग की, स्वराज की मांग की तथा संघर्ष के उपकरण के रूप में बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध एवं आत्मनिर्भरता का उपयोग किया।

संघर्ष के नवीन स्वरूप:

- चरमपंथियों ने आत्मनिर्भरता और एकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, स्वयंसेवी संगठनों (समिति), सार्वजनिक बैठकों एवं पारंपरिक त्योहारों की स्थापना को बढ़ावा दिया।
- जन भागीदारी को प्रेरित करते हुए साहित्य, नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों के माध्यम से स्वदेशी विचारों का प्रसार किया गया।

कांग्रेस की भूमिका और विकास:

- **उदारवादी नेतृत्व:** शुरू में झिझक रहे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन को पहचाना। 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने विभाजन की निंदा की और आंदोलन का सावधानीपूर्वक समर्थन किया।
- **तिलक का नेतृत्व:** तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं ने अधिक मुखर रणनीति की वकालत की। इस वैचारिक संघर्ष के कारण वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ।
- **कांग्रेस के दृष्टिकोण में बदलाव:** नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच विभाजन का विचार अंततः भरने लगा, कांग्रेस ने तेजी से अधिक मुखर रणनीति अपनाई और बहिष्कार और स्वदेशी कार्यक्रमों का समर्थन किया।

नरमपंथियों के तहत विभाजन विरोधी अभियान (1903-1905)

- **उद्देश्य:** बंगाल के प्रस्तावित विभाजन का विरोध करना, स्वदेशी आंदोलन के लिए आधार तैयार करना।

- **राजनीतिक लामबंदी:** सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के.के. मित्रा जैसे नेता और पृथ्वीचंद्र रे ने जनता की राय जुटाने के लिए याचिकाओं, सार्वजनिक समारोहों और मीडिया आउटलेट्स (हितवादी, संजीवनी, बंगाली) का इस्तेमाल किया।
- **विभाजन की घोषणा:** भारी विरोध के बावजूद, जुलाई 1905 में विभाजन की घोषणा की गई, जिससे विरोध और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार मुखर हो गया।
- **बहिष्कार संकल्प (7 अगस्त, 1905):** कलकत्ता टाउन हॉल बैठक ने मैनचेस्टर कपड़े और लिवरपूल नमक के बहिष्कार को प्रोत्साहित करते हुए औपचारिक रूप से स्वदेशी आंदोलन शुरू किया।
- **शोक दिवस (16 अक्टूबर, 1905):** बंगाल ने विभाजन दिवस को उपवास, गंगा स्नान और "वंदे मातरम" गाकर मनाया गया। टैगोर का "आमार सोनार बांग्ला" और राखी बाँधना एकता का प्रतीक है।
- **राष्ट्रव्यापी समर्थन:** तिलक, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, सैयद हैदर रज़ा और चिदम्बरम पिल्लई जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का देशव्यापी विस्तार किया।
- स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई थी। (UPSC 2019)

स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष के नवीन स्वरूप

- **विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार:** विदेशी वस्त्रों को जलाने और विदेशी उत्पादों से परहेज करने जैसे बड़े पैमाने पर कार्यों को व्यापक समर्थन मिला।
- **सार्वजनिक सभाएँ:** जुलूसों के माध्यम से जनता को संगठित किया और एकता को बढ़ावा दिया।
- **"स्वयंसेवकों का दल"/समितियाँ:** स्वदेश बांधव समिति और स्वदेशी संगम जैसे स्थानीय संगठन सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करते हैं।
- **उत्सव /त्यौहार:** तिलक के गणपति और शिवाजी महोत्सव स्वदेशी प्रचार के मंच बन गए।
- **आत्म-शक्ति:** आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और जाति भेदभाव तथा दहेज उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया।
- **स्वदेशी शिक्षा:** बंगाल नेशनल कॉलेज और नेशनल स्कूलों ने स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (15 अगस्त, 1906) ने राष्ट्रवादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
- **स्वदेशी उद्यम:** कपड़ा मिलों और स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी जैसे स्वदेशी उद्योगों ने ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम कर दी।

[UPSC 2019]

संस्कृति पर प्रभाव

स्वदेशी आंदोलन ने सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया:

- **राष्ट्रवादी गीत:** रबींद्रनाथ टैगोर और द्विजेंद्रलाल रे ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, टैगोर के "अमर सोनार बांग्ला" ने बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को प्रेरित किया।
- **"आमार सोनार बांग्ला":** आंदोलन के दौरान रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, यह बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया।

- **कलात्मक अभिव्यक्तियाँ:** अबनींद्रनाथ टैगोर ने पारंपरिक भारतीय कला से प्रेरणा लेते हुए विक्टोरियन प्रकृतिवाद को चुनौती दी, जबकि **नंदलाल बोस** ने **इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट** के माध्यम से भारतीय कला को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।
- **वैज्ञानिक योगदान:** जगदीश चंद्र बोस ने वैज्ञानिक नवाचार के लिए भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया।
- **पारंपरिक शिल्प का पुनरुद्धार:** हाथ से बुने हुए वस्त्रों को बढ़ावा देना और शिल्प कौशल को पुनर्जीवित करना।
- **एस.जी. देउस्कर द्वारा लिखित "देशेर कथा":** एम.जी. के कार्यों का सारांश प्रस्तुत करने वाली यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। रानाडे और डी. नौरोजी, अंग्रेजों के **"मन पर सम्मोहक विजय"** ("Hypnotic Conquest of the Mind") के खिलाफ चेतावनी देते हुए और स्वदेशी नाटकों और गीतों को प्रेरित करते हुए। [UPSC 2020]

स्वदेशी आंदोलन में व्यापक भागीदारी

- **स्वदेशी अभियान:** छात्रों ने विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध धरना दिया।
- **दंडात्मक कार्रवाइयाँ:** भाग लेने वाले छात्रों के लिए असंबद्धता, नौकरी अयोग्यता, छात्रवृत्ति रद्द, जुर्माना, निष्कासन, गिरफ्तारी और शारीरिक दंड आदि।
- **सक्रिय भूमिका:** स्वदेशी आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन, जुलूस और धरना में शामिल महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।
- **शहरी मध्यवर्ग:** राष्ट्रीय संघर्ष में सार्वजनिक सक्रियता की ओर बदलाव।
- **विविध समर्थन:** मौलाना आज़ाद का सक्रिय समर्थन, लेकिन कई उच्च/मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने हिंदू-केंद्रित प्रतीकों के कारण दूरी बना ली गई।
- **विभाजन का समर्थन:** नवाब सलीमुल्लाह ने मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल विभाजन का समर्थन किया।
- **ब्रिटिश कूटनीति:** अंग्रेजों ने विभाजन को गहरा करते हुए **अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (1906)** को बढ़ावा दिया।
- **हड़तालें (1905-1908):** बर्न कंपनी के क्लर्कों की हड़ताल (1905) हावड़ा, ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा हड़ताल (1906), जूट मिल्स कर्मियों की हड़ताल (1906-1908), और रावलपिंडी हड़ताल (लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में)।
- **विदेशी मिल हड़तालें:** सुब्रमण्यम शिवा और चिदंबरम पिल्लई के नेतृत्व में।
- **धीमी गति से विघटन के कारण:** स्वदेशी आंदोलन सरकारी दमन, आंतरिक विभाजन और बंगाल से परे सीमित पहुँच के कारण नष्ट हो गया। सांप्रदायिक विभाजन और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (1906) के गठन से मुस्लिम समर्थन में बाधा उत्पन्न हुई। संगठन की कमी, दिशाहीन ऊर्जा और सांप्रदायिक दंगों ने आंदोलन की प्रभावशीलता को और कमजोर कर दिया।
- **विभाजन को रद्द करना; 1911 (UPSC 2014):** किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में दिल्ली में शाही दरबार के रूप में कर्जन अधिनियम को निरस्त कर दिया। वर्ष 1911 में, स्वदेशी से बढ़ती अशांति और दबाव के कारण, वायसराय **लॉर्ड हार्डिंग** के तहत ब्रिटिश सरकार ने **बंगाल विभाजन (1905) को रद्द कर दिया।** और बहिष्कार आंदोलन, आधिकारिक तौर पर, एकीकृत बंगाल के लिए बेहतर शासन का दावा करते हुए, विलोपन को एक प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में उचित ठहराया गया था।

- **सूरत विभाजन (1907):** स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप **'उदारवादी' और 'चरमपंथी' विचारधाराओं का उदय हुआ।** (UPSC 2015)।
 - **दिसंबर 1907 में सूरत में अपने सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) नरमपंथी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गई।** यह विभाजन भारतीय स्वतंत्रता की रणनीतियों पर बढ़ते वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है।
- **कारण:** ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों का विश्वास की कमी। (UPSC 2016)
- **विभाजन के परिणाम:** विभाजन के बाद, कांग्रेस को मुख्य रूप से नरमपंथियों द्वारा नियंत्रित किया गया, संवैधानिक तरीकों से स्वशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **सरकारी दमन:** सन् 1907 से 1911 तक, ब्रिटिश सरकार ने सख्त कानून बनाए, जिनमें शामिल हैं:
 - देशद्रोही बैठक अधिनियम (1907)
 - आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1908)
 - अपराध प्रोत्साहन अधिनियम (1908)
 - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908)
 - भारतीय प्रेस अधिनियम (1910)

कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र:

- **बनारस (1905):** अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की।
 - स्वदेशी आंदोलन के विस्तार पर उदारवादी-चरमपंथी मतभेदों का उदय।
 - तत्काल विभाजन को रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। [UPSC 2016]
- **कलकत्ता (1906):** अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की।
 - नरमपंथियों ने नौरोजी को राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित किया; उग्रवादियों ने तिलक या लाजपत राय का समर्थन किया।
 - **'स्वराज्य' (स्वशासन) का उल्लेख पहली बार किया गया था, लेकिन यह अपरिभाषित था।**
 - नरमपंथियों ने सावधानी बरतने को प्राथमिकता दी और परिषद सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि चरमपंथियों ने निष्क्रिय प्रतिरोध एवं बहिष्कार की वकालत की।
- **सूरत (1907):** अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की।
 - चरमपंथियों का लक्ष्य **तिलक या लाजपत राय** को अध्यक्ष बनाना था और उन्होंने कट्टरपंथी प्रस्तावों पर जोर दिया।
 - नरमपंथियों ने कट्टरपंथी एजेंडे को छोड़ने के लिए तिलक को बाहर करने पर जोर दिया।
 - दृढ़ रुख के कारण अपरिहार्य रूप से विभाजन हुआ।
- **शिमला शिष्टमंडल (1906):** आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने **मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग के लिए लॉर्ड मिंटो** से मुलाकात की। इस समूह ने ब्रिटिशों के प्रति वफादारी बनाए रखने और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से दूर करने के उद्देश्य से शुरू में **नवाब सलीमुल्लाह** तथा अन्य द्वारा गठित मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया।

- **मॉर्ले-मिटो सुधार (1909):** मॉर्ले-मिटो सुधार, जिसे औपचारिक रूप से 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं के बीच नरमपंथियों और मुसलमानों दोनों की मार्गों को संबोधित करना था।

प्रमुख प्रावधान:

- **विधान परिषदों का विस्तार:** भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि, फिर भी बहुमत में ब्रिटिश अधिकारी ही बने रहे, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण सुनिश्चित हुआ।
- **मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र:** मुसलमानों को प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति दी गई, जो सांप्रदायिक विभाजन की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है।
- **बढ़ी हुई निर्वाचित सदस्यता:** शाही और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में अधिक निर्वाचित सदस्य, हालांकि कुछ अभी भी नामांकित थे।
- **मुसलमानों के लिए योग्यताओं में छूट:** मुसलमानों को उनकी आबादी के हिस्से से अधिक प्रतिनिधित्व मिला, साथ ही हिंदुओं की तुलना में मतदाताओं के लिए कम आय योग्यताएँ थीं।
- **अप्रत्यक्ष चुनाव:** सदस्यों को स्थानीय निकायों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, जिससे एक जटिल चुनावी प्रक्रिया बन गई।
- **अधिकार प्राप्त विधानमंडल:** विधानमंडल का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और बजट मंदां पर मतदान कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण बजट पर नहीं।
- **कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व:** सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने।

दिल्ली दरबार:

वर्ष 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भाग लिया।

दिल्ली दरबार में घोषणाएँ:

- बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। [UPSC 2014]
- ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।

क्रांतिकारी गतिविधियाँ (चरण- I 1907-17)

समिति /संगठन (वर्ष) और स्थान	संबद्ध लोग एवं विवरण
अनुशीलन समिति (1902)-बंगाल	● प्रोमोथा मित्र और जतीन्द्रनाथ सहित अन्य लोगों द्वारा स्थापित ● बनर्जी, बारीन्द्र कुमार घोष। ● युगांतर और संध्या प्रकाश नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित। ● स्वदेशी डकैती, क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत की, शारीरिक प्रशिक्षण, और नैतिक शिक्षा।
सर फुलर के जीवन पर प्रयास (1907) - बंगाल	● पूर्वी बंगाल और असम के उपराज्यपाल सर फुलर पर युगांतर द्वारा एक प्रयास। ● फुलर ने अंततः अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
मुजफ्फरपुर कांड (1908)/अलीपुर षडयंत्र कांड/मानिकटोला बम षडयंत्र (1908) - बंगाल	● प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया। ● अरबिंदो घोष को अलीपुर षडयंत्र केस में बरी कर दिया गया। ● इस प्रयास के लिए खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गई।
बरी डकैती (1908) - बंगाल	● बारीन्द्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ● यह क्रांतिकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए पुलिन दास के तहत ढाका अनुशीलन द्वारा किया गया था।
दिल्ली षडयंत्र केस (1912) - दिल्ली	● रासबिहारी बोस और सचिन्द्र सान्याल द्वारा वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। ● इस षडयंत्र का उद्देश्य वायसराय के जुलूस के पास बम विस्फोट करना था।

- **दिल्ली षडयंत्र केस:** रासबिहारी बोस और सचिन्द्र सान्याल ने हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश की।
- **सचिन्द्र सान्याल** को जेल हुई थी जिस दौरान उन्होंने बंदी जीवन लिखा था।

भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ

- **क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के चरण:**
- **पहला चरण:** स्वदेशी आंदोलन के पतन के बाद (1917 तक)।
- **दूसरा चरण:** असहयोग आंदोलन के बाद बहाली।
- **क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान देने वाले कारक:** उदारवादी नेतृत्व की गिरावट, विशेष रूप से लॉर्ड कर्जन के तहत, और स्वदेशी नेतृत्व के कमजोर होने के कारण मोहभंग हुआ, जिससे युवा राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

क्रांतिकारियों द्वारा अपनाई गई विधियाँ

क्रांतिकारियों ने कई तरीके अपनाए, जिनमें शामिल हैं:

- **वीरता के कार्य:** उन्होंने अपने रैकों के भीतर अलोकप्रिय अधिकारियों और मुखबिरों की हत्याओं के प्रयास किए।
- **स्वदेशी डकैतियाँ:** अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए डकैतियाँ आयोजित की।
- **सैन्य षडयंत्र:** प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कुछ क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन के दुश्मनों से समर्थन की आशा से सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई।

क्रांतिकारी गतिविधियों की अभिव्यक्ति

- **हिंसक विद्रोह:** वर्ष 1924 में काकोरी ट्रेन डकैती और वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा ब्रिटिश सत्ता पर सीधे हमलों के महत्वपूर्ण उदाहरण थे।
- **राजनीतिक हत्याएँ:** उदारवादी दृष्टिकोण के साथ बढ़ते असंतोष ने क्रांतिकारियों को भारत और विदेशों दोनों में अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।
- **गुप्त समितियाँ:** हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और युगांतर जैसे समूहों ने बमबारी तथा हत्याओं सहित विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन एवं कार्यान्वयन किया।

जर्मन प्लॉट/जिम्मरमैन योजना (1913) - बंगाल	- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के लिए जतीन्द्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) और युगांतर के नेतृत्व में - इस योजना में भारत में विद्रोह भड़काने के लिए जर्मन हथियारों का आयात करना शामिल था। - गतिविधियों में धन जुटाने के लिए स्वदेशी डकैती और नाव डकैती शामिल थी।
रामोसी किसान सेना (1879) - महाराष्ट्र	ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने के लिए वासुदे बलवंत फड़के द्वारा आयोजित किया गया।
चाफेकर ब्रदर्स केस (1897) - महाराष्ट्र	दामोदर और बालकृष्ण (चाफेकर बंधुओं) ने दमनकारी प्लेग नीतियों का बदला लेने के लिए प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी।
मित्र मेला (1899) - महाराष्ट्र	वी.डी. सावरकर और उनके भाई द्वारा स्थापित। मैजिनी के यंग इटली से प्रभावित। यह सन् 1904 में अभिनव भारत में विलय हो गया।
नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या (1909) - महाराष्ट्र	- अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने ए.एम.टी. जैक्सन की हत्या कर दी थी जो नासिक के कलेक्टर थे। - परिणामस्वरूप कान्हेरे को फाँसी और सावरकर को कारावास हुआ।
पंजाब उग्रवाद - पंजाब	- लाला लाजपत राय ने लाहौर में पंजाबी और अंजुमन-ए-मोहिसबान-ए-वतन की शुरुआत की। - क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल, भाई परमानंद और सैयद हैदर रज़ा शामिल थे। - ब्रिटिश दमन नीतियों के बाद, उग्रवाद की ओर स्थानांतरित।
रॉबर्ट ऐश की हत्या (1911) - मद्रास	वांची अय्यर ने तिरुनेलवेली के जिला कलेक्टर रॉबर्ट ऐश की हत्या कर दी।
भारत स्वशासन समिति/इंडियन होम रूल सोसाइटी (इंडिया हाउस) (1905) - लंदन	- भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक क्रांतिकारी केंद्र के रूप में श्यामजी कृष्णवर्मा द्वारा स्थापित। - प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में सावरकर और हरदयाल शामिल थे, जिन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित किया था। - पेरिस, जिनेवा और लंदन में क्रांतिकारियों को प्रेरित किया।
कर्जन-वायली की हत्या (1909) - लंदन	मदनलाल ढींगरा ने ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए लंदन में कर्जन-वायली की हत्या कर दी।
गदर पार्टी (1913) - सैन फ्रांसिस्को (उत्तरी अमेरिका)	- रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भवन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह और भाई प्रेमचंद द्वारा स्थापित। - प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से अखिल भारतीय विद्रोह को भड़काने का लक्ष्य (UPSC 2022) - हत्याओं की रणनीति, साम्राज्यवाद-विरोधी साहित्य और विद्रोह के लिए हथियार खरीदना शामिल था।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति (1915) - बर्लिन (जर्मनी)	- जिम्मरमैन योजना के तहत जर्मन समर्थन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। - विद्रोह का आयोजन करना और ब्रिटिश भारत पर सशस्त्र आक्रमण को उकसाना था।
बगदाद, फारस, तुर्की और काबुल आदि में विभिन्न मिशन।	- क्रांतिकारियों राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह और ओबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में। - अफगानिस्तान के क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह के समर्थन से काबुल में भारतीय सरकार बनाने का प्रयास किया गया।
सिंगापुर विद्रोह (फरवरी 15, 1915) - सिंगापुर	- जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाउद खान के नेतृत्व में, जिसमें 5वीं लाइट इन्फैंट्री तथा 36वीं सिक्ख बटालियन शामिल थी। - विद्रोह को दबा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फाँसी और आजीवन कारावास की सज़ा हुई।

नोट: 1920 के दशक की क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण-II को अध्याय- 6 में शामिल किया गया है।

● गदर क्रांति:

- गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिसकी अनेक शाखाएँ, सुदूर पूर्व और अमेरिकी तट के किनारे तक थी। इसका साप्ताहिक समाचार पत्र, “द गदर” था, जिसने इसकी गतिविधियों का नेतृत्व किया। (UPSC 2014)

● गदर पार्टी का उदय:

- मई 1913 में लाला हरदयाल और अन्य लोगों द्वारा गठित गदर पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से लड़ना था। परंतु भारत में इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से, आवाज उठाना था, याचिकाओं के माध्यम से नहीं।
- हिंदी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिससे “द गदर” का शुभारंभ हुआ, जो सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम से संबद्ध था।

- **प्रमुख हस्तियाँ:** प्रमुख नेताओं में रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, और भगवान सिंह शामिल थे, जिन्होंने व्यापक प्रचार प्रयासों का नेतृत्व किया। (UPSC 2022)

- **साहित्यिक योगदान:** गदर का पहला अंक नवंबर 1913 में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रमुख भूमिकाएँ थीं

- ब्रिटिश शासन की निर्भीक आलोचना और दूसरे विद्रोह का आह्वान। अखबार ने सावरकर की पुस्तक “भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम-1857” को क्रमबद्ध किया और इसमें तिलक और अरबिंदो जैसे नेताओं का संदर्भ दिया गया।

- **गदर दी गूँज-** क्रांतिकारी कविता गदर दी गूँज, क्रांतिकारी का एक संग्रह था। इन कविताओं ने सभी धर्मों में एकता का आग्रह किया और सशस्त्र विद्रोह को प्रोत्साहित किया। आयोजित सभाओं में कविताएँ सुनाई गईं। पंजाबी आप्रवासियों को वफादारों से क्रांतिकारियों में बदल दिया गया।

- **वैश्विक प्रभाव:** समाचार पत्र विश्व स्तर पर फैल गया, यहाँ तक की एशिया, मलय प्रदेश और त्रिनिदाद, में भारतीय समुदायों तक पहुँच गया जिनके माध्यम

से क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ रहा था। कामागाटामारु घटना और प्रथम विश्व युद्ध ने तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव को और तेज़ कर दिया।

कामागाटामारु घटना और गदर आंदोलन

- **कामागाटामारु प्रकरण (1914):** मुख्य रूप से सिक्ख और पंजाबी मुस्लिम आप्रवासियों को ले जाने वाले जहाज कामागाटामारु को कनाडाई अधिकारियों ने वापस लौटा दिया, जिससे तनाव पैदा हो गया। जहाज ने बाद में कलकत्ता में लंगर डाला। कैदियों ने पंजाब जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से इनकार कर दिया। कलकत्ता के निकट बज में पुलिस के साथ हुए संघर्ष में 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने तनाव बढ़ा दिया, जिसके कारण गदर नेताओं ने भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक हमले की योजना बनाई।
- **गदर विद्रोह (1915):** कार्यकर्ताओं ने फ़िरोज़पुर, लाहौर और रावलपिंडी में विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन साजिश के तहत उन्हें धोखा दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत रक्षा नियमों की सहायता से तत्काल कार्रवाई की, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनमें से 45 को फाँसी दे दी गई। कट्टरपंथी पैन-इस्लामवादियों अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी को एक साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया।
- **कामागाटामारु यात्रा:** भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए चार्टर्ड कार्यकर्ता विरोध हेतु मुखर हो गए। जापान में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया गया। जब जहाज को प्रवेश से इनकार किया गया तो उसके बाद, जहाज वापस लौट आया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की दिशा में विरोध और भी प्रदर्शन भड़क गया।
- **गदर पर प्रभाव:** इस घटना के कारण एलान-ए-जंग (युद्ध की घोषणा) हुई। इसके लिए मोहम्मद बरकतुल्लाह और करतार सिंह सराभा जैसे लोकप्रिय नेताओं ने समर्थन जुटाया, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इस योजना को विफल कर दिया।
- **ब्रिटिश दमन:** भारत में प्रवेश के दौरान, एक अध्यादेश के माध्यम से वापस लौट रहे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि, पंजाब में जन समर्थन की कमी के कारण आंदोलन विफल हो गया और अंततः निष्पादन के साथ इसे दबा दिया गया।

प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को पुनर्जीवित किया और इसके लिए अवसर प्रस्तुत किए। ब्रिटेन के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच राजनीतिक प्रगति हासिल की।

- **विश्व युद्ध के गठबंधन देश:** प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट या पक्ष शामिल थे:
 - **मित्र राष्ट्र:** ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान।
 - **धुरी राष्ट्र:** जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की।
- **भारतीय प्रतिक्रियाएँ:**
 - **नरमपंथी:** कर्तव्य के रूप में ब्रिटिश प्रयासों का समर्थन किया।
 - **उग्रवादी:** बाल गंगाधर तिलक जैसी हस्तियों के नेतृत्व में, स्वशासन के विचार के साथ राष्ट्रीय एकता व वफादारी का संदेश दिया।
 - **क्रांतिकारी:** युद्ध को युद्ध के रूप में देखते हुए, तत्काल स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया।

- **ब्रिटिश दमन का प्रभाव:** मौलाना आज़ाद के **अल हिलाल** और मोहम्मद अली के **कॉमरेड** जैसे प्रकाशनों के दमन तथा अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद एवं हसरत मोहानी जैसे नेताओं की नज़रबंदी ने 'यंग पार्टी' के बीच असंतोष एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया।
- **भारत पर वित्तीय प्रभाव:** युद्ध ने भारत को सैनिकों से वंचित कर दिया था, एक समय पर श्वेत सैनिकों की संख्या घटकर केवल 15,000 रह गई थी। इसने जर्मनी और तुर्की से वित्तीय तथा सैन्य सहायता की संभावना को भी जन्म दिया।
- **राष्ट्रवादी आंदोलन:** युद्ध की शुरुआत ने राष्ट्रवाद को फिर से सक्रिय कर दिया, जो पहले के स्वदेशी आंदोलनों पर आधारित थी।

विभिन्न गुटों का उभरना:

- उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने हिंसक विद्रोह की माँग की।
- एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जैसे होम रूल लीग के नेतृत्वकर्ताओं ने स्वराज के लिए अभियान चलाया।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

- **कांग्रेस अधिवेशन:**
 - **दिसंबर 1914** में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश युद्ध का खुला समर्थन किया गया। यह पहली बार था कि जब किसी राज्यपाल ने कांग्रेस के सत्र में भाग लिया था।
 - **वर्ष 1916** में **लखनऊ** में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन में जिन्ना द्वारा कांग्रेस के साथ एकीकृत रूप से विस्तृत चर्चा की गई। इसकी अध्यक्षता **अंबिका चरण मजूमदार** ने की थी।
- **होम रूल लीग आंदोलन:** ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत भारत के लिए 'स्वशासन' की माँग करना। यह आयरिश होमरूल लीग से प्रेरित था, जो आयरलैंड के समान स्वायत्तता की माँग कर रहा था।
- **नेता:** बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट सबसे प्रमुख नेता थे।

[UPSC 2013]

- अन्य नेताओं में जी.एस. खापर्डे, जोसेफ बैपटिस्टा, मुहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी.चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर (उन्होंने अपनी **नाइटहुड** की उपाधि का परित्याग कर दिया) शामिल थे।
- इस आंदोलन ने उदारवादी कांग्रेस सदस्यों और गोखले के कुछ सेवकों को आकर्षित किया। हालाँकि, दक्षिण में एंग्लो-इंडियन, कई मुस्लिम और गैर-ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। संभावित हिंदू-बहुमत शासन की चिंताओं के कारण भाग लेना उचित समझ गया।
- सन् 1920 में **ऑल इंडिया होम रूल लीग** ने अपना नाम बदलकर "**स्वराज्य सभा**" (UPSC 2018) कर लिया।
- **वर्ष 1916 में दो पृथक लीगों का उद्भव:**
 - **तिलक का लीग:** अप्रैल 1916, में इसके मुख्यालय पूना से, महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), कर्नाटक और मध्य प्रांत तक विस्तृत।
 - **बेसेंट का लीग:** सितंबर 1916 में मद्रास में, जिसमें शेष भारत के साथ ही बंबई भी शामिल था।

आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक

- मॉर्ले-मिटो सुधारों से मोहभंग और ब्रिटिश शासन से असंतोष।
- युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ: उच्च कर, बढ़ती कीमतें और गरीबी।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्वेत श्रेष्ठता के मिथक के टूटने से साम्राज्यवाद की कमजोरियाँ उजागर हुईं।
- तिलक का नेतृत्व: वर्ष 1914 में अपनी रिहाई के बाद, तिलक ने अंग्रेज स्वराज्य की वकालत करते हुए अधिक सौहार्दपूर्ण रुख अपनाया।

तिलक का होम रूल लीग

- जून 1914 में तिलक की रिहाई ने उन्हें नेतृत्व संभालने और सौहार्दपूर्ण संकेत देने हेतु, सरकार एवं नरमपंथियों के प्रति सक्षम बनाया।
- तिलक ने प्रशासन में सुधार का लक्ष्य रखा और ब्रिटिश सरकार से संकट के समय, सहयोग का आग्रह किया।
- **स्थापना: अप्रैल 1916।**
 - तिलक ने अपनी पहली होम रूल बैठक बेलगाम में की।
 - पूना उनकी लीग का मुख्यालय था।
 - प्रथम अध्यक्ष: जोसेफ बैटिस्टा और सचिव: एन.सी. केलकर थे।
- **क्षेत्रीय विस्तार:** महाराष्ट्र (बॉम्बे शहर को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित।
- **शाखाएँ : छह शाखाएँ।**
- **मांगें:** स्वराज्य (स्व-शासन), भाषायी राज्यों का गठन और स्थानीय शिक्षा पर बला।
- **विधियाँ:** क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे प्रकाशित करना, गाँव की शिक्षा में संलग्न होना, और भाषायी राज्यों एवं स्थानीय शिक्षा पर जोर दिया गया।
- **मुख्य संदेश:** भारत स्व-शासन के लिए पर्याप्त परिपक्व माना गया, और भाषायी समानता पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया था।
- **बेसेंट का होम रूल लीग:** आयरिश होमरूल लीग से प्रेरित होकर, एनी बेसेंट (वर्ष 1896 से भारत में एक आयरिश थियोसोफिस्ट) ने होमरूल के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।
- **स्थापना:** सितंबर 1916 मद्रास (अब चेन्नई) में [UPSC 2013]
- **सचिव: जॉर्ज अरुंडेल।**
- **क्षेत्रीय विस्तार:** बॉम्बे शहर सहित लगभग संपूर्ण भारत तक विस्तारित।
- **शाखाएँ: 200 शाखाएँ**
- **उद्देश्य:** युद्ध के बाद श्वेत उपनिवेशों के समान भारत के लिए स्वशासन की माँग करना। उन्होंने अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवील तथा सार्वजनिक बैठकों व सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार किया।
- **संगठनात्मक संरचना:** लचीली संरचना।
- **मुख्य तथ्य:**
 - जॉर्ज अरुंडेल: आयोजन सचिव थे।
 - बी.डब्ल्यू. वाडिया और सी.पी. रामास्वामी अय्यर आदि ने लीग में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई थी।

सरकार की प्रतिक्रिया

- **दमन:** ब्रिटिश सरकार ने विशेषकर मद्रास में प्रतिबंध लगाकर, छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **गिरफ्तारियाँ:** जून 1917 में एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन के साथ ही आक्रोश भी फैल गया।

लीग के आंदोलन का अंत (1919 तक): प्रमुख कारक

- **कमजोर संगठन:** ठोस संगठनात्मक संरचना और समन्वय का अभाव।
- **सांप्रदायिक अशांति:** सन् 1917-18 में धार्मिक संघर्षों ने ध्यान भटकाया।
- **नरमपंथियों का तुष्टीकरण:** सुधारों के वादे (मोंटेग्यू का 1917 का वक्तव्य) और बेसेंट की रिहाई, नरमपंथियों को शांत किया।
- **उग्रवादी प्रभाव:** उग्रवादियों के निष्क्रिय प्रतिरोध के आह्वान ने उदारवादी भागीदारी को हतोत्साहित किया।
- **मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार:** 1918 के सुधारों ने राष्ट्रवादी नेताओं को विभाजित कर दिया।
- **नेतृत्वहीनता :** तिलक की अनुपस्थिति और बेसेंट के अनिर्णयवादी सिद्धांतों ने आंदोलन को नेतृत्वहीन बना दिया।
- 1920, गांधीजी ने बेसेंट के होम रूल लीग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एकजुट करते हुए उसे स्वराज्य सभा में बदल दिया। [UPSC 2018]
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916):** अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन (1916) में, 10 साल के विभाजन के बाद चरमपंथी और नरमपंथी पुनः एकजुट हुए।
- **उग्रवादियों का पुनः प्रवेश:** बाल गंगाधर तिलक और अनुयायी पुनः संगठित हुए।
- **कारक:** पुराने विवादों का कम होना, राजनीतिक गतिरोध की पहचान, एनी और तिलक के प्रयासों ने सुलह के लिए प्रशासनिक सुधारों का समर्थन किया।
- **प्रमुख नेताओं का निधन:** फिरोजशाह मेहता की मृत्यु, जिन्होंने उग्रवादियों का विरोध किया था, ने विलय प्रक्रिया को आसान बना दिया।

लखनऊ समझौता (1916)

कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत में दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच महत्वपूर्ण एकता को चिह्नित करते हुए सरकार के सामने आम माँग प्रस्तुत की। प्रमुख कारकों में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं:

- **मुस्लिम असंतोष:** तुर्की को सहायता देने से इनकार, बंगाल विभाजन रद्द (1911), और अलीगढ़ विश्वविद्यालय संबद्धता से इनकार।
- **लीग का नेतृत्व परिवर्तन:** 1912 के कलकत्ता सत्र में स्व-शासन की ओर कदम बढ़ाया गया।
- **प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव:** दमन ने साम्राज्यवाद विरोधी भावना को बढ़ावा दिया।
- **प्रमुख नेता:** लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया।

मुख्य सिद्धांत/धाराएँ:

- स्वशासन लक्ष्य।
- केंद्र सरकार में एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व।

- पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
- विधायी प्रतिनिधित्व में वेटेज प्रणाली।
- केंद्रीय विधान परिषद की शक्ति: 150 सदस्य।
- चार-पाँचवें (4/5) प्रांतीय विधायक चुने गए।
- प्रत्यक्ष चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार।
- सामुदायिक विधेयकों पर वीटो शक्ति।
- कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।
- **प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी पुनरुत्थान (1919):** प्रथम विश्व युद्ध के बाद, भारतीय राष्ट्रवाद में परिवर्तन देखा गया था। जिसमें विशेषकर आर्थिक संकट, अधूरे वादे और वैश्विक वैचारिक बदलाव प्रमुख कारक थे।
- **आर्थिक कठिनाइयाँ:** औद्योगिक मंदी, बेरोजगारी और उच्च करों का बोझ श्रमिकों, किसानों एवं लौटने वाले सैनिकों पर पड़ा।
- **राजनीतिक विश्वासघात:** युद्धकालीन योगदान के कारण राजनीतिक वादे पूरे नहीं हुए, जिससे असंतोष को बढ़ावा मिला।
- **वैश्विक साम्राज्यवाद विरोधी भावना:** पेरिस शांति सम्मेलन और रूस से मोहभंग के बाद क्रांति (1917) ने प्रतिरोध आंदोलनों को प्रेरित किया।
- **राष्ट्रवादी पुनरुत्थान:** आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कारकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नवीनीकृत किया।

मोंटेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा

- **ब्रिटिश रुख में बदलाव:** घोषणापत्र ने भारत के रुख को स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस घोषणा में भारत में स्वशासी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था।
- **'जिम्मेदार सरकार' की संकल्पना:** इसने जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति पर जोर दिया, जहाँ शासक न केवल अंग्रेजों के लिए बल्कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के प्रति भी जवाबदेह होंगे।
- **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत सरकार अधिनियम, 1919):** 1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, एडविन मोंटेग्यू (राज्य सचिव) के नेतृत्व में, भारत के लिए और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) का उद्देश्य भारत में संवैधानिक परिवर्तन लाना था। जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में परिणत हुआ। [UPSC 2016] भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। [UPSC 2015]

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ [UPSC 2015]

- **प्रांतीय सरकार - द्वैध शासन का परिचय:** द्वैध शासन का अर्थ है प्रांतों के विषयों का विभाजन दो श्रेणियों में कर दिया गया। (UPSC 2017)। द्वैध शासन ने प्रांतीय स्तर पर शासन व्यवस्था में, दोहरे शासन की शुरुआत की।
- कार्यकारी प्राधिकरण को "आरक्षित" और "स्थानांतरित" विषयों में विभाजित किया गया है; आरक्षित विषय (जैसे, कानून और व्यवस्था, वित्त) गवर्नर और उसके नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे;

हस्तांतरित विषयों (जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य) का प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। [UPSC 2022]; कार्यकारी पार्षदों की विधायिका के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं; संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है; राज्य सचिव तथा गवर्नर-जनरल केवल आरक्षित विषयों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं।

- **प्रांतीय विधानमंडल:** 70% निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार; सांप्रदायिक और वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों की समेकित प्रणाली; महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। [UPSC 2021]; विधानमंडल कानून बनाने की पहल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है; अस्वीकृत बजट को बहाल करने के लिए **राज्यपाल के पास वीटो शक्ति और अधिकार था।**
- **केंद्र सरकार का जिम्मेदार सरकार न होना**
 - अखिल भारतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का कोई प्रावधान नहीं।
 - गवर्नर-जनरल मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बना रहा।
 - प्रशासन के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सूचियाँ।
 - वायसराय की कार्यकारी परिषद में तीन भारतीय सदस्य शामिल।
 - गवर्नर-जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर नियंत्रण बनाए रखा।
 - गवर्नर-जनरल के पास बजट कटौती बहाल करने, बिल प्रमाणित करने और अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ थीं।
- **केंद्रीय विधानमंडल**
 - **द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत-** केंद्रीय विधान सभा (145 सदस्य) और राज्य परिषद (60 सदस्य)।
 - राज्य परिषद का **कार्यकाल पाँच वर्ष** का होता था, जिसमें केवल पुरुष सदस्य होते थे।
 - केंद्रीय विधान सभा का **कार्यकाल तीन वर्ष** का होता था।
 - विधायकों का बजट पर सीमित नियंत्रण था; बजट का 75% हिस्सा गैर-मतदान योग्य था।
 - वित्त सहित महत्वपूर्ण समितियों में कुछ भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
 - भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के तहत अब से भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था।
- **कांग्रेस की प्रतिक्रिया**
 - **हसन इमाम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषजनक" माना,** तथा प्रभावी स्वशासन की माँग की।
 - **तिलक:** "अयोग्य और निराशाजनक- एक सूर्यहीन सुबह"।
 - **एनी बेसेंट:** "इंग्लैंड से प्रस्ताव देने और भारतीय रुख को स्वीकार करने में अयोग्य"।



प्रारंभिक जीवन और प्रभाव

- **जन्म तिथि:** 2 अक्टूबर, 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में
- **माता-पिता:** पिता - करमचंद गांधी; माता- पुतलीबाई
- **राजनीतिक गुरु:** गोपाल कृष्ण गोखले
- **साहित्यिक प्रभाव:** जॉन रस्किन - अन्टू दिस लास्ट, एमर्सन और थोरो - सिविल डिसओबीडियंस, बाइबिल और गीता
- **साहित्यिक कृतियाँ:** हिंद स्वराज (1909), सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा), इंडियन ओपिनियन: एशियाई संपादक (1903-15), हरिजन (1919-31), यंग इंडिया (1933-42) और एएमपी; 'सॉनॉ फ्रॉम प्रिजन' - प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी अनुवाद **UPSC (2021)**
- **अन्य नाम:** महात्मा (संत) - रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा (1917), मलंग बाबा/ नंगा बाबा - कबाइलियों द्वारा (1930), अर्धनग्न फकीर - विंस्टन चर्चिल द्वारा (1931), राष्ट्रपिता - नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा (1944)
- **यूनेस्को:** 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस (अहिंसा दिवस) घोषित किया
- अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग **(UPSC 2019)**

दक्षिण अफ्रीका में गांधी (1893-1914)

- **1893:** दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान
- **1894:** नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना
- **1899:** बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एंबुलेंस सैन्य दल की स्थापना
- **1904:** इंडियन ओपिनियन पत्रिका और फीनिक्स फार्म की शुरुआत
- **1906:** ट्रान्सवाल में एशियाटिक अध्यादेश के खिलाफ पहला सत्याग्रह आरंभ
- **1907:** ट्रान्सवाल में एशियाई लोगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पास (ब्लैक एक्ट) के खिलाफ सत्याग्रह
- **1908:** जोहान्सबर्ग में पहली बार जेल की सजा
- **1910:** जोहान्सबर्ग के पास टॉलस्टॉय फार्म (बाद में गांधी फार्म) की स्थापना
- **1913:** केप टाउन में गैर-ईसाई विवाहों की मान्यता न होने के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व
- **1914:** दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत लौटे और बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एंबुलेंस सैन्य दल की स्थापना के लिए कैसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित हुए।

भारत में सक्रिय राजनीति (1915-47)

- **1915:** 9 जनवरी को बॉम्बे पहुँचे; 20 मई को अहमदाबाद के पास कोचराब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना।
- **1916:** सक्रिय राजनीति से दूर रहे; हालाँकि, 26-31 दिसंबर 1916 को आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया, जहाँ बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने उनसे चंपारण आने का अनुरोध किया।
- **1917:** चंपारण सत्याग्रह: भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन।
- **1918:** अहमदाबाद संघर्ष (फरवरी): पहली बार भूख हड़ताल का उपयोग। खेड़ा सत्याग्रह (मार्च): पहला असहयोग आंदोलन।
- **1919:** 6 अप्रैल: रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान, 13 अप्रैल: जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बंगाल का स्वर्ण पदक लौटाया, नवंबर: अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए।
- **1920-22:** असहयोग आंदोलन का नेतृत्व (1 अगस्त 1920-12 फरवरी 1922); चौरी चौरा घटना (5 फरवरी 1922) के बाद समाप्त।
- **1924:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अध्यक्ष चुने गए (पहली और आखिरी बार)।
- **1925-31:** सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति (1925); कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। 1927 में राजनीति में लौटे।
- **1930-34: सविनय अवज्ञा आंदोलन:** 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च (नमक सत्याग्रह) शुरू किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया (7 सितंबर - 1 दिसंबर 1931)। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू (3 जनवरी 1932 - 7 अप्रैल 1934)।
- **1934-40:** सक्रिय राजनीति से दूसरी सेवानिवृत्ति, सेवाग्राम (वर्धा आश्रम) की स्थापना।
- **1940-42:** राजनीति में वापसी; व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।
- **1942:** "करो या मरो" के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व (9 अगस्त)।
- **1942-44:** पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद (9 अगस्त 1942 - 6 मई 1944); पत्नी कस्तूरबा (22 फरवरी 1944) और सचिव महादेव देसाई के साथ। यह उनकी अंतिम जेल अवधि थी।
- **1945-46:** कांग्रेस में प्रभाव में कमी महसूस की। सांप्रदायिक हिंसा से व्यथित, मुस्लिम लीग की "डायरेक्ट एक्शन" कॉल के परिणामस्वरूप नोआखाली (पूर्वी बंगाल - अब बांग्लादेश) और बाद में कोलकाता गए ताकि सांप्रदायिक शांति स्थापित की जा सके।

- **1947:** माउंटबेटन योजना (विभाजन योजना, 3 जून) से व्यथिता भारत की स्वतंत्रता (15 अगस्त) पर मौन व्रत धारण किया। दिल्ली यात्रा (सितंबर 1947)।
- **1948:** 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा बिड़ला हाउस, नई दिल्ली में संध्या प्रार्थना सभा के रास्ते में गोली मारकर हत्या की गई। अंतिम शब्द: "हे राम!"

दक्षिण अफ्रीका प्रकरण

- वह वर्ष 1893 में एक मुक्किल **दादा अब्दुल्ला** से जुड़े एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे।
- एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को देखते हुए, उन्होंने इस तरह के अन्याय के खिलाफ भारतीय श्रमिकों को संगठित करने के लिए वहाँ रुकने का फैसला किया।
- **श्रमिकों को-**
 - मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था।
 - उन्हें कुछ निर्धारित एवं अस्वच्छ स्थानों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था।
- **संघर्ष का उदारवादी चरण (1894-1906)**
 - आधिकारिक चैनलों के माध्यम से समस्या निवारण की आशा करते हुए, उन्होंने ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के समक्ष याचिकाएँ एवं ज्ञापन प्रस्तुत किए।
 - उन्होंने विभिन्न भारतीय समूहों को एकजुट करने के लिए **नटाल इंडियन कांग्रेस** की स्थापना की और **इंडियन ओपिनियन** अखबार शुरू किया।

निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण (1906-1914)

- **पहला सत्याग्रह** उस कानून के खिलाफ था जिसके तहत भारतीयों को उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता थी।
- उनके अन्य आंदोलन भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य घोषित करने वाले नियमों के विरुद्ध थे।
- आंदोलन में भेदभावपूर्ण प्रावधानों की अवहेलना करने के क्रम में **असहयोग और दंड सहना** शामिल था।
- भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के समर्थन में जनमत जुटाया, यहाँ तक कि उन्हें **वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग से निंदा** का शिकार भी होना पड़ा।
- अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने मत्दान कर, पंजीकरण प्रमाणपत्र और भारतीय संस्कारों के अनुसार विवाह से संबंधित प्रमुख भारतीय माँगों को स्वीकार कर लिया।

भारत में गांधीजी का आगमन

- जनवरी 1915 में गांधीजी भारत वापस लौटे।
- जनता की स्थिति को समझने के लिए एक वर्ष तक देश का दौरा किया और शुरू में कोई भी राजनीतिक पद लेने से परहेज किया।
- उन्होंने उदारवादी राजनीति पर संदेह व्यक्त किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान **होमरूल आंदोलन का समर्थन नहीं** किया।

चंपारण सत्याग्रह (1917): पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन

- **कारण:** चंपारण, बिहार में किसानों को नील उत्पादकों द्वारा टिनकठिया प्रणाली के तहत शोषित किया जाता था। यह व्यवस्था यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा 19वीं सदी के प्रारंभ में लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। **UPSC (2020)**
- चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने वाला पहला किसान आंदोलन था। **UPSC (2018)**
- **गांधी को निमंत्रण:** स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को चंपारण आने और किसानों की स्थिति को जानने का आग्रह किया। इस आंदोलन में अन्य प्रमुख नेताओं ने गांधीजी का साथ दिया, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल-हक, महादेव देसाई, नरोहरि पारेख और जे.बी. कृपलानी शामिल थे।
- **चंपारण आगमन और सविनय अवज्ञा:** चंपारण पहुँचने पर गांधीजी को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह गांधीजी का पहला नागरिक अवज्ञा प्रदर्शन था, जो अन्य नेताओं जैसे तिलक और एनी बेसेंट के रुख से भिन्न था, जिन्होंने ऐसे आदेशों का पालन किया था।
- **जाँच:** प्रारंभिक विरोध के बाद, गांधीजी को एक सरकारी समिति के साथ जाँच करने की अनुमति मिली। उन्होंने 8,000 किसानों से साक्ष्य एकत्र किए और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत किया।
- गांधी जी ने टिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने और किसानों से ली गई अवैध वसूली के लिए मुआवजे की माँग की।
- **मुआवजा समझौता:** गांधीजी ने किसानों को 25% मुआवजा दिलाने में सफलता पाई। इसके परिणामस्वरूप नील उत्पादकों ने एक दशक के भीतर क्षेत्र को छोड़ दिया।
- **महत्त्व:** यह भारत में गांधीजी की पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता थी। इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध की नींव रखी और भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल स्थापित की।
- **अन्य प्रमुख नेता:** इस आंदोलन में ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभुशरण वर्मा जैसे प्रमुख नेताओं ने भी योगदान दिया।

अहमदाबाद मिल हड़ताल (फरवरी 1918): पहली भूख हड़ताल	● विवाद: अहमदाबाद के सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को समाप्त करने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। ● संदर्भ: मजदूरों ने प्रथम विश्व युद्धकालीन महंगाई के चलते 50% वेतन वृद्धि की माँग की जबकि मिल मालिक केवल 20% वृद्धि देने को तैयार थे। ● मदद की अपील: मिल मालिक अंबालाल सराभाई की बहन अनुसूया सराभाई ने गांधीजी से इस विवाद में मध्यस्थता करने का अनुरोध किया। ● गांधीजी की पैरवी: अंबालाल से मित्रता के बावजूद, गांधीजी ने मजदूरों का समर्थन किया। उन्होंने 50% वृद्धि की माँग के बजाय 35% वेतन वृद्धि का सुझाव दिया। ● विवाद का उग्र होना: तनाव बढ़ा जब मिल मालिकों ने मजदूरों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया और उनकी जगह मुंबई से बुनकरों को लाने की कोशिश की गई। ● अहिंसक दृष्टिकोण: गांधीजी ने मजदूरों से अहिंसक हड़ताल का आह्वान किया और शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया। ● अनशन: जब मजदूर थकने लगे और बैठकों में उपस्थिति कम होने लगी, तो गांधीजी ने अनशन पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने भूख हड़ताल करके मजदूरों के मनोबल को बढ़ाया और अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। ● प्रभाव: गांधीजी के अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव बनाया कि वे विवाद को गंभीरता से हल करें। ● न्यायाधिकरण का निपटारा: अंततः मिल मालिक विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष ले जाने के लिए तैयार हो गए। ● परिणाम: न्यायाधिकरण ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय सुनाया और उन्हें 35% वेतन वृद्धि दी। यह भारत में अहिंसक श्रमिक आंदोलनों की पहली बड़ी जीत थी।
खेड़ा सत्याग्रह (मार्च 1918): पहला असहयोग आंदोलन	● समस्या: गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण सूखा और फसल खराब होने के कारण किसानों ने भूमि राजस्व कर देने से इनकार कर दिया। किसानों ने राजस्व संहिता के आधार पर कर माफी के लिए याचिका दायर की। ● सरकारी प्रतिक्रिया: सरकार ने किसानों की याचिका खारिज कर दी और कर संग्रहण बंद करने से इनकार कर दिया। कर न चुकाने पर किसानों की संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई। ● गांधी की भूमिका: गांधी जी ने किसानों का आध्यात्मिक नेतृत्व किया और कर न चुकाने की अपील की। ● सरदार पटेल का नेतृत्व: सरदार वल्लभभाई पटेल ने व्यावहारिक नेतृत्व प्रदान किया। गांधीवादी कार्यकर्ता जैसे नरहरि पारेख, मोहनलाल पंड्या, और रविशंकर व्यास ने ग्रामीणों को संगठित किया और समर्थन जुटाया। ● समर्थन और सामाजिक एकता: आंदोलन को खेड़ा के विभिन्न जातीय और वर्गीय समूहों का समर्थन मिला। गुजरात के अन्य हिस्सों के लोगों ने आंदोलनकारियों की सहायता की, उनके परिवारों और संपत्तियों को आश्रय दिया। जब्त जमीन खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। ● परिणाम: सरकार ने अंततः भूमि कर को वर्तमान और अगले वर्ष के लिए निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। कर दरों में वृद्धि कम कर दी गई और जब्त की गई सारी संपत्ति लौटा दी गई। ● चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से लाभ: चंपारण, अहमदाबाद, और खेड़ा सत्याग्रह गांधीजी की राजनीतिक शैली एवं अहिंसक आंदोलन की कार्यप्रणाली के जीवंत उदाहरण बने।

रौलेट एक्ट

प्रसंग	मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) से ठीक पहले पेश किया गया था। रौलेट एक्ट 'देशद्रोह समिति' की सिफारिशों पर आधारित था।
उद्देश्य	असहमति को दबाने के लिए सरकार को असाधारण शक्तियों से सशक्त बनाना।
विवरण	आधिकारिक तौर पर इसका नाम 'अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम' रखा गया, जिसे आमतौर पर रौलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है।
सिफारिश	'देशद्रोही षडयंत्र' की जाँच के लिए रौलेट आयोग का प्रस्ताव।
प्रावधान	न्यायिक हस्तक्षेप के बिना मुकदमे की अनुमति, राजद्रोह के संदेह पर वारंट के बिना गिरफ्तारी और बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन।
प्रभाव	युद्ध के समय बोलने और एकत्र होने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह-पहली सामूहिक हड़ताल	● गांधीजी की प्रतिक्रिया: रौलेट एक्ट को "काला अधिनियम" कहा गया, बड़े पैमाने पर विरोध का आह्वान किया गया। किसान, कारीगर और शहरी गरीब संघर्ष में सक्रिय हो गए। ● विरोध के रूप: राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारी। मुहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एवं मजहर-उल हक सहित सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ● प्रारंभ तिथि: 6 अप्रैल, 1919 ● हिंसक प्रदर्शन: कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में 1857 के बाद सबसे बड़ा ब्रिटिश विरोधी विद्रोह देखा गया। ● गांधीजी का दृष्टिकोण: गांधीजी ने होम रूल लीग्स, पैन-इस्लामिस्ट समूहों और सत्याग्रह सभा जैसे राजनीतिक नेटवर्क का उपयोग किया। कोलकाता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन एवं हिंसा हुई। ● सरकारी दमन: ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को सरकार द्वारा कठोर दमन का सामना करना पड़ा। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डायर के नेतृत्व में सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया जिसमें हवाई जहाज का इस्तेमाल भी शामिल था। अशांति को शांत करने के प्रयास में महात्मा गांधी पंजाब जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें बंबई भेज दिया गया। बंबई पहुँचने पर, उन्होंने बंबई और अपने गृह राज्य गुजरात में अशांति पाई जिसके कारण उन्होंने वहीं रुक कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया।

जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919)

पृष्ठभूमि:

- अमृतसर (पंजाब) हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित, दुकानें बंद कर नाराजगी दिखाई गई। राष्ट्रवादी नेताओं में **सैफुद्दीन किचलू तथा डॉ. सत्यपाल** की गिरफ्तारी के कारण विरोध प्रदर्शन और भी तीव्र हो गया।
- **सेना का हस्तक्षेप:** ब्रिगेडियर-जनरल **रेजिनल्ड डायर** ने व्यवस्था बहाल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया।
- **उद्घोषणा (13 अप्रैल, बैसाखी):** जुलूस, प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए।
- **घटना:** सैनिकों ने जलियाँवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कर दी, जिससे हजारों लोग हताहत हुए।

हंटर समिति:

पृष्ठभूमि	जलियाँवाला बाग नरसंहार ने एक जाँच को प्रेरित किया। इसलिए, भारत के राज्य सचिव, एडविन मोंटेग्यू ने अव्यवस्था जाँच समिति की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से हंटर समिति के रूप में जाना जाता है।
अध्यक्ष	लॉर्ड विलियम हंटर, स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल।
उद्देश्य	बंबई, दिल्ली और पंजाब में उपजी हिंसा एवं उत्पात के कारणों तथा उठाए गए कदमों की जाँच करना।
समिति के 3 सदस्य भारतीय थे	• सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति। • पंडित जगत नारायण, वकील और विधान परिषद के सदस्य। • सरदार साहिबज्जादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के एक वकील।
हंटर समिति की रिपोर्ट (मार्च 1920)	• डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसकी गोलीबारी से पहले तितर-बितर होने के लिए नोटिस न जारी करने के कारण निंदा की गई, उसे अधिकार की सीमा से बाहर जाने के लिए दोषी ठहराया गया था। • अल्पसंख्यक रिपोर्ट (भारतीय सदस्य) का आंकलन: • निर्दोष लोग मौजूद थे; • जलियाँवाला बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी और डायर के कार्यों को "अमानवीय तथा गैर-ब्रिटिश" माना गया था।
डायर पर कार्रवाई	• क्षतिपूर्ति अधिनियम: कार्रवाई से पहले पारित, अधिकारियों को कानूनी परिणामों से सुरक्षित किया गया; "व्हाइट वाशिंग बिल" के रूप में आलोचना की गई। • डायर की बर्खास्तगी: विंस्टन चर्चिल ने रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए डायर के कृत्य को खतरनाक पाया; मार्च 1920 में डायर को बर्खास्त कर दिया गया। • ब्रिटेन में जनता का समर्थन: डायर की सर्वत्र निंदा नहीं की गई; हाउस ऑफ लॉर्ड्स में समर्थन किया गया; रुडयार्ड किपलिंग सहित कई लोगों ने उसके लिए धन जुटाया।
सिक्ख तीर्थस्थलों और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन पर प्रभाव	• डायर का सम्मान: स्वर्ण मंदिर के गुरु ने डायर को सम्मानित किया जिससे सिक्ख तीर्थ प्रबंधन सुधार की माँग तेज हो गई। • गुरुद्वारा सुधार आंदोलन: तीर्थ प्रबंधन के प्रति असंतोष का परिणाम था।
कांग्रेस का नजरिया	कांग्रेस कमेटी (मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास तैयबजी, एम.आर. जयकर और गांधीजी) ने डायर के कृत्य की अमानवीयता के रूप में आलोचना की तथा माना कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने का कोई औचित्य नहीं था।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

पृष्ठभूमि

प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा तुर्की के साथ दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत मुद्दा उभरा। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता (खलीफा) मानते थे और तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश कार्रवाई से भारत में भी मुसलमान नाराज थे।

- कांग्रेस का अनुमान है कि इस कांड में 1,000 से अधिक लोग मारे गए और 1,500 लोग घायल हुए।

परिणाम:

- पंजाब में मार्शल लॉ, निवासियों पर क्रूरता, सार्वजनिक कोड़े लगाना और अपमान।
- रबींद्रनाथ टैगोर ने **नाइटहुड** की उपाधि का त्याग कर दिया।
- गांधीजी ने **कैसर-ए-हिन्द** की उपाधि छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि 'शैतानी शासन' के साथ सहयोग असंभव था।
- गांधीजी ने **18 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह वापस** ले लिया और कहा कि उन्होंने "हिमालयी भूल" की है।
- **विरासत:** भगत सिंह की सक्रियता को प्रभावित किया; बाद में **उधम सिंह ने माइकल ओ-डायर की हत्या** कर दी।

खिलाफत कमेटी का गठन

1919 की शुरुआत में, अली बंधुओं (शौकत अली और मुहम्मद अली), मौलाना आजाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया और तुर्की के प्रति अपना रुख बदलने का आग्रह किया।

माँगें: मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखना चाहिए और क्षेत्रीय प्रबंधन के बाद खलीफा को अपने पास पर्याप्त क्षेत्र रखना चाहिए।

असंतोष के कारण:

- **आर्थिक कठिनाइयाँ:** बढ़ती कीमतें, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और बढ़े हुए करों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भावना को प्रज्वलित किया।
- **दमनकारी उपाय:** रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, और जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की क्रूर प्रकृति को उजागर किया।
- **त्रुटिपूर्ण जाँच:** हंटर कमेटी को अप्रभावी मानते हुए आलोचना की गई जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की कार्यवाही का समर्थन किया और उसके लिए धन जुटाया।
- **अपराध सुधार:** 1919 के मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय स्वशासन की माँगों को पूरा करने में असफल रहे, जिससे असंतोष बढ़ा।
 - 1920 की शुरुआत तक, ब्रिटिश शासन के औचित्य कमजोर पड़ने लगे जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता को बल मिला।

राजनीतिक एकता के प्रमुख कारण:

- **लखनऊ समझौता (1916):** कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया।
- **रॉलेट एक्ट आंदोलन:** साम्राज्यवाद के खिलाफ विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट किया।
- **क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का उदय:** मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिससे रूढ़िवादी धड़े कमजोर पड़ गए।

उग्रवाद की ओर बदलाव

प्रारंभ में, खिलाफत आंदोलन में बैठकें और याचिकाएँ जैसे शांतिपूर्ण उपाय शामिल थे। हालाँकि, यह धीरे-धीरे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत करते हुए अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो गया।

गांधी की भागीदारी

अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधीजी ने इस मुद्दे को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट (हिंदू और मुस्लिम) जन असहयोग आंदोलन के मंच के रूप में देखा।

कांग्रेस का रुख और मुस्लिम लीग का समर्थन

- **कांग्रेस का प्रभाग:**
 - गांधीजी ने खिलाफत मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने का समर्थन किया। हालाँकि, कांग्रेस शुरू में राजनीतिक कार्यवाही के इस रूप पर बैठी हुई थी।
 - तिलक ने धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने का विरोध किया और राजनीतिक हथियार के रूप में सत्याग्रह पर संदेह किया। गांधीजी ने तिलक को सत्याग्रह के गुणों और खिलाफत मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के साथ गठबंधन की आवश्यकता के बारे में समझाने का प्रयास किया।
 - अंततः कांग्रेस ने गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।

कांग्रेस समर्थन के कारण:

- हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना।
- पंजाब की घटनाओं और पक्षपातपूर्ण हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद संवैधानिक संघर्ष में विश्वास की कमी।
- औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध असंतोष व्यक्त करने की जनता की उत्सुकता को पहचानना।

मुस्लिम लीग का समर्थन:

- लीग ने अपने लक्ष्यों को व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ते हुए, राजनीतिक प्रश्नों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

- **फरवरी 1920:** यदि शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट करने में विफल रहीं तो गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए तत्परता की घोषणा की।
- **मई 1920:** सेवर्स की संधि ने तुर्की को खंडित कर दिया था, जिससे खिलाफत का मुद्दा तीव्र हो गया।
- **जून 1920:** इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन ने गांधीजी के नेतृत्व में बहिष्कार कार्यक्रम को मंजूरी दी।
- **31 अगस्त, 1920:** खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू करते हुए असहयोग अभियान शुरू किया।
- **सितंबर 1920:** कांग्रेस (कलकत्ता में एक विशेष सत्र में) ने पंजाब और खिलाफत के मुद्दों का समाधान होने तक एक असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी जिसमें स्कूलों, कानून अदालतों, विधान परिषदों, विदेशी वस्तुओं और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार शामिल था।

कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920):

- कांग्रेस ने गैर-संवैधानिक जन-संघर्ष के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलते हुए एक असहयोग कार्यक्रम का समर्थन किया।
- संगठनात्मक परिवर्तन किए गए, गांधीजी ने कार्यक्रम का पालन करने पर एक वर्ष के भीतर स्वराज की भविष्यवाणी की।
- प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषायी आधार पर किया जाएगा।
- कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीकों और आधुनिक संगठनात्मक संरचना पर जोर दिया। इसके अंतर्गत 350 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और 15 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति (वर्किंग कमेटी) का गठन किया गया।
- **प्रस्थान और नए गठबंधन:** कुछ नेता जैसे जिन्ना, एनी बेसेंट, जी.एस. खारपड़े और बी.सी. पाल ने वैध संघर्ष में विश्वास करते हुए कांग्रेस छोड़ दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता नए गठबंधन या छोटे राजनीतिक संगठन बनाने हेतु प्रेरित हुए।
- **संगठनात्मक परिवर्तन:** स्थानीय संचार में सुधार के लिए प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया। भागीदारी को प्रोत्साहित करने और संचालन को सरल बनाने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क को घटाकर चार आना कर दिया गया। संचार में हिंदी को प्राथमिकता दी गई।

- **खिलाफत समिति और कांग्रेस की पहल:** कांग्रेस और खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन के लिए एकजुट होकर तीन मुख्य उद्देश्यों पर जोर दिया:
 - खिलाफत मुद्दे को सुलझाना।
 - पंजाब में हुए अत्याचारों को सुधारना।
 - स्वराज प्राप्त करना।

जून 1920 की बैठक:

खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन के लिए चार चरणों की योजना बनाई:

- मानद उपाधियों का त्याग।
- सिविल सेवाओं, पुलिस, और सैन्य पदों से इस्तीफा।
- करों का भुगतान न करना।

सात-सूत्रीय असहयोग कार्यक्रम (सितंबर 1920)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए एक सात-सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

- उपाधियों और मानद पदों का त्याग
- सरकारी दरबारों और आधिकारिक कार्यों से दूर रहना
- सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार करना
- ब्रिटिश अदालतों से बचना
- मेसोपोटामिया सेवा में सभी वर्गों की भागीदारी का विरोध करना,
- प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा चुनावों में भाग लेने से परहेज करना
- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

गांधीजी के दौरों ने जनता का समर्थन प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1921 में लगभग 30,000 गिरफ्तारियाँ हुईं जबकि कुछ नेता शुरू में परिषदों के बहिष्कार का विरोध करते हैं, वे अंततः कांग्रेस के अनुशासन के साथ संरेखित हो जाते हैं।

- **विभिन्न समूहों की प्रतिक्रिया:** असहयोग आंदोलन ने वर्ष 1921 और वर्ष 1922 में लोकप्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से बंगाल के क्रांतिकारी समूहों ने कांग्रेस की पहल का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेता कांग्रेस से दूरी बना लेते हैं तथा संवैधानिक उपायों की वकालत करते हैं। वहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय उदार महासंघ का गठन करते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में एक मामूली भूमिका निभाता है।

आंदोलन का प्रसार

- **राष्ट्रव्यापी यात्रा:** गांधीजी और अली भाई।
- **शैक्षिक बहिष्कार:** छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और आचार्य नरेंद्र देव, सी.आर. दास, लाला लाजपत राय, ज़ाकिर हुसैन और सुभाष बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में 800 राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों, जैसे जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ एवं बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए।
- **वकील और पेशेवर शामिल हुए:** मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी और वल्लभभाई पटेल जैसे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी।
- **सार्वजनिक प्रदर्शन:** विदेशी कपड़ा जलाना, विदेशी शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, तिलक स्वराज कोष में अधिक अभिदान (एक करोड़ रुपये एकत्रित)।

- **कांग्रेस स्वयंसेवक दल:** सरकार को चुनौती देने वाली समानांतर पुलिस बल के रूप में कांग्रेस स्वयंसेवक दल कार्यरत रहा। जुलाई 1921 में, अली भाइयों ने मुसलमानों से धार्मिक कारणों से सेना से इस्तीफा देने का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर में उनकी गिरफ्तारी हुई। गांधीजी ने इस पहल का समर्थन किया और स्थानीय कांग्रेस समितियों से इसी तरह के प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया।
- **सविनय अवज्ञा का पहल:** स्थानीय आंदोलन जैसे बंगाल और आंध्र में कर-मुक्त विरोध, असम में हड़ताल, पंजाब में सिक्ख आंदोलन, अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन एवं मोपला विद्रोह।
- नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के प्रभाव से पूरे भारत में हड़तालें और प्रदर्शन शुरू हो गए।

असहयोग आंदोलन पर जनता की प्रतिक्रिया

- **मध्यम वर्ग:** आंदोलन की अगुवाई मध्यम वर्ग ने की, लेकिन कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे अभिजात्य केंद्रों में गांधीजी के सरकारी पदों से इस्तीफे के आह्वान को लेकर संदेह था। राजेंद्र प्रसाद और वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं ने इसे आतंकवाद का एक व्यावहारिक विकल्प माना।
- **व्यापारी वर्ग:** आर्थिक बहिष्कार को समर्थन मिला, जिससे स्वदेशी के माध्यम से भारतीय व्यापारियों को लाभ हुआ। हालाँकि, बड़े व्यापारी मजदूर-अशांति के डर से सतर्क थे।
- **किसान:** किसानों ने प्रमुख भूमिका निभाई, बिहार में जमींदारों के खिलाफ वर्ग संघर्ष को असहयोग आंदोलन के एजेंडे से जोड़ा।
- **छात्र:** छात्र सक्रिय रूप से शामिल हुए, उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़कर काशी विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थानों का रुख किया।
- **महिलाएँ:** महिलाओं ने पर्दा छोड़ दिया, तिलक फंड में योगदान दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में भाग लिया।
- **हिंदू-मुस्लिम एकता:** मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद, मुसलमानों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। कई गिरफ्तारियों में मुसलमान शामिल थे, जिनका समर्थन गांधीजी ने समुदायों तक अपनी पहुँच बढ़ाकर किया।

सरकार की प्रतिक्रिया

- **मई 1921 वार्ता टूटना:** गांधीजी और वायसराय रीडिंग के बीच बातचीत विफल रही, क्योंकि सरकार चाहती थी कि गांधीजी अली बंधुओं को उनके भाषणों से हिंसा का संकेत देने वाले हिस्सों को खत्म करने के लिए मना लें।
- **दिसंबर 1921 कार्रवाई:** सरकारी कार्रवाई में स्वयंसेवी वाहिनी को अवैध घोषित करना, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाना, प्रेस सेंसरशिप लगाना और गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करना शामिल था।

आंदोलन का अंतिम चरण

- वर्ष 1921 में सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए कांग्रेस सदस्यों की ओर से गांधीजी पर दबाव बढ़ गया।
- अहमदाबाद अधिवेशन (1921) ने गांधी को इस मामले पर एकमात्र प्राधिकारी नियुक्त किया।
- सी.आर. दास ने जेल में रहते हुए सत्र की अध्यक्षता की, हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष थे।

- 1 फरवरी, 1922 को गांधीजी ने बारदोली, गुजरात से सविनय अवज्ञा की धमकी दी, जब तक कि राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर नियंत्रण नहीं हटा लिया गया। आंदोलन शुरू होने के कुछ देर बाद ही अचानक रोक दिया गया।

चौरी-चौरा घटना (5 फरवरी, 1922)

- स्थान:** चौरी-चौरा, गोरखपुर जिला, संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश)।
- उकसाने वाली घटना:** शराब की बिक्री और खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्वयंसेवकों के एक नेता को पुलिस ने पीटा। इसके बाद पुलिस ने थाने के पास प्रदर्शन कर रही भीड़ पर फायरिंग कर दी।
- हिंसक विस्फोट:** पुलिस की कार्रवाई से उत्तेजित भीड़ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी। हिंसा में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया तथा वापस आग में फेंक दिया गया।
- गांधीजी की प्रतिक्रिया और आंदोलन वापसी:** चौरी-चौरा घटना के बाद आंदोलन से जुड़ी बढ़ती हिंसा से निराश गांधीजी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।
- कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय (बारदोली, फरवरी 1922):** कांग्रेस कार्य समिति बारदोली में एकत्रित हुई और कानून तोड़ने वाली गतिविधियों को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित किया जिसमें खादी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, संयम की वकालत करना, हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ना शामिल था।
- गांधीजी की गिरफ्तारी और अदालत की सजा:** मार्च 1922 में छह साल की जेल हुई। उनके यादगार अदालती भाषण में उन्होंने एक नागरिक के सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में उच्चतम दंड का सामना करने की उनकी इच्छा पर जोर दिया।

घटना पर विविध विचार

- सुभाषचंद्र बोस का नजरिया:** इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए आंदोलन वापस लेने के फैसले पर नाराजगी जताई। जेल में बंद नेताओं, जैसे देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने इस नाराजगी को साझा किया।

- मार्क्सवादी व्याख्या:** आंदोलन की समाप्ति को जनता के बीच बढ़ती अशांति और कट्टरवाद के बीच “सुरक्षित चैनलों” के भीतर बनाए रखते हुए, जो एक क्रांतिकारी जन आंदोलन बन रहा था उसे नियंत्रित करने के लिए गांधीजी और कांग्रेस नेताओं के प्रयास के रूप में देखता है।
- गांधी का रुख:** गांधी ने आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए किसी भी पीड़ा या अपमान को सहने की इच्छा बताते हुए अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
- नेताओं की प्रतिक्रियाएँ:** सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन वापस लेने के गांधीजी के फैसले पर हैरानी और असहमति व्यक्त की।

खिलाफत असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन:

- शहरी मुसलमानों को शामिल करना:** शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, लेकिन कुछ हद तक राष्ट्रीय राजनीति के सांप्रदायिकरण में योगदान दिया।
- धार्मिक राजनीतिक चेतना बढ़ाने में विफलता:** राष्ट्रीय नेताओं ने मुस्लिम धार्मिक राजनीतिक चेतना को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना के स्तर तक नहीं बढ़ाया।
- राष्ट्रवादी भावनाएँ और लामबंदी:** इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों- कारीगरों, किसानों, छात्रों, शहरी गरीबों, महिलाओं और व्यापारियों आदि में राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किया।
- क्रांतिकारी प्रभाव:** लाखों व्यक्तियों के राजनीतिकरण और सक्रियता ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी चरित्र से भर दिया।
- औपनिवेशिक शासन के मिथकों को चुनौती:** उदारवादी राष्ट्रवादियों की आर्थिक आलोचना ने इस धारणा को नष्ट कर दिया था कि औपनिवेशिक शासन से भारतीयों को लाभ हुआ था। सत्याग्रह ने जन संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक अजेयता के मिथक का मुकाबला किया।
- औपनिवेशिक शासन का भय कम हुआ:** आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन और उसके दमनकारी तंत्र के प्रचलित भय को दूर करते हुए, जनता के बीच निडरता की भावना पैदा की।



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

UPSC

**FOUNDATION
COURSES**



**Live/Recorded
G.S. Classes**



**CSAT
Classes**



**Daily MCQs +
Mains Question**



**Regular Doubt
Sessions**

6

वैचारिक धाराएँ और राजनीतिक यथार्थ: 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रवाद

स्वराजवादी और समाजवादी विचारों का उदय

- वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने तथा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं में असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई। राष्ट्रवादी दल अलग अलग खेमों में विभाजित हो गए, जिससे दो अलग-अलग गुट -स्वराजवादी (Swarajists) और अपरिवर्तनवादी (No-Changers) का निर्माण हुआ।

प्रमुख बिंदु	स्वराजवादी	अपरिवर्तनवादी
प्रमुख नेता	सी.आर.दास, मोतीलाल नेहरू	सी. राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी
स्वराजवादी पार्टी का गठन	वर्ष 1922 में गया में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव के स्वीकार न होने के बाद 1 जनवरी 1923 में इसका गठन हुआ। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके उन्हें “झूठी संसदों” (Sham Parliaments) के रूप में उजागर करना था।	गांधीजी के नेतृत्व में विधान परिषदों के बहिष्कार को जारी रखने पर जोर दिया गया तथा सामाजिक सुधार, खादी और ग्रामीण उत्थान के रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य रणनीति	राष्ट्रवादी मांगें पूरी न होने पर विधान परिषदों में शामिल होकर उनकी कार्यवाही को बाधित करना। नारा (slogan): “समाप्त करो या सुधारो”।	परिषदों का पूर्ण बहिष्कार। रचनात्मक कार्य (खादी, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार) पर ध्यान केन्द्रित करना, भविष्य में होने वाले सविनय अवज्ञा के लिए तैयार होना।
मुख्य उपलब्धियाँ	परिषदों में चुनावी विजय प्राप्त की, कुछ प्रस्ताव पारित किए, सरकारी नीतियों की आलोचना की। परिषदों की सीमाओं को लोगों के समक्ष उजागर किया।	अनेक रचनात्मक कार्य किए गए, परिषदों का बहिष्कार, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, खादी और भविष्य के सविनय अवज्ञा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया।
प्रयासों का परिणाम	आरंभिक सफलता तो मिली, परंतु स्वराजवादी पार्टी को सांप्रदायिक तनाव सहित आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वर्ष 1925 में प्रमुख नेतृत्वकर्ता सी.आर. दास की मृत्यु के बाद पार्टी का पतन हो गया।	रचनात्मक कार्य और जन संघर्ष के लिए दीर्घकालिक अहिंसक तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, आंतरिक विभाजन या अलगाव को सीमित रखा।
गांधीजी का दृष्टिकोण	शुरुआत में गांधी ने स्वराजवादियों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि परिषदों में उनके शामिल होने से जन आंदोलनों से ध्यान हट जाएगा। वर्ष 1923 के चुनावों के बाद, उन्होंने उनकी भागीदारी का समर्थन किया।	गांधी जी ने अपरिवर्तनवादी नीति का नेतृत्व किया, उनका मानना था कि बहिष्कार की नीति को बनाए रखना आवश्यक है। अंततः वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में स्वराजवादियों के साथ समझौता हो गया।
चुनौतियों का सामना	आंतरिक विभाजन, गठबंधन निर्माण में असमर्थता, राष्ट्रवादी मंच को पूरी तरह बनाए रखने में विफलता और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।	बहिष्कार को बनाए रखने और रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तथा परिषदों में शामिल होने से मना किया।
स्वराजवादीयों की विधायी कार्यवाहियाँ	स्वराजवादियों ने परिषदों की कार्यवाहियों में व्यवधान उत्पन्न किया, स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किये, नागरिक स्वतंत्रता की मांग की और ब्रिटिश दमनकारी नीतियों को उजागर किया।	अपरिवर्तनवादियों ने विधान परिषदों में शामिल होने से इनकार किया, तथा इसके स्थान पर रचनात्मक कार्यक्रमों और भविष्य के सविनय अवज्ञा आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित किया।
रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता	स्वराजवादियों ने अपरिवर्तनवादियों के रचनात्मक कार्य की आलोचना की क्योंकि उनकी गति अत्यधिक धीमी थी। खादी, शिक्षा और हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों को स्वीकार करते हुए, उनका मानना था कि इससे ब्रिटिश शासन पर तत्काल प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वे रचनात्मक प्रयासों की तुलना में सविनय अवज्ञा और असहयोग के पक्षधर थे, उनका तर्क था कि स्वराज के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के साधन के रूप में ये अधिक प्रभावी हैं।	अपरिवर्तनवादियों ने सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, खादी, चरखा को बढ़ावा देने और आदिवासियों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए खेड़ा और बारदोली (गुजरात) में आश्रम स्थापित किए। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता उन्मूलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए कार्य किये। प्रमुख पहलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित करना तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत प्रदान करना शामिल था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की रीढ़ थी।

1920 के दशक में भारत में नई शक्तियों का उदय

भारत में वामपंथी आंदोलन की उत्पत्ति: वामपंथी आंदोलन (Left Movement) का विकास कई प्रमुख कारकों से प्रभावित था:

- **भारतीय उद्योगों का विकास:** आर्थिक प्रगति के परिणामस्वरूप नए राजनीतिक विचारों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।
- **प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तनाव:** प्रथम विश्व युद्ध ने विद्यमान आर्थिक कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया।
- **बोलशेविक क्रांति की सफलता:** युवा राष्ट्रवादियों को भारत की सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों के लिए क्रांतिकारी समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।

प्रमुख व्यक्ति और उनका योगदान

- **एम.एन. रॉय:** भारत में साम्यवादी विचारों (Communist Ideas) को विकसित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी; इन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना की।
- **जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस:** कांग्रेस के वामपंथी दल के प्रभावशाली नेता, जो समाजवादी विचारों से प्रभावित थे।
- **एस.ए. डांगे:** वर्ष 1924 के कानपुर बोलशेविक षड्यंत्र मामले में शामिल थे। साम्यवादी विचारों के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)

- **स्थापना:** वर्ष 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की औपचारिक स्थापना कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन में हुई थी। वर्ष 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस में सरकारी दमन का सामना करने के बावजूद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मार्क्सवादी विचारों को बढ़ावा दिया और अपनी वामपंथी उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।

भारत में वामपंथी आंदोलन

भारत में साम्यवाद: रूसी क्रांति के बाद साम्यवादी विचारधाराओं को बल मिला, वर्ष 1925 में CPI's की स्थापना ने भारत में संगठित साम्यवादी प्रयासों को चिह्नित किया।

- **विकास और विभाजन:** भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) को आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण CPI(M) जैसे गुटों का निर्माण हुआ।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP)

- **स्थापना:** 17 मई, 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विरोध करते हुए सहकारी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र किसानों और स्थानीय शासन का समर्थन किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) ने कांग्रेस के अंदर कट्टरपंथी उपायों को अपनाने पर बल दिया, जिसमें बिचौलियों को समाप्त करना और किसानों का कर्ज माफ करना शामिल था। स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) ने अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने के लिए संघर्ष किया, अंततः नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा समाजवादी एजेंडा अपनाने के कारण यह भंग हो गई।

क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (RSP)

उद्भव और विकास: वर्ष 1940 में बंगाली समाजवादी आंदोलन के तहत इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) ने सोवियत शैली के समाजवाद और गांधीवादी दृष्टिकोण दोनों की आलोचना की। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और केरल में सक्रिय थी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने पूंजीवादी और स्टालिनवादी दोनों मॉडलों का विरोध करते हुए मजदूर वर्ग के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि इसे सीमित चुनावी सफलता ही मिली, लेकिन इसने वामपंथी नीतिगत बहसों एवं मुद्दों को प्रभावित किया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवा सक्रियता का उदय

युवाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने अपनी ऊर्जा और दूरदर्शिता के साथ इसके पथ को आकार दिया।

- **संगठनात्मक मंच:** 1920 और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में, युवाओं ने विचारों के आदान-प्रदान और रणनीति बनाने के लिए छात्र संघ और राजनीतिक विंग की स्थापना की।
- **वर्ष 1928 महत्व:** अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता अनुभवी ज्ञान और युवा जोश के मिलन का प्रतीक थी।
- **सक्रिय भागीदारी:** युवा कार्यकर्ता बहिष्कार, विरोध और अहिंसक प्रतिरोध में शामिल हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे।
- **साहित्यिक प्रभाव:** उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले पैम्फलेट और भूमिगत होकर समाचार पत्र छापने और उन्हें प्रसारित किया।
- **औपनिवेशिक दमन:** अंग्रेजों ने युवाओं के प्रभाव को दबाने के लिए गिरफ्तारियों और निष्कासनों का उपयोग किया, लेकिन ऐसी रणनीति ने उनके प्रतिरोध को और अधिक बढ़ावा दिया।

20वीं सदी के आरंभ में ट्रेड यूनियनवाद का विकास

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना: वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बॉम्बे में की गई थी, जिसने विभिन्न औद्योगिक श्रमिकों के लिए उनके अधिकारों और न्याय का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच निर्मित किया।

उल्लेखनीय हड़तालें और आंदोलन

- **खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप:** खराब कार्य स्थितियों और अनुचित वेतन के विरोध में शुरूआती हड़ताल।
- **टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स:** श्रमिकों ने भेदभावपूर्ण वेतन और कार्य स्थितियों का विरोध किया।
- **बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स:** मिल श्रमिकों द्वारा उचित वेतन, काम के घंटे और सुरक्षित वातावरण की मांग के साथ अत्यधिक अव्यस्थित हड़ताल को अंजाम दिया।
- **प्रमुख उपलब्धियाँ:** मई दिवस का उत्सव: वर्ष 1923 में प्रथम मई दिवस मद्रास में मनाया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक एकजुटता का प्रतीक था और श्रमिकों के अधिकारों पर प्रकाश डालता था।

जातीय आंदोलन

20वीं सदी के आरंभ में भारत में जाति आंदोलन महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक विरोधाभासों और सामाजिक सुधार की आकांक्षाओं को संबोधित किया।

- **आत्म-सम्मान आंदोलन (1925):** ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार) के नेतृत्व में, गैर-ब्राह्मण और द्रविड़ समानता पर ध्यान केंद्रित किया, ब्राह्मण वर्चस्व और तर्कहीनपूर्ण रीति-रिवाजों को चुनौती दी।
- **सत्यशोधक समाज:** 19वीं शताब्दी में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित, निम्न जाति के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित।
- **जस्टिस पार्टी (1916):** इसके तहत मद्रास प्रेसीडेंसी में गैर-ब्राह्मण अभिजात वर्ग ने राजनीतिक वर्ग और नौकरी में आरक्षण की मांग की।
- **अखिल भारतीय गैर-ब्राह्मण सम्मेलन:** गैर-ब्राह्मणों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई।
- **महार आंदोलन:** बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में, महार समुदाय के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **कट्टरपंथी एझावा आंदोलन:** के. अय्यप्पन के नेतृत्व में, एझावा समुदाय की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया।
- **यादव आंदोलन:** इसके द्वारा बिहार में यादव समुदाय की स्थिति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया।

राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस आंदोलन (प्रजा मंडल आंदोलन)

20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रजा मंडल आंदोलन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, विशेषकर रियासतों के अंतर्गत उभरकर आया। वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद, इन आंदोलनों ने जन संगठनों की स्थापना में मदद की, जिनका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन करना और सामंती शासन के अंतर्गत लोगों की शिकायतों का समाधान करना था।

- **सामंतवाद-विरोधी और उपनिवेशवाद-विरोधी:** इन आंदोलनों का उद्देश्य सामंती राजकुमारों और ब्रिटिश प्रशासन दोनों का मुकाबला करना था तथा रियासतों की जनता के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना था।
- **लोकतांत्रिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित:** प्रजा मंडल आंदोलनों की प्राथमिक मांग लोकतांत्रिक अधिकारों और शासन की स्थापना करना था।

राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन

- **हितवर्धक सभा:** इसकी स्थापना मई 1921 में पूना में हुई। यह दक्षिणी रियासतों के लोगों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर केंद्रित थी।
- **अखिल भोर संस्थान प्रजा सभा:** इसकी स्थापना नवंबर 1921 में वामनराव पटवर्धन द्वारा भोर क्षेत्र में की गई थी। यह जनता को प्रभावित करने वाली स्थानीय समस्याओं के निपटान करने पर केंद्रित थी।

क्रांतिकारी गतिविधियाँ (1920 के दशक में चरण-II)

संगठन एवं संबंधित घटनाएँ (वर्ष और स्थान)	संबद्ध व्यक्ति और विवरण
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)/ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) (1924, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार)	● कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन्द्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित। ● इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सरकार को समाप्त करना और संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। ● सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो समाजवादी विचारों की ओर एक वैचारिक बदलाव को दर्शाता है। ● प्रमुख प्रतिभागियों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवतीचरण वोहरा (पंजाब से), और बिजौय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर (संयुक्त प्रांत से) शामिल थे। भौगोलिक रूप से केंद्रित: पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में सक्रिय। ● समाजवाद की ओर परिवर्तित: आरंभ में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गठित HRA ने वर्ष 1928 में स्वयं को HSRA के रूप में पुनः स्थापित किया, जो समाजवाद की ओर इसके झुकाव या परिवर्तन को दर्शाता है। ● चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए समाजवादी दृष्टिकोण का पक्ष लेते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा।

- **अखिल भारतीय जन परिषद संघ:** वर्ष 1927 में बॉम्बे अधिवेशन में रियासतों के राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। रियासतों की जनता के लिए उत्तरदायी शासन और अधिकारों की बात की गई।
- **कांग्रेस की भूमिका:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया, मद्रास अधिवेशन में प्रजा मंडल आंदोलन की मांगों का समर्थन किया और इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष के साथ एकीकृत किया।

प्रजा मंडल आंदोलन में कांग्रेस का योगदान

- कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों, विशेष रूप से गांधीवादी आंदोलन ने प्रजा मंडल आंदोलन को बढ़ावा दिया।
- **राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस:** उड़ीसा में, कांग्रेस नेताओं ने रियासतों की स्थितियों को संबोधित करने के लिए वर्ष 1937 में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे वर्ष 1938 में एच.के. महाताब के नेतृत्व में पुनर्गठित किया गया।
- जुलाई 1937 में उड़ीसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध और अधिक सक्रियता को बढ़ावा दिया।

1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियाँ:

क्रांतिकारी गतिविधि को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक/घटनाएँ

- **रूसी क्रांति (1917) का प्रभाव:** सोवियत संघ की स्थापना ने भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया, जिससे उनके संघर्षों में मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधाराओं का समावेश हुआ।
- **कम्युनिस्ट समूहों का उदय:** नवीन कम्युनिस्ट संगठनों ने मार्क्सवाद का समर्थन किया और क्रांति में सर्वहारा वर्ग की भूमिका पर जोर दिया।
- **प्रकाशनों की भूमिका:** आत्मशक्ति, सारथी और बिजोली जैसी पत्रिकाओं के साथ-साथ सचिन्द्र नाथ सान्याल द्वारा बंदी जीवन और शरतचंद्र चटर्जी द्वारा पाथेर दबी जैसे प्रतिबंधित साहित्य ने क्रांतिकारी बलिदानों का महिमामंडन किया तथा समाजवादी विचारों का प्रसार किया।

नोट: क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण-I (वर्ष 1907-17) पर अध्याय 4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

काकोरी ट्रेन एक्शन (डकैती) (1925, काकोरी, लखनऊ के पास)	- HRA क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8-डाउन ट्रेन को लूटने की योजना को अंजाम दिया गया। - इसके परिणामस्वरूप कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रमुख व्यक्ति रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई।
सॉन्डर्स हत्या (दिसम्बर 1928, लाहौर)	- भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। - साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने गलती से अपने लक्षित जेम्स स्कॉट के स्थान पर जॉन पी. सॉन्डर्स की हत्या कर दी।
केंद्रीय विधान सभा में बम विस्फोट (अप्रैल 1929, दिल्ली)	-भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। बम विस्फोट का उद्देश्य नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि एक संदेश देना था। दोनों का उद्देश्य इस मुकदमे का उपयोग क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के अवसर के रूप में करना था।
मेरठ षडयंत्र केस (1929, मेरठ)	विभिन्न श्रमिक नेताओं और तीन अंग्रेजों पर रेलवे हड़ताल आयोजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। आरोपियों को कई सजाएँ मिलीं, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और भारत में कम्युनिस्ट प्रभावों को लेकर ब्रिटिश चिंताएँ बढ़ गईं।
कानपुर षडयंत्र केस (1924, कानपुर)	मुख्य आरोपी: मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, एस.ए. डांगे, गोपाल बसाका। आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्ट विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
गदर षडयंत्र (1915, विश्वव्यापी/भारत)	- हरदयाल, रघुबीर सिंह और अन्य लोगों के नेतृत्व में। - सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का षडयंत्र रचा। - अनेक षडयंत्रकर्ताओं को फांसी दी गई और अनेक को जेल में डाल दिया गया। इस षडयंत्र ने भारतीय प्रवासियों को संगठित किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय पहलू पर जोर पड़ा।
बरार षडयंत्र केस (1916, बरार)	- आर.एस. निम्बकर और अन्य लोग सशस्त्र विद्रोह भड़काने में शामिल थे। - आरोपियों को अलग-अलग तरीके से सजाएँ दी गईं, जिससे क्रांतिकारियों में आक्रोश बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन का दायरा व्यापक हुआ और अन्य लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा मिली।
बॉम्बे षडयंत्र केस (1917, बॉम्बे)	- प्रमुख व्यक्ति: वी.एन. चटर्जी, जोसेफ बैप्टिस्टा और अन्य। - यह मामला राजद्रोह और युद्ध भड़काने से संबंधित था। आरोपियों के कारावास से शहरी असंतोष बढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षित भारतीयों की भूमिका देखी हुई।
पेशावर षडयंत्र मामला (1922-1927, पेशावर)	कई पश्तून नेता ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों और षडयंत्रों में शामिल थे। आजीवन निर्वासन सहित कठोर सजाओं ने ब्रिटिश के साथ सहयोग करने को बढ़ावा दिया, विशेषकर उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में।
चटगाँव शस्त्रागार छाप (अप्रैल 1930, बंगाल)	- इसे सूर्य सेन द्वारा अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ मिलकर आयोजित किया गया। - इस छापे का उद्देश्य यह दिखाना था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सशस्त्र शक्ति को चुनौती देना संभव है। हालाँकि इस छापे से तत्काल परिणाम प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यह प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया और इसने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
माइकल ओ'डायर की हत्या (13 मार्च, 1940, कैक्सटन हॉल, लंदन)	- उधम सिंह ने लंदन के किंगस्टन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। - ओ'डायर जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी था, जिसमें उधम सिंह बच गए थे।

क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई: लाहौर षडयंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद होने के बाद, उन्होंने राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल के माध्यम से खराब परिस्थितियों का विरोध किया। जतिन दास पहले शहीद हुए, उनकी मृत्यु 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद की इलाहाबाद (फरवरी 1931) में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई, जबकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी पर लटका दिया गया।

भगत सिंह का योगदान: जन्म (1907)।

- क्रांतिकारी विचारधारा: आतंकवाद से मार्क्सवाद की ओर स्थानांतरित, शोषण के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित (HRA घोषणापत्र, 1925)।
- राजनीतिक संगठन:
 - पंजाब नौजवान भारत सभा (1926): युवाओं/श्रमिकों को शामिल किया, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया।
 - लाहौर छात्र संघ: छात्रों के लिए कानूनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चिता।
 - सांप्रदायिकता का विरोध: राष्ट्रीय एकता, राजनीति से धर्म को अलग करने का समर्थन किया।

- धर्म की आलोचना: “मैं नास्तिक क्यों हूँ”, के माध्यम से धर्म और अंधविश्वास को खारिज किया, वैज्ञानिकता पर बल दिया।

साइमन कमीशन (1927)

- **स्थापना:** 8 नवंबर, 1927, भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत की प्रगति की समीक्षा करने के लिए।
- **नेतृत्व:** सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, सर हैरी लेवी-लॉसन, सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कैडोगन, वनॉन हार्टशॉर्न, जॉर्ज रिचर्ड लेन-फॉक्स, डोनाल्ड स्टर्लिंग पामर हॉवर्ड।
- **उद्देश्य:** सुधारों के लिए भारत की तत्परता का आकलन करना, ब्रिटिश सरकार को परिवर्तनों की सिफारिश करना।
- **राजनीतिक संदर्भ:** ‘कंजर्वेटिव’ सरकार का लक्ष्य लेबर पार्टी की जीत से पहले कार्रवाई करना था।

भारतीय प्रतिक्रिया

- **भारतीयों द्वारा बहिष्कार:** इसका कोई सदस्य भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं, इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है। [UPSC 2013]
- **कांग्रेस का बहिष्कार:** दिसंबर 1927 में मद्रास में, एम.ए. अंसारी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई।
- **विरोध:** 3 फरवरी, 1928 को बॉम्बे में आगमन, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, लखनऊ में हड़ताल, रैलियाँ और विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें “साइमन वापस जाओ” का नारा लगाया गया।
- **पुलिस हिंसा:** अक्टूबर 1928 के विरोध प्रदर्शनों में लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके कारण भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और दलित वर्गों के लिए सुरक्षा की वकालत की।

साइमन आयोग की सिफारिशें (1930)

- **प्रांतीय सुधार:** द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना, विधान परिषदों में वृद्धि करना, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना, सुरक्षा के संबंध में राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करना।
- **केंद्रीय शासन:** संसदीय उत्तरदायित्व को अस्वीकार करना, गवर्नर-जनरल के अधिकार को मजबूत करना, उच्च न्यायालयों पर केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखना।
- **साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र:** पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार करना।
- **संघवाद:** क्रमिक संघवाद, ‘ग्रेटर इंडिया’ की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना।
- **स्थानीय विधानमंडल:** उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के लिए, केंद्र में प्रतिनिधित्व।
- **पृथक भाग संबंधी प्रस्ताव:** बंबई से सिंध, भारत से बर्मा को पृथक करने का प्रस्ताव।
- **सैन्य:** सेना का भारतीयकरण, ब्रिटिश सेना को बनाए रखना।

नेहरू रिपोर्ट (1928)

बर्कनहेड की चुनौती: लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय एकता को प्रोत्साहित करते हुए एक एकीकृत संवैधानिक प्रस्ताव का आह्वान किया।

- **पहल:** फरवरी 1928, सर्वदलीय बैठक ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक उपसमिति नियुक्त की।
- **समिति के सदस्य:** तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. अनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरेशी, जी.आर. प्रधान।
- **अंतिम रूप:** अगस्त 1928।

मुख्य अनुशंसाएँ (UPSC 2011)

- **डोमिनियन स्टेट्स:** ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्व-शासित डोमिनियन के समान ‘डोमिनियन स्टेट्स’ प्रस्तावित किया गया।
- **निर्वाचन प्रणाली:** पृथक निर्वाचक मंडल को खारिज किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल का समर्थन किया गया (पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ वे बहुसंख्यक थे)।
- **प्रांतीय सुधार:** भाषाई प्रांतों की स्थापना का सुझाव दिया गया।
- **मौलिक अधिकार:** महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि सहित 19 मौलिक अधिकार प्रस्तावित किए गए।
- **शासन प्रणाली संबंधी प्रावधान:**
 - **भारतीय संसद:** प्रतिनिधि सभा (500 सदस्य, वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने गए, 5 वर्ष का कार्यकाल), सीनेट (200 सदस्य, प्रांतीय परिषदों द्वारा चुने गए, 7 वर्ष का कार्यकाल)।
 - **गवर्नर-जनरल:** ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त, भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था, संसद के प्रति उत्तरदायी केंद्रीय कार्यकारी परिषद के साथ कार्य करता था।
 - **प्रांतीय परिषदें:** एक गवर्नर की अध्यक्षता में, प्रांतीय कार्यकारी परिषदों की सलाह पर कार्य करती थीं।
- **मुस्लिम हितों की सुरक्षा:** मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- **धर्मनिरपेक्ष राज्य:** राज्य को धर्म से पूरी तरह अलग रखने की वकालत की गई।

संदर्भ और महत्त्व

- **कांग्रेस:** डोमिनियन स्टेट्स के लिए दो वर्ष की समय सीमा तय की, जिसे बाद में घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। वहीं अगर समय सीमा पूरी नहीं हुई तो सविनय अवज्ञा की धमकी दी गई।
- **इन्डिपेंडेंस फॉर इण्डिया लीग:** नेहरू और बोस द्वारा स्थापित किया गया।
- **दिसंबर 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन:** पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव को अपनाया गया।
- **नेहरू द्वारा तिरंगा फहराना:** 31 दिसंबर, 1929 की अर्धरात्रि को स्वतंत्रता संबंधी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया।

- सीमाओं के बावजूद, नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय शासन और संवैधानिक सुधार पर भविष्य की चर्चाओं के लिए आधार तैयार किया।

मुसलमानों और हिंदुओं की सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएँ

दिल्ली प्रस्ताव (1927)

- पारित: मुस्लिम लीग, दिसंबर 1927।
- संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र: पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन, मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करना।
- केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व: मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व: पंजाब और बंगाल में।
- नए प्रांत: सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत का मुस्लिम बहुल प्रांतों के रूप में निर्माण।

हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया: विरोध: पंजाब और बंगाल में नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों और आरक्षित सीटों के विरुद्ध। सांप्रदायिक वार्ता को जटिल बनाते हुए एकात्मक राजनीतिक संरचना का समर्थन किया।

- युवा राष्ट्रवादियों का असंतोष: जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस, नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन स्थिति से असंतुष्ट थे, उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।

जिन्ना के संशोधन और चौदह सूत्रीय मांगें (1928-1929)

नेहरू रिपोर्ट में संशोधन (1928)

- केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
- बंगाल और पंजाब विधानमंडलों में वयस्क मताधिकार तक जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण।
- प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान।

जिन्ना की चौदह सूत्री मांगें (March 1929)

- प्रांतीय अवशिष्ट शक्तियों से युक्त संघीय संविधान।
- प्रांतीय स्वायत्तता और राज्य की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन नहीं।
- सभी विधानसभाओं और निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मुस्लिम-बहुल प्रांत अल्पसंख्यक न बन जाए।
- सेवाओं और स्वशासी निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व।
- केंद्रीय विधायिका और किसी भी कैबिनेट में मुसलमानों के लिए एक तिहाई प्रतिनिधित्व।
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना।
- अल्पसंख्यकों के लिए वीटो शक्ति: यदि अल्पसंख्यकों का तीन-चौथाई हिस्सा इसका विरोध करता है तो कोई विधेयक पारित नहीं किया जाएगा।
- क्षेत्रीय पुनर्वितरण: पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुसंख्यकों की रक्षा करना।
- सिंध को बॉम्बे से अलग करना।
- NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार।
- सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी।
- मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा: धर्म, संस्कृति, शिक्षा, भाषा संबंधी अधिकारों की सुरक्षा।

नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति: मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख संप्रदायवादियों और युवा कांग्रेस सदस्यों द्वारा डोमिनियन स्थिति से असंतोष के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। नेहरू और बोस द्वारा 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

UPSC OPTIONAL COURSE 2025

Hinglish / हिन्दी

Anthropology

PSIR

History

Sociology

Geography

Public Administration

Mathematics

हिन्दी साहित्य

सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर अग्रसर

कलकत्ता अधिवेशन (1928)

- कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और सत्यमूर्ति जैसे युवा नेताओं में असंतोष देखा गया, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की माँग की।
- गांधी और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता डोमिनियन स्टेट्स के पक्षधर थे। शुरुआत में दो वर्ष की छूट अवधि का प्रस्ताव रखा गया था, किंतु बाद में दबाव के कारण इसे घटाकर एक वर्ष कर दिया गया। कांग्रेस ने संकल्प लिया कि अगर एक वर्ष के अंत तक डोमिनियन स्टेट्स स्वीकार नहीं किया गया तो वह पूर्ण आजादी की माँग करेगी।

वर्ष 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधियाँ

- गांधी ने प्रत्यक्ष राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने, युवाओं को प्रोत्साहित करने, गाँवों में रचनात्मक कार्यों को संगठित करने एवं उन्हें प्रोत्साहन देने और लोगों की समस्याओं को जानने-समझने के उद्देश्य से पुरे भारत की यात्रा की।
- मार्च 1929 में गांधी ने **कोलकाता** में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की।
- इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने एक **विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति** का गठन किया।
- वर्ष के मार्च महीने में **मेरठ षड़यंत्र केस** ने राजनीतिक तनाव को और अधिक बढ़ा दिया।
- अप्रैल महीने में भगत सिंह और बी.के. दत्त द्वारा **केंद्रीय विधान सभा** में बम फेंका गया।
- मई महीने में इंग्लैंड की सत्ता पर **रैमजे मैक्डोनाल्ड** के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिसके पश्चात **वेजवुड वेन** भारत राज्य सचिव बने।

इरविन की घोषणा (31 अक्टूबर, 1929)

- लेबर सरकार** और **रूढ़िवादी वायसराय**, **लॉर्ड इरविन** के संयुक्त प्रयास का उद्देश्य था कि ब्रिटिश नीति के प्रति भारत के विश्वास को पुनर्स्थापित किया जाए।
- यह कहा गया कि वर्ष **1917 की घोषणा में डोमिनियन स्टेट्स का उद्देश्य** निहित था। हालाँकि, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करने के लिए न ही कोई समय सीमा दी गई थी और न ही कोई नया या त्वरित परिवर्तन का सुझाव दिया गया था।

दिल्ली घोषणा-पत्र (2 नवंबर, 1929)

यह राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन था, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की माँग को सामने रखा।

- गोलमेज सम्मेलन को एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि डोमिनियन स्टेट्स में लागू करने के लिए एक संविधान बना सके।
- सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए और सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाए।
- दिसंबर 1929 में गांधी, मोतीलाल नेहरू, और अन्य ने लॉर्ड इरविन से मुलाकात की-**
 - सभी नेताओं ने इरविन से यह सुनिश्चित करने की माँग की कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स के लिए संविधान की योजना तैयार करना होगा।
 - इरविन ने दिल्ली घोषणा-पत्र की माँगों को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि सम्मेलन का उद्देश्य संवैधानिक योजना का मसौदा तैयार करना नहीं होगा।

लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज (दिसंबर 1929)

- अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद गांधीजी के समर्थन से **जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929** में कांग्रेस के लाहौर सत्र के **अध्यक्ष** बने।
- नेहरू ने देश को **विदेशी शासन से मुक्त** कराने के लिए खुला विद्रोह करने की घोषणा की और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने राजाओं, राजकुमारों और बड़े उद्योगपतियों के शासन को **समाप्त** करने को लेकर अपने समाजवादी और गणतान्त्रिक विचारों को लोगों के समक्ष रखा और मुक्ति के लिए **शांतिपूर्ण जन आंदोलन** को आवश्यक बताया।

लाहौर अधिवेशन में लिए गए निर्णय

- गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा।
- पूर्ण स्वराज्य**, कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया।
- कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान न करना एवं लेजिस्लेटिव असंबली से इस्तीफा देने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे।
- 26 जनवरी 1930 का दिन को देश में प्रथम **स्वतंत्रता दिवस (स्वराज्य दिवस)** के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।

- ध्वजारोहण: 31 दिसंबर, 1929: रावी नदी के तट पर, जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच, स्वतंत्रता के नए स्वीकृत तिरंगे को फहराया।
- इंकलाब जिंदाबाद, जिसका अनुवाद 'क्रांति जिंदाबाद' के रूप में किया जा सकता है, मौलाना हसरत मोहानी द्वारा वर्ष 1921 में गढ़ा गया था।
- 26 जनवरी, 1930: **स्वतंत्रता प्रतिज्ञा** (माना जाता है कि इसे गांधीजी द्वारा तैयार किया गया था)
- प्रतिज्ञा में उच्चारित मुख्य बिंदुओं में स्वतंत्रता का अविच्छिन्न अधिकार, ब्रिटिश शोषण, आर्थिक विनाश, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव, राजनीतिक अधिकार देने से इनकार और पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा की तैयारी शामिल थी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

गांधीजी की ग्यारह माँगें

सामान्य हित के मुद्दे	विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की माँगें	किसानों की विशिष्ट माँगें
• सेना और सिविल सेवाओं के व्यय में 50 प्रतिशत तक की कटौती। • शराब पर पूर्ण प्रतिबंध। • आपराधिक जाँच विभाग (CID) में सुधारों को लागू करना। • शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। • राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। • डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए।	• रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेन्स की जाए। • विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित कर भारतीय वस्त्र उद्योग को संरक्षित किया जाए। • भारतीयों के लिए तटीय नौवहन आरक्षित किया जाए।	• भूमि कर में 50 प्रतिशत की कमी। • नमक कर एवं नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को समाप्त किया जाए।

कांग्रेस कार्यसमिति ने उनकी माँगों पर सरकार की प्रतिक्रिया की कमी से असंतुष्ट होकर गांधीजी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया। गांधीजी ने आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में नमक को चुना और फरवरी के अंत तक इस निर्णय को मजबूत बनाया।

माँगों के लिए संदर्भ

- **लाहौर कांग्रेस (1929):** लाहौर कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया, जिसमें विशेष रूप से करों का भुगतान न करने जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने विधानमंडलों के सभी सदस्यों से विरोध स्वरूप इस्तीफा देने का भी आग्रह किया।
- **कांग्रेस कार्यसमिति और गांधीजी का अधिकार:** फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई एक बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति ने गांधीजी को यह पूर्ण अधिकार दिया कि वे जब भी चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। गांधीजी को जन संघर्षों का नेतृत्व करने में विशेषज्ञ मानते हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने सही रणनीति तैयार करने में उनके विवेक पर भरोसा किया।

दांडी मार्च (12 मार्च - 6 अप्रैल, 1930)

- 2 मार्च, 1930 को, गांधीजी ने अपनी रणनीति की सूचना वायसराय को दी।
- इसके तहत में गांधीजी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के गाँवों से होते हुए करीब 240 मील की पैदल यात्रा करते हुए दांडी (सूरत के पास एक गाँव) नामक स्थान पर पहुँचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने की योजना थी।
- गांधीजी द्वारा 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन करना, कर भुगतान करने से इनकार करना, वकीलों और आम जनता द्वारा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी सेवाओं से इस्तीफा आदि शामिल थे।

प्रतिक्रियाएँ:

- सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से वापसी से की।
- ब्रिटिश मीडिया की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित थीं- श्रीमान ब्रिक्सफोर्ड ने इसे "क्रांति का किंडरगार्डन चरण" कहा, जबकि द स्टेट्समैन ने व्यंग्यपूर्वक इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाया।
- संशय के बावजूद, आंदोलन के नैतिक प्रभाव से सत्याग्रह स्वयंसेवकों की संख्या 60,000 से अधिक हो गयी।

रणनीति और प्रतीकवाद: नमक एक केंद्र बिंदु के रूप में: लॉर्ड इरविन को गांधी द्वारा दी गई चेतावनी को नजरअंदाज किए जाने के बाद, उन्होंने जनता को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित किया। फरवरी 1930 तक उन्होंने नमक को आंदोलन के केंद्रीय प्रतीक के रूप में चुना। नमक कर ब्रिटिश शोषण का प्रतिनिधित्व करता था, जिसने इसके उन्मूलन को एक शक्तिशाली रैली बना दिया, जिसके कारण नमक मार्च और व्यापक सविनय अवज्ञा हुई।

नमक कानून की अवहेलना का प्रसार

- दांडी में गांधी की कार्रवाई ने देश भर में नमक कानूनों की अवहेलना की शुरुआत की।
- **नेहरू की गिरफ्तारी** के खिलाफ मद्रास, कलकत्ता और कराची में व्यापक प्रदर्शन हुए।
- गांधी की गिरफ्तारी 4 मई, 1930 को हुई, जब उन्होंने पश्चिमी तट पर धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व किया।
- कांग्रेस ने करों का भुगतान न करने, चौकीदारी कर न देने का अभियान और विभिन्न स्थानों पर वन कानून के उल्लंघन को अपनी स्वीकृति दी।
- भारतीय जनता द्वारा नमक कानून का उल्लंघन के परिणामस्वरूप, औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। [UPSC 2019]

सविनय अवज्ञा के दौरान क्षेत्रीय आंदोलन

तमिलनाडु	- सी. राजगोपालाचारी द्वारा तंजावुर तट पर नमक मार्च (तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक) का नेतृत्व किया गया। [UPSC 2015] - मार्च के बाद विदेशी कपड़े की दुकानों पर व्यापक धरना दिया गया तथा कोयंबटूर, मदुरा और विरदनगर जैसे क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान चलाया गया। - चूलाई मिल्स के हड़ताल को तोड़ने के लिए पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया - बुनकरों बेरोजगार ने गुडियात्तम में शराब की दुकानों और पुलिस चौकियों पर हमला किया, जबकि बोदिनायकनूर, मदुरा में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के बीच दंगा शुरू हो गया।
मालाबार	के. कलप्पन और पी. कृष्ण पिल्लई द्वारा संगठित नमक मार्च ने पुलिस के कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की। 'कलप्पन, वाइकोम सत्याग्रह' के लिए भी जाने जाते हैं।
आंध्र क्षेत्र	- पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला स्तर पर नमक मार्च का आयोजन किया गया। - सैन्य तर्ज के कैम्पों (सिविराम) की स्थापना की गई। व्यापारियों और प्रभुत्व जातियों द्वारा भी सविनय अवज्ञा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया गया। - लेकिन पूरे आंदोलन में असहयोग आंदोलन जैसे जनसमर्थन की कमी इस आंदोलन में साफ देखी गई।
उड़ीसा	गोपालबन्धु चौधरी द्वारा बालासोर, कटक और पुरी जिलों के समुद्र तटीय क्षेत्रों में प्रभावी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया।
असम	- समुदायों के बीच आपसी संघर्ष के कारण पिछली ऊँचाइयों (असहयोग आंदोलन के समान) तक पहुँचने में असफल रहा। - कनिंघम सर्कुलर, जो छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेने से रोकने वाली एक सर्कुलर था। इसके खिलाफ छात्रों द्वारा सफल विरोध प्रदर्शन और हड़ताल किया गया। - दिसंबर 1930 में, चंद्रप्रभा सैकियानी ने आदिवासी काचारी गाँवों को वन्य नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया, हालाँकि असम कांग्रेस नेतृत्व ने इसका खंडन किया।
बंगाल	- बंगाल कांग्रेस कलकत्ता निगम चुनाव में लगे सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व वाले गुटों के बीच विभाजित हो गई, जिससे कलकत्ता के भद्रलोक नेताओं और ग्रामीण जनता के बीच अलगाव पैदा हो गया। जिससे आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। - डेक्का और किशोरगंज क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें सीमित मुस्लिम भागीदारी थी। - इसके बावजूद, बंगाल में सबसे अधिक संख्या में गिरफ्तारियाँ और महत्वपूर्ण हिंसा देखी गई, खासकर मिदनापुर, आरामबाग और ग्रामीण इलाकों में, जहाँ नमक सत्याग्रह और चौकीदारी कर के आसपास केंद्रित आंदोलन उभरे। - इसी समय, सूर्य सेन के चटगाँव विद्रोह समूह ने दो शस्त्रागारों पर छापा मारा।
बिहार	- चंपारण और सारण पहले दो जिले थे जहाँ नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में, नाखास नामक तालाब को नमक सत्याग्रह स्थल के रूप में चुना गया। जहाँ अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। - नमक सत्याग्रह के साथ-साथ 'चौकीदारी कर नहीं' जैसे आंदोलन भी इस क्षेत्र में प्रभावी रूप से चल रहे थे।
छोटा नागपुर	- गांधीवाद से प्रभावित बोंगा माझी और सोमरा माझी ने हजारीबाग में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें सामाजिक-धार्मिक सुधार को 'संस्कृतीकरण' के साथ जोड़ा गया। - निम्न वर्ग के उग्रवाद और सामाजिक-धार्मिक सुधारों के उदाहरण; संथाल अवैध शराब बनाने में संलग्न थे।
पेशावर	- खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी (फ्रंटियर गांधी) कहा जाता था, पठानों के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार कार्य कर रहे थे। - गफ्फार खान ने पहली पश्तो राजनीतिक मासिक पत्रिका 'पख्तून', प्रकाशित की। - उन्होंने स्वयंसेवक समूह 'खुदाई खिदमतगार' जो 'लाल कुर्ती' के रूप में लोकप्रिय था, को संगठित किया। 'लाल कुर्ती समूह' स्वतंत्रता संघर्ष के लिए वचनबद्ध थे और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे। - यहीं गढ़वाल राइफल्स के कुछ सैनिकों ने एक निहत्थे समूह पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था।
सोलापुर	गांधी की गिरफ्तारी पर यहाँ उग्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई जिससे सैन्य कानून का जन्म हुआ।
धरसाना	- यहाँ सरोजिनी नाथडू, इमाम साहब, और मणिलाल गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से लाठियाँ बरसाई गईं, जिससे देश भर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश उबल पड़ा। - वेब मिलर, एक अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना नमक सत्याग्रह पर रिपोर्ट की।
गुजरात	- आनंद, बोरसद, खेड़ा जिले के नादियाद, सूरत जिले के बरडोली, और भरूच जिले के जंबूसर में आंदोलन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा गया। - एक दृढ़ कर नहीं आंदोलन सामने आया, जिसमें भू-राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया।

महाराष्ट्र, कर्नाटक, केंद्रीय प्रांत	इन क्षेत्रों में वन कानूनों के उल्लंघन, जैसे कि चराई और जंगलों से प्राप्त लकड़ी तथा अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध के बावजूद गैरकानूनी रूप से प्राप्त वन उत्पादों की सार्वजनिक रूप से बिक्री की गई।
संयुक्त प्रांत	- इन प्रांतों में राजस्व अदा न करना जैसे आंदोलन मुख्य रहे और जमींदारों से सरकार को राजस्व अदा नहीं करने का आग्रह किया गया। - साथ ही, एक 'किराया नहीं' अभियान शुरू हुआ, जिसमें जमींदारों से जमीन किराये पर लेकर खेती करने वाले किसानों को राजभक्त जमींदारों को किराया नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके फलस्वरूप अक्टूबर 1930 में विशेषतः आगरा और राय बरेली में आंदोलन तेज हो गया।
मणिपुर और नागालैंड	13 वर्षीय नागा आध्यात्मिक नेता रानी गाइदिन्ल्यू ने विद्रोह कर दिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1946 में तत्कालीन अंतरिम सरकार ने रिहा कर दिया।

गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) ने नमक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी।

लामबंदी के तरीके

- प्रभात फेरी: जागरूकता फैलाने के लिए सुबह के जुलूस।
- वानर सेना (बंदर ब्रिगेड) और मंजरी सेना (फूल ब्रिगेड): युवाओं को शामिल करना।
- पर्चे और जादुई लालटेन शो: समर्थन जुटाने के लिए जानकारी फैलाना।

सामूहिक भागीदारी

- महिलाएँ: शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध प्रदर्शन किया।
- छात्र एवं युवा: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।
- मुस्लिम: विविध भागीदारी; कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भागीदारी देखी गई।

सरकार की प्रतिक्रिया

- वणिज्य एवं व्यापारी:** विशेषकर तमिलनाडु और पंजाब में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया।
- आदिवासी, श्रमिक, किसान:** मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार, गुजरात में मजबूत भागीदारी।
- आर्थिक प्रभाव:** विदेशी कपड़ों के आयात में कमी, शराब, उत्पाद शुल्क, भूमि करों से राजस्व घटा और विधान सभा चुनावों का बहिष्कार।

ब्रिटिश दुविधा

- द्वंद्व: दमन (लाठी चार्ज, प्रतिबंध) और रियायतों के बीच परिवर्तन।
- गोलमेज सम्मेलन (जुलाई 1930):** वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा प्रस्तावित; अलग-अलग अधिकारों की मांग पर बिफल।

गांधी-इरविन समझौता/दिल्ली समझौता (1931)

25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया।

- 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता किया गया, जहाँ वायसराय ब्रिटिश इंडियन सरकार का और गांधी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समझौते ने कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया।
- इरविन के साथ समझौता:**
 - अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई अवैतनिक जुर्माने की छूट, बिना बिकी हुई भूमि की वापसी, इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदार व्यवहार, तटीय गाँवों में व्यक्तिगत उपभोग नमक बनाने के अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना।

[UPSC 2020]

- इरविन के द्वारा अस्वीकृत किया गया:** पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जाँच एवं भगत सिंह और उनके साथियों (कॉमरेड) के मृत्युदंड की सजा की माफी को अस्वीकृत कर दिया। [UPSC 2020]
- गांधी के द्वारा स्वीकृत:** सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और संवैधानिक मुद्दों पर आगामी गोलमेज सम्मेलन (राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस) में भाग लेना। [UPSC 2020]

सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत

सविनय अवज्ञा आंदोलन (CDM) 1933 में समाप्त हो गया, जब गांधी ने इसकी सीमाओं को स्वीकार किया और हरिजनों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और 1933 में हरिजन समाचार पत्र लॉन्च किया।

कराची कांग्रेस अधिवेशन (29 मार्च, 1931)

संदर्भ: गांधी-इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए आयोजित; भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फाँसी के छह दिन बाद बुलाई गई, जिसमें उनकी क्षमादान हासिल करने में गांधी की विफलता पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

पारित किए गए प्रमुख प्रस्ताव

- शहीदों को श्रद्धांजलि:** भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु: कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा की निंदा की, लेकिन उनकी बहादुरी और बलिदान का सम्मान किया।
- गांधी-इरविन समझौते का समर्थन:** कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति व्यक्त करते हुए औपचारिक रूप से गांधी-इरविन समझौते को मंजूरी दे दी।
- पूर्ण स्वराज की पुनः पुष्टि:** पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) को कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य बताया गया।
- मौलिक अधिकार संकल्प:** आवश्यक नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी, जिसमें स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस, संघ बनाने और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जाति, पंथ या लिंग के बावजूद समान कानूनी अधिकार शामिल हैं; धर्म में राज्य की तटस्थता, मुफ्त, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा; और अल्पसंख्यक संस्कृति, भाषा और लिपि की सुरक्षा शामिल है।
- राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संकल्प:** इसका उद्देश्य भूमिधारकों/किसानों के लिए लगान और राजस्व में कमी करके किसानों और श्रमिकों को समर्थन देना; अलाभकारी भूमि जोतों के लिए लगान से छूट; कृषि ऋण से राहत; सूदखोरी और शोषण पर नियंत्रण; कामकाजी परिस्थितियों में सुधार; श्रमिकों और किसानों के लिए संघ अधिकार और प्रमुख उद्योगों, खानों और परिवहन पर राज्य का नियंत्रण।

गोलमेज सम्मेलन

भारत के वायसराय, लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, रैम्जे मैकडोनाल्ड, साइमन कमीशन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की अपर्याप्तता को मानते हुए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने की आवश्यकता पर सहमत थे।

पहला गोलमेज सम्मेलन

(लंदन, नवंबर 1930 - जनवरी 1931)

- जॉर्ज पंचम द्वारा इस सम्मेलन का प्रारंभ किया गया और रैम्जे मैकडोनाल्ड द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई।
- यह पहला सम्मेलन था जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच समानता के साथ आयोजित हुआ था। कांग्रेस और इसके कुछ प्रमुख नेता अनुपस्थित रहे।
- विभिन्न भारतीय समूहों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व: विभिन्न रियासतें, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख, पारसी, उदारवादी, विकलांग वर्ग, जस्टिस पार्टी, वंचित वर्ग, ईसाई, महिलाएँ, विश्वविद्यालय और अन्य सभी का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में देखा गया।
- भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नरेंद्र नाथ लॉ, भूपेंद्र नाथ मित्र, सी. पी. रामास्वामी अय्यर और एम. रामचंद्र राव ने किया।
- परिणाम: अपर्याप्त उपलब्धि; भारत के महासंघ, रक्षा और वित्त सुरक्षा उपायों, विभागों के हस्तांतरण पर चर्चा, लेकिन कम कार्यान्वयन, सविनय अवज्ञा जारी रही।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन

(लंदन, सितंबर 1931 - दिसंबर 1931)

- भारतीय उदारवादी पार्टी के सदस्य, जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, सी.वाई. चिंतामणि, और श्रीनिवास शास्त्री, ने गांधी से वायसराय के साथ बातचीत करने के लिए आग्रह किया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में नामित किया।
- ए. रंगास्वामी अय्यंगार और मदन मोहन मालवीय भी वहां उपस्थित थे।
- भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सी.पी. रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और एम. रामचंद्र राव थे।
- मुद्दे: इरविन से विलिंगडन तक वायसराय का परिवर्तन, ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन और ब्रिटेन के दक्षिणपंथी गुट, कांग्रेस के समान समझौते के खिलाफ प्रतिरोध।
- गांधी ने समानता पर आधारित एक साझेदारी, तत्काल जिम्मेदार सरकार, और कांग्रेस के भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व की वकालत की।
- अल्पसंख्यक मुद्दों पर गतिरोध: विभिन्न समूहों ने पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की, जिसके गांधी विरोधी थे।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित होने के बाद रियासतें संघ को लेकर आशंकित थीं।
- परिणाम:
 - दो मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों की घोषणा हुई— उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और सिंध प्रांत।
 - भारतीय परामर्श समिति की स्थापना।

- तीन विशेषज्ञ समितियों की स्थापना- वित्त, मताधिकार और राज्या।
- यदि भारतीय एक मत नहीं होते हैं तो ब्रिटिश एकतरफा रूप से सांप्रदायिक पंचाट लागू करेगी।

तीसरा गोलमेज सम्मेलन (नवंबर 1932 - दिसंबर 1932)

- कांग्रेस और गांधी अनुपस्थित रहे, जिससे भारतीय नेताओं की भागीदारी सीमित हो गई।
- समान मुद्दे बने रहे और इसमें बहुत थोड़ी प्रगति हुई।
- ब्रिटिश संसद में आलोचना के बाद, संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया।

1935 के भारत सरकार अधिनियम को जुलाई 1935 में समिति के प्रस्तावित विधेयक के आधार पर लागू किया गया।

गोलमेज सम्मेलन के महत्वपूर्ण तथ्य

- गांधी और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- मो. जिन्ना ने केवल पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर और टी.टी. सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ (1932-1934)

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, कांग्रेस कार्यसमिति ने 29 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया।

संघर्ष की अवधि (मार्च-दिसंबर 1931)

- संयुक्त प्रांत: कर में कमी करने और संक्षिप्त निष्कासन के विरुद्ध।
- उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत: खुदाई खिदमतगार और किसानों से क्रूर तरीके से कर वसूली के विरुद्ध निरंतर प्रतिरोध किया।
- बंगाल: आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कठोर अध्यादेश लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
- हिजली जेल में राजनीतिक कैदियों पर आगजनी की घटना हुई।

दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन

- दिल्ली समझौते के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों की प्रतिक्रिया: कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया और ब्रिटिश प्रभाव को कम किया।
- ब्रिटिश नीतियों पर विचार: गांधी को जन आंदोलन के संघर्ष की गति बनाए रखने से रोकना, कांग्रेस के खिलाफ होने वालों का विश्वास प्राप्त करना। वफादार सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत होने से रोकना।
- सरकार की तरफ से कार्रवाई: दमनकारी अध्यादेश एवं कानून, कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध, गिरफ्तारी, संपत्ति का जब्त करना, गांधी आश्रमों पर कब्जा, प्रेस सेंसरशिप और राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध।
- वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसंबर को गांधी के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। 4 जनवरी 1932 को, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।

● लोकप्रिय प्रतिक्रिया

- **व्यापक प्रतिक्रिया:** प्रारंभिक चार महीनों में लगभग 80,000 सत्याग्रही जेल में थे, जिसमें शहरी और ग्रामीण गरीब दोनों शामिल थे।
- **प्रतिरोध के विभिन्न रूप:** धरना प्रदर्शन, अहिंसात्मक प्रदर्शन, राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय झंडा फहराना, कर भुगतान नहीं करना, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन।
- समवर्ती रियासतों के बीच उठा-पटक, जैसे- **कश्मीर और अलवर**
- नेताओं के पास अपर्याप्त समय एवं लोगों के बीच तैयारी की कमी के कारण आंदोलनों में एक जैसी स्फूर्ति और गति बनाए रखने में कठिनाई

- **सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन:** गांधीजी ने अप्रैल 1934 में आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया।

सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट (1932)

सांप्रदायिक पंचाट (1932)

- 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री **रैमजे मैकडोनाल्ड** द्वारा इसकी घोषणा की गई।
- यह भारतीय मताधिकार समिति (जिसे लोथियन कमेटी भी कहा जाता है) के सुझावों पर आधारित था, इसने **अल्पसंख्यकों के लिए** पृथक निर्वाचन और **सीटें** आरक्षित कीं।
- मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, दलित वर्ग और बॉम्बे के मराठा के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया।
- दलित वर्ग के लिए 78 सीट आरक्षित रखी गई।
- इसे भारतीय नेताओं ने देश के लोगों को आपस में बांटने के एक तरीके के रूप में देखा। (यह नीति 'बाँटो और राज करो' पर आधारित थी)।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का रुख: हिंदू जाति से अलग एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक के रूप में दलित वर्गों के साथ अलग व्यवहार की वकालत की।

गोलमेज सम्मेलन और गांधी का प्रतिरोध

- दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की माँग की।
- गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचनों का विरोध किया और एक संयुक्त निर्वाचन के साथ आरक्षित सीटों की सिफारिश की। गांधीजी के आपत्ति के पश्चात भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गई।

सांप्रदायिक पंचाट के मुख्य प्रावधान

- मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन, दलित वर्ग, महिला, मराठा सहित दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया।
- प्रांतीय विधानसभाओं में सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर सीटों का आरक्षण।
- दलित वर्गों के लिए **दोहरा मतदान अधिकार** प्रदान किया गया। (एक पृथक निर्वाचनों के माध्यम से और एक सामान्य निर्वाचनों में)।
- सभी प्रांतों में **महिलाओं** के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं, सिवाय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के।
- श्रमिकों, जमींदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सीटों का आवंटन किया जाना था।

- कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति का सम्मान करते हुए सांप्रदायिक पंचाट को पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया।

गांधी की प्रतिक्रिया और पूना पैक्ट (1932)

- गांधी ने सांप्रदायिक पंचाट को **भारतीय एकता** के लिए हानिकारक और अप्रभावी माना।
- गांधीजी ने पृथक निर्वाचन के विरुद्ध दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि के साथ संयुक्त निर्वाचन की माँग करते हुए अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया।
- बी.आर. अंबेडकर और एम.सी. राजा सहित विभिन्न नेताओं द्वारा की गई पूना पैक्ट पर समझौता हुआ।
- गांधी की माँगों को स्वीकार करते हुए पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचनों के साथ अलग से सीटें आरक्षित करने पर सहमति हुई।

पूना पैक्ट (1932)

- 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए।
- दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की अवधारणा को त्याग दिया गया, जैसा कि सांप्रदायिक पंचाट में प्रस्तुत किया गया था।
- प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 किया गया और केंद्रीय विधानसभा में 18% तक बढ़ाया गया।
- सांप्रदायिक पंचाट में हुए संशोधनों को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और इसका प्रभाव

- **ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन** द्वारा यह आरोप लगाया गया कि **1935 के भारत सरकार अधिनियम** में अनुसूचित जाति को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
- दावा किया गया कि यह प्रणाली हिंदू बहुसंख्यकों का पक्ष लेती है, जिससे उन्हें (हिंदू बहुसंख्यक को) अनुसूचित जातियों से उनके हितों के अनुरूप व्यक्तियों को नामांकित करने में मदद मिलती है।
- पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः बहाली और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों एवं आरक्षित सीटों को रद्द करने की माँग की गई।
- बी.आर. अंबेडकर सन् 1947 तक पूना पैक्ट की आलोचना करते रहे।

गांधीजी का हरिजन अभियान और जाति व्यवस्था पर विचार

हरिजन अभियान (1933-1934)

- गांधीजी ने 1932 में छुआछूत (अस्पृश्यता) के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के साथ-साथ सितंबर में एक **अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग** की स्थापना की। इसके साथ ही **जनवरी 1933** से एक साप्ताहिक पत्रिका 'हरिजन' के प्रकाशन की भी शुरुआत की।
- 1930 में जेल से रिहा होने के पश्चात गांधीजी वर्धा स्थित सत्याग्रह आश्रम गए और प्रण किया कि जब तक पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो अपने साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे।

- नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक हरिजनों के उत्थान के लिए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी यात्रा की। जिसमें उन्होंने वर्धा से चल कर 20,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की।
- इस यात्रा के दौरान, उन्होंने हाल ही में स्थापित **हरिजन सेवक संघ (मूल रूप से डिप्रेस्ड क्लासेस लीग)** के लिए धन जुटाया और पूरे देश भर से छुआछूत की समाप्ति की वकालत की।
- **8 मई और 16 अगस्त 1934** को उन्होंने मुद्दे की गंभीरता को सार्थक बनाने के लिए दो दिवस का उपवास किया।
- इस पर रूढ़िवादी हिंदुओं ने गांधीजी के विचारों का खुल कर विरोध किया। दलित उद्धार के लिए होने वाले कार्यक्रम के बैठकों में आकर गड़बड़ी फैलाई, गांधी पर हिंदुत्व पर प्रहार करने का आरोप लगाया गया एवं उनके ऐसे किसी भी प्रयासों का विरोध किया।
- गांधीजी ने कहा कि, “अगर छुआछूत जीवित रहा तो हिंदू धर्म जीवित नहीं रह सकता। हिंदू धर्म को जीवित रखने के लिए छुआछूत को खत्म करना होगा।” साथ ही उन्होंने बताया कि शास्त्रों में छुआछूत की अनुमति नहीं दी गई है और अगर ऐसा शास्त्रों में कुछ है भी तो यह मानव गरिमा के विरुद्ध है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन का बाद का चरण

सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत राष्ट्रवादियों के मध्य भविष्य की रणनीति को लेकर दो चरणों में चर्चा हुई।

- पहले चरण में इस बात पर विचार-विमर्श शामिल था कि राष्ट्रीय आंदोलन को निकट भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, खासकर गैर-जन संघर्ष की अवधि (1934-35) के दौरान।
- वर्ष 1937 में होने वाला दूसरा चरण, भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित स्वायत्तता प्रावधानों के तहत प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में कार्यालय की स्वीकृति पर केंद्रित था।

पहले चरण की बहस (1934-35)

सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद तीन दृष्टिकोण सामने रखे गए।

- **गांधीवादी तर्ज पर रचनात्मक कार्य**
 - गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप रचनात्मक गतिविधियों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
 - सामाजिक सुधार, ग्रामीण उत्थान और खादी एवं ग्रामोद्योग जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और ज़मीनी स्तर पर सशक्तीकरण को मज़बूत करना था।
- **संवैधानिक संघर्ष और चुनाव में भागीदारी**
 - एम.ए. अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, एस. सत्यमूर्ति, बी.सी. रॉय, और अन्य द्वारा समर्थित।
 - राजनीतिक उदासीनता के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में संलग्न रहने का प्रस्ताव रखा गया।
 - चुनावों और परिषद के कार्यों में भागीदारी को राजनीतिक हित तथा मनोबल बनाए रखने के साधन के रूप में देखा गया।

- तर्क दिया गया कि परिषदों में भागीदारी का मतलब संवैधानिक राजनीति में विश्वास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कांग्रेस को मज़बूत करना और जनता को अगले चरण के लिए तैयार करना है।
- **रचनात्मक कार्य और परिषद में प्रवेश की वामपंथी प्रवृत्ति की आलोचना।**
 - कांग्रेस के भीतर नेहरू जैसे नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
 - उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए रचनात्मक कार्य और परिषद प्रवेश दोनों की आलोचना की।
 - गैर-संवैधानिक जन संघर्ष को फिर से शुरू करने की वकालत की।
 - माना जाता है कि आर्थिक संकट और जनता की लड़ने की तत्परता ने स्थिति को क्रांतिकारी बना दिया, जिससे निरंतर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

नेहरू का दृष्टिकोण

- प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पूँजीवाद के उन्मूलन और समाजवाद की स्थापना की वकालत की।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी और परिषद में प्रवेश को आत्मिक हार तथा क्रांतिकारी आदर्शों से पीछे हटने के रूप में देखा गया एवं इसकी आलोचना की गई।
- किसानों और श्रमिकों की आर्थिक तथा वर्गीय माँगों को संबोधित करने के लिए, ट्रेड यूनियनों तथा किसान सभा जैसे समूहों के माध्यम से कांग्रेस के भीतर वर्ग संघर्ष को एकीकृत करने का प्रयास किया गया।
- उनका मानना था कि वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में जनता के वर्ग संघर्ष को शामिल करना आवश्यक है।

संघर्ष-युद्धविराम-संघर्ष (Struggle-Truce-Struggle) (एस-टी-एस) रणनीति का विरोध

- लाहौर कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की माँग के बाद साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई के पक्ष में गांधी और अन्य लोगों द्वारा आगे बढ़ाए गए एस-टी-एस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया।
- संघर्ष-विजय (एस-वी) दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया तथा इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक शक्ति क्रमिक उपायों द्वारा और संवैधानिक चरण लागू किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है।

परिषद प्रवेश की स्वीकृति

- शुरू में परिषद में प्रवेश की आलोचना करने वाले नेहरू ने अंततः इसे स्वीकार कर लिया जब गांधी ने साम्राज्यवाद से समझौता किए बिना विधानमंडलों में प्रवेश की माँग मान ली।
- गांधीजी ने आश्वासन दिया कि परिषद का काम संवैधानिकता को बढ़ावा या स्वार्थी हितों की पूर्ति नहीं करेगा।
 - मई 1934 में, कांग्रेस के बैनर तले चुनावों में भाग लेने के लिए समर्पित एक संसदीय बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की बैठक पटना में हुई।

गांधी का इस्तीफा

- गांधी को उन प्रभावशाली कांग्रेस समूहों के साथ अपनी वैचारिक असहमति का ज्ञान हुआ जो नेहरू के समाजवादी दृष्टिकोण, बुद्धिवाद और संसदीय राजनीति का समर्थन करते थे।

- अक्टूबर 1934 में, गांधीजी ने मूलभूत असहमतियों के कारण विचार, वचन और कर्म से कांग्रेस की बेहतर सेवा करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
- नेहरू और समाजवादियों का मानना था कि कांग्रेस को मुख्य साम्राज्यवाद विरोधी जन संगठन के रूप में एकजुट रहना चाहिए तथा साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई के लिए उत्तरोत्तर अधिक कट्टरपंथी बनना चाहिए।

चुनावी सफलता और कांग्रेस का समझौता

- नवंबर 1934 में केंद्रीय विधान सभा के चुनावों में, कांग्रेस ने अपनी चुनावी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें हासिल कीं।

- आंतरिक मतभेदों के बावजूद, कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों ने पार्टी की एकता और सामूहिक अपील को बनाए रखने के लिए अलग-अलग विचारों को समायोजित किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

अखिल भारतीय संघ: इसमें सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त प्रांत और भारतीय राज्य (रियासतें) शामिल थे। रियासतों और उनकी आबादी को शामिल करने से संबंधित विशिष्ट शर्तें इसमें शामिल थी, लेकिन यह कभी भी अमल में नहीं आया।

प्रमुख बिंदु	संघीय स्तर	प्रांतीय स्तर
कार्यपालिका	● गवर्नर जनरल के पास निर्णायक अधिकार थे। ● विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इन्हें अलग-अलग तरीके से प्रशासित किया जाना था। ● आरक्षित विषय: विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और चर्च संबंधी मामलों को कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा विशेष रूप से प्रशासित किया जाना था। ● कार्यकारी पार्षदों को केंद्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। ● हस्तांतरित विषय: अन्य सभी विषय, विधायिका द्वारा चुने गए मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित होने थे। इन मंत्रियों को संघीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना था और निकाय का विश्वास खोने पर इस्तीफा भी देने का प्रावधान किया गया। ● गवर्नर-जनरल अपनी विशेष ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में अपने व्यक्तिगत निर्णय से कार्य कर सकता था।	● प्रांतीय स्वायत्तता: द्वैध शासन को प्रतिस्थापित किया गया, प्रांतों को अलग कानूनी पहचान और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गईं, प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा पर धन उधार ले सकती थीं। ● गवर्नर को क्राउन द्वारा नामित और उसका प्रतिनिधि होना था तथा वह अनिश्चित काल तक प्रशासन चला सकता था। ● गवर्नर के पास अल्पसंख्यकों, सिविल सेवकों के अधिकार, कानून और व्यवस्था, ब्रिटिश व्यापारिक हितों, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों, रियासतों आदि के संबंध में विशेष शक्तियाँ थीं।
विधायिका	● ऊपरी सदन (राज्यों की परिषद) 260 सदस्यीय [आंशिक रूप से सीधे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए और आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) राजकुमारों द्वारा मनोनीत] और एक निचले सदन (संघीय विधानसभा) 375 सदस्यीय सदन [आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए और आंशिक रूप से (एक तिहाई) राजकुमारों द्वारा नामित]। ● राज्यों की परिषद को एक स्थायी निकाय होना था, जिसमें हर तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होनी थी। ● कानून के लिए सूची: संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ● संघीय विधानसभा के सदस्य मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। राज्यों की परिषद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती थी। ● धर्म-आधारित और वर्ग-आधारित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली को और आगे बढ़ाया गया। ● बजट का 80 प्रतिशत गैर-मतदान योग्य था। ● गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियाँ थीं। वह (क) अनुदान में कटौती को बहाल कर सकता था; (ख) विधायिका द्वारा खारिज किए गए बिलों को प्रमाणित कर सकता था; (ग) अध्यादेश जारी कर सकता था; और (घ) अपने वीटो का उपयोग कर सकता था। [UPSC 2018]	● सांप्रदायिक पंचाट के आधार पर पृथक निर्वाचिका को क्रियाशील बनाया जाना था। ● सभी सदस्यों का चुनाव सीधे किया जाना था। मताधिकार का विस्तार किया गया; महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले। [UPSC 2021] ● मंत्रियों को एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सभी प्रांतीय विषयों का प्रशासन करना था। ● मंत्रियों को विधायिका के प्रतिकूल वोट द्वारा जवाबदेह और हटाने योग्य बना दिया गया। ● प्रांतीय विधायिका प्रांतीय और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। ● बजट का 40 प्रतिशत अभी भी मतदान योग्य नहीं था। ● राज्यपाल (क) किसी विधेयक पर सहमति देने से इनकार कर सकता था; (ख) अध्यादेश जारी कर सकता था; (ग) अधिनियम अधिनियमित कर सकता था।

मूल्यांकन और ब्रिटिश रणनीति

- राज्यपाल की व्यापक शक्तियों ने अवरोध उत्पन्न किया।
- ब्रिटिश भारतीय आबादी के 14% को मताधिकार प्राप्त हुआ।

- सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिसने अंततः विभाजन में योगदान दिया।
- अधिनियम में आंतरिक विकास के प्रावधानों का अभाव था, संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था।

राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया

- स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की माँग करते हुए कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया।
- बहरहाल, नेशनल लिबरल फाउंडेशन और हिंदू महासभा ने कहा कि वे संघीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों पर 1935 अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।
- जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की सीमाओं पर जोर देते हुए इसे ब्रेक और बिना इंजन वाला वाहन कहकर इसकी आलोचना की।
- बी.आर. टॉमलिंगसन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में संवैधानिक प्रगति का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के लिए भारतीय सहयोगियों को आकर्षित करना था।

कांग्रेस के भीतर दूसरे वर्ण की बहस (1937)

वर्ष 1937 की शुरुआत में, आगामी प्रांतीय विधानसभा चुनावों की रणनीति के बारे में राष्ट्रवादियों के बीच चर्चा शुरू हुई।

- 1935 के अधिनियम का सर्वसम्मति से विरोध हुआ, लेकिन इस बात पर अनिश्चितता थी कि जन आंदोलन के बिना इसका विरोध कैसे किया जाए।

- कांग्रेस का लक्ष्य एक व्यापक कार्यक्रम के साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन इस बात पर असहमति उभरी कि अगर कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया तो सरकार बनाई जाएगी या नहीं, जो वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों के बीच वैचारिक विभाजन को दर्शाता है।

विभाजित मत

- नेहरू, बोस और कांग्रेस जैसे समाजवादियों ने कार्यालय स्वीकृति का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे 1935 के अधिनियम के प्रति उनका विरोध कमजोर हो जाएगा।
- कार्यालय स्वीकृति के अधिवक्ताओं ने कहा कि, जन आंदोलन विकल्प के अभाव में, विधायी कार्यवाई अल्पकालिक सामरिक प्रयासों तक सीमित होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद नहीं बल्कि रणनीति यह निर्धारित करती है कि किसी को पद स्वीकार करना चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए।

गांधी की स्थिति

- प्रारंभ में कार्यालय स्वीकृति का विरोध किया, लेकिन फिर बाद में कांग्रेस मंत्रालयों के गठन पर सहमति व्यक्त की।
- वर्ष 1936 की शुरुआत में लखनऊ सत्र और वर्ष 1937 के अंत में फैजपुर सत्र में, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का संकल्प लिया तरह कार्यालय स्वीकृति पर निर्णय को चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया।

प्रांतों में कांग्रेस का शासन (1937-1939)

चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र	1935 के अधिनियम की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की। - कैदी रिहाई, लिंग और जाति-आधारित विकलांगता उन्मूलन, कृषि प्रणाली परिवर्तन, किराया कटौती, ग्रामीण ऋण स्केलिंग, ट्रेड यूनियनों के अधिकार तथा हड़ताल संबंधी अधिकार का वादा किया गया।
चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन	- कुल जनसंख्या में से 14% (4.25 मिलियन महिलाओं सहित 30.1 मिलियन लोग) लोगों को मताधिकार दिया गया था। 15.5 मिलियन लोगों ने मतदान किया (917,000 महिलाओं सहित)।
कांग्रेस की जीत	- चुनाव में 1,161 सीटों (11 प्रांतों की कुल 1,585 सीटों में से) में से 716 सीटें जीतीं। - बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में बहुमत हासिल किया। - बंगाल, असम और एनडब्ल्यूएफपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालय	- बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बिहार में गठित। - बाद में इसका विस्तार एनडब्ल्यूएफपी (उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) और असम तक हुआ।
गांधी की सलाह	- कांग्रेस सदस्यों को सलाह दी कि वे पद पर हल्के ढंग से रहें, मजबूती से नहीं। - इन कार्यालयों की तुलना राष्ट्रवादी लक्ष्यों को गति देने के लिए उठाए गए 'कांटों के मुकुट' से की। - स्वशासन के लिए भारतीयों की क्षमता को उजागर करने के तरीके के रूप में स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता पर जोर दिया गया।

कांग्रेस द्वारा किया गया काम

- लोगों में उत्साह पैदा किया; जनता के लाभ के लिए राज्य की सत्ता का उपयोग करने की कांग्रेस की क्षमता का प्रदर्शन किया।
- नेतृत्व एवं शासन का प्रदर्शन कर कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ाई।
- संरचनात्मक बाधाओं के कारण व्यवस्था की साम्राज्यवादी प्रकृति को मौलिक रूप से बदलने या क्रांतिकारी सुधार लाने में असमर्थता।
- लोगों के कल्याण के लिए प्रयास: नागरिक स्वतंत्रता
 - आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करने वाले कानूनों को निरस्त किया गया।

- हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों तथा विशिष्ट पुस्तकों/पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिया गया।
- प्रेस प्रतिबंधों में ढील दी गई और समाचार पत्रों को काली सूची (Blacklist) से हटा दिया गया।
- जब्त किए गए हथियार और लाइसेंस बहाल किए गए, पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया तथा राजनेताओं पर सीआईडी निगरानी बंद कर दी गई।
- राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया और निर्वासन/नज़रबंदी के आदेश रद्द कर दिये गये।

- बम्बई में जब्त की गई ज़मीनें बहाल की गईं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल की गई।
- **नागरिक स्वतंत्रता में कमियाँ**
 - भड़काऊ भाषणों के लिए युसूफ माहेराली की गिरफ्तारी (मद्रास सरकार)।
 - देशद्रोही भाषण के लिए एस.एस. बटलीवाला की गिरफ्तारी और उसके बाद छह महीने की साज़ा (मद्रास सरकार)।
 - बंबई के गृह मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा कम्युनिस्टों और वामपंथियों के खिलाफ सीआईडी का उपयोग।
- **कांग्रेस मंत्रालयों के तहत कृषि सुधार:** कृषि संरचना के पूर्ण बदलाव में कांग्रेस मंत्रालयों को निम्न कारणों से बाधाओं का सामना करना पड़ा:
 - मंत्रालयों की सीमित शक्तियाँ।
 - सरकारी विनियोजन के कारण अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।
 - ज़मींदारों को संतुष्ट और बेअसर करने के लिए वर्ग समायोजन की रणनीति।
 - उपनिवेशवाद के साथ कांग्रेस की टकराव की राजनीति के कारण समय की कमी।
 - 1938 से मंडरा रहे युद्ध के बादल।
 - ज़मींदारों और पूँजीपतियों के प्रभुत्व वाली प्रतिक्रियावादी विधान परिषद का प्रभाव।
 - कृषि संरचना की जटिलता।
- **बाधाओं के बावजूद, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने निम्नलिखित कानूनों पर विचार किया।**
 - भूमि सुधार, ऋण राहत, वन चराई शुल्क, किराया बकाया, भूमि कार्यकाल।
 - वैधानिक और अधिभोगी किरायेदारों को मुख्य लाभ, उप-किरायेदारों और कृषि मजदूरों के लिए कम।
- **श्रम के प्रति दृष्टिकोण**
 - यह दृष्टिकोण औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने हुए श्रमिक हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
 - हड़तालों से पहले अनिवार्य मध्यस्थता की वकालत की गई।
 - मंत्रालयों द्वारा श्रम और पूँजी के बीच मध्यस्थता।
 - उग्रवादी ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शनों के मामलों में धारा 144 का इस्तेमाल किया गया और गिरफ्तारियाँ की गईं।
 - नेहरू ने दमनकारी उपायों पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से मंत्रालयों का समर्थन किया।
 - गांधी ने हिंसक तरीकों का विरोध किया, राजनीतिक शिक्षा पर जोर दिया और औपनिवेशिक कानूनों तथा मशीनरी पर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया।
- **कांग्रेस की पहल के तहत समाज कल्याण सुधार**
 - विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिबंध।
 - हरिजनों के लिए कल्याणकारी उपाय: मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुँच, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवा और पुलिस में प्रतिनिधित्व में वृद्धि।

- प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर ध्यान दें।
- सब्सिडी और अन्य पहलों के माध्यम से खादी के लिए समर्थन।
- जेल सुधार लागू किये गये।
- स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देना।
- योजना प्रयासों के लिए वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना।
- **कांग्रेस द्वारा गैर-संसदीय सामूहिक गतिविधि**
 - बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान शुरू किए गए।
 - कांग्रेस के थानों एवं पंचायतों का गठन किया गया।
 - सरकार को सामूहिक याचिकाएँ प्रस्तुत करने वाली कांग्रेस शिकायत समितियाँ गठित की गईं।
 - विभिन्न मुद्दों की वकालत करने वाले राज्य जन आंदोलन चलाए गए।

इस्तीफे के बाद की घटनाएँ

- द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस का इस्तीफा।
- चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद बंबई, गुजरात, संयुक्त प्रांत और बंगाल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति बढ़ गई।
- कांग्रेस के रवैये में कथित मजदूर विरोधी बदलाव के कारण वर्ष 1938 में बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट लागू हुआ।
- गिरासतों में प्रजा मंडल आंदोलन के समर्थन पर कांग्रेस को दुविधा का सामना करना पड़ा।
- अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कांग्रेस से असंतोष के कारण वर्ष 1938 में पीरपुर समिति की स्थापना हुई।
- पीरपुर समिति ने कांग्रेस मंत्रालयों पर धार्मिक हस्तक्षेप, भाषा थोपने और मुसलमानों पर आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।
- कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि सत्ता में रहते हुए सभी आबादी की अपेक्षाओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था।

द्वितीय विश्व युद्ध के महेनगर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

कांग्रेस का संकटकाल

- सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, कांग्रेस को बढ़ते भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, फर्जी सदस्यता, प्रतिद्वंद्विता और नेताओं के बीच झगड़े के कारण आंतरिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ा।
- जहाँ गांधी ने पहले कांग्रेस को संगठित करने पर जोर दिया, वहीं बोस एक आंदोलन के माध्यम से जनता की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करना चाहते थे।

सुभाष चंद्र बोस का मत

- बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को संगठित करने और ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करते हुए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग के गठन की घोषणा की।

- उन्होंने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव और नमक सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने और गांधी-इरविन समझौते को स्वीकार करने के गांधी के फैसले से असहमत थे।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन [गुजरात]

(फरवरी 1938)

- फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया।
- उन्होंने योजना के माध्यम से आर्थिक विकास की वकालत की और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस उन लोगों को नैतिक समर्थन देगी जो रियासतों में शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे।
- जनवरी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया।
- गांधीजी ने उम्मीदवार के रूप में पट्टाभि सीतारमैया का समर्थन किया, जो उनके दृष्टिकोण के अनुरूप थे। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी ने भी उनका समर्थन किया।
- बोस ने 1377 के मुकाबले 1580 वोटों से चुनाव जीता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों ने बोस का पुरजोर समर्थन किया। गांधीजी ने बोस को बधाई दी लेकिन पट्टाभि की हार को अपनी हार बताया।

त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन [मध्य प्रदेश]

(मार्च 1939)

- बोस और कांग्रेस कार्यसमिति के बीच दरार पैदा हो गई। बीमार होने के बावजूद बोस ने सत्र में भाग लिया और यूरोप में आसन्न साम्राज्यवादी युद्ध की भविष्यवाणी की।
- ब्रिटेन को छह महीने के भीतर स्वराज देने का अल्टीमेटम जारी करने की वकालत की गई। यदि अल्टीमेटम अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा।
- गोविंद बल्लभ पंत ने गांधीवादी नीतियों में विश्वास की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव रखा और बोस से गांधी की इच्छा के अनुसार कार्य समिति बनाने का आग्रह किया।
- बोस ने गांधीजी का विश्वास माँगा लेकिन असफल रहे और अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने, जिससे कांग्रेस में तत्काल संकट का समाधान हो गया।

“आपके द्वारा व्यक्त किए गए विचार दूसरों और मेरे विचारों से इतने विपरीत प्रतीत होते हैं कि मुझे उनमें मेल खाने की कोई संभावना नहीं दिखती।”

– गांधी द्वारा बोस को लिखे अपने पत्र में।

त्रिपुरी में महत्वपूर्ण संकल्प

साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए चीन की जनता को कांग्रेस का बधाई संदेश। कांग्रेस ने चीन के लोगों के लिए अपनी ओर से मेडिकल मिशन भेजने को मंजूरी दी।

फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन

- कांग्रेस के भीतर ही बोस और उनके सहयोगियों ने मई 1939 में मकुर, उन्नाव में एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
- अगस्त 1939 में बोस के अखिल भारतीय विरोध के आह्वान के कारण कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, क्योंकि यह एआईसीसी के निर्देश के खिलाफ था।
- बोस को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और तीन साल के लिए कांग्रेस में कोई भी निर्वाचित पद संभालने से रोक दिया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया

- 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ।
- भारत की ब्रिटिश सरकार ने 3 सितंबर, 1939 को भारतीय जनमत की सलाह/परामर्श के बिना ही युद्ध के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की।

कांग्रेस का वायसराय को प्रस्ताव

- बिना परामर्श के भारत की भागीदारी से असंतोष के बावजूद, कांग्रेस सशर्त रूप से युद्ध को समर्थन करने का तैयार हो गई। इसकी मुख्य शर्तें थीं—
 - कांग्रेस युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा बुलाने पर जोर देती है।
 - केंद्र में एक वास्तविक रूप से जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना का आग्रह किया।

वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि युद्ध के लिए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए, ये निर्धारित शर्तें महत्वपूर्ण थीं।

वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक

वर्धा सत्र (1942) में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कांग्रेस के आधिकारिक रुख को अपनाया। फासीवादी विचारधारा के प्रति अपने उपेक्षा के भाव व तिरस्कार के कारण गांधीजी ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया और मित्र शक्तियों को बिना शर्त समर्थन की वकालत की। उन्होंने लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों और अधिनायकवादी नाज़ियों और फासीवादियों के बीच अंतर किया और युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को संकट में डालने से भी इनकार कर दिया।

समाजवादियों का दृष्टिकोण

- सुभाष बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किसी भी पक्ष का समर्थन करने का विरोध किया और युद्ध को साम्राज्यवादियों के बीच अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के बीच संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटेन से आजादी हासिल करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

नेहरू का रुख

- वे लोकतांत्रिक मूल्यों और फासीवाद के बीच अंतर को पहचानते थे। उनका मानना था कि न्याय ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के पक्ष में है।
- उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से युद्ध को पूँजीवाद के विरोधाभासों के परिणाम के रूप में देखा और भारत के स्वतंत्र होने तक किसी भी भारतीय की भागीदारी

की वकालत नहीं करते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की कठिनाइयों का लाभ उठाने से बचने के लिए तत्काल सविनय अवज्ञा का विरोध किया।

- प्रारंभ में गांधी अलग-थलग पड़े, लेकिन बाद में उनके विचरधारा के साथ नेहरू जुड़ गए। आजादी तक किसी भी भारतीय की भागीदारी नहीं हो, पर जोर देने वाले नेहरू के रुख को कांग्रेस कार्य समिति ने अपनाया।

फासीवादी आक्रमण पर सीडब्ल्यूसी संकल्प

- कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के प्रस्ताव ने फासीवादी आक्रामकता की कड़ी निंदा की।
- भारत कथित तौर पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में भाग नहीं ले सकता जब भारत को इससे वंचित रखा गया हो।
- यदि ब्रिटेन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है, तो उसे अपने उपनिवेशों में साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहिए और भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए और सरकार को तुरंत अपने युद्ध के उद्देश्य घोषित करने चाहिए।
- युद्ध के बाद भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांत कैसे लागू होंगे, इस पर स्पष्टता माँगी गई।

सरकार की प्रतिक्रिया और कांग्रेस का मंत्री परिषद से इस्तीफा

- 17 अक्टूबर 1939 के अपने वक्तव्य में वायसराय लिनलिथगो ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आक्रामकता का विरोध करने से परे सरकार ने ब्रिटिश युद्ध के लक्ष्यों को परिभाषित करने से इनकार कर दिया।
- सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग और राजाओं का उपयोग करने का प्रयास किया।
- इसने 1935 के अधिनियम को संशोधित करने पर विभिन्न प्रतिनिधियों से परामर्श करने की और भारत में विभिन्न समुदायों, दलों और हितों के प्रतिनिधियों के साथ एक 'परामर्शदात्री समिति' की तत्काल स्थापना की प्रतिबद्धता जताई।

सरकार का गुप्त एजेंडा

- इस रणनीति में विरोध को भड़काना और फिर परिस्थिति का उपयोग करके व्यापक शक्तियाँ हासिल करना शामिल था। युद्ध से पहले 1935 के अधिनियम में संशोधन करके प्रांतीय विषयों के संबंध में आपातकालीन शक्तियाँ केंद्र को दी गई थी।
- नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला भारत रक्षा अध्यादेश युद्ध की घोषणा के दिन लागू किया गया था।
- मई 1940 में कांग्रेस पर पूर्व-निर्धारित हमलों के लिए एक अत्यधिक-गुप्त मसौदा क्रांतिकारी आंदोलन अध्यादेश तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस को जापान समर्थक और जर्मनी समर्थक के रूप में चित्रित करके ऐसे कार्यों को उचित ठहराना था।
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और राज्य सचिव जेटलैंड ने ब्रिटिश के भारतीय प्रतिक्रियावादी नीतियों का समर्थन किया। ब्रिटेन के प्रति वैश्विक उदारवादी और वामपंथी सहानुभूति हासिल करते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से हिंदू करार दिया गया।
- ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को शत्रु मानकर भारत पर अपनी पकड़ ढीली करने का कोई इरादा नहीं दिखाया।

- गांधीजी ने जोर देते हुए सरकार की, भारत को लोकतंत्र से वंचित करने वाली असंवेदनशीलता की आलोचना की।

गांधी का उद्धरण

“...अगर ब्रिटेन इसे रोक सकता है तो भारत में कोई लोकतंत्र नहीं होगा।”

“कांग्रेस अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करेगी, बशर्ते वे भारत की स्वतंत्रता के साथ असंगत दावों को आगे न बढ़ाएँ।”

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक

(अक्टूबर 1939)

- वायसराय के बयान को पुरानी साम्राज्यवादी नीति की पुनरावृत्ति कहकर खारिज कर दिया गया।
- युद्ध प्रयास का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया।
- प्रांतों में कांग्रेस मंत्री परिषद के इस्तीफे का आह्वान किया गया।

जनवरी 1940 में, लिनलिथगो ने कहा, “युद्ध के बाद वेस्टमिंस्टर के प्रकार की डोमिनियन स्थिति, भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है।”

कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन [झारखंड]

(मार्च 1940)

- इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। आंदोलन की आवश्यकता पर सहमति थी लेकिन स्वरूप पर असहमति थी।
- गांधीजी ने प्रांतीय सहयोग जारी रखने का समर्थन किया और युद्ध के दौरान अहिंसक आधार पर अंग्रेजों को नैतिक समर्थन की पेशकश की।
- नेहरू ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में कांग्रेस के समर्थन की पूर्व शर्त के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया।
- बोस ने एक उग्रवादी रुख बनाए रखा, स्वतंत्रता को मजबूर करने के लिए औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की वकालत की और ब्रिटेन की कठिनाई को भारत के अवसर के रूप में लें।

कांग्रेस की घोषणा

- कांग्रेस ने घोषणा की कि पूर्ण स्वतंत्रता ही स्वीकार की जाएगी।
- शाही ढाँचे के भीतर किसी भी प्रकार के प्रभुत्व या अन्य दर्जे को अस्वीकार कर दिया। राज्यों या प्रांतों में संप्रभुता लोगों के हाथ में रहने पर जोर दिया गया।
- संकटकाल में जब भी कांग्रेस संगठन उचित समझे या किसी समय सविनय अवज्ञा का निर्णय ले सकता है।

मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव- लाहौर (मार्च 1940)

- मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुस्लिम-बहुल के पास के क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों और घटक इकाइयों में स्वायत्त और संप्रभु बनाने का फैसला किया गया।
- अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए सुरक्षा उपायों की माँग की गई।

अगस्त प्रस्ताव (अगस्त 1940)

- यूरोप में हिटलर की सफलता के कारण इंग्लैंड ने समाधानकारी दृष्टिकोण अपनाया।

- कांग्रेस ने युद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

ब्रिटिश सरकार का अगस्त प्रस्ताव

- इसकी घोषणा अगस्त 1940 में लिनलिथगो द्वारा की गई।
- इसने भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा प्रस्तावित किया और अधिकांश भारतीयों के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का सुझाव दिया।
- युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना जहाँ मुख्य रूप से भारतीय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार संविधान का निर्णय करेंगे (रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, राज्यों के साथ संधियों, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में सरकार के दायित्व की पूर्ति के अधीन)
- अल्पसंख्यक सहमति के बिना संविधान को अपनाने का प्रावधान नहीं।
- 1941 में सलाहकार कार्यों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। पहली बार, अपना संविधान बनाने के भारतीयों के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई। संविधान सभा की कांग्रेस की माँग को स्वीकार कर लिया गया। पहली बार स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की गई।

प्रतिक्रिया

- कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
- नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा को 'डोरेल की तरह मृत' घोषित कर दिया।
- गांधीजी का मानना था कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश शासकों के बीच दूरियाँ बढ़ गईं।
- मुस्लिम लीग ने वीटो आश्वासन का स्वागत किया और समाधान के रूप में विभाजन को दोहराया।

मूल्यांकन

- इसने भारतीयों के अपना संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी।
- संविधान सभा के लिए कांग्रेस की माँग को स्वीकार कर लिया और स्पष्ट रूप से डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की।
- जुलाई 1941 में, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिससे भारतीयों को बहुमत मिला।
- अंग्रेजों ने रक्षा, वित्त और गृह पर नियंत्रण बरकरार रखा।
- सलाहकार कार्यों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

- सरकार ने कांग्रेस-मुस्लिम नेता के समझौते तक कोई संवैधानिक प्रगति नहीं करने पर जोर दिया और भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले अध्यादेश जारी किए।
- कांग्रेस ने गांधीजी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने 1940 के अंत में व्यक्तिगत रूप से सीमित सत्याग्रह शुरू किया।
- उद्देश्य
 - यह दिखाना कि राष्ट्रवादी धैर्य का कारण कमजोरी नहीं था।

- नाजीवाद और भारतीय निरंकुशता के बीच कोई अंतर न करने वाले लोगों की युद्ध-विरोधी भावना व्यक्त करना।
- सरकार को कांग्रेस की माँगों को स्वीकार करने का एक और शांतिपूर्वक मौका प्रदान करना।
- सत्याग्रहियों ने युद्ध विरोधी घोषणा के माध्यम से युद्ध के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माँग की। यदि गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे दोहराएँगे और फिर गाँवों में चले जाएँगे और 'दिल्ली चलो आंदोलन' शुरू करेंगे।
- प्रमुख सत्याग्रही:** विनोबा भावे और नेहरू प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। मई 1941 तक, 25,000 व्यक्तियों को सविनय अवज्ञा के लिए दोषी ठहराया गया था।

क्रिप्स मिशन (मार्च 1942)

मित्र राष्ट्रों के दबाव और जापानी आक्रमण के खतरे के कारण, अंग्रेज विश्व युद्ध के लिए भारतीय समर्थन चाहते थे। मार्च 1942 में, स्टेफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के लिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ एक मिशन का नेतृत्व किया।

क्रिप्स मिशन प्रस्ताव

- डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ का गठन।

[UPSC 2022, 2016]

- युद्ध के बाद संविधान सभा की बैठक।

किसी संविधान को स्वीकार करने की दो पूर्व शर्तें-

- संघ में शामिल होने के इच्छुक प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते थे और एक अलग संघ बना सकते थे।
- सत्ता हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संविधान निर्माता संस्था और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि पर बातचीत।

अंतरिम अवधि के दौरान, भारत की रक्षा और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ ब्रिटिश नियंत्रण में रहें।

महत्व

- पहली बार संविधान बनाने का अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया, अगस्त प्रस्ताव के विपरीत, जहाँ यह मुख्य रूप से भारतीयों के हाथों में था।
- अंतरिम अवधि के दौरान भारतीयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की अनुमति दी गई।
- विभाजन का मसौदा तैयार हुआ।

क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण

कांग्रेस की आपत्तियाँ

- नेहरू और मौलाना आजाद कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे।
- पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की पेशकश पर आपत्ति जताई।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि नामित व्यक्तियों द्वारा रियासतों के प्रतिनिधित्व से असहमता।
- राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विपरीत प्रांतों के अलग होने के अधिकार का विरोध किया।

- तत्काल सत्ता हस्तांतरण योजना और रक्षा में वास्तविक हिस्सेदारी के अभाव की आलोचना की।
- गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाये रखना तथा विशुद्ध रूप से संवैधानिक प्रमुख की माँग को अस्वीकार नहीं किया गया।

मुस्लिम लीग की आपत्तियाँ

- एकल भारतीय संघ की अवधारणा की आलोचना की।
- संघ में प्रांतों के विलय पर निर्णय लेने के लिए संविधान सभा निर्माण ढाँचा और प्रक्रियाओं को अस्वीकार कर दिया।

- माना जाता है कि प्रस्तावों ने मुसलमानों को आत्मनिर्णय और पाकिस्तान के निर्माण के अधिकार से वंचित कर दिया।

अन्य समूह की आपत्तियाँ

- उदारवादियों ने अलगाव को भारत की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए आपत्ति जताई।
- हिंदू महासभा ने अलग होने के अधिकार के आधार की आलोचना की।
- दलित वर्गों को जाति के हिंदुओं के प्रति असुरक्षा का डर था।
- विभाजन से पंजाब के नष्ट हो जाने के डर से सिक्खों ने विरोध किया।

गतिरोध के कारण

गतिरोध के कारण	स्पष्टीकरण
क्रिप्स की अक्षमता	● क्रिप्स की मसौदा घोषणा से आगे बढ़ने में असमर्थता और 'इसे ले लो या छोड़ दो' का कठोर रुख अपनाने से गतिरोध में योगदान हुआ। ● 'कैबिनेट' और 'राष्ट्रीय सरकार' की प्रारंभिक चर्चा को बाद में कार्यकारी परिषद के विस्तार के रूप में स्पष्ट किया गया।
परिग्रहण प्रक्रिया	● परिग्रहण की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव था। ● अलगाव के निर्णय में विधायिका में 60% बहुमत का प्रस्ताव था, यदि कम हो तो वयस्क पुरुषों के साधारण बहुमत के साथ जनमत संग्रह शामिल था।
मुद्दे और अस्पष्टताएँ	● योजना ने पंजाब और बंगाल में हिंदुओं को संघ में शामिल होने से वंचित कर दिया।
कार्यान्वयन की अस्पष्टता	● सत्ता हस्तांतरण को प्रभावित करने वाली संधि को कौन लागू करेगा और उसकी व्याख्या कौन करेगा, इस पर अस्पष्टता।
ब्रिटिश विरोध	● चर्चिल, अमेरी, लिनलिथगो और वार्ड ने लगातार क्रिप्स के प्रयासों को कमजोर किया। ● वायसराय के वीटो पर बातचीत रुक गई।

नेताओं की आलोचना

- गांधी ने इस योजना को 'पोस्ट-डेटेड चेक' कहा।
- नेहरू ने निरंकुश शक्तियों के बने रहने की आशंका जताते हुए संदेह व्यक्त किया।

मिशन के परिणाम

- स्टैफोर्ड क्रिप्स की वापसी ने भारतीय जनता को निराश और शर्मिंदा कर दिया।
- फासीवादी आक्रामकता के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति इस भावना के साथ मौजूद थी कि मौजूदा स्थिति असहनीय हो गई है, जो साम्राज्यवाद पर अंतिम हमले के लिए तत्परता का संकेत देती है।



ONLYIAS
 BY PHYSICS WALLAH

RPP 2025 Rigorous Prelims Test-Series Program

English / हिन्दी | Online / Offline

Daily Practice & LIVE Video Solutions

G.S. & CSAT Tests (Sectional + Full Length)

Mentorship Webinar

Offline ₹ 12,999/- **₹ 4,999/-**

Online ₹ 8,999/- **₹ 3,999/-**

भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

- **भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है,** इसे क्रिप्स मिशन की विफलता की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था (UPSC 2013)। इसने ब्रिटिशों की तत्काल वापसी का आह्वान किया और किसी भी संभावित जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन के लिए पहल की। यह 14 जुलाई, 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। जो अपने पिछले अभियानों की तुलना में अपनी सहज जन भागीदारी के कारण भिन्न था। यह एक नेतृत्वविहीन आंदोलन था। (UPSC 2011)

- **गांधीजी द्वारा विभिन्न वर्गों को 'करो या मरो' का नारा दिया गया,** जिससे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।

उग्रवाद और दमनकारी नीतियाँ: अभूतपूर्व रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आंदोलन को गंभीर दमन का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अपने युद्ध प्रयासों को प्राथमिकता देते हुए कठोर कदम उठाए और अधिकांश राजनीतिक गतिविधियों को अवैध घोषित कर दिया। यहाँ तक कि इस आंदोलन को क्रांतिकारी और औपनिवेशिक शासन के लिए खतरा बताया।

● उत्तरदायी कारक:

- **क्रिप्स मिशन की विफलता (1942):** इसने प्रगति के प्रति ब्रिटिश अनिच्छा को उजागर किया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और दृढ़ संकल्पित होने की मांग की।
- **मुद्रास्फीति और कमी:** आवश्यक वस्तुओं की कमी जैसी अफ़वाहों ने अंग्रेजों की स्थानीय नीतियों को बाधित किया।
- **ब्रिटिश विफलताएँ:** दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा में उपजी परिस्थितियों से जापानी आक्रमण की आशकाएँ बढ़ गईं।
- **आर्थिक असुरक्षा:** बैंक रन, सोने की जमाखोरी।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:** पूर्वी यूपी और बिहार में तीव्र प्रभाव परंतु मुद्रास में कम प्रभाव।
- **वर्धा बैठक (जुलाई 1942) और भारत छोड़ो आंदोलन:**
 - **भारत छोड़ो प्रस्ताव:** कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के दौरान वर्धा में, गांधीजी को अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक जन आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार दिया गया था। यह **भारत छोड़ो संकल्प**, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थित किया गया था। बाद में, ग्वालिया टैंक, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को अनुमोदित किया गया था।

- **गांधीजी का दृष्टिकोण:** गांधीजी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि यह क्षण सबसे उपयुक्त है। हालाँकि संघर्ष को आगे बढ़ाने की अधीरता, भले ही कांग्रेस की झिझक रही हो, परंतु कांग्रेस ने उनके नेतृत्व का अनुसरण करते हुए जन कार्रवाई के निर्णय में एकता का परिचय दिया।

- **'कुरनूल सर्कुलर' (29 जुलाई, 1942):** यह आंध्र क्षेत्र में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया। **'कुरनूल सर्कुलर'**, कला वेंकट राव द्वारा तैयार किया गया, और डॉ. पट्टाभि सीतारमैया के माध्यम से सीडब्ल्यूसी अनुमोदन के लिए भेजा गया। इस दस्तावेज़ में आंदोलन के लिए रणनीतिक निर्देशों की रूपरेखा दी गई थी, हालाँकि इसे पुलिस द्वारा जब कुरनूल कांग्रेस कार्यालय पर छापा मारा गया तो जब्त कर लिया गया।

- **AICC द्वारा गोवालिया टैंक में भारत छोड़ो संकल्प (8 अगस्त, 1942)।** (UPSC 2021)

गोवालिया टैंक में, बैठक के दौरान, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया।

इसमें निम्नलिखित मांगें और निर्देश शामिल थे:

- भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत।
- फासीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रतिबद्धता।
- ब्रिटिश वापसी के बाद एक अनंतिम सरकार का गठन।
- ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा की मंजूरी।
- गांधीजी के **"करो या मरो,"** के नारे ने आंदोलन की तीव्रता और तात्कालिकता को रेखांकित किया।
 - गांधीजी ने एकता और अहिंसक प्रतिरोध का आग्रह किया।
 - **हिंदू और मुसलमान:** भारतीय एकता के लिए धार्मिक मतभेदों को दूर रखा जाये।
 - **सरकारी कर्मचारी:** सेवा में बने रहें, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखें।
 - **सैनिक:** सैनिक भारतीयों पर गोली चलाने से बचें।
 - **छात्र:** यदि योगदान देने में सक्षम हैं तो पढ़ाई छोड़ दें।
 - **किसान:** सरकार समर्थक जमींदारों की लगान रोक लें।
 - **प्रिंसेज:** जनता का समर्थन करें, सरकार विरोधी शासकों के साथ सहयोगी बनें।
- **भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार:**
 - **तैयारियाँ और आरंभिक गिरफ्तारियाँ (अगस्त 9, 1942):** गांधीजी ने सविनय अवज्ञा के माध्यम से प्रचार-प्रसार को गति प्रदान की। अंग्रेजों ने कांग्रेस नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और घोषणा कर दी कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कांग्रेस

गैरकानूनी; नियम 56 के तहत सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- **अरुणा आसफ अली:** 9 अगस्त को कांग्रेस अधिवेशन में झंडा फहराया।
- **सार्वजनिक उपद्रव एवं हिंसात्मक तोड़फोड़:** अवज्ञा के कार्य: झंडे फहराये गए, गिरफ्तारी का सामना किया। यू.पी., बिहार में पुल, रेलवे ट्रैक, टेलीग्राफ लाइनों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया।
- **छात्रों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी:** अहमदाबाद, बॉम्बे, जमशेदपुर, पूना में हड़तालें; छात्रों ने हड़तालों का नेतृत्व किया, अवैध समाचार पत्र प्रसारित किये।

- **भूमिगत गतिविधि:** नेतृत्व धीरे-धीरे भूमिगत हो गया, बम्बई, पूना, सतारा, गुजरात, बिहार, दिल्ली में गतिविधियों का समन्वय किया गया।

- **उषा मेहता** एक गांधीवादी और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने **कांग्रेस रेडियो**, एक भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक काम करता रहा। अधिकारियों से बचने के लिए, आयोजकों ने स्टेशन के स्थान को लगभग प्रतिदिन बदला था।

[UPSC 2011]

- **प्रमुख हस्तियाँ:** राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटूभाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आर.पी. गोयनका आदि।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें

समानांतर सरकार	नेता	गतिविधियाँ
बलिया (अगस्त 1942)	चित्तू पांडे	उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं को रिहा करवाया।
तमलुक (दिसंबर 1942 - सितंबर 1944)– मिदनापुर	जातीय सरकार	चक्रवात राहत, स्कूल अनुदान, गरीबों को धान की आपूर्ति, विद्युत वाहिनी का आयोजन।
सतारा (मध्य 1943 - 1945)– ‘प्रति सरकार’	वाई.बी. चव्हाण, नाना पाटिल आदि।	ग्राम पुस्तकालय, न्यायदान मंडल, निषेध अभियान और ‘गांधी विवाह’ आयोजित किए गए।

भारत छोड़ो आंदोलन में व्यापक जन-भागीदारी

पहलू	विवरण
युवा	● विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई।
व्यापारिक वर्ग	● दान, आश्रय और भौतिक सहायता के माध्यम से।
महिलाएँ	● महिलाओं, विशेषकर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ● इसमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता शामिल हैं।
मजदूर	● अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों की हड़तालें देखी गई।
किसान	● विभिन्न वर्गों के किसान आंदोलन के मूल में थे। किसान हमले सत्ता के प्रतीकों पर केंद्रित थे; विशेष रूप से, कोई जमींदार विरोधी हिंसा नहीं हुई।
सरकारी अधिकारी	● पुलिस सहित निचले स्तर के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे सरकारी निष्ठा में कमी आई।
मुसलमान	● मुसलमानों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को आश्रय देकर आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई।
कम्युनिस्ट	● कम्युनिस्टों ने शामिल होने से परहेज किया; रूस पर नाजी हमले के बाद उनका समर्थन ब्रिटिश युद्ध प्रयासों की ओर स्थानांतरित हो गया।
मुस्लिम लीग	● मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के चले जाने पर अल्पसंख्यकों पर संभावित उत्पीड़न के डर से इस आंदोलन का विरोध किया।
हिंदू महासभा	● हिंदू महासभा ने आंदोलन का बहिष्कार किया।
रियासतें	● रियासतों ने आंदोलन के प्रति धीमी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की।

भारत छोड़ो आंदोलन पर सरकार की प्रतिक्रिया

- **9 अगस्त, 1942:** कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात कारावास में डाल दिया गया।
- 9 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की।
- कांग्रेस कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रांतीय कांग्रेस आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 के तहत समितियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।
- मार्शल लॉ लागू नहीं किया गया, लेकिन कठोर कदम उठाए गए: लाठीचार्ज, आंसू गैस, और भीड़ पर गोलियों का इस्तेमाल किया गया।
- मरने वालों की संख्या लगभग 10,000 आंकी गई थी।
- प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दिया गया, और सेना ने कई शहरों पर नियंत्रण कर लिया, पुलिस और खुफिया विभाग ने महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग किया।
- उग्रवादी विचारों से प्रेरित गांवों को सजा के रूप में भारी जुर्माना और सामूहिक कोड़े का सामना करना पड़ा।

गांधीजी का उपवास (फरवरी 1943)

- **कारण:** ब्रिटिश सरकार की निंदा की मांग के जवाब में गांधीजी ने उपवास किया, लेकिन उन्होंने अपना विरोध राज्य के स्वयं के बल प्रयोग के विरुद्ध केंद्रित किया।
- **सार्वजनिक प्रतिक्रिया:** तेजी से व्यापक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक प्रदर्शन और हड़ताल विरोध किये गए।
- **एकजुटता:** वायसराय की कार्यकारी परिषद के तीन सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।
- **परिणाम:** जनता का मनोबल बढ़ा। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को मजबूत किया। राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की अनुमति मिली। सरकार के तानाशाही कार्यों को उजागर किया।

पाकिस्तान दिवस (23 मार्च, 1943): 23 मार्च, 1943 को एक महत्वपूर्ण घटना को चिह्नित करते हुए, पाकिस्तान दिवस मनाया गया। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग में मील का पत्थर साबित हुआ।

1943 का अकाल

- **सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र:** दक्षिण-पश्चिमी बंगाल, जिसमें तमलुक-कोंताई-डायमंड हार्बर, ढाका, फरीदपुर, टिपेरा और नोआखली शामिल हैं।
- **मरने वालों की संख्या:** भुखमरी, कुपोषण और महामारी (मलेरिया, हैजा और चेचक) के कारण लगभग 1.5 से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई।
- **कारण:** आपूर्ति शृंखलाओं को ब्रिटिश सेना को खाद्यान्न उपलब्ध के लिए पुनर्निर्देशित किया गया था।
- **चावल के आयात में व्यवधान:** बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से आयात रोक दिया गया।
- **कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी:** घोर कुप्रबंधन और मुनाफाखोरी के कारण संकट और भी बदतर हो गया। राशनिंग देर से शुरू की गई और प्रमुख शहरों तक सीमित कर दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक समर्थन नहीं मिला।

संवैधानिक संकट के निराकरण हेतु व्यक्तिगत प्रयास

● राजगोपालाचारी फॉर्मूला (1944)

पहल: 1944 में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी. राजगोपालाचारी (सीआर) ने एक योजना प्रस्तावित की, जिसे बाद में राजगोपालाचारी फॉर्मूला के रूप में जाना गया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस-लीग विभाजन को पाटना था। इसके माध्यम से लीग की पाकिस्तान की मांग को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया।

समर्थन: गांधीजी ने इस योजना का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस के सहयोग का संकेत मिला।

● राजगोपालाचारी फॉर्मूला के मुख्य बिंदु:

- **स्वतंत्रता:** मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी।
- **अस्थायी सरकार:** लीग एक अस्थायी केंद्र सरकार स्थापित करने के लिए कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी।
- **जनमत संग्रह:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक जनमत संग्रह उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लोगों को एक अलग संप्रभु राज्य बनाने पर निर्णय लेने की अनुमति देगा।

- **विभाजन के बाद का समझौता:** यदि विभाजन पर सहमति बन जाती है, तो नई संस्थाओं के बीच रक्षा, वाणिज्य और संचार की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समझौता किया जाएगा।
- **जनसंख्या का स्वैच्छिक स्थानांतरण:** किसी भी स्थिति में, जनसंख्या स्थानांतरण स्वैच्छिक होगा।
- **ब्रिटिश हैंडओवर:** सूत्र का कार्यान्वयन ब्रिटेन द्वारा भारत को पूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित करने पर निर्भर होगा।
- **जिन्ना का दृष्टिकोण:** विरोध करना।
 - कांग्रेस से द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करने की मांग की गई।
 - प्रस्तावित किया गया कि जनमत संग्रह में पूरी आबादी के बजाय उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के केवल मुसलमान ही भाग लें।
 - रक्षा और शासन के लिए एक साझा केंद्र के विचार का विरोध किया गया।
- **हिंदू नेताओं का विरोध:** हिंदू नेताओं, विशेषकर वीर सावरकर ने, राजगोपालाचारी योजना की निंदा की, इसे लीग की पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति के रूप में देखा।
- **गांधी-जिन्ना मतभेद (1944):**
 - 5 मई, 1944 को गांधी की रिहाई के बाद, उन्होंने राजगोपालाचारी (सीआर) फॉर्मूला के आधार पर जिन्ना के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने राजगोपालाचारी पर मूल लाहौर प्रस्ताव को “विकृत” करने का आरोप लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। गांधीजी ने सभी के लिए भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करते हुए द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। जिन्ना ने एक अलग राष्ट्र के रूप में मुसलमानों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दिया। प्रमुख मुद्दों में जनमत संग्रह (लीग द्वारा अस्वीकृत) और रक्षा, वाणिज्य और संचार के लिए एक सामान्य केंद्र शामिल था। गहरे वैचारिक मतभेदों के कारण दो सप्ताह बाद वार्ता विफल हो गई।
- **देसाई-लियाकत समझौता (1945)**
 - **उद्देश्य:** केंद्र में शासन के लिए एक अस्थायी व्यवस्था स्थापित करना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव को कम करना।
 - **संधि के प्रमुख प्रावधान:**
 - ◆ **समान प्रतिनिधित्व:** अंतरिम सरकार के लिए केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की समान संख्या का प्रस्ताव रखा।
 - ◆ **अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व:** अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित।
 - ◆ **परिणाम:** इसके तहत कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन समान प्रतिनिधित्व पर समझौते के जोर ने कांग्रेस और लीग के बीच समानता की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत दिया। हालाँकि, समझौते की विफलता ने भारत के भविष्य के लिए दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में लगातार विभाजन को रेखांकित किया।

वेवेल योजना (1945)

यूरोप के युद्ध के बाद, चर्चिल की कंजर्वेटिव सरकार ने भारत के भविष्य के लिए समाधान खोजा। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने बातचीत शुरू की; कांग्रेस नेताओं को बातचीत के लिए रिहा किया गया (जून 1945)।

- **ब्रिटेन की रुचि:**
 - **ब्रिटिश चुनाव:** रूढ़िवादी भारत के संवैधानिक संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना चाहते थे।
 - **युद्ध प्रयास:** मित्र सेनाओं ने चल रहे युद्ध के लिए अधिक भारतीय समर्थन का आग्रह किया।
 - **रणनीतिक पुनर्निर्देशन:** इसका उद्देश्य ब्रिटेन के लिए लाभकारी तरीके से भारतीय प्रयासों को संचालित करना है।
- **वेवेल योजना की मुख्य विशेषताएं:**
 - **भारतीय बहुमत:** गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर सभी कार्यकारी परिषद के सदस्य भारतीय होंगे।
 - **समान प्रतिनिधित्व:** हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा।
 - **अंतरिम सरकार:** 1935 के भारत सरकार अधिनियम ढांचे के तहत।
 - **गवर्नर-जनरल का वीटो:** वीटो की शक्ति बरकरार रखी गई लेकिन इसका प्रयोग मंत्रिस्तरीय सलाह पर किया गया।
 - **पार्टी प्रतिनिधित्व:** परिषद सदस्यों के लिए संयुक्त नामांकन या अलग सूचियाँ।
- **युद्धोत्तर संविधान निर्माण:** नए संविधान पर आगे की चर्चा युद्ध के बाद होगी।

शिमला सम्मेलन (जून 1945)

- **उद्देश्य:** भारत के लिए स्वशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेवेल योजना को अंतिम रूप देना।
- **मुस्लिम लीग की स्थिति:**
 - **नामांकन नियंत्रण:** कांग्रेस को अल्पसंख्यक प्रभाव से बचने के लिए मुस्लिम परिषद के सदस्यों को लीग का उम्मीदवार बनाने की मांग की गई।
 - **वीटो शक्ति:** मुस्लिम हितों को प्रभावित करने वाले निर्णयों के लिए दो-तिहाई बहुमत से वीटो की मांग की गई।
- **कांग्रेस की स्थिति:**
 - **सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व:** इस योजना का विरोध किया, इसे कांग्रेस को हिंदुओं तक सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा।
 - **व्यापक नामांकन को प्राथमिकता:** सभी समुदायों से सदस्यों को नामांकित करने के अधिकार पर जोर दिया गया।
- **वार्ता का विवरण:**
 - **वेवेल की भूल:** वार्ता को विफल घोषित किया गया, अनजाने में मुस्लिम लीग को परिषद के मामलों में वास्तविक वीटो शक्ति दे दी गई।
 - **प्रभाव:** जिन्ना के प्रभाव और लीग की स्थिति को मजबूत किया, जैसा कि 1945-46 के चुनावों में देखा गया, जिससे कांग्रेस और लीग के बीच विभाजन उजागर हुआ।

सुभाष चंद्र बोस: भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी नेता

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

- **जन्म:** 23 जनवरी, 1897, कटक, उड़ीसा, ब्रिटिश भारत में।
- **पारिवारिक पृष्ठभूमि:** एक सुशिक्षित परिवार में जन्म; पिता जानकीनाथ बोस एक प्रमुख वकील थे, और उनके भाई शरत चंद्र बोस, एक उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी थे।
- **शिक्षा:** एक उत्कृष्ट छात्र, उन्होंने कटक और कलकत्ता में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, 1919 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

- **कांग्रेस के साथ भागीदारी:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) में शामिल हुए, तत्काल स्वतंत्रता की वकालत की और महात्मा गांधी की अहिंसा की रणनीति का विरोध किया।
- **कांग्रेस अध्यक्ष पद:** 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जहां उन्होंने अधिक कट्टरपंथी कार्यवाइयों को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाने की मांग की।
- **फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन:** वैचारिक संघर्षों के कारण 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख की वकालत करने के लिए **फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना** की।

आज़ाद हिंद फ़ौज (इंडियन नेशनल आर्मी)

- **गठन:** प्रारंभ में, धुरी राष्ट्रों के समर्थन के साथ ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए **जापान में कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस** द्वारा किया गया था।
- **बोस का नेतृत्व:** 1943 में आज़ाद हिंद फ़ौज (INA) की कमान संभाली, युद्धबंदियों सहित लगभग 45,000 सैनिकों को एक एकीकृत कर सैन्य बल में एकजुट किया।
- **अंतिम सरकार की घोषणा:** 21 अक्टूबर, 1943 को **सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा** की गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को आज़ादी के लिए एकजुट करना था।
- **सैन्य अभियान:** भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) ने बर्मा अभियान के दौरान महत्वपूर्ण संघर्षों में भाग लिया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में बड़े पैमाने पर विद्रोह को बढ़ाने का प्रयास किया।
- **विचारधारा और दृष्टिकोण:** बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद-विरोध और एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के साथ गठबंधन की मांग की। 1941 में नजरबंदी से बचकर बोस ने आईएनए का नेतृत्व किया और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, उनका नारा, “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा”, प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कायम रहा।

रासबिहारी बोस (1886-1945)

- **प्रारंभिक जीवन और सक्रियता:** भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद 1915 में जापान भाग गए। स्वतंत्रता की वकालत और पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए **टोक्यो में इंडियन क्लब की स्थापना** की।
- **इंडियन इंडिपेंडेंस लीग:** स्वतंत्रता के प्रयासों को एकजुट करते हुए 1942 में स्थापित। 1943 में, आईएनए का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस (सर्वोच्च कमांडर) को सौंप दिया गया।
- **मृत्यु:** फरवरी 1944 में फेफड़े की खराबी के बाद 21 जनवरी, 1945 को मृत्यु हो गई।

रास बिहारी घोष (1845-1921)

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:** बंगाल प्रेसीडेंसी में जन्मे, लंदन विश्वविद्यालय में शिक्षित, कानून की डिग्री।
- **राजनीतिक कैरियर:** वर्ष 1907 और 1908 में कांग्रेस अध्यक्ष, स्व-शासन और संवैधानिक सुधारों की वकालत की। **सूरत विभाजन (1907) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
- **सामाजिक सुधार:** निचली जातियों के लिये महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा दिया।
- **विरासत:** बौद्धिक योगदान, कांग्रेस की विचारधारा को आकार देना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखना।

नोट: रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस दोनों अलग हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए): गठन और गतिविधियाँ

- **कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ:** द्वितीय विश्व युद्ध में, भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने मलाया में ब्रिटिश सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) की भर्ती के लिए जापान से मदद मांगी और सफलतापूर्वक सेना का गठन किया।
- **भर्ती की सफलता:** सिंगापुर के पतन के बाद, सिंह ने 1942 के अंत तक लगभग 40,000 पुरुषों को भर्ती किया, भारत के संभावित जापानी कब्जे की प्रतिक्रिया के रूप में आईएनए की स्थापना की।
- **बोस का आगमन और कमान संभालना:** सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने आईएनए पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने **एचसी चटर्जी** (वित्त) और **लक्ष्मी स्वामीनाथन** (महिला विभाग) जैसे प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति करके 21 अक्टूबर, 1943 को स्वतंत्र भारत के लिए अनंतिम सरकार की स्थापना की।
- **युद्ध की घोषणा:** अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, धुरी राष्ट्रों से मान्यता प्राप्त की और रानी झांसी रेजिमेंट, एक समर्पित महिला इकाई का गठन किया।
- **आईएनए मुख्यालय:** रंगून स्थानांतरित किया गया (जनवरी 1944), "चलो दिल्ली!" के उद्घोष के साथ रंगून की रैली की गई।
- **अंडमान और निकोबार:** 6 नवम्बर 1943 को जापान द्वारा आईएनए को दिया गया, जिसका नाम बदलकर **शहीद द्वीप**, स्वराज द्वीप रखा गया।

- **गांधीजी को राष्ट्रपिता से संबोधन:** 6 जुलाई, 1944, बोस ने आशीर्वाद के लिए गांधी को "राष्ट्रपिता" के रूप में संबोधित किया।
- **इफाल अभियान:** शाह नवाज के तहत आईएनए बटालियन को भेदभाव, कमी, मनोबल का सामना करना पड़ा।
- **भारत में प्रवेश:** आईएनए ने 18 मार्च, 1944 को कोहिमा और इम्फाल की ओर बढ़ते हुए बर्मा सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया।
- **आईएनए का ध्वजारोहण:** कर्नल मलिक ने 14 अप्रैल, 1944 को मणिपुर के मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया, जो स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था।
- **सैन्य प्रशासन:** आईएनए ने तीन महीने तक मोइरांग में सैन्य प्रशासन का प्रबंधन किया जब तक कि मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं कर लिया, जिससे 18 जुलाई, 1944 को आईएनए की वापसी हुई।
- **जापानी आत्मसमर्पण:** 15 अगस्त, 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद, आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया।
- **नेताजी सुभाष बोस की 18 अगस्त, 1945 को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।**
- **युद्ध के बाद की घटनाएँ:** युद्ध के आईएनए कैदियों को भारत लौटने पर कोर्ट-मार्शल का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी रक्षा के लिये एक मजबूत आंदोलन शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया गया।

युद्ध के बाद का राष्ट्रीय परिदृश्य

सरकार के रवैये में बदलाव (जून - सितंबर 1945)

- **प्रतिबंध हटाना:** जून 1945 में सरकार ने कांग्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिया और अपने नेताओं को रिहा कर दिया।
- **वेवेल योजना की विफलता:** वेवेल योजना संवैधानिक गतिरोध को हल करने में विफल रही।
- **लेबर पार्टी का राज्यारोहण:** जुलाई 1945 में, लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में सत्ता संभाली, जिसमें क्लिमेंट एटली प्रधानमंत्री और पेथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव के रूप में थे।
- **चुनावों की घोषणा:** अगस्त 1945 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों की घोषणा की गई, इसके बाद सितंबर में क्रिप्स प्रस्ताव के सिद्धांतों के अनुरूप एक संविधान सभा बुलाने की योजना बनाई गई।

युद्ध के बाद सरकार के रवैये में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारक

- **ग्लोबल पावर शिफ्ट:** यूके का पतन, यूएसए और यूएसएसआर का उदय, भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया।
- **सहानुभूति में वृद्धि:** लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण थी।
- **संसाधन तनाव:** ब्रिटेन का आर्थिक संघर्ष, 1945 तक भारत पर £ 1.2 बिलियन का बकाया था।
- **साम्राज्यवाद विरोधी भावना:** वियतनाम और इंडोनेशिया में औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध।

- **विद्रोह का डर:** सेना और आईएनए के बीच कृषि विद्रोह और असंतोष का खतरा।
- **चुनावों की अनिवार्यता:** युद्ध के बाद के चुनाव अपरिहार्य हो गए, जिससे ब्रिटिश पीछे हट गए।

कांग्रेस चुनाव (1945-1946)

कांग्रेस का प्रदर्शन

- **91%** गैर-मुस्लिम वोट हासिल किए।
- केंद्रीय विधानसभा की **102 सीटों में से 57 सीटें** जीतीं।
- बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर अधिकांश प्रांतों में प्रमुखता हासिल की; विशेष रूप से **एनडब्ल्यूएफपी** और असम में प्रमुखता।

मुस्लिम लीग का प्रदर्शन

- **86.6%** मुस्लिम वोट और केंद्रीय विधानसभा में सभी **30** आरक्षित सीटें हासिल कीं।
- बंगाल और सिंध में बहुमत हासिल किया, मुसलमानों के बीच प्रमुख पार्टी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया।
- पंजाब में, खिझ हयात खान के नेतृत्व वाले गठबंधन में संघवादी, कांग्रेस और अकाली शामिल थे।

चुनावों की मुख्य विशेषताएं

- पृथक निर्वाचक मंडल के कारण चुनावों में सांप्रदायिक मतदान का प्रदर्शन हुआ।
- सीमित मताधिकार: केवल 10% से कम आबादी प्रांतों के लिये मतदान कर सकती थी। 1% से कम केंद्रीय विधानसभा के लिये मतदान कर सकती थी।

आईएनए का अवलोकन

- सितंबर 1945 में बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन में, एक मजबूत प्रस्ताव ने आईएनए के परिणामों का समर्थन किया। आईएनए कैदियों के लिए कानूनी बचाव का समन्वय भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली सहित अनेक नेताओं द्वारा किया गया था। आईएनए राहत और जांच समिति ने प्रभावित व्यक्तियों के लिए मौद्रिक और खाद्य सहायता के साथ-साथ रोजगार सहायता प्रदान की। निधि संग्रह के लिए संगठित प्रयास लागू किए गए।

आईएनए विद्रोह: एक ऐतिहासिक आंदोलन

- **तीव्र अभियान:** इस आंदोलन को प्रेस कवरेज, पैम्फलेट्स, सार्वजनिक बैठकों और संपादकीय के माध्यम से व्यापक समर्थन मिला।
- आईएनए दिवस (12 नवंबर, 1945) और आईएनए सप्ताह (5-11 नवंबर, 1945): पूरे भारत में मनाया गया।
- **राष्ट्रव्यापी भागीदारी:** दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों और कूर्ग, बलूचिस्तान और असम जैसे क्षेत्रों के सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों को शामिल किया।
- **क्रॉस-सेक्टर समर्थन:** फिल्म सितारों, नगरपालिका समितियों और प्रवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- **सामूहिक गतिविधियाँ:** इसमें दुकान बंद करना, छात्र बैठकें, किसान सम्मेलन और कैदी रिहाई की मांग शामिल थी।
- **व्यापक समर्थन:** कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अकालियों, हिंदू महासभा और यहां तक कि वफादार गद्दों ने भी इसका समर्थन किया।

केंद्रीय विषय और राजनीतिक महत्व

- आंदोलन ने भारतीय मामलों को स्थगित करने के ब्रिटेन के अधिकार पर सवाल उठाये, आईएनए मुद्दे को तेजी से “भारतीय बनाम ब्रिटिश” के रूप में तैयार किया।
- आजाद हिंद फौज के कैदियों के लिए सार्वजनिक परीक्षण नवंबर 1945 में लाल किले में पहले परीक्षण के साथ शुरू हुआ, जिसमें प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह दिल्ली शामिल थे, जो भारतीयों के बीच एकता के प्रतीक थे। (UPSC 2021)
- वियतनाम और इंडोनेशिया में फ्रांसीसी और डच औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना की इकाइयों की तैनाती ने शहरी आबादी और सेना के बीच साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रेरित किया।

तीन प्रमुख घटनाक्रम (1945-46 की शरद ऋतु)

वर्ष 1945-46 की सर्दियों में, आईएनए परीक्षणों के दौरान बढ़ी राष्ट्रवादी भावना ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण टकराव का नेतृत्व किया, जो तीन प्रमुख अभ्युत्थानों द्वारा चिह्नित था:

- **21 नवंबर, 1945:** आईएनए परीक्षणों पर कलकत्ता में विरोध।
- **11 फरवरी, 1946:** आईएनए अधिकारी राशिद अली को सात वर्ष की सजा के खिलाफ कलकत्ता में प्रदर्शन।
- **18 फरवरी, 1946:** रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग द्वारा बॉम्बे नेवल स्ट्राइक की शुरूआत की गई।

अभ्युत्थान के तीन-चरण

- **चरण I: प्राधिकरण की अवज्ञा**
 - **21 नवंबर, 1945:** फॉरवर्ड ब्लॉक और एसएफआई कार्यकर्ताओं सहित छात्रों ने डलहौजी स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें पुलिस लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, पत्थरों से जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप दो कार्यकर्ताओं की मौत हुई।
 - **11 फरवरी, 1946:** मुस्लिम लीग के छात्रों ने राशिद अली की सजा का विरोध किया, धारा 144 का उल्लंघन किया और आगे गिरफ्तारी और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा।
 - **18 फरवरी, 1946:** एचएमआईएस तलवार की 1100 रॉयल इंडियन नेवी (आरआईएन) इकाई नस्लीय भेदभाव, अरुचिकर भोजन, अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के लिए गिरफ्तारी, आईएनए मुकदमा और इंडोनेशिया में भारतीय सैनिकों के उपयोग के खिलाफ, हड़ताल पर चली गई।
 - रॉयल इंडियन नेवी इकाई ने विद्रोही बेड़े पर तिरंगे, अर्द्धचंद्र और हंसिया-हथौड़े के प्रतीक लगे झंडे फहराए।

- **चरण II: व्यापक शहरी भागीदारी**
 - कलकत्ता और बॉम्बे को व्यापक ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से लगभग पक्षाघात का सामना करना पड़ा, जिससे पुलिस, दुकानों और परिवहन केंद्रों पर कई हमले हुए।
- **चरण III: राष्ट्रीय एकजुटता**
 - छात्रों ने बहिष्कार और हड़ताल का आयोजन किया, जिससे पूरे भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों में सहानुभूति भरी हड़तालें हुईं। **रॉयल इंडियन एयर फोर्स** भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई।

प्रभाव का मूल्यांकन

- उग्रवादी भावना: **रॉयल नौसेना (RIN)** विद्रोह सहित उतार-चढ़ाव, का काल अंततः ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक था।
- इन घटनाक्रमों में **मिलीं रियायतें**:
 - केवल उन आईएनए सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया जिन पर गंभीर अपराधों का आरोप था।
 - जनवरी, 1947 ई. में पहले बैच की कारावास की सजा माफ कर दी गई।
 - फरवरी, 1947 ई. तक भारतीय सैनिकों को भारत-चीन और इंडोनेशिया से हटा लिया गया।
 - नवंबर, 1946 ई. में भारत में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के निर्णय के बाद जनवरी, 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया गया।
 - **सीमित भागीदारी**: मुख्य रूप से आतंकवादी समूह; शहरी-केंद्रित; ब्रिटिश दमन तंत्र काफी हद तक प्रभावी रहा।

कांग्रेस की रणनीति

- **वामपंथी परिप्रेक्ष्य**: नियंत्रण खोने पर चिंता, एक स्वतंत्र भारत में अनुशासन को प्राथमिकता देना।
- **हिंसक विद्रोह से परहेज**: पहले के राष्ट्रवादी आंदोलनों के विस्तार के रूप में देखा गया; कांग्रेस ने हिंसक विद्रोहों का समर्थन करने से परहेज किया।
- **समझौता वार्ता के फोकस बिन्दु**: कांग्रेस ने समझौता वार्ता का समर्थन किया, गांधी ने विद्रोह का विरोध किया, स्थापित नेतृत्व के माध्यम से समाधान का आग्रह किया।

नौसेना विद्रोह: ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लिए अंतिम सहारा

फरवरी 1946 में **रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह** ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। नौसैनिकों ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए खराब परिस्थितियों और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया।

- विद्रोह को भारतीय आबादी, **राजनीतिक नेताओं और रॉयल इंडियन एयर फोर्स** सहित सैन्य गुटों से **व्यापक समर्थन मिला**। इसने ब्रिटिश भेद्यता को उजागर किया और अंतरराष्ट्रीय दबाव को आकर्षित किया, विशेष रूप से यू.एस. और सोवियत संघ, स्वतंत्रता का आग्रह। विद्रोह ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच **एकता** को बढ़ावा दिया और निरंतर ब्रिटिश शासन की अव्यवहारिकता को उजागर किया, जिससे सत्ता के हस्तांतरण में तेजी आई।

कैबिनेट मिशन (1946)

फरवरी 1946 में, **एटली सरकार ने भारत को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर बातचीत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कैबिनेट मिशन भारत भेजा**।

- **सदस्य**: **पेथिक लॉरेंस** (भारत के लिए अध्यक्ष और राज्य सचिव), **स्टैफोर्ड क्रिप्स** (व्यापार मंडल के अध्यक्ष), और **ए.वी. अलेक्जेंडर** (एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड)।
- **लक्ष्य**: ब्रिटिश वापसी और भविष्य के संबंधों के लिए रूपरेखा निर्धारित करना, बहुसंख्यक प्रगति पर उनके वीटो को रोकते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर देना।
- **कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुंचा**।
- **मिशन के मुख्य बिन्दु**:
 - अंतरिम सरकार का गठन।
 - भारत के लिए संवैधानिक ढांचे का गठन।
- **परिणाम**: **एकता या विभाजन पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई सहमति नहीं थी**, जिससे मिशन को मई 1946 में अपनी संवैधानिक योजना का प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित किया गया। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया गया।
- **अस्वीकृति के कारण**:
 - **गैर-मुस्लिम आबादी**: उत्तर-पश्चिम में 38% और उत्तर-पूर्व में 48%।
 - **सांप्रदायिक आत्मनिर्णय**: हिंदू-बहुल बंगाल और सिख/हिंदू-बहुल पंजाब को अलग करने का जोखिम।
 - क्षेत्रीय संबंधों में व्यवधान और सैन्य सुरक्षा जोखिम।

प्रांतीय विधानसभाओं का समूहन

- **ग्रुप ए**: हिंदू बहुल प्रांत (मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा)।
- **ग्रुप बी**: मुस्लिम-बहुल प्रांत (पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध)।
- **ग्रुप सी**: मुस्लिम बहुल प्रांत (बंगाल, असम)।

समूहीकरण पर कांग्रेस व लीग के विचार

- **कांग्रेस**: वैकल्पिक समूह को प्राथमिकता दी और डर था कि यह पाकिस्तान के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। **वीटो पावर हटाने का विरोध किया**।
- **मुस्लिम लीग**: पाकिस्तान की ओर एक कदम के रूप में अनिवार्य समूहीकरण पर जोर दिया।

संघीय संविधान सभा की संरचना

- **त्रिस्तरीय सरकार (प्रांतीय, अनुभागीय और संघ स्तर)** का प्रस्ताव रखा।
- **389 सदस्यों की संविधान सभा**: प्रांतीय विधानसभाओं से 292, रियासतों से 93 और मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4।
- **रक्षा, संचार और विदेशी मामलों** को नियंत्रित करने के लिए **केंद्रीय प्राधिकरण**; प्रांतों को अन्य मामलों पर स्वायत्तता रखने के लिए।

सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और लचीलापन

- **केंद्रीय विधायिका में सांप्रदायिक मुद्दों का फैसला दोनों समुदायों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा**।

- चुनाव के बाद प्रांत अपने समूहों से बाहर निकल सकते थे , और संविधान सभा से एक अंतरिम सरकार बनेगी।

कैबिनेट मिशन योजना पर संगठनों की आपत्तियाँ

- कांग्रेस की आपत्तियाँ: उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और असम जैसे प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण का विरोध किया। रियासतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति से असहमति प्रकट की।
- मुस्लिम लीग की आपत्तियाँ: पाकिस्तान की ओर एक कदम के रूप में अनिवार्य समूहीकरण पर ज़ोर। कांग्रेस की अस्वीकृति के बाद अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है।

योजना की स्वीकृति और अस्वीकृति

- मुस्लिम लीग ने 6 जून, 1946 को इस योजना को स्वीकार कर लिया।
- कांग्रेस ने 24 जून, 1946 को स्वीकार किया।
- संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए।
- नेहरू का वक्तव्य (10 जुलाई, 1946): यह सुझाव दिया गया कि उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और असम की आपत्तियों के कारण समूहीकरण आवश्यक नहीं हो सकता है।

मुस्लिम लीग की वापसी और प्रत्यक्ष कार्रवाई

- 29 जुलाई, 1946 को मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त, 1946 से “सीधी/प्रत्यक्ष कार्रवाई” का आह्वान किया।
- परिणाम: हिंसक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, विशेष रूप से कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर में, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हुई।

(नोट: प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा चुने गए थे। (UPSC 2013))

अंतरिम सरकार का गठन

- गठन: जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर, 1946 को हुआ था।
- नेहरू की स्थिति: नेहरू ने अनिवार्य समूह बनाने के लिए कांग्रेस के विरोध को बनाए रखा।
- कार्यक्षमता: “अंतरिम सरकार” कहे जाने के बावजूद, इसने मुख्य रूप से पूर्व वायसराय के कार्यकारी अधिकार के विस्तार के रूप में कार्य किया।
- कैबिनेट की गतिशीलता: मार्च 1947 में एक अंतिम कैबिनेट बैठक में, वेवेल ने आईएनए कैदियों की रिहाई सहित महत्वपूर्ण निर्णयों पर मंत्रियों को खारिज कर दिया।

मुस्लिम लीग का समावेश

- एकीकरण: वेवेल ने 26 अक्टूबर, 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल किया, इसके बावजूद कि लीग ने ‘प्रत्यक्ष कार्रवाई’ की वकालत जारी रखी और दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों कैबिनेट मिशन योजनाओं को अस्वीकार कर दिया।
- विधानसभा का बहिष्कार: लीग ने 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया गया।

- विधानसभा की गतिविधियाँ: सभा मुख्य रूप से नेहरू द्वारा तैयार किए गए ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ को पारित करने पर केंद्रित थी, जो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के आदर्शों को रेखांकित करती थी।

विघटनकारी दृष्टिकोण और लीग के गुप्त उद्देश्य

- लीग ने एक विघटनकारी दृष्टिकोण अपनाया, जो शासन के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान गुप्त उद्देश्यों का संकेत देता है। लीग ने अनौपचारिक कैबिनेट बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया, कांग्रेस सदस्यों द्वारा किए गए निर्णयों और नियुक्तियों का विरोध किया। वित्त मंत्री के रूप में, लियाकत अली खान ने प्रतिबंध लगाए जो अन्य मंत्रालयों के प्रभावी कामकाज में बाधा डालते थे। लीग का उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देना था, सरकार में अपनी भागीदारी को वैकल्पिक साधनों के माध्यम से गृह युद्ध की निरंतरता के रूप में देखते हुए।
- कांग्रेस की मांगें: कांग्रेस ने लीग के कार्यों को प्रभावित करने या अंतरिम सरकार से अपनी वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए अंग्रेजों पर लगातार दबाव डाला। फरवरी 1947 में, नौ कांग्रेस कैबिनेट सदस्यों ने वायसराय को लिखा, लीग के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की और अपने स्वयं के प्रत्याशियों को वापस लेने की धमकी दी। स्थिति तब और भी बढ़ गई जब लीग ने संविधान सभा को भंग करने का आह्वान किया, जिससे आगे संभावित संकट का संकेत मिला।

अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल

(2 सितंबर, 1946 - 15 अगस्त, 1947)

- अंतरिम सरकार के मंत्रियों में, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।
- वल्लभभाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा, डॉ. जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग प्रदान किया गया।
- सी. राजगोपालाचारी को शिक्षा, सीएच भाभा को कार्य, खान और विद्युत मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम और आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया है।
- अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के नेता: अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के नेताओं में वित्त के लिए लियाकत अली खान, वाणिज्य के लिए इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, संचार के लिए अब्दुर रब निशतार, स्वास्थ्य के लिए गजनफर अली खान और विधि के लिए जोगेंद्र नाथ मंदा शामिल थे।

वेवेल का ‘ब्रेकडाउन प्लान’

मई 1946 में, लॉर्ड वेवेल ने कैबिनेट मिशन को ब्रेकडाउन प्लान का प्रस्ताव दिया , जिसके प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

- ब्रिटिश सेना की वापसी: ब्रिटिश सेना और अधिकारी उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मुस्लिम प्रांतों में पीछे हट जाएंगे।

- **सत्ता का हस्तांतरण:** भारत का अधिकार कांग्रेस को सौंप दिया जाएगा।
- **वास्तविकता की मान्यता:** यह स्वीकार करना कि विद्रोह लगातार अस्थिर होता जा रहा था।
- **विभाजन की इच्छा:** कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने पाकिस्तान के भीतर “उत्तरी आयरलैंड” के समान एक विभाजन बनाने की मांग की।

युद्धोत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य: विभाजन के साथ स्वतंत्रता

- साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से, ब्रिटेन ने स्वतंत्रता को भारतीय स्वशासन को सुविधाजनक बनाने के अपने मिशन को पूरा करने के रूप में देखा। **विभाजन को हिंदू-मुस्लिम विभाजन और सत्ता हस्तांतरण पर आम सहमति हासिल करने में विफलता** के परिणाम के रूप में माना जाता था।
- एक अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण से पता चलता है कि स्वतंत्रता 1946-47 में जन कार्यों के परिणामस्वरूप हुई, जहां नेता कम्युनिस्ट नेता के रूप में उभरे। हालांकि, क्रांतिकारी विद्रोह के भय से कांग्रेस के बुर्जुआ नेताओं ने साम्राज्यवादियों के साथ बातचीत का विकल्प चुना, जिससे सत्ता का हस्तांतरण हुआ अंततः राष्ट्रीय एकता से समझौता हुआ।
- हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत की स्थापना की बात की।
- **एटली की घोषणा (20 फरवरी, 1947):** 20 फरवरी, 1947 को एटली ने घोषणा की कि संवैधानिक समझौते की परवाह किए बिना **भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून, 1948 तक समाप्त हो जाएगा।** सत्ता को या तो केंद्रीय प्राधिकरण को या सीधे प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किया जा सकता है, खासकर मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में।
 - रियासतों पर ब्रिटिश जिम्मेदारियां भी उत्तराधिकारी सरकार के बिना समाप्त हो जाएंगी, जो विभाजन पर क्रिप्स ऑफर के समान संकेत देती हैं। इस निर्णय का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को हल करना, ब्रिटिश ईमानदारी का प्रदर्शन करना और ब्रिटेन के घटते नियंत्रण को स्वीकार करना था, जैसा कि लॉर्ड वेवेल ने उल्लेख किया था।
 - इस घोषणा ने पंजाब में हिंसा शुरू कर दी, जिसके कारण खिन्न हयात खान का गठबंधन टूट गया, और कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे अपने लक्ष्यों के सत्यापन के रूप में देखा।
- 10 मार्च, 1947 को, **जवाहरलाल नेहरू** ने सुझाव दिया कि **कैबिनेट मिशन** का कार्यान्वयन सबसे अच्छा समाधान था, जिसमें पंजाब और बंगाल का विभाजन एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था।
- अप्रैल 1947 तक, **कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी** ने बंगाल और पंजाब के निष्पक्ष विभाजन पर आकस्मिक संघर्ष से बचने के लिए पाकिस्तान को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की।

माउंटबेटन वायसराय के रूप में नियुक्त

- वायसराय के रूप में, **माउंटबेटन (12, फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947)** ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक निर्णायकता दिखाई, उन्हें मौके पर निर्णय लेने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल से लाभ हुआ। उन्होंने अक्टूबर

1947 तक एकता या विभाजन के विकल्पों का पता लगाने का लक्ष्य रखा। हालांकि, उन्होंने जल्दी ही कैबिनेट मिशन योजना की निरर्थकता को पहचान लिया, जिन्ना **एक संप्रभु राज्य की स्थापना के पक्ष में अड़े रहे।**

- **माउंटबेटन योजना (3 जून, 1947):** वी.पी. मेनन द्वारा प्रस्तावित, इस योजना में निम्न प्रावधान शामिल थे:
 - पंजाब और बंगाल की विधान सभाएं अलग-अलग हिंदू और मुस्लिम समूहों में विभाजन के लिए मतदान करेंगी। किसी भी समूह में एक साधारण बहुमत के परिणामस्वरूप इन प्रांतों का विभाजन होगा।
 - विभाजन के मामले में, दो डोमिनियन (**भारत और पाकिस्तान**) और दो संविधान सभाएं बनाई जाएंगी।
 - **विभाजन** के संबंध में सिंध अपना निर्णय स्वयं लेगा।
 - **एनडब्ल्यूएफपी** और बंगाल के **सिलहट जिले में जनमत संग्रह** इन क्षेत्रों के भाग्य का निर्धारण करेंगा।
- **कांग्रेस की रियायतें:** कांग्रेस ने एकीकृत भारत की मांग को स्वीकार किया, जबकि अन्य मांगों को हासिल किया, जिनमें निम्न प्रावधान शामिल हैं:
 - **रियासतें** स्वायत्त नहीं होंगी, लेकिन भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी।
 - बंगाल क्षेत्र की स्वायत्ता से इनकार कर दिया गया था।
 - **हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय** के प्रश्न से भी इनकार किया गया (माउंटबेटन ने इस पर कांग्रेस का समर्थन किया)।
 - स्वतंत्रता की तिथि 15 अगस्त, 1947 **निर्धारित कर दी गई।**
 - विभाजन को लागू करने के लिए सीमा आयोग की स्थापना की जाएगी।

प्रारंभिक तिथि के पीछे तर्क: 15 अगस्त, 1947 को सत्ता हस्तांतरण निर्धारित करने का निर्णय ब्रिटेन की इच्छा से प्रेरित था:

- कांग्रेस की प्रभुत्व की स्थिति की स्वीकृति को सुरक्षित करें।
- बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की जिम्मेदारी से बचें।

माउंटबेटन योजना पर प्रतिक्रियाएं

- **महात्मा गांधी** ने विभाजन पर गहरा दुख व्यक्त किया और लोगों से योजना की स्वीकृति का विरोध करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित एकता का खंडन करती है।
- **मौलाना आज़ाद का विरोध:** मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस नेतृत्व की योजना को स्वीकार करने का विरोध किया, इसे सत्ता के सामने आत्मसमर्पण के रूप में देखा।
- **मुस्लिम लीग को रियायतें:** क्रिप्स मिशन (1942), गांधी-जिन्ना वार्ता (1944), कैबिनेट मिशन योजना (1946) ने मुस्लिम स्वायत्तता और आत्मनिर्णय का समर्थन किया।
 - पाकिस्तान के लिए **लीग की** मांग को मान लिया गया था, और एकता पर कांग्रेस की स्थिति को पाकिस्तान के आकार को कम करने के लिए माना गया था।

- **डोमिनियन स्टेट्स और विभाजन की स्वीकृति के लिए कांग्रेस के तर्क**
 - **प्रशासन में निरंतरता:** इसने नौकरशाही और सेना के भीतर निरंतरता की अनुमति दी, जो शासन के लिये महत्वपूर्ण है।
 - **ब्रिटिश परिप्रेक्ष्य:** ब्रिटेन के लिये प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना भारत की आर्थिक शक्ति और रणनीतिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध को बनाए रखने का एक तरीका था।
 - **मुसलमानों को एकीकृत करने में विफलता:** एक एकीकृत राष्ट्र के लिए मुस्लिम जनता को एकजुट करने के लिए संघर्ष किया।
 - **तत्काल शक्ति हस्तांतरण:** सांप्रदायिक हिंसा और एक विफल अंतरिम सरकार को रोकने के लिये इसकी आवश्यकता थी।
 - **बाल्कनीकरण की रोकथाम:** विभाजन ने रियासतों को विखंडन से बचा लिया।
 - **शून्यीकरण और दंगों को नियंत्रित करने में विफलता:** कांग्रेस, दंगों का प्रबंधन करने में असमर्थ, ने विभाजन को एक समाधान के रूप में स्वीकार किया।

माउंटबेटन योजना का निष्पादन:

- माउंटबेटन योजना को समय पर ही निष्पादित किया गया था, बंगाल और पंजाब में विधानसभाओं ने विभाजन का विकल्प चुना था, जिसके परिणामस्वरूप:
 - **विभाजन के परिणाम:** पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जबकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारत के साथ रहे।
 - **सिलहट में जनमत संग्रह:** सिलहट में एक जनमत संग्रह ने पूर्वी बंगाल में इसे शामिल कर लिया।
 - **सीमा आयोग की स्थापना:** नई सीमाओं का परिसीमन करने के लिये दो आयोगों की स्थापना की गई, जिसकी परिणति 17 अगस्त, 1947 को **रेडक्लिफ रेखा** के प्रकाशन में हुई, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन को रेखांकित किया।
- **डिकी बर्ड प्लान:** अंतिम माउंटबेटन योजना से पहले, “डिकी बर्ड प्लान” के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसने सुझाव दिया कि प्रांतों को भारतीय संघ या दो प्रभुत्व वाले राज्य के रूप में, बनाने के बजाय स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनाना चाहिए। हालाँकि नेहरू ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया, यह चेतावनी देते हुए कि यह भारत के **बाल्कनीकरण** को जन्म दे सकता है और संघर्ष को भड़का सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- **सर सिरिल रेडक्लिफ आयोग (UPSC 2014):** भारत के विभाजन के निर्णय के बाद, अंग्रेजों ने जुलाई 1947 में **सर सिरिल रेडक्लिफ आयोग** की स्थापना की। इस आयोग को भारत और पाकिस्तान के नवगठित डोमिनियन के बीच सीमाओं का सीमांकन करने का काम सौंपा गया था, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में।
 - **नोट:** रेडक्लिफ द्वारा तैयार किए गए सीमा आयोग पुरस्कार की घोषणा करने में देरी, जो 12 अगस्त, 1947 तक तैयार हो गई थी, जानबूझकर की गई थी। माउंटबेटन ने 15 अगस्त के बाद इसका खुलासा करने का फैसला किया, इस प्रकार अंग्रेजों को बाद की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का विकास

- **1887:** डफरिन और कोल्विन की कांग्रेस विरोधी रणनीतियों में कुछ मुसलमानों के शामिल होने के बावजूद कांग्रेस में मुस्लिम भागीदारी को हतोत्साहित करने के लिए सैयद अहमद खान जैसे नेताओं का लाभ उठाना शामिल था।
- **1906:** आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, जिससे ब्रिटिश वफादारी का समर्थन करने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ।
- **1909:** मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने सांप्रदायिक पहचान को मजबूत करते हुए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किए।
- **1915:** पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा सत्र ने संगठित हिंदू राजनीतिक लामबंदी को चिह्नित किया।
- **1912-1924:** मुस्लिम लीग ने आंतरिक बदलावों का अनुभव किया, और त्वरित सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाया।
- **1916:** कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति ने मुस्लिम लीग की राजनीतिक मान्यता को दर्शाया।
- **1920-22:** खिलाफत जैसे आंदोलनों में मुसलमानों की भागीदारी जारी रही, लेकिन सांप्रदायिक तत्व अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में बने रहे।
- **1920 का दशक:** सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए, दोनों समुदायों की प्रतिक्रियाओं के साथ, आर्य समाजवादियों के शुद्ध आंदोलन और मुस्लिम प्रतिकारों द्वारा अनुकरणीय है।
- **1928:** नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जिन्ना के चौदह सूत्रीय कार्यक्रम आया जिसने सांप्रदायिक मांगों को तेज कर दिया।
- **1930-34:** सविनय अवज्ञा आंदोलन में सीमित मुस्लिम भागीदारी ने राष्ट्रवादी आंदोलनों के भीतर विभाजन को उजागर किया।
- **1932:** सांप्रदायिक पुरस्कार ने मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मांगों को वैध ठहराया।
- **1937 के पश्चात:** मुस्लिम लीग ने रहमत अली और इकबाल जैसी शख्सियतों से प्रभावित होकर चरम सांप्रदायिकता को अपना लिया और मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र के रूप में पेश किया।
- **24 मार्च, 1940:** लाहौर प्रस्ताव ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को मूर्त रूप देते हुए समीपस्थ क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों का आह्वान किया।
- **द्वितीय विश्व युद्ध:** ब्रिटिश सरकार ने संघ को महत्वपूर्ण शक्ति दी, जिससे इसे एक अलग पाकिस्तान के लिए दबाव बनाने की अनुमति मिली, जिसे अंततः 1947 में हासिल किया गया था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- **18 जून, 1947 को,** माउंटबेटन योजना पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 5 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद शाही स्वीकृति मिली। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
 - दो स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान का निर्माण, 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी।
 - प्रत्येक डोमिनियन में अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार गवर्नर-जनरल होगा।

- संविधान सभाएं विधायी शक्तियों का प्रयोग करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा केंद्रीय विधान सभा और राज्यों की परिषद का विघटन होगा।
- सरकारें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संचालित होती रहीं, जब तक कि नए संविधान को अपनाया नहीं गया।
- नतीजतन, पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिली, जबकि भारत ने 15 अगस्त, 1947 को अपनी आजादी का जश्न मनाया। एम.ए. जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल बने, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अनुरोध पर भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में बने रहे।

राज्यों का एकीकरण:

- राज्य जन आंदोलन (1946-47) राजनीतिक अधिकारों और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के लिए उमड़ा। नेहरू ने उदयपुर (1945) और खालियर

(अप्रैल 1947) में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें कहा गया था कि गैर-भाग लेने वाले राज्यों को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा।

- चरण I - विलय का दस्तावेज: 15 अगस्त, 1947 तक, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर केंद्रीय नियंत्रण प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए।
- चरण II - एकीकरण: काठियावाड़, विंध्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जटिल एकीकरण। हालांकि हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर-कोचीन ने अपनी सीमाओं को यथावत बनाए रखा। प्रिंसी पर्स की पेशकश की गई, कुछ राजकुमार राज्यपाल या राजप्रमुख बन गए।



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

RPP 2025

Rigorous Prelims Test-Series Program

English / हिन्दी | Online / Offline

Daily Practice & LIVE Video Solutions

G.S. & CSAT Tests (Sectional + Full Length)

Mentorship Webinar

Offline ₹ 12,999/- **₹ 4,999/-**

Online ₹ 8,999/- **₹ 3,999/-**

FOR EXTRA DISCOUNT

USE COUPON CODE **PWOIAS500**

9920613613

pwonlyias.com

Offline Centres

KAROL BAGH
 मुज़फ़्फ़ी नगर
 PRAYAGRAJ
 LUCKNOW
 PATNA

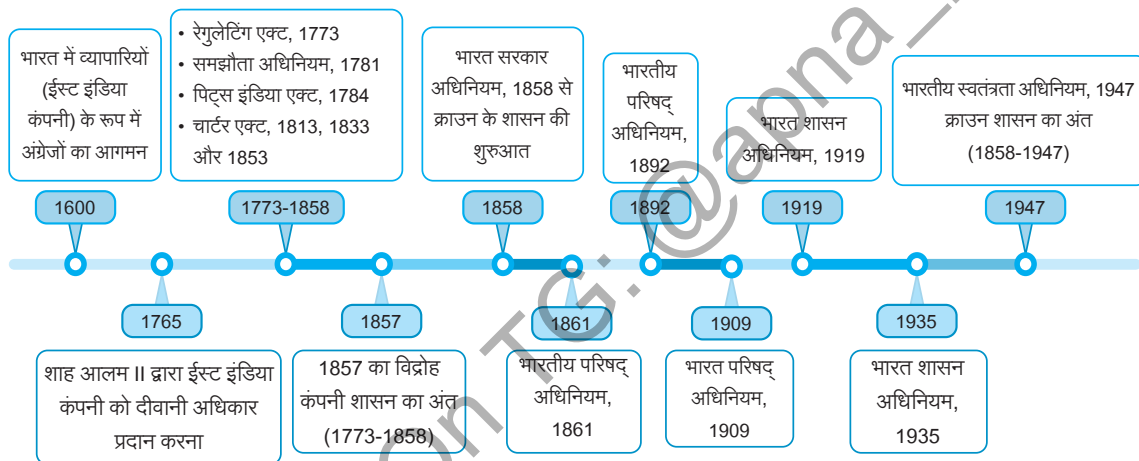
ब्रिटिश भारत का संवैधानिक विकास

1600 ई. में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, 1765 तक एक व्यापारिक इकाई से एक शासी प्राधिकरण में परिवर्तित हो गई। 1773 से 1858 तक इसके शासन और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के शासन के कारण भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ाना था। हालाँकि जाने-अनजाने में

इसके अंतर्गत भारत के राजनीतिक ढाँचे का आधुनिकीकरण किया गया।

शासन की प्रमुख अवधियाँ

- **कंपनी शासन (1773-1858):** ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक प्रशासनिक ढाँचा स्थापित किया गया।
- **क्राउन का शासन (1858-1947):** प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के तहत अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए गए।



भारत में सिविल सेवाओं का विकास

- प्रारंभ में, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए शुरू की गई सिविल सेवा भारत में शासन की देखरेख करने वाली एक व्यापक प्रशासनिक मशीनरी के रूप में विकसित हुई।
- “सिविल सेवा” शब्द पहली बार 1757 में दर्ज किया गया था, जो व्यापार में कंपनी के कर्मचारियों को सेना के कर्मचारियों से अलग करता था।
- 1772: स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन के लिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर की भूमिका की स्थापना।
- लॉर्ड कॉर्नवालिस को आधुनिक भारतीय सिविल सेवाओं के संस्थापक / जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रशासन में अनेक महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा सिविल सेवकों का चयन किया जाता था और भारत में नियुक्त किए जाने से पहले उन्हें लंदन के हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था।
- 1854 में, ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति को सौंपी गई लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के माध्यम से योग्यता-आधारित सिविल सेवा की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था।

- रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रस्तावों को रेखांकित किया गया:

- संरक्षण प्रणाली को स्थायी सिविल सेवा से प्रतिस्थापित करना।
- योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यान्वयन।
- इसके बाद, 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1855 में पहली प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की गईं।

भारतीय सिविल सेवाओं में प्रमुख विकास

1. लॉर्ड कॉर्नवालिस (गवर्नर-जनरल, 1786-1793)

- **स्थापना और संगठन:** कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक प्रशासनिक प्रथाओं की नींव रखी।
- **भ्रष्टाचार विरोधी उपाय:** सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार के खिलाफ नियम लागू किए गए और उपहार और रिश्ता स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई।
- **कॉर्नवालिस सिविल सेवा संहिता:** इस संहिता में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति पर जोर दिया गया तथा सिविल सेवा आचरण के लिए मानक निर्धारित किए गए, जो संरचित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थे।

2. **लॉर्ड वेलेजली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805):** सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की तथा फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अस्वीकृति के बाद 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की, जहाँ रंगरूटों को दो वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता था।

3. 1853 का चार्टर अधिनियम

- **संरक्षण प्रणाली का अंत:** इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया, तथा खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती की शुरुआत की।
- **भारतीय उम्मीदवारों के लिए चुनौतियाँ:**
 - परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी, भारत में कोई स्थानीय केंद्र नहीं था।
 - पाठ्यक्रम में ब्रिटिश उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती थी, जिसमें ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष से घटाकर अंततः 19 वर्ष कर दी गई, जिससे प्रवेश सीमित हो गया।
 - भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रहों के कारण आकर्षक पदों के लिए यूरोपीय उम्मीदवारों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई।

4. भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861

- **भारतीय सिविल सेवा की औपचारिक स्थापना:** इस अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना की गई, जिसमें पारम्परिक अध्ययनों (Classical Studies) के आधार पर इंग्लैंड में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कठोर भर्ती की जाती थी।
- **आयु सीमा में क्रमिक कमी:** उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा धीरे-धीरे कम की गई, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के लिए आयु संबंधी अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न हुईं।
- **अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय:** वर्ष 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे।
- **ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करना:** इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया और शासन में ब्रिटिश अधिकार को बनाए रखा।

वैधानिक सिविल सेवा

- **स्थापना:** वर्ष 1878-1879 में लॉर्ड लिटन द्वारा शुरू की गई।
- **भारतीयों का हिस्सा/कोटा:** संपन्न परिवारों से भारतीयों द्वारा भरे जाने वाले अनुबंध पदों का छठा हिस्सा आवंटित किया गया।
- **नामांकन:** नियुक्तियों के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकन और वायसराय तथा राज्य सचिव से अनुमोदन की आवश्यकता होती थी।
- **परिणाम:** यह प्रणाली असफल सिद्ध हुई और अंततः इसे समाप्त कर दिया गया।

एचिसन समिति (1886)

- **गठन:** वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद लॉर्ड डफरिन द्वारा वर्ष 1886 में इस समिति की स्थापना की गई।

प्रमुख अनुशंसाएँ:

- 'अनुबंधित' (Covenanted) और गैर-अनुबंधित शब्दों का उन्मूलन।
- सिविल सेवा का तीन श्रेणियों में पुनर्गठन:
 - ◆ इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस (इंग्लैंड में परीक्षा)।
 - ◆ प्रांतीय सिविल सेवा (भारत में परीक्षा)।
 - ◆ अधीनस्थ सिविल सेवा (भारत में परीक्षा)।
- अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करना।
- **परीक्षाओं का एक साथ आयोजन:** भारत और ब्रिटेन में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुशंसा की गई; हालाँकि, इसे लागू नहीं किया गया।

मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (वर्ष 1919)

- **एक साथ परीक्षाएँ:** इसमें भारत और इंग्लैंड दोनों में एक साथ परीक्षाएँ आयोजित करने की सिफारिश की गई।
- **भर्ती कोटा:** इसके द्वारा सुझाव दिया गया कि एक-तिहाई भर्तियाँ भारत में की जाएँ, जिसमें प्रतिवर्ष 1.5% तक की बढ़ोतरी की जाए।

ली आयोग (वर्ष 1924)

- **भर्ती कराने का उत्तरदायित्व:** राज्य सचिव भारतीय सिविल सेवा (ICS) और संबंधित सेवाओं (जैसे, सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा) के लिए भर्ती को निरंतर रखेंगे।
- **प्रांतीय सरकारें:** शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भर्ती हेतु उत्तरदायी होंगी।
- **सीधी भर्ती नीति:** सिविल सेवा भर्ती में 15 वर्षों के लिए यूरोपीय और भारतीयों के बीच 50:50 का अनुपात।
- **प्रमुख अनुशंसाएँ:**
 - सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत और इंग्लैंड में एक साथ किया जाए।
 - भारतीयों के लिए एक-तिहाई भर्ती कोटे में क्रमशः वृद्धि की जाए।
 - भारतीय सिविल सेवा और संबंधित सेवाओं की भर्ती की देख-रेख के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की जाए।

भारत शासन अधिनियम (वर्ष 1935)

- **लोक सेवा आयोग:** इस अधिनियम के द्वारा संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की सिफारिश की गई।
- **भारतीयकरण:** इन सिफारिशों के बावजूद, बड़े स्तर पर उच्च अधिकार से युक्त पदों पर ब्रिटिश उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई और सिविल सेवा के भारतीयकरण के बाद भी भारतीयों को वास्तविक राजनीतिक शक्ति से दूर रखा गया।

ब्रिटिश भारत में पुलिस और सैन्य व्यवस्था

मुगल और देशी/स्थानीय राज्यों का शासन

- **निरंकुश सरकारें:** मुगल शासकों और देशी राज्यों दोनों ने औपचारिक पुलिस व्यवस्था के बिना निरंकुश शासन को स्थापित किया।

- **कानून व्यवस्था बनाए रखना:**
 - **फौजदार:** यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता था।
 - **आमिल:** इसका मुख्य कार्य **राजस्व एकत्रित करने से संबंधित** था, लेकिन यह उपद्रवी गतिविधियों को भी देखता था।
 - **कोतवाल:** शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था।
- **द्वैध शासन (1765-1772) के समय जमींदार:** इन्हें थानेदारों सहित कर्मचारियों की मदद से कानून व्यवस्था को स्थापित रखने का कार्य सौंपा गया था।

विभिन्न समयावधियों में पुलिस व्यवस्था का विकास

फौजदार थाने (Faujdar Thana) की स्थापना

- **वर्ष 1770:** फौजदार और आमिल संस्थाओं का उन्मूलन।
- **वर्ष 1774:** वॉरेन हेस्टिंग्स ने अव्यवस्था या अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए फौजदारों को बहाल किया, जिन्हें जमींदारों का समर्थन प्राप्त था।
- **वर्ष 1775:** प्रमुख शहरों में **फौजदार थानों** की स्थापना, जिसके पूरक के रूप में छोटे पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए।
- **वर्ष 1791:** वर्ष 1791 के विनियमन द्वारा कुशल पुलिसिंग के लिए **पुलिस अधीक्षकों** की शक्तियों को परिभाषित किया गया।
 - **कॉर्नवॉलिस** ने पुलिस के **वेतन में वृद्धि** की तथा ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ाने हेतु अपराधियों को पकड़ने के लिए **पुरस्कार** दिया।
 - **थाना प्रणाली** का आधुनिकीकरण किया, जिसमें प्रत्येक जिले की देखरेख के लिए एक **दरोगा (भारतीय) और पुलिस अधीक्षक (SP)** थे, तथा जमींदारों को पुलिसिंग कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।
- **जमींदारों** को पुलिसिंग के अधिकार से मुक्त किया गया तथा उन्हें डकैतियों के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं माना जाता था जब तक कि वे इसमें स्वयं शामिल न हों।
- **अंग्रेज मजिस्ट्रेटों (English magistrates)** द्वारा जिला पुलिस पर नियंत्रण स्थापित किया गया।
- जिलों को **400 वर्ग मील के क्षेत्रों** में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक का प्रबंधन एक **पुलिस अधीक्षक** और कांस्टेबल द्वारा किया जाता था, जिससे प्राधिकरण का केंद्रीकरण हुआ और कानून प्रवर्तन में सुधार हुआ।
- **वर्ष 1808:** मेयो ने प्रत्येक मंडल/डिवीजन के लिए एक **पुलिस अधीक्षक (SP)** की नियुक्ति की, जिसकी सहायता के लिए जासूसों (**गोयंदा**) होते थे, जो कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे।
- **वर्ष 1814:** निदेशक मंडल ने बंगाल के अलावा सभी कंपनी क्षेत्रों में दरोगाओं और उनके अधीनस्थों को समाप्त कर दिया।
- **विलियम बेंटिक (गवर्नर-जनरल 1828-35):** पुलिस अधीक्षक (SP) की भूमिका को समाप्त कर दिया, पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए **क्लेक्टर/मजिस्ट्रेट** को नियुक्त किया, जिससे संगठनात्मक अव्यवस्था उत्पन्न हुई और क्लेक्टरों पर कार्य भार बढ़ गया।

- **1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम** के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की गईं:
 - गांव के चौकीदार व्यवस्था को जारी रखते हुए एक **सिविल कांस्टेबलरी (Civil Constabulary)** की स्थापना की गई।
 - प्रांतों के लिए एक **महानिरीक्षक**, रेंजों के लिए **उप महानिरीक्षक** और जिलों के लिए **पुलिस अधीक्षकों** का पदानुक्रम स्थापित किया गया।
- **डकैती और ठगी** जैसे अपराधों को कम करने में सफलता मिलने के बावजूद, पुलिस और जनता के मध्य प्रायः असहानुभूतिपूर्ण संबंध बना रहा और इसका उपयोग **राष्ट्रीय आंदोलन** को दबाने के लिए किया गया।

पुलिस आयोग की सिफारिशें (वर्ष 1902-03)

- प्रांतों में **आपराधिक जांच विभाग (CID)** और राष्ट्रीय स्तर पर **केंद्रीय खुफिया ब्यूरो** की स्थापना का सुझाव दिया गया।

एंड्रयू फ्रेजर आयोग की स्थापना (वर्ष 1902-03)

- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सीधी भर्ती, कांस्टेबलों और अधिकारियों के लिए **प्रशिक्षण स्कूलों** की स्थापना और प्रांतों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया।
- पुलिस को गांवों में जांच करने की अनुमति देने, **वेतन वृद्धि** और केंद्र में **आपराधिक खुफिया विभाग** स्थापित करने की सिफारिश की गई।

ब्रिटिश भारत में सैन्य संरचना और शासन

1857 से पूर्व की सैन्य व्यवस्था

- ब्रिटिश शासन के लिए सेना अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल थे:
 - **महारानी की सेना:** यह क्राउन की सेना का हिस्सा था।
 - **कंपनी की सेना:** ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में स्थानीय यूरोपीय और देशी रेजिमेंट शामिल थी।
- प्लासी के युद्ध के बाद, **रॉबर्ट क्लाइव** ने भर्ती प्रणाली में बदलाव किया, **चावल उगाने वाले क्षेत्रों** की जगह गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों से आने वाली जातियों को प्राथमिकता दी।
- वॉरेन हेस्टिंग्स ने **बिहार, उत्तर प्रदेश** से उच्च जाति के योद्धाओं की भर्ती पर जोर दिया और **राजपूतों और ब्राह्मण जमींदारों** पर ध्यान केंद्रित किया।
- 1820 के दशक में **घुड़सवार सेना** के उपयोग में कमी आई, ब्रिटिश सैनिकों ने बंदूकों का उपयोग प्रारंभ किया।
- **यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और अनुशासन** के माध्यम से एक समान सैन्य संस्कृति विकसित हुई।
- **1857 के विद्रोह** के कारण उत्पन्न विद्रोहों को रोकने और साम्राज्यवादी संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सैन्य पुनर्गठन किए गए।
- **कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत हैं:**
 - भारतीय दलों पर **यूरोपीय प्रभुत्व** को महत्व दिया गया।
 - सेनाओं में **भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों** का अनुपात निश्चित किया गया।

- द्वितीय विश्व युद्ध तक भारतीयों को उच्च तकनीक भूमिकाओं में शामिल नहीं किया गया।
- वर्ष 1918 तक भारतीयों के लिए सीमित अधिकारी भूमिकाएँ थीं अतः वर्ष 1952 तक 50% सेवाओं में भारतीय अधिकारी संवर्ग का प्रस्ताव दिया गया।

नीति और विचारधारा

- फूट डालो और राज करो के सिद्धांत तथा जाति के आधार पर सैन्य गठन की विचारधारा ने भर्ती नीतियों को प्रभावित किया।
- सिखों, गोरखाओं और पठानों के प्रति पक्षपात नीति, अन्य समूहों को गैर-सैन्य के रूप में चिन्हित किया गया।
- जाति और सांप्रदायिक आधार पर छावनियों की स्थापना का उद्देश्य प्रतिनिधित्व को संतुलित करना और सैनिकों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना था।
- अखबारों और प्रकाशनों पर प्रतिबंधों से सैनिकों के सामान्य जनता के साथ संबंध सीमित हो गये।

ब्रिटिश सेना की भूमिका और वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ

- भारत में ब्रिटिश सेना की उपस्थिति प्रथम कर्नाटक युद्ध (1747) के दौरान देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थायी सेना की स्थापना हुई।
- 1856 के जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट द्वारा सैनिकों को कही भी सेवा करने का आदेश दिया गया, जो उनकी जातिगत मान्यताओं एवं विश्वासों के विरुद्ध था।
- विद्रोह के बाद, 1859 के रॉयल पील आयोग ने ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के बीच 1:2.5 का अनुपात निर्धारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को क्राउन के सैनिकों के साथ मिला दिया गया।

ब्रिटिश भारत में न्यायिक विकास

भारत में पूर्व-औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली

- संरचना और संगठन का अभाव: पूर्व-औपनिवेशिक भारत में न्यायिक प्रणाली की विशेषता स्थापित प्रक्रियाओं और संरचित कानूनी अदालतों की अनुपस्थिति तथा क्षेत्रीय आकार के आधार पर अदालतों की दयनीय स्थिति थी।
- हिंदू विवादों का समाधान: हिंदू समुदायों के कानूनी मामलों को मुख्य रूप से जाति के बुजुर्गों, ग्राम पंचायतों या जमींदारों द्वारा हल किया जाता था।
- मुस्लिम न्यायिक प्रणाली: प्रांतीय राजधानियों और बड़े शहरों में धार्मिक अधिकारियों, काजियों द्वारा प्रशासित की जाती थी।
- शासकों की भूमिका: राजाओं और सम्राटों को न्याय का अंतिम स्रोत माना जाता था, जिससे न्याय वितरण प्रक्रिया की प्रकृति मनमानी थी।

ब्रिटिश भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास

- सामान्य कानून प्रणाली में परिवर्तन 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) द्वारा मेयर न्यायालयों की स्थापना के साथ शुरू हुआ:
 - मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में स्थापित किए गए।

- वर्ष 1662 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) को भारत में न्यायिक शक्तियों को निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया।
- 1726 के चार्टर द्वारा मेयर कोर्ट की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई, परंतु स्थानीय निवासियों पर कंपनी के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट नहीं किया गया।

- ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) जब एक व्यापारिक इकाई से शासकीय प्राधिकरण में परिवर्तित हुई तो;

- इसने विद्यमान मुगल कानूनी प्रणाली को नए न्यायिक तत्वों से प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे भारत में न्याय प्रशासन का नया स्वरूप सामने आया।

वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किये गए सुधार (1772-1785)

- जिला दीवानी अदालतों की स्थापना:
 - कलेक्टर की अध्यक्षता में, सिविल विवादों के लिए स्थापित।
 - हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून।
 - सदर दीवानी अदालत में अपील।
- जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना:
 - आपराधिक विवादों के लिए गठित की गई जिन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया गया।
 - मुस्लिम कानून लागू किया गया; गंभीर निर्णयों के लिए सदर निज़ामत अदालत से अनुमोदन की आवश्यकता थी।
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना:
 - 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में, एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया।
 - हालाँकि इसे समस्त ब्रिटिश विषयों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त था; अन्य न्यायालयों के साथ संघर्ष जारी रहा।
- अधिकार क्षेत्र का विस्तार:
 - जिलों में सिविल और आपराधिक अदालतें (मुफ़स्सिल निज़ामत अदालत) स्थापित की गईं।
 - अनुवाद के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया।

कॉर्नवॉलिस के द्वारा किये गये प्रमुख सुधार (1786-1793)

- शक्तियों के पृथक्करण की शुरुआत: न्यायिक प्राधिकार का स्पष्ट विभाजन किया गया।
- जिला फौजदारी न्यायालयों का उन्मूलन: इन्हें कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में यूरोपीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली सर्किट अदालतों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए अपीलीय अदालतों के रूप में कार्य करती थी।
- सदर निज़ामत अदालत का स्थानांतरण: इसे गवर्नर-जनरल और सर्वोच्च काउंसिल के सदस्यों के अधीन कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया, जिसको मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती द्वारा सहायता प्रदान की गई।
- जिला दीवानी अदालत का रूपांतरण: जिला दीवानी अदालत का नाम बदलकर जिला, नगर या जिला न्यायालय कर दिया गया है और जिला न्यायाधीश द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता था, जिससे कलेक्टर की भूमिका राजस्व प्रशासन तक सीमित हो गई।

● पदानुक्रमिक न्यायालय प्रणाली की स्थापना:

- **मुंसिफ न्यायालय:** भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था।
- **रजिस्ट्रार न्यायालय:** एक यूरोपीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में संचालित होता था।
- **जिला न्यायालय:** जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होता था।
- **सर्किट कोर्ट:** अपील की प्रांतीय अदालतें थी।
- **सदर दीवानी अदालत:** कलकत्ता में स्थापित की गई थी।
- **किंग-इन-काउंसिल:** 5,000 पौंड और उससे अधिक की अपील के लिए किंग-इन-काउंसिल की व्यवस्था की गई थी।
- **प्राधिकार का केंद्रीकरण:** कॉर्नवॉलिस ने कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के न्यायाधीश के रूप में सशक्त बनाकर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा, साथ ही कुछ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का विस्तार किया।

लार्ड विलियम बेंटिक (1828-1833)

- **न्यायिक सुधार:** लंबित मामलों के कारण सर्किट कोर्ट को समाप्त कर कलेक्टरों को कार्य का स्थानांतरण किया गया। स्थानीय न्याय के लिए इलाहाबाद में **सदर दीवानी और निजामत अदालतें** स्थापित की गईं। उच्च न्यायालयों में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया गया तथा इसके अलावा स्थानीय भाषाओं को भी अनुमति प्रदान की गई।
- **कानूनी संहिता:** थॉमस मैकाले के तहत **विधि आयोग (1833)** का गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप **भारतीय दंड संहिता (1860)**, **सिविल प्रक्रिया संहिता (1859)**, **आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861)** का निर्माण किया गया।
- **सामाजिक सुधार:** सती प्रथा, शिशुहत्या को समाप्त किया गया और ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षा और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।

भारतीय कानूनी प्रणाली का परवर्ती विकास (1833-1935)

वर्ष 1833 से वर्ष 1935 की अवधि में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत **भारतीय कानूनी प्रणाली** में महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसने आधुनिक न्यायिक प्रथाओं की नींव रखी।

मुख्य घटनाक्रम

- **विशेष विशेषाधिकारों का उन्मूलन (वर्ष 1860):** भारत में यूरोपीय लोगों के विशेष विशेषाधिकार समाप्त हो गए (फौजदारी मामलों के अलावा), जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सभी व्यक्ति समान कानूनों के अधीन होंगे, हालाँकि कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता नहीं कर सकता था।
- **उच्च न्यायालयों की स्थापना (वर्ष 1865):** कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालतों को मिला दिया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई।
- **संघीय न्यायालय का निर्माण (वर्ष 1935):** भारत शासन अधिनियम ने सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने और उच्च न्यायालयों से सीमित अपीलों की सुनवाई करने के लिए वर्ष 1937 में एक **संघीय न्यायालय** की स्थापना की, जिससे कानूनी ढाँचे को केंद्रीकृत रूप प्रदान किया गया।

प्रशासनिक पुनर्गठन

1857 के बाद के प्रमुख सुधार

- **मूल/स्थानीय निवासियों का समावेश:** स्थानीय रीति-रिवाजों को बेहतर ढंग से समझने और शासन में सुधार के लिए भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया गया।
- **अलगवा में कमी:** शासकों और प्रजा के मध्य के अंतर को समाप्त करने के प्रयासों का उद्देश्य असंतोष को कम करना और विद्रोहों को रोकना था।
- **साम्राज्यवादी हित:** सुधार ब्रिटिश साम्राज्यवादी लक्ष्यों से प्रेरित थे, न कि भारतीय कल्याण से।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** सुधारों का मुख्य बल ब्रिटिश प्रभुत्व को सुरक्षित रखने, अमेरिका और जापान जैसी वैश्विक शक्तियों के विरुद्ध व्यापार हितों की रक्षा करने पर केंद्रित था।
- **साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान:** लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्लिन और कर्जन जैसे वायसरायों ने ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए प्रतिक्रियावादी नीतियों को लागू किया।

1857 के बाद केंद्रीय प्रशासनिक सुधार

सत्ता का हस्तांतरण और द्वैध शासन प्रणाली का अंत:

- **भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम (1858):** 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया।
- **15 सदस्यीय परिषद** की सहायता से ब्रिटिश कैबिनेट के एक नए **भारत सचिव** की नियुक्ति की गई।
- अंतिम शक्ति संसद को दी गई, जिससे **पिट्स इंडिया एक्ट, 1784** द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई।

वायसराय और कार्यकारी परिषद की स्थापना (1858):

- **गवर्नर-जनरल** को अब **वायसराय** के नाम से जाना जाने लगा, जो भारत में सीधे क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था।
- विभाग प्रमुखों की एक **कार्यकारी परिषद** द्वारा समर्थित वायसराय के अधिकार में राज्य सचिव की केंद्रीकृत शक्ति के कारण धीरे-धीरे कमी हुई।
- इस परिवर्तन से भारतीयों से संबंधित नीति निर्माण को लेकर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकों के प्रभाव में वृद्धि हुई, जो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी था।

भारत सरकार अधिनियम (1858)

- भारत पर **ब्रिटिश राज** के अधिकार को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए अधिनियमित इस अधिनियम द्वारा **गवर्नर-जनरल को वायसराय के नाम से जाने जाना लगा**, जो प्रत्यक्ष शाही शासन का प्रतीक था।

भारतीय परिषद अधिनियम (1861)

- **पाँचवें सदस्य** के साथ **कार्यकारी परिषद** का विस्तार किया और वायसराय को विधायी कार्यों के लिए 6-12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **विधान परिषद की कमियाँ:** वित्तीय मामलों पर सीमित चर्चा, बजट पर कोई नियंत्रण नहीं, कार्यकारी कार्यों की जांच का अधिकार नहीं, विधेयकों

के लिए वायसराय की स्वीकृति पर निर्भरता और सीमित पहुँच, अभिजात्य लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त, वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।

उपाधियाँ और उद्घोषणाएँ

- **शाही उपाधि अधिनियम, 1876:** ब्रिटिश शासक को भारत की महारानी (या कैसर-ए-हिंद) की उपाधि अपनाने का अधिकार दिया गया, जिससे शाही उपस्थिति में वृद्धि हुई।
- **1877 की घोषणा:** यह घोषणा दिल्ली दरबार के दौरान आधिकारिक तौर पर की गई थी, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रतीक थी।

प्रांतीय प्रशासन और विधायी विकेंद्रीकरण

विधायी शक्तियों की बहाली (1861)

- **1861 के भारतीय परिषद अधिनियम** द्वारा मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियाँ जो 1833 में छीन ली गयी थी, पुनः प्रदान की गईं।
- बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसीडेंसी को अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे और इनका शासन क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नरों और कार्यकारी परिषदों द्वारा संचालित होता था, जबकि अन्य प्रांतों का शासन गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नरों और मुख्य आयुक्तों द्वारा संचालित किया जाता था।

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण

- **1833 का चार्टर अधिनियम:** इस अधिनियम द्वारा विधायी शक्ति को केंद्रीकृत किया गया, बॉम्बे और मद्रास को कानून बनाने के लिए गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के समक्ष कानून प्रस्तावित करने तक सीमित कर दिया।
- **1861 का भारतीय परिषद अधिनियम:** इसके माध्यम से, विधायी केंद्रीकरण को परिवर्तित कर दिया गया, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं, हालाँकि अब भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए गवर्नर-जनरल से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। बाद में अन्य प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गईं।
- **1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम:** इन अधिनियमों के माध्यम से प्रांतीय परिषदों की विधायी शक्तियों का विस्तार किया गया।
- **1919 का भारत शासन अधिनियम:** प्रांतीय सरकारों में निर्वाचित भारतीय मंत्रियों और ब्रिटिश अधिकारियों के मध्य उत्तरदायित्वों को विभाजित करते हुए द्वैध शासन की शुरुआत की गई।
- **1935 का भारत शासन अधिनियम:** इसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। प्रांतीय स्तर पर भारतीय नेतृत्वकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया।

वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रयास

- **लॉर्ड मेयो (1870):** पुलिस और शिक्षा जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए निश्चित निधि की शुरुआत की गई, जिससे प्रांतीय वित्त व्यवस्था की शुरुआत हुई।
- **लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन:** दोनों ने प्रांतों को वित्तीय जिम्मेदारियाँ सौंपना जारी रखा।
- **1877:** प्रांतों को उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व, कानून और न्याय व्यय पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।

- **1882:** “विभाजित शीर्ष” प्रणाली ने निश्चित अनुदानों का स्थान ले लिया, जिसके तहत **उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और वन** जैसे स्रोतों से प्राप्त आय को केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया, जो **1919 के भारत सरकार अधिनियम** तक जारी रहा।
- **लॉर्ड लिटन के सुधार:** व्यय संबंधी उत्तरदायित्व (जैसे, भूमि राजस्व, कानून, उत्पाद शुल्क) प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित किए गए। प्रांतों को स्टाम्प, उत्पाद शुल्क और आयकर से आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त होता था, जिसमें राजस्व को केन्द्रीय, प्रांतीय और साझा स्रोतों में विभाजित किया जाता था।
- वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रयासों के बावजूद, केंद्र सरकार ने प्रांतों की सूक्ष्म स्तर पर निगरानी करते हुए अंतिम अधिकार अपने पास सुरक्षित बनाए रखा।
- **केन्द्रीय और प्रांतीय** दोनों सरकारें **राज्य सचिव** एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, जिससे प्रांतीय मामलों पर केन्द्रीय सर्वोच्चता बनी रही।

स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकारों का सशक्तीकरण

स्थानीय शासन की ओर होने वाले परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक:

- **अतिकेंद्रीकरण और वित्तीय दबाव** ने ब्रिटेन को स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए प्रेरित किया। यूरोपीय शैली की नागरिक सुविधाएँ अपनाई गईं और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के लिए राष्ट्रवादी माँगों ने ब्रिटिश प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया। शासन में भारतीयों को शामिल किए जाने से स्थानीय करों का उपयोग करने से बढ़ते राजनीतिक दबावों को दूर करने में मदद मिली।

स्थानीय सरकारों का सशक्तीकरण

- **नगरपालिकाओं से संबंधित अधिनियम:** बंगाल, मद्रास, पंजाब और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (आधुनिक उत्तर प्रदेश) के लिए **1864 और 1868 के बीच पारित अधिनियमों** के माध्यम से स्थानीय शासन संरचनाएँ स्थापित की गईं।
- **लॉर्ड मेयो के द्वारा किए गए सुधार (1870):** प्रांतीय वित्त सुधारों की शुरुआत करके, स्वशासन पर बल दिया गया तथा नगरपालिका संस्थाओं को मजबूत किया गया। 1870 के दशक की शुरुआत में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और अन्य प्रांतों के लिए बाद के नगरपालिका अधिनियम पारित किए गए, हालाँकि निर्वाचित सिद्धांत सीमित रहा।
- **लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए सुधार (1881-82):** स्थानीय स्वशासन का विस्तार किया गया और चुनाव के सिद्धांत का प्रसार किया गया। नए अधिनियमों (1883-84) ने निजी नागरिकों को नगरपालिकाओं की अध्यक्षता हेतु सक्षम बनाया, जो पूर्व में कार्यकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित भूमिका थी।

1870 में मेयो द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव

- **पृष्ठभूमि और विधायी हस्तांतरण:** 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधायी हस्तांतरण की शुरुआत की, जिससे प्रांतीय सरकारों को बजटीय संतुलन के लिए स्थानीय कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ।
- **विभागों का हस्तांतरण:** शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा राहत और सार्वजनिक कार्यों सहित कुछ विभागों को प्रांतीय नियंत्रण के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई।

- **स्थानीय भागीदारी पर बल दिया गया:** लॉर्ड मेयो ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में वित्त के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय हित और प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- **नगरपालिका अधिनियमों का कार्यान्वयन:** मेयो के प्रस्ताव के बाद, बंगाल, मद्रास, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब जैसे क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों ने प्रस्तावित वित्तीय और प्रशासनिक परिवर्तनों को लागू करने के लिए नगरपालिका अधिनियम पारित किए गए।

1882 में रिपन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव

- **स्थानीय स्वशासन पर बल:** रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में पहचाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन ने प्रशासनिक सुधार और राजनीतिक शिक्षा दोनों के लिए स्थानीय निकायों के विकास पर जोर दिया।
- **वित्तीय विकेंद्रीकरण का विस्तार:** मेयो के आधार का निर्माण करते हुए, रिपन ने शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को विशिष्ट कर्तव्यों और राजस्व स्रोतों तक पहुँच के साथ सशक्त बनाने की मांग की।
- **गैर-सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहन:** रिपन के प्रस्ताव में शामिल था:
 - स्थानीय निकायों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तथा अध्यक्ष प्रमुख रूप से गैर-सरकारी पृष्ठभूमि से होने चाहिए।
 - निरीक्षण में आधिकारिक हस्तक्षेप को कम-से-कम करना, तथा अधिकारियों द्वारा केवल महत्वपूर्ण कार्यों (जैसे, ऋण अनुमोदन, नए कर, महत्वपूर्ण परियोजनाएँ) के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
 - यदि अधिकारियों द्वारा इसे व्यवहार्य समझा जाए तो चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है, जिससे अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण संरचना का मार्ग प्रशस्त होगा।

विकेंद्रीकरण हेतु रॉयल आयोग की स्थापना (1908)

- **विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट (1908):** जिला बोर्ड, उप-जिला बोर्ड और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को मजबूत करने की सिफारिश की गई।
- **वित्तीय बाधाएँ:** आयोग ने स्थानीय निकायों के प्रभावी कामकाज में एक बड़ी बाधा के रूप में वित्तीय संसाधनों की गंभीर कमी को चिह्नित किया।
- **ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना:** इस आयोग ने ग्राम पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने पर बल दिया, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
 - छोटे मामलों से संबंधित न्यायिक क्षेत्राधिकार।
 - स्थानीय कार्यों, स्कूलों और ईंधन के भंडार पर व्यय।
- **उप-जिला बोर्डों की स्थापना:** प्रत्येक तालुका या तहसील में अलग-अलग जिम्मेदारियों और स्वतंत्र राजस्व स्रोतों के साथ उप-जिला बोर्ड गठित करने की सिफारिश की गई।
- **कराधान शक्तियाँ:** आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कराधान शक्तियों पर प्रतिबंध हटाने और प्रांतीय सरकारों से नियमित अनुदान सहायता को समाप्त करने का आग्रह किया।
- **नगरपालिका की जिम्मेदारियाँ:** इसके माध्यम से सुझाव दिया गया कि नगर पालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार में कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार का प्रस्ताव (1915)

- **प्रतिक्रिया:** विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया।
- **कार्यान्वयन:** सीमित प्रगति, स्थानीय निकायों की स्थिति में काफी हद तक कोई बदलाव न करने का प्रावधान।

मई 1918 का प्रस्ताव

- **1917 की घोषणा से प्रेरित:** उत्तरदायी सरकार की ओर स्थांतरण।
- **प्रस्तावित:** वास्तविक अधिकार के साथ प्रतिनिधि स्थानीय निकाय का प्रस्ताव।

द्वैध शासन की स्थापना (1919)

- **मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ट रिपोर्ट (1918):** स्थानीय निकायों पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करने और बाह्य निगरानी को कम करने की सिफारिश की गई।
- **भारत सरकार अधिनियम: स्थानीय स्वशासन को 'हस्तांतरित' विषय के रूप में;** वित्त को 'आरक्षित' विषय के रूप में परिभाषित किया गया।
- **अनुकूलित संस्थाएँ:** प्रांतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय निकायों का निर्माण करना चाहिए।

साइमन कमीशन (1927)

- **निष्कर्ष:** ग्राम पंचायतों की प्रगति सीमित की गई, तथा कुछ प्रांतों में सुधार किया गया।
- **सिफारिशें:** इसने अधिक प्रांतीय नियंत्रण, स्थानीय कर अधिरोपण का पक्ष रखा।

भारत शासन अधिनियम (1935)

- **प्रांतीय स्वायत्तता:** इसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया।
- **वित्त:** महत्वपूर्ण मंत्रालयों द्वारा निधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, कर पृथक्करण को समाप्त कर दिया।
- **विधायी ढाँचा:** स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान करने वाले नए कानून निर्मित किये गये।

वर्ष 1935 के बाद की चुनौतियाँ

- **वित्तीय बाधाएँ:** निरंतर सीमाएँ आरोपित।
- **नवीन प्रतिबंध:** स्थानीय कर की सीमाएँ।
- **सिफारिशों की उपेक्षा:** प्रांतीय सरकारों द्वारा उदार कराधान शक्तियों की अनदेखी की गई।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 40:** ग्राम पंचायतों की प्रत्यक्ष स्थापना की गई।
- **73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992):** स्थानीय शासन को सुदृढ़ किया गया।

भारत में ब्रिटिश विदेश नीति

भारत में साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित ब्रिटिश विदेश नीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ अनेक संघर्ष हुए। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:

- **राजनीतिक एकीकरण:** अंग्रेजों का लक्ष्य आंतरिक सामंजस्य के लिए **भौगोलिक सीमाएँ** स्थापित करना था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा पर टकराव हुआ, विशेष रूप से प्रथम (1839-42) और द्वितीय एंग्लो-अफगान युद्ध (1878-80) के दौरान **अफगानिस्तान** के साथ, जो रूसी विस्तारवाद के विरुद्ध एक बफर राज्य के रूप में बनाया गया था।
- **वाणिज्यिक हितों का विस्तार:** ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों की रक्षा और विस्तार अक्सर अन्य यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से **रूस और फ्रांस** के साथ टकराव में देखे गये। हितों की यह टकराहट इस प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है, जो **क्रीमियन युद्ध (1853-56)** जैसी घटनाओं से और भी बढ़ गई, जिसने भारत में ब्रिटिश हितों के समक्ष संकट उत्पन्न दिया।
- **भारत पर भारित लागत:** वित्तीय और मानवीय लागत मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा वहन की गई। **उदाहरण के लिए, द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध** में **16,000 से अधिक ब्रिटिश** हताहत हुए और स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ बुरी तरह से बाधित हुईं।
- **ईस्ट इंडिया कंपनी का रूपांतरण:** ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक इकाई से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, विशेषकर **बंगाल क्षेत्र में विकसित** हुई। 1757 में **प्लासी के युद्ध** के बाद, इसने बंगाल को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया, नवाबों को पदच्युत किया और स्थानीय शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला (चंद्रा, 2008)।
- **संसाधनों का दोहन:** कंपनी की नीतियों के कारण अत्यधिक मात्रा में **धन का दोहन** किया गया। **आर.सी. दत्त के अनुसार**, 1757 से 1765 तक, कंपनी ने बंगाल से लगभग **6 मिलियन पाउंड** की निकासी हुई, जो उसके कुल वार्षिक राजस्व का लगभग चार गुना था, जिससे भारत निर्धन हो गया तथा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला (दत्त, 1905)।

अकाल नीति का विकार

अकाल की स्थिति में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, फसल की क्षति, गरीबी, आर्थिक आपदाएँ या सरकारी नीतियों जैसे कारकों के कारण खाद्यान्न की व्यापक कमी हो जाती है। इससे प्रायः कुपोषण, **भुखमरी, महामारी और मृत्यु** दर में वृद्धि होती है।

- **कंपनी शासन के दौरान पड़े अकाल (1769-1857):** ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 अकालों और 4 गंभीर अकालों का सामना किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - **1769-70, बंगाल:** एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई, कोई राहत उपाय नहीं किए गए, कंपनी के कर्मचारियों ने चावल के व्यापार से लाभ कमाया।
 - **1781-82, मद्रास और 1784, उत्तर भारत:** इस दौरान हुई तबाही से संबंधित कोई विशिष्ट विवरण दर्ज नहीं किए गए।
 - **1792, मद्रास:** राहत कार्य शुरू किए गए।
 - **1803, उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध:** राज्य ने भूस्वामियों को राजस्व छूट, ऋण, अग्रिम राशि प्रदान की, और कुछ शहरों में अनाज का आवंटन किया।
 - **1833, गुटूर:** 500,000 की आबादी में से लगभग 200,000 मौतें दर्ज की गईं।

- **1837, उत्तरी भारत:** सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएँ लेकिन सुभेद्य समूहों की सीमित स्तर पर मदद की गई।
- **कंपनी की प्रतिक्रिया:** कोई सामान्य अकाल राहत प्रणाली मौजूद नहीं थी। प्रांतीय सरकारों ने विभिन्न राहत उपायों का प्रयास किया, जैसे अनाज भंडारण और जमाखोरी पर दंड।
- **क्राउन/ब्रिटिश प्रशासन के तहत अकाल (1858-1947)**
 - **1860-61 (दिल्ली-आगरा क्षेत्र):** कर्नल बेयर्ड स्मिथ के नेतृत्व में अकाल संबंधी पहली आधिकारिक जाँच की गई, परंतु कोई प्रभावी राहत सिद्धांत स्थापित नहीं किए गए थे।
 - **1866 (उड़ीसा का अकाल):** अनेक चेतावनियों के बावजूद, सरकार मुक्त व्यापार सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.3 मिलियन मौतें दर्ज की गईं।
 - **1868 (उत्तरी और मध्य भारत):** व्यापक समस्याओं की तुलना में राहत प्रयास अपर्याप्त थे, जिससे मृत्यु दर में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई।
 - **1876-78 (उत्तर भारत):** इस दौरान लगभग 58 मिलियन लोग प्रभावित हुए और लगभग 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। सरकार की न्यूनतम प्रतिक्रिया ने उसकी लापरवाही को उजागर किया।
 - **1896-97:** इस दौरान लगभग प्रत्येक प्रांत प्रभावित हुआ, जिसमें लगभग 34 मिलियन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा राहत अभियानों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः विशेषकर मध्य प्रांतों में यह निष्प्रभावी रहा।
 - **1899-1900:** इस दौरान लगभग 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए; विलंबित राहत प्रयासों ने उपलब्ध प्रणालियों को प्रभावित किया।
 - **1901-08:** इस दौरान अनेक अकाल पड़े, विशेषकर 1906-07 और 1907-08 में भयंकर अकाल पड़े।
- **1942-43 का बंगाल अकाल:** फसल विफलताओं, युद्धकालीन परिस्थितियों, चावल के आयात में बाधा और व्यापार प्रतिबंधों के कारण, इस अकाल के कारण बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि हुई।
- **औपनिवेशिक भारत में अकाल आयोग और नीतियाँ**
 - **1880 का अकाल आयोग:** आयोग ने उल्लेख किया कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से पहले, अकाल के दौरान राहत प्रदान करने के लिए अंग्रेजों के पास कोई दायित्व या साधन नहीं था।
 - **अकाल संहिता (1883):** सामान्य समय के दौरान एहतियाती उपाय और आसन्न राहत अभियानों के लिए निर्देश निर्धारित किए गए।
 - ◆ जिलों को **अभावग्रस्त या अकालग्रस्त क्षेत्रों** के रूप में नामित करने की अनुमति दी गई।
 - ◆ अकाल घोषित होने के बाद अधिकारियों के **कर्तव्यों** की रूप-रेखा तैयार की गई, जिसमें **भूमि राजस्व निलंबन** की सिफारिशें भी शामिल थीं।
 - ◆ अकाल राहत के लिए प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच लागत साझा करना।
 - ◆ सूखे के दौरान मवेशियों के लिए **प्रवासन सुविधाएँ** स्थापित की गईं।

नोट: अकाल आयोग से संबंधित जानकारी को अध्याय-13 में शामिल किया गया है।

रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति

- रियासतें या भारतीय राज्य, 562 रियासतों से मिलकर बने थे, जिनका क्षेत्रफल 712,508 वर्ग मील था। इनमें बिलवारी जैसी छोटी रियासतें, जिनकी आबादी मात्र 27 थी, से लेकर हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें शामिल थीं, जो आकार में इटली के बराबर थीं और जिनकी आबादी 14 मिलियन थी।
- अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति दोहरी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य उन्हें ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना था, जबकि उन्हें साम्राज्य के लिए सुरक्षात्मक संस्थाओं के रूप में प्रयोग करना था, जिसे अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है।

ब्रिटिश सत्ता और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों का विकास

- 1757 से 1857 की अवधि के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैध शासन की नीति का उपयोग करके भारत में अपनी शक्ति को सैन्य विजय और कूटनीतिक रणनीति को मजबूत किया। प्रमुख दृष्टिकोणों में वॉरेन हेस्टिंग्स की घेरे की (रिंग-फेंस) नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत शामिल था।

I. प्रारंभिक अलगाववाद की नीति (1740 से पूर्व)

- आरंभिक ब्रिटिश उपस्थिति वाणिज्य और देशी शासकों के साथ सहयोग पर केंद्रित थी।
- भारत में विदेशियों के रूप में संघर्ष से बचने के लिए आक्रामक नीतियों को अपनाने में अनिच्छा दिखाई गई।

II. कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय (1740-1765)

- आंग्ल-फ्रांस प्रतिद्वंद्विता: आर्कोट पर अधिकार (1751) और प्लासी के युद्ध (1757) ने ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय को चिह्नित किया।
- बंगाल की दीवानी: बक्सर के युद्ध (1765) के बाद, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, जिससे राजनीतिक शक्ति मजबूत हो गई।

III. घेरे की नीति (रिंग फेंस) की नीति (1765-1813)

- वारेन हेस्टिंग्स: मराठों, मैसूर और अफगान आक्रमणकारियों जैसे बाह्य खतरों से ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए बफर जोन बनाने के लिए घेरे की नीति (रिंग फेंस) नीति तैयार की।
- सैन्य सहायता: ब्रिटिश सेना को भुगतान के बदले हैदराबाद और मैसूर जैसे बफर राज्यों को सैन्य सहायता देने का वादा किया।

IV. सहायक संधि (1798-1805)

- लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के साथ घेरे की नीति (रिंग फेंस) का विस्तार किया ताकि फ्रांसीसी पुनरुत्थान को रोका जा सके और ब्रिटिश प्रभुत्व को बनाए रखा जा सके।
- सहायक संधि के अंतर्गत प्रमुख राज्य: हैदराबाद (1798-1800), मैसूर (1799), तंजौर (1799), और अवध के नवाब (1801)। मराठा संघ, जिसमें पेशवा बाजी राव द्वितीय (1802), भोंसले (1803), बरार के

राजा (1803), सिंधिया (1804), गायकवाड़ और भरतपुर (1818), जोधपुर (1818), जयपुर (1818) और होल्कर (1818) जैसे राज्य शामिल थे।

- प्रमुख प्रावधान: भारतीय शासकों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेनाओं को रखने की अनुमति देनी थी और उन्हें बनाए रखना था। शासकों को एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना था और विदेशी संबंधों के लिए ब्रिटिश अनुमोदन प्राप्त करना था।
- विकास: इस प्रणाली ने ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया और हैदराबाद, अवध और मराठों सहित क्षेत्रीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया।

V. व्यपगत का सिद्धांत (1848-1856)

- लॉर्ड डलहौजी: प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के बिना राज्यों को अपने में विलय करने के लिए व्यपगत सिद्धांत को कूटनीतिक रूप से लागू किया गया।
- व्यपगत का आधार: बिना जैविक उत्तराधिकारी या पुत्र के गोद लिए गए राज्यों को ब्रिटेन द्वारा हिंदू कानून के समर्थन का दावा करके अपने में मिलाया जा सकता था।
- व्यपगत द्वारा प्रमुख विलय राज्य: इसमें सतारा (1848), संभलपुर (1849), झांसी (1854), नागपुर (1854), बघाट (1950) और अन्य शामिल थे।
- कुशासन: कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह के शासन को समाप्त कर दिया गया और अवध को (1856) अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया।

VI. अधीनस्थ अलगाव की नीति (1813-1857)

- 1833 का चार्टर अधिनियम: कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारतीय राज्यों पर राजनीतिक नियंत्रण बरकरार रखा गया।
- ब्रिटिश सर्वोच्चता: भारतीय राज्यों को कुछ आंतरिक संप्रभुता बनाए रखते हुए ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ा।
- विलय को प्रोत्साहन: वर्ष 1834 में, निदेशक मंडल ने विलय का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप डलहौजी के अधीन सतारा और नागपुर का अधिग्रहण हुआ।

VII. अधीनस्थ संघ की नीति (1857-1935)

- 1857 के बाद का विद्रोह: ब्रिटिश राज ने भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसमें विलय से लेकर दंड और शासकों को पदच्युत करने तक का कार्य शामिल था।
- मुगल शासन का अंत (1858): इससे मुगल संप्रभुता समाप्त हो गई, और उत्तराधिकार के लिए ब्रिटिश शासन की मंजूरी की आवश्यकता थी।
- अधीनता: राज्यों को ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करना पड़ता था, और राजशाही ने राज्य और ब्रिटिश हितों के कल्याण के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार बरकरार रखा।
- आधुनिक संचार व्यवस्था का प्रसार: रेलवे, टेलीग्राफ और डाक प्रणालियों में प्रगति ने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप और नियंत्रण को बढ़ाने में मदद की।

- **कर्जन का दृष्टिकोण (1905 से पहले):** लॉर्ड कर्जन ने ऐतिहासिक संधियों की व्याख्या का विस्तार किया, **राजकुमारों को लोक सेवक** के रूप में स्थापित किया, जिनसे भारतीय शासन के प्रशासन में गवर्नर-जनरल के साथ सहयोग करने की अपेक्षा की जाती थी। उनके दृष्टिकोण में संरक्षण और हस्तक्षेप युक्त निगरानी की नीति शामिल थी, वे एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना चाहते थे, जहाँ राज्य ब्रिटिश शासन पर समान रूप से निर्भर हो जाएँ। यह दृष्टिकोण पिछले **सामंती या संघीय संबंधों** के विपरीत था, जिसका उद्देश्य एक **सुसंगत और एकीकृत भारतीय राजनीतिक प्रणाली** का निर्माण करना था।
- **1905 के बाद के घटनाक्रम:** बढ़ती राजनीतिक अशांति और क्रांतिकारी भावनाओं के जवाब में, **सौहार्दपूर्ण सहयोग की नीति** लागू की गई। वर्ष 1921 के मोंट-फोर्ड सुधारों ने एक सलाहकार निकाय के रूप में **चैंबर ऑफ प्रिसेस (नरेंद्र मंडल)** के निर्माण को जन्म दिया।
- इसके प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:
 - **राज्यों का वर्गीकरण:** भारतीय राज्यों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था:
 - ◆ प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व: 109 राज्य।
 - ◆ प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व: 127 राज्य।
 - ◆ सामंती जोत या जागीर: इस रूप में मान्यता प्राप्त।
- **बटलर समिति (1927):** भारत सरकार और भारतीय राज्यों (रियासतों और ब्रिटिश सरकार) के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए **बटलर समिति** की स्थापना की गई थी। [UPSC 2017]
- इसकी सिफारिशों में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं:
 - **परमसत्ता की सर्वोच्चता:** परमसत्ता, सर्वोच्च बनी रहनी चाहिए और राज्यों की उभरती जरूरतों के अनुकूल होनी चाहिए।
 - **हस्तांतरण के लिए सहमति:** राज्यों को राज्यों की सहमति के बिना भारतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी भारतीय सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

VIII. समान संघ की नीति (1935-1947)

भारत शासन अधिनियम, 1935

- 375 में से 125 सीटों वाली **संघीय विधानसभा** और 160 में से 104 सीटों वाली **राज्य परिषद** का प्रस्ताव रखा गया।
- **आधी से अधिक आबादी** का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों द्वारा **अनुसमर्थन** की आवश्यकता थी, लेकिन यह योजना कभी साकार नहीं हुई।
- सितंबर 1939 में **द्वितीय विश्व युद्ध** छिड़ने के पश्चात इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

IX. एकीकरण और विलय

राज्यों का एकीकरण (1946-47)

- **राज्य जन आंदोलन:** राजनीतिक अधिकारों और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की मांग की गई।

- **नेहरू का नेतृत्व:** उदयपुर (1945) और ग्वालियर (अप्रैल 1947) में अनेक सत्रों का नेतृत्व किया गया, जिसमें विलय का विरोध करने वाले राज्यों को चेतावनी दी गई।
- **वल्लभभाई पटेल की भूमिका:** उन्होंने **राज्य विभाग का कार्यभार स्वयं संभाला** (जुलाई 1947), और दो चरणों में इसका एकीकरण किया:

चरण I: विलय पत्र के माध्यम से

- 15 अगस्त, 1947 तक की अवस्थिति: कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने **विलय पत्र** पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे रक्षा, विदेशी मामले और संचार पर केंद्रीय प्राधिकरण को मान्यता मिल गई।

चरण II: राज्यों के एकीकरण के माध्यम से

- राज्यों को प्रांतों में एकीकृत किया गया या नई इकाइयों का गठन किया गया: **काठियावाड़ संघ, विंध्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:** देशी शासकों को **प्रिवी पर्स की गारंटी प्रदान की गई।** शासकों को **राज्यपाल और राजप्रमुख** नियुक्त किया गया।

विफल वार्ताएँ और राज्य संप्रभुता: क्रिप्स मिशन (1942), वेवेल योजना (1945), कैबिनेट मिशन (1946) और एटली की घोषणा (फरवरी 1947) गतिरोध को हल करने में विफल रहे, जिससे राज्यों को संप्रभुता तलाशने के लिए बाध्य होना पड़ा।

जनमत संग्रह और सैन्य कार्रवाई

- **जूनागढ़:** मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जनमत संग्रह ने भारत का पक्ष लिया।
- **हैदराबाद:** संप्रभुता की इच्छा, **स्टैंडस्टिल समझौते (यथास्थिति बनाए रखने के लिये)** पर हस्ताक्षर (नवंबर 1947), हिंसा के कारण भारतीय हस्तक्षेप (1948), नवंबर 1949 में विलय किया गया।
- **कश्मीर:** हिंदू शासक ने विलय में काफ़ी बिलंब किया, **पाकिस्तानी आक्रमण** के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर (अक्टूबर 1947), भारतीय सैनिकों ने बचाव किया, **अनुच्छेद 370** ने विशेष दर्जा दिया।

प्रमुख चुनौतियाँ: राज्यों को **व्यवहार्य इकाइयों** में बदलना और **संवैधानिक इकाइयों** में समाहित करना।

आपसी विलय का सिद्धांत:

- 216 छोटी रियासतों को प्रांतों में मिला दिया गया (**उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की 39 रियासतें**)।
- 61 रियासतें जो केंद्र द्वारा शासित थीं।
- **काठियावाड़, मत्स्य, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान और त्रावणकोर-कोचीन (बाद में केरल)** का गठन किया गया।
- **सातवाँ संविधान संशोधन (1956):** इसके माध्यम से **भाग-B के राज्यों** को समाप्त कर दिया गया और एक समान संरचना में एकीकृत किया गया।





ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

PRELIMS POWERPREP 2025

Prelims Crash Course + Rigorous Practice



LIVE
Lectures



Daily
Practice



LIVE Video
Solutions



Mentorship
Webinar



G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)

Hinglish | Online

~~₹ 15,999/-~~

₹ 7,999/-

FOR EXTRA
DISCOUNT



USE COUPON CODE

PWOIAS500

RPP 2025

Rigorous Prelims
Test-Series Program

English / हिन्दी | Online / Offline



Daily Practice
& **LIVE Video Solutions**



G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)



Mentorship
Webinar

Offline ~~₹ 12,999/-~~

₹ 4,999/-

Online ~~₹ 8,999/-~~

₹ 3,999/-

FOR EXTRA
DISCOUNT



USE COUPON CODE

PWOIAS500



9920613613



pwonlyias.com

Offline
Centres



KAROL BAGH



मुक़्खी नगर



PRAYAGRAJ



LUCKNOW



PATNA

परिचय

19वीं शताब्दी में, विदेशी ब्रिटिश शासन, पश्चिमी संस्कृति का विरोध, महिलाओं की निराशाजनक स्थिति, जाति-आधारित असमानताएँ, बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय और समानता, न्याय आदि मूल्यों के प्रसार के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल देखी गई। इन सभी परिवर्तनों ने सामाजिक-धार्मिक सुधार करने की शर्त को अनिवार्य बना दिया जिसे प्रायः **‘भारतीय पुनर्जागरण’** कहा जाता है।

आंदोलन का सामाजिक आधार: इसमें मुख्यतः सेवा प्रदाता वर्ग, मध्यवर्ग और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा वर्ग आदि शामिल थे।

आंदोलन का वैचारिक आधार: राजाराममोहन राय और अक्षय कुमार दत्त के तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, धार्मिक सार्वभौमिकतावाद और मानवतावाद पर आधारित।

सामाजिक आंदोलनों की दो धाराएँ हैं- सुधारवादी (Reformist) और पुनरुत्थानवादी (Revivalist)।

- सुधारवादी किसी सामाजिक रीति-रिवाज या धार्मिक परंपरा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में तर्क और तर्कवाद पर विश्वास करते थे।
 - उदाहरण- ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन आदि।
- पुनरुत्थानवादियों ने तर्क से अधिक परंपरा पर जोर दिया।
 - उदाहरण- आर्य समाज आंदोलन, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन आदि।
- सामाजिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक सुधारों से जुड़े थे, क्योंकि अस्पृश्यता और लिंग-आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयाँ किसी न किसी तरह से धर्म से संबंधित थीं।
 - हालाँकि, बाद के वर्षों में, सामाजिक सुधार आंदोलन ने धीरे-धीरे स्वयं को धर्म से अलग कर लिया और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया।

महिलाओं की स्थिति में सुधार

सती प्रथा का उन्मूलन

- राजा राममोहन राय के प्रयासों से, विलियम बेंटिक ने बंगाल संहिता के 1829 के **विनियमन XVII** के तहत सती प्रथा को अवैध बना दिया गया।
- राममोहन राय ने सती प्रथा को **‘शास्त्र की आड़ में हत्या’** कहा।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की माँग की गई थी। कहा जाता है कि 1582 में मुगल बादशाह अकबर ने आदेश जारी किया था कि सती प्रथा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकना

- 1795 और 1804 के बंगाल नियमों द्वारा शिशुहत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसे हत्या के बराबर माना गया था।
- 1870 में पारित एक कानून ने माता-पिता को प्रत्येक बच्चे के जन्म को आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करने और जन्म के बाद कुछ वर्षों तक महिला बच्चों के सत्यापन का प्रावधान करने के लिए बाध्य किया।

विधवा पुनर्विवाह

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर (संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता के प्राचार्य) ने विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया और उनके प्रयास से, **हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856** पारित किया गया।
- डी.के. कर्वे ने पश्चिमी भारत में विधवाओं के उत्थान के लिए भी काम किया और स्वयं ने 1893 में एक विधवा से विवाह किया। जो बाद में एक विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक रुचि पैदा करने के लिए **पूना में एक विधवा आश्रम खोला**।
- जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ दाजी और विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में बालिका विद्यालयों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
- **विष्णु शास्त्री पंडित** ने 1850 के दशक में **विधवा पुनर्विवाह संघ** की स्थापना की।
- **करसोनदास मूलजी** ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में **सत्य प्रकाश** की शुरुआत की।
- मद्रास में **वीरेशलिंगम पंतुलु** ने भी समाज सुधार हेतु ऐसे ही अनेक प्रयास किए। बी.एम. मालाबारी, नर्मद दवे, न्यायमूर्ति गोविंद महादेव रानाडे, और के. नटराजन, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले सहित अन्य ने भी विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकारों का समर्थन किया।

बाल विवाह का नियंत्रण

- **मूल विवाह अधिनियम (Native Marriage Act) या नागरिक विवाह अधिनियम, 1872**, यह बाल विवाह के खिलाफ एक कानूनी कदम था। हालाँकि इसका प्रभाव सीमित था, क्योंकि यह हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं होता था। इसका प्रभाव ईसाइयों तक सीमित था।
- **पारसी समाज सुधारक एम. मालाबारी** ने कानून में बदलाव की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप सहमति या **सम्मति आयु अधिनियम (1891)** आया।
- इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को रोक दिया गया।
- **रुक्माबाई राउत के मामले** ने सुधारकों को सहमति आयु अधिनियम पारित कराने के लिए प्रेरित किया। यह मामला दाम्पत्य अधिकारों की बहाली से जुड़ा था। [UPSC 2020]
 - **शारदा अधिनियम/बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929** ने लड़कों के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दिया। यह अधिनियम वर्ष 1930 में लागू हुआ था।
- स्वतंत्रता के बाद, **बाल विवाह निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1978** ने भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी।

स्त्री शिक्षा

- वर्ष 1819 में ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित **कलकत्ता तरुण स्त्री सभा**, लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरुआती पहलों में से एक थी।
- **जगन्नाथ शंकरशेट 'नाना' और भाऊ दाजी महाराष्ट्र** में बालिका विद्यालयों के सक्रिय प्रवर्तकों में से एक थे।
 - जगन्नाथ शंकर सेठ स्कूल सोसाइटी और नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने गिरगाँव (महाराष्ट्र) में एक अंग्रेजी-मराठी स्कूल की स्थापना की।
 - भाऊ दाजी लाड (राम कृष्ण लाड) स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे।
- **ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई** ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए **पहला स्कूल** खोला।
 - सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख और सगुनाबाई के साथ बालिकाओं को इसमें पढ़ाया।
 - इसके अलावा उन्होंने **एक रात्रि विद्यालय** भी खोला था।

- पारसी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए वर्ष 1863 में **एलेक्जेंडर सोसाइटी ऑफ पारसीस** की स्थापना की गई थी।

बॉम्बे विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक (1887 में एक पारसी महिला), **कॉर्नेलिया सोराबजी** थीं। बाद में उन्होंने शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसरों के लिए काम किया।

- **बेथून स्कूल की स्थापना** जे.ई.डी. बेथून द्वारा 1849 में की गई थी। 1840 और 1850 के दशक में महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन से जुड़ा, यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- **लॉर्ड डलहौजी के समर्थन से, 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच** में महिलाओं को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया गया।
- वर्ष 1914 में महिला चिकित्सा सेवा ने नर्सों और मिडवाइसों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- प्रोफेसर **डी.के. कर्वे** ने वर्ष 1916 में **भारतीय महिला विश्वविद्यालय** की स्थापना की, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए एक उल्लेखनीय संस्थान था। उसी वर्ष दिल्ली में भी **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज** प्रारंभ किया गया था।

महिला संगठन

- **पंडिता रमाबाई सरस्वती** ने महिलाओं के मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए **आर्य महिला समाज** की स्थापना की, जिससे भारतीय महिलाओं के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव हुए और **लेडी डॉफरिन कॉलेज** में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत का दौर प्रारंभ हुआ। **रमाबाई रानाडे** ने 1904 में बॉम्बे में **लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस (भारत महिला परिषद)** की स्थापना की, जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत एक शाखा थी।
- **सरला देवी चौधरानी** ने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में **भारत स्त्री महामंडल** की उद्घाटन बैठक बुलाई, जिसे किसी महिला द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना गया।
- 1925 में, भारत में **राष्ट्रीय महिला परिषद** की स्थापना की गई। कॉर्नेलिया सोराबजी, ताराबाई प्रेमचंद, शफी तैयबजी और महारानी सुचारु देवी जैसी उल्लेखनीय महिलाओं के साथ, मेहरबाई टाटा ने इसके गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- 1927 में **मार्गरेट कजिन्स** द्वारा स्थापित **अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC)** ने अपना पहला सम्मेलन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित किया। इसका उद्देश्य जन्म या लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, समान अधिकार और अवसरों पर आधारित समाज का निर्माण करना था।
 - **संस्थापक सदस्य:** महारानी चिम्नाबाई गायकवाड़, माँगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा आदि।

प्रमुख महिला आंदोलन और उनसे संबंधित व्यक्तित्व

आंदोलन/घटना	प्रमुख महिलाएँ	योगदान/महत्व
1872 - प्रारंभिक नारीवादी आंदोलन	डॉ. रक्खमाबाई	बाल विवाह के विरुद्ध डॉ. रक्खमाबाई की कानूनी लड़ाई के परिणामस्वरूप 1891 में "सहमति आयु अधिनियम" पारित हुआ तथा वह औपनिवेशिक भारत में पहली महिला चिकित्सकों में से एक बनीं।

1872 - कूका आंदोलन	कूका समुदाय की महिलाएँ	पंजाब में कूका समुदाय की महिलाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा आंदोलन को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया।
1905 - बंगाल विभाजन	स्वर्णकुमारी देवी, सरलादेवी चौधरानी	स्वर्णकुमारी देवी और सरलादेवी चौधरानी ने बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाई तथा स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से कार्य किया।
1916 - होमरूल आंदोलन	ऐनी बेसेंट, मार्गरेट कजिंस	ऐनी बेसेंट ने होमरूल लीग का नेतृत्व किया जबकि मार्गरेट कजिंस ने “महिला भारतीय संघ” की सह-स्थापना की तथा मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के मताधिकार के लिए प्रचार किया।
1917 - महिला भारतीय संघ	ऐनी बेसेंट, डोरोथी जिनराजदासा, मार्गरेट कजिंस	इन महिलाओं द्वारा स्थापित महिला भारतीय संघ ने महिलाओं के मताधिकार और सामाजिक सुधारों के लिए कार्य किया, इसकी शुरुआत मद्रास से हुई।
1919 - रौलेट सत्याग्रह	कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू	कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू रौलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और ब्रिटिश दमनकारी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में सक्रिय रूप से शामिल हुईं।
1921 - असहयोग आंदोलन	बसंती देवी, सुनीति देवी	बसंती देवी को आंदोलन के लिए गिरफ्तार किया गया और सुनीति देवी ने बंगाल में खादी के उत्पादन एवं विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का प्रचार किया।
1925 - श्रमिक संघ आंदोलन	अनसूया साराभाई	अनसूया साराभाई ने अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ की स्थापना की, जो श्रमिक अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए काम करता था।
1927 - अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC)	मार्गरेट कजिंस	मार्गरेट कजिंस ने AIWC की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक अधिकारों और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य करता था।
1929 - बाल विवाह निषेध अधिनियम (शारदा अधिनियम)	मुथुलक्ष्मी रेड्डी	चेन्नई विधान परिषद की पहली महिला सदस्य रहीं मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन में विशेष भूमिका निभाई।
1930 - नमक सत्याग्रह	सरोजिनी नायडू, मिथुबेन पेटिट	सरोजिनी नायडू ने धरासणा दांडी मार्च की छावनी पर धावा बोला। मिथुबेन पेटिट नमक सत्याग्रह में एक प्रमुख भागीदार थीं।
1930 का दशक - क्रांतिकारी आंदोलन	शांति घोष, सुनीति चौधरी	शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट की हत्या में भाग लिया जिससे महिलाओं का क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रवेश हुआ।
1930 का दशक - असहयोग आंदोलन	उषा मेहता, कमलादेवी चट्टोपाध्याय	उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया और कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने हस्तशिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया तथा प्रतिबंधित नमक बेचने के कारण पुलिस गिरफ्तारी का सामना किया।
1942 - भारत छोड़ो आंदोलन	अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, मातंगिनी हजारा, कस्तूरबा गांधी, पार्वती गिरी, बीनू दास	अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक पर भारतीय ध्वज फहराया, जबकि सुचेता कृपलानी ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। मातंगिनी हजारा शहीद हो गईं और कस्तूरबा गांधी ने कई प्रदर्शनों में भाग लिया। पार्वती गिरी ने मानवता सेवाएँ प्रदान कीं और बीनू दास ने बंगाल के गवर्नर की हत्या करने का प्रयास किया।
1943 - बंगाल अकाल	कल्याणी दास, बीना दास	कल्याणी दास और बीना दास ने अकाल राहत प्रयासों में विशेष भूमिका निभाई तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया।
1947 - भारत का विभाजन	रामेश्वरी नेहरू, मृदुला साराभाई	रामेश्वरी नेहरू और मृदुला साराभाई ने विभाजन के बाद शरणार्थी पुनर्वास और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया।

महिला सशक्तीकरण हेतु महत्वपूर्ण कानून

हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम (1937), कारखाना अधिनियम (1947), हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम (1954), विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (1956), हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (1956), महिला अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम (1958), मातृत्व लाभ अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम (1961), और

समान पारिश्रमिक अधिनियम (1958, 1976) ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तीकरण में योगदान दिया।

जाति संबंधी मुद्दे और सुधार

जाति एक दमनकारी शक्ति के रूप में:

- वर्णाश्रम व्यवस्था ने कठोर जाति पदानुक्रम बनाए, जो सामाजिक स्थिति, शिक्षा, भूमि स्वामित्व, विवाह और व्यवसाय की पहुँच को निर्धारित करते थे।

- अस्पृश्यता मानव गरिमा को ठेस पहुँचाती है और सामाजिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करती है।
- निम्न जातियों ने धार्मिक सुधारकों का अनुसरण किया जबकि उच्च जाति के हिंदुओं ने 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधारों का नेतृत्व किया, लेकिन इसमें सीमित सफलता मिली।

औपनिवेशिक भारत और सामाजिक जागृति:

- ब्रिटिश शासन ने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच सामाजिक और राजनीतिक जागृति को बढ़ावा दिया।
- निम्न जातियों के आंदोलनों ने सामाजिक न्याय और समानता की मांग की।

जाति व्यवस्था और औपनिवेशिक शासन:

- जाति व्यवस्था ने भेदभाव और गरीबी को जन्म दिया जिसे औपनिवेशिक उत्पीड़न ने और अधिक बढ़ा दिया।
- निम्न जातियों को जाति और ब्रिटिश शासन, दोनों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ा।

जाति आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले कारक:

- फूट डालो और राज करो की नीतियों ने जातिगत जागरूकता को बढ़ाया।
- पश्चिमी शिक्षा और कानूनी सुधार (भारतीय दंड संहिता, 1861; आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1872) ने समानता को प्रोत्साहित किया।
- रेलवे के विस्तार और राष्ट्रीय एकता ने जातिगत पदानुक्रम को चुनौती दी जिससे समानता और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को बढ़ावा मिला।

औपनिवेशिक भारत में निम्न जाति आंदोलन

आंदोलन	प्रमुख योगदान और तथ्य
सत्यशोधक समाज, 1873, महाराष्ट्र	संस्थापक: ज्योतिराव फुले उद्देश्य: तथाकथित निम्न जातियों और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और शिक्षा। नेतृत्व: माली, तेली, कुंभी। आलोचना: ब्राह्मणवादी दमन, धर्म के माध्यम से शोषण। प्रतीक: भगवान राम को अस्वीकार किया, राजा बाली को प्रवर्तित किया। दृष्टिकोण: जाति उन्मूलन, समानता, मानव गरिमा। महिला अधिकार और शिक्षा: सावित्रीबाई फुले के साथ महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, विधवा आश्रय (1854)। राजनीतिक भागीदारी: पुणे नगर निगम समिति (1876)। विरासत: पश्चिमी भारत में सामाजिक न्याय, समावेशिता का प्रभाव।
श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना (SNDP) आंदोलन (1888, केरल)	संस्थापक: श्री नारायण गुरु (1854-1928)। एझावा (ताड़ी निकालने वाले) को केरल में अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, शिक्षा से वंचित रखा गया और मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। कार्य: 1888 में अरुविप्पुरम में प्रतीकात्मक कार्य, जहाँ गुरु ने जाति-आधारित प्रथाओं को चुनौती देने के लिए नेय्यर नदी से एक शिवलिंग स्थापित किया। आंदोलनों का गठन: 1889- अरुविप्पुरम क्षेत्र योगम; 1903: SNDP योगम भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ जिसमें गुरु स्थायी अध्यक्ष और कुमारन आसन महासचिव बने। जाति पर विचार: धार्मिक समानता, जाति उन्मूलन और मानव एकता का समर्थन किया। प्रसिद्ध नारा: मानव जाति के लिए “एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर”, जातिगत भेदभाव का समाधान न करने के लिए कांग्रेस और गांधी की आलोचना की। अरुविप्पुरम मंदिर की दीवार पर लिखा: “जाति या नस्ल की कोई विभाजनकारी दीवार नहीं, बंधुत्व में रहो”। योगदान: शिक्षा, सरकारी नौकरियों, मंदिर में प्रवेश और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में एझावाओं के लिए सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। केरल में पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभाव: केरल की सत्ता गतिशीलता में संरचनात्मक परिवर्तन लाए, जाति-आधारित भेदभाव को चुनौती दी और सामाजिक न्याय के लिए एकता को बढ़ावा दिया।

जस्टिस पार्टी/आंदोलन (1916, मद्रास)	संस्थापक: डॉ. टी. एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन. मुदलियार 1916 में सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारतीय मुक्ति संघ (एसआईएलएफ) का गठन किया गया था। प्रभाव: सरकारी आदेशों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण का नेतृत्व किया। महत्त्व: दक्षिण भारत में पहला गैर-ब्राह्मण राजनीतिक संगठन, जो सामाजिक समानता और गैर-ब्राह्मण प्रतिनिधित्व की वकालत करता था। जस्टिस पार्टी का गठन: गैर-ब्राह्मण हितों और सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व किया। पेरियार का नेतृत्व (1937-1944): 1937 में अध्यक्ष बने और ब्राह्मणवाद विरोधी और सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। हिंदू धर्म, मनु के कानून और पुराणों की अमानवीयता के रूप में आलोचना की। प्रतीकात्मक कार्य: होटलों से जाति के नाम वाले बोर्ड हटाए, हिंदू मूर्तियों का अपमान किया और ब्राह्मणों द्वारा पहने जाने वाले जनेऊ काट दिए। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को समाप्त करने की वकालत की। प्रमुख वाक्य: “कुछ चीजों को सुधारा नहीं जा सकता, बस खत्म कर दिया जाता है”। विकास: 1944: नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम (द्रविड़ महासंघ) और 1949: सी.एन. के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) बन गया।
नायर आंदोलन (1891, केरल)	प्रमुख नेता: सी. वी. रमन पिल्लई, के. राम कृष्ण पिल्लई और एम. पद्मनाभ पिल्लई संदर्भ: यह आंदोलन केरल में ब्राह्मण वर्चस्व के उत्तर में विकसित हुआ। मुख्य योगदान: सी. वी. रमन पिल्लई- ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती देने के लिए स्मारक की स्थापना की। एम. पद्मनाभ पिल्लई- नायर समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों और सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए नायर सेवा सोसायटी (एनएसएस) की स्थापना की। महत्त्व: इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य के खिलाफ गैर-ब्राह्मण समुदायों, विशेष रूप से नायरो के लिए सामाजिक समानता प्राप्त करना था।
आत्मसम्मान आंदोलन (1925, तमिलनाडु)	संस्थापक: ई. वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार), तमिलनाडु उद्देश्य: ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों को खारिज करना, जाति पदानुक्रम को चुनौती देना तथा तर्कवाद को बढ़ावा देना। मुख्य कार्य: उत्पीड़न के श्रोता के रूप में ब्राह्मण पुजारियों की आलोचना की। वैकल्पिक विवाह समारोह और महिलाओं की मुक्ति की वकालत की। जातिगत अन्याय के खिलाफ हाशिए पर व्याप्त समुदायों को संगठित किया। प्रभाव: तमिलनाडु में सामाजिक परिदृश्य को नया रूप दिया। जस्टिस पार्टी का गठन किया। समतावाद और सामाजिक न्याय पर बल दिया।
नादर आंदोलन (1910, तमिलनाडु)	उत्पत्ति: शनांस, तमिलनाडु में कृषि मजदूरों की एक अछूत जाति। परिवर्तन: 19वीं सदी के अंत तक, वे एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग बन गए, जिन्होंने क्षत्रिय का दर्जा पाने के लिए ‘नादर’ की उपाधि अपना ली। उद्देश्य: सामाजिक पूर्वाग्रह का मुकाबला करना और नादर समुदाय के लिए कल्याण और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। मुख्य संगठन: नादर महाजन संगम (वर्ष 1910 में स्थापित)
दलित वर्ग (महार) आंदोलन (1924, महाराष्ट्र)	संस्थापक: बी. आर. अंबेडकर उद्देश्य: महाराष्ट्र में महार समुदाय (अछूत) को सशक्त बनाना मुख्य मांगें: सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच, मंदिर में प्रवेश, महार वतन (जमींदारी प्रथा) का उन्मूलन और विधान परिषद में अलग प्रतिनिधित्व। मुख्य घटनाएँ: 1927: दलित वर्ग संस्था (मराठी पाक्षिक) द्वारा बहिष्कृत भारत समाज समता संघ की शुरुआत की गई। 1942: अछूतों के अधिकारों की वकालत करने के लिए जाति संघ का गठन किया गया।
कांग्रेस का हरिजन आंदोलन (1917 से)	प्रमुख नेता: महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज। उद्देश्य: अस्पृश्यता को समाप्त करना और दलितों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना। 1917: कांग्रेस ने अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और दलितों पर रीति-रिवाजों के कारण थोपी गई अक्षमताओं को समाप्त करने का आग्रह किया। 1929: मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज के नेतृत्व में कांग्रेस के भीतर अस्पृश्यता विरोधी उप-समिति का गठन। 1932: इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए गांधी द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की गई। पत्रिका: हरिजन, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित

कैवर्त आंदोलन (1897 से)	1897 में जाति निर्धारक सभा और 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना कैवर्तों की पहचान के विकास की दिशा में प्रारंभिक कदम थे, जिससे अंततः माहिष्य की सशक्त और संगठित पहचान बनी।
वायकोम सत्याग्रह (1924)	स्थान: वायकोम, उत्तरी त्रावणकोर नेता: के.पी. केशव उद्देश्य: अछूतों को मंदिरों और सार्वजनिक सड़कों तक पहुँच से वंचित करने को चुनौती देना। समर्थन: पंजाब और मद्रै से जत्थों (जुलूस) के साथ राष्ट्रीय ध्यान। महात्मा गांधी ने एकजुटता दिखाने के लिए केरल का दौरा किया।
मंदिर प्रवेश आंदोलन (1924-1938)	वायकोम सत्याग्रह (1924): नेता- के.पी. केशव उद्देश्य: अछूतों के लिए हिंदू मंदिरों और सार्वजनिक सड़कों को खोलने की मांग। समर्थन: पंजाब और मद्रै से जत्थों (जुलूसों) द्वारा सुदृढ़ किया गया। गांधी ने आंदोलन के समर्थन में केरल का दौरा किया। गुरुवायूर सत्याग्रह (1931): के. केलपन और कवि सुब्रमण्यम तिरुमम्बु (केरल की 'गायन तलवार') घटना: तिरुमम्बु के नेतृत्व में 16 स्वयंसेवकों ने अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए गुरुवायूर तक मार्च किया। प्रसिद्ध सत्याग्रही: पी. कृष्ण पिल्लई, ए. के. गोपालन त्रावणकोर उद्धोषणा (1936): त्रावणकोर के महाराजा ने एक उद्धोषणा जारी की जिसमें सभी हिंदू जातियों को सरकारी नियंत्रित मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी गई। मद्रास में मंदिर प्रवेश (1938): नेता- सी. राजगोपालाचारी; विस्तार: मद्रास प्रशासन ने भी ऐसा ही किया जिससे पूरे दक्षिण भारत में आंदोलन का प्रभाव फैल गया।
गोपाल बाबा वालंगकर अयोत्थे थासे (तमिलनाडु)	प्रमुख कार्य: ब्राह्मणवाद के विरोध में अनार्य दोष परिहार समाज की स्थापना की और 'वैताल विध्वंसक' का प्रकाशन किया।
अरुविप्पुरम आंदोलन (1888)	प्रमुख कार्य: सिद्ध चिकित्सा, बौद्ध धर्मांतरण को बढ़ावा दिया और दलित महाजन सभा की स्थापना की।
अरुविप्पुरम आंदोलन (1888)	मुख्य घटना: निम्न जाति के लोगों ने जातिगत प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए एक मंदिर में शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। श्री नारायण गुरु ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वोक्कलिगा संघ (1905)	मैसूर में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जो प्रचलित सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देता था। टी. ब्याना संघ के पहले अध्यक्ष थे और मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडेयार चतुर्थ तथा दीवान वी. पी. माधव राव क्रमशः संघ के संरक्षक और उप-संरक्षक थे।

सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन

प्रमुख हिन्दू सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन

आंदोलन/संगठन	वर्ष और स्थान	विवरण
स्वामीनारायण संप्रदाय	19वीं सदी की शुरुआत, गुजरात	संस्थापक: स्वामी सहजानंद (घनश्याम) (1781-1830) विश्वास और शिक्षाएँ: एकेश्वरवाद और ईश्वर में विश्वास की वकालत की, वैष्णव धर्म में कुछ प्रथाओं का विरोध किया, व्यक्तिगत आचरण के लिए एक नैतिक संहिता निर्धारित की। शाकाहार को बढ़ावा दिया और शराब तथा नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित किया। समावेशीकरण: जाति या पंथ की चिंता किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला।
ब्रह्म समाज (पूर्व में आत्मीय सभा)	18वीं-19वीं सदी, कलकत्ता	समय: 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत तक, कलकत्ता संस्थापक: राजा राममोहन राय (1772-1833) मुख्य विकास: ● आदि ब्रह्म समाज: देवेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, राजा राममोहन राय की शिक्षाओं के विस्तार पर केंद्रित था। ● भारतीय ब्रह्म समाज: केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में एक व्यापक और अधिक संगठित ढाँचे के साथ। ● साधारण ब्रह्म समाज: केशवचंद्र सेन के समूह से अलग होने वालों द्वारा गठित, अधिक समावेशी दृष्टिकोण पर बल दिया गया। ● एकेश्वरवाद: एक ईश्वर में विश्वास को बढ़ावा दिया और हिंदू धर्म को शुद्ध किया। ○ मुख्य सिद्धांत: इसने तर्कों पर बल दिया; वेदों और उपनिषदों को बनाए रखा; मूर्तिपूजा, बलिदान, पुरोहितवाद, पुनर्जन्म को अस्वीकार कर दिया। इसने सती प्रथा की आलोचना की और मानवीय गरिमा तथा सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। (UPSC 2012) ● संबद्ध पत्रिकाएँ: राजा राममोहन राय: संवाद कौमुदी, मिरात-उल-अखबार; देवेन्द्रनाथ टैगोर: तत्त्वबोधिनी पत्रिका; केशवचंद्र सेन: इंडियन मिरर ● साधारण ब्रह्म समाज: तत्त्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, नवभारत, प्रवासी

परमहंस मंडली	1849, महाराष्ट्र	संस्थापक: दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम (महाराष्ट्र) मुख्य केंद्र: हिंदू धर्म और समाज में सुधार, मानव धर्म सभा से संबंधित विचारधारा: एक ईश्वर की पूजा, प्रेम, नैतिक आचरण, विचार की स्वतंत्रता, तर्कसंगतता। जातिगत नियमों को तोड़ना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा का समर्थन करना शाखाएँ: पूना, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य शहर
यंग बंगाल मूवमेंट	1826-1831, कोलकाता	संस्थापक: हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो प्रमुख व्यक्ति: रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद चक्रवर्ती, कृष्ण मोहन बनर्जी विचारधारा: सामाजिक बुराइयों का विरोध किया; सत्य, स्वतंत्रता और तर्क की वकालत की। महिलाओं के अधिकारों तथा महिला शिक्षा आदि पर बल दिया। सामान्य ज्ञान प्राप्ति के लिए सोसायटी की स्थापना की। पत्रिकाएँ: जनावेसन, हेस्परस, द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट, इंडिया गजट (डेरोजियो द्वारा संपादित) प्रमुख माँगें: उच्च सेवाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व, रैयतों की सुरक्षा और विदेशों में भारतीय श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार, कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा मुकदमा।
धर्म सभा	[1830, कोलकाता]	संस्थापक: राधाकांत देव (1794-1876) विचारधारा: ब्रह्म समाज का विरोध, रूढ़िवाद का समर्थन, सती प्रथा के उन्मूलन सहित कट्टरपंथी और उदार सुधारों का विरोध, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा भारतीय संस्कृति के महत्त्व और गौरव का जश्र मनाया।
भारत धर्म महामंडल	[1902, वाराणसी]	प्रमुख नेता: पंडित मदन मोहन मालवीय उद्देश्य: हिंदू धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन तथा हिंदू शिक्षा को बढ़ावा देना गठन: रूढ़िवादी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले संगठनों के गठबंधन से विकसित (जैसे- सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद, धर्म महामंडली)। 1902 में वाराणसी में मुख्यालय के साथ भारत धर्म महामंडल का गठन किया गया। विरोध: आर्य समाजवादियों, थियोसोफिस्ट और रामकृष्ण मिशन का समर्थन किया।
तत्त्वबोधिनी सभा	1839, कोलकाता	प्रमुख नेता: देबेन्द्रनाथ टैगोर उद्देश्य: भारत में ईसाई धर्म के विस्तार पर प्रतिक्रिया, वेदांतवाद और स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देना, बांग्ला भाषा और विभिन्न विषयों में ग्रंथों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। प्रमुख अनुयायी: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राममोहन राय और डेरोजियो के समर्थक प्रमुख प्रकाशन: तत्त्वबोधिनी पत्रिका (तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया)।
छात्र साहित्यिक और वैज्ञानिक सोसायटी	1848	उद्देश्य: लोकप्रिय विज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, साहित्य तथा विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना, शिक्षा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का समर्थन।
राधास्वामी आंदोलन	1861, आगरा	संस्थापक: तुलसी राम (शिव दयाल साहब); मुख्य मान्यताओं में एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, गुरु सर्वोच्चता और सत्संग (पवित्र व्यक्तियों का समुदाय) का अभ्यास शामिल है। यह एक सरल सामाजिक जीवन, भौतिक जीवन के साथ-साथ आध्यात्मिक पूर्णता पर जोर देता है तथा स्वीकार करता है कि सभी धर्म सत्य हैं, साथ ही मंदिरों या पवित्र स्थानों में विश्वास को अस्वीकार करता है।
वेद समाज	1864, मद्रास	संस्थापक: श्रीधरलु नायडू और केशवचंद्र सेन प्रभाव: ब्रह्म समाज से प्रभावित, मुख्य रूप से इसके आस्तिक सिद्धांतों से। मुख्य मान्यताओं और कार्यों में विवाह और अंतिम संस्कार संबंधी विधानों को धार्मिक नहीं, बल्कि नियमित रूप से देखना, सांप्रदायिक मान्यताओं को समाप्त करने की वकालत करना और जाति भेद के क्रमिक उन्मूलन को बढ़ावा देना शामिल है। आंदोलन ने विविध दृष्टिकोणों को अपनाया, बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह का सक्रिय रूप से समर्थन किया।

प्रार्थना समाज	1867, बॉम्बे	संस्थापक: आत्माराम पांडुरंग, केशवचंद्र सेन की सहायता से मुख्य सलाहकार: महादेव गोविंद रानाडे, आर. जी. भंडारकर मुख्य मान्यताएँ: एकेश्वरवाद, महिलाओं का उत्थान और जाति तथा धार्मिक रूढ़िवाद का उन्मूलन। एक ईश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ावा दिया, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा और पुरोहितों के वर्चस्व का विरोध किया तथा हिंदू धार्मिक प्रथाओं को अद्यतन किया। बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से प्रेरित, सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक सुधार: जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिला एवं पुरुष दोनों के लिए विवाह की आयु बढ़ाना। महत्त्वपूर्ण व्यक्ति: महादेव गोविंद रानाडे वर्ष 1870 में शामिल हुए जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन तथा विधवा गृह संघ में योगदान दिया। पूर्ववर्ती: परमहंस सभा, उदार विचारों और जाति/समुदाय के विघटन को बढ़ावा देना।
भारतीय सुधार संघ	1870, कलकत्ता	संस्थापक: केशवचंद्र सेन उद्देश्य: ● बाल विवाह के खिलाफ सार्वजनिक सहमति बनाना ● महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाना ● ब्रह्म परंपरा के अनुसार विवाह को वैध बनाने का समर्थन करना
आर्य समाज	1875, बॉम्बे	संस्थापक: दयानंद सरस्वती (मूल रूप से मूला शंकर) प्रमुख नारा: “वेदों की ओर लौटो” मुख्य विचार: ● कर्मकांड, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, मूर्तिपूजा और अंधविश्वासों को खारिज किया। सामाजिक सुधार, महिला अधिकारों और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को चुनौती दी। ● उत्तर भारत तक पहुँचने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया, दयानंद एंग्लो-वैदिक (डीएवी) स्कूलों की स्थापना की तथा आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता के मूल्यों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया।
थियोसोफिकल सोसाइटी	1875, न्यूयॉर्क, भारत में मद्रास	संस्थापक: मैडम एच. पी. ब्लावात्स्की (1831-91), कर्नल एच. एस. ऑलकॉट (1832-1907) मुख्य नेता: एनी बेसेंट (अध्यक्ष) (UPSC, 2013) मुख्य विचार: उपनिषद्, वेदांत और प्राचीन दर्शन से प्रेरित। धार्मिक पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का समर्थन किया। आत्मा के पुनर्जन्म को मान्यता दी, सार्वभौमिक बंधुत्व का उपदेश दिया, महिलाओं की उन्नति को बढ़ावा दिया तथा अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी	1884, पुणे	संस्थापक: एम. जी. रानाडे, लोकमान्य तिलक, वी. जी. चिबडोंकर, जी. जी. अगरकर उद्देश्य: सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा को आगे बढ़ाना मुख्य योगदान: पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति में योगदान दिया तथा फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे की स्थापना की (1885)
सेवा सदन	1885, बॉम्बे	संस्थापक: बहरामजी एम. मालाबारी उद्देश्य: बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना तथा समाज द्वारा शोषित और परित्यक्त महिलाओं का समर्थन करना। मुख्य योगदान: सहमति की आयु अधिनियमन को प्रभावित किया, सभी जातियों की महिलाओं को शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया, मालाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन किया।

भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन	1887, बॉम्बे	संस्थापक: एम. जी. रानाडे, रघुनाथ राव उद्देश्य: सामाजिक मुद्दों पर प्रगतिशील भारतीय विचारों को एकजुट करना; जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीति में भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने विचार-विमर्श में सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं करना चाहती थी और इस उद्देश्य के लिए एक अलग निकाय बनाने का फैसला किया। (UPSC 2012) उद्देश्य: विभिन्न भारतीय संघों और आंदोलनों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके सामाजिक सुधार बलों को मजबूत करना तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों के साथ-साथ मद्रास में शुरू होने वाली वार्षिक बैठकें आयोजित करना। मुख्य योगदान: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा के रूप में कार्य किया, बाल विवाह के खिलाफ 'प्रतिज्ञा आंदोलन' शुरू किया, अंतर-जातीय विवाह की वकालत की, बहुविवाह और कुलीनवाद (बड़े पुरुषों द्वारा युवा लड़कियों से विवाह करना) का विरोध किया।
देव समाज	1887, लाहौर	संस्थापक: शिव नारायण अग्निहोत्री मुख्य मान्यताएँ: धार्मिक दर्शन के संदर्भ में ब्रह्म समाज से निकटता से जुड़ाव और धार्मिक जीवन का समर्थन, नैतिक व्यवहार और आध्यात्मिक अनुशासन पर बला। सामाजिक संहिता: रिश्तखोरी, जुआ, शराब का सेवन और मांसाहारी भोजन का विरोध किया तथा अहिंसा और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया। शिक्षाएँ: देवशास्त्र पुस्तक में संकलित। सुधारवादी प्रयास: बाल विवाह का कठोर विरोध।
मद्रास हिंदू संगठन	1892, मद्रास	संस्थापक: विसियालिंगम पंतुलु मुख्य कार्य: - सामाजिक शुद्धता आंदोलन - देवदासी प्रथा का विरोध - विधवाओं के उत्पीड़न को कम करने के प्रयास
रामकृष्ण मिशन	1897, बंगाल (बेलूर और माथावती केंद्र बिंदु थे)	संस्थापक: स्वामी विवेकानंद (नरेंद्रनाथ दत्त) गुरु: रामकृष्ण परमहंस (गदाधर चट्टोपाध्याय) मुख्य उद्देश्य: वेदांत और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हिंदू धर्म का कायाकल्प। जाति प्रतिबंध, उत्पीड़न और अंधविश्वासों का विरोध। महिलाओं के उत्थान और शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया। रामकृष्ण मठ और मिशन के माध्यम से त्याग और व्यावहारिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। ईश्वर की भक्ति के रूप में मानवता की सेवा का समर्थन। मुख्यालय: बेलूर (कलकत्ता के पास) महत्वपूर्ण अवधारणाएँ: सभी धर्मों की एकता: "जितने विश्वास, उतने ही मार्ग।" मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा के रूप में: "मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।" रामकृष्ण मठ और मिशन दोनों अलग-अलग, लेकिन पूरक संगठनों के रूप में संचालित होते थे।
भारत धर्म महामंडल	1902, बनारस	संस्थापक: मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले मुख्य उद्देश्य: - रूढ़िवादी हिंदुओं (सनातन-धारिणी) का प्रतिनिधित्व किया, पारंपरिक हिंदू प्रथाओं और मान्यताओं की वकालत की। - आर्य समाज की शिक्षाओं के विरोध में खड़े हुए, मुख्य रूप से इसके सुधारवादी दृष्टिकोण और मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठानों की अस्वीकृति को खारिज किया।

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी	1905, बॉम्बे	संस्थापक: गोपाल कृष्ण गोखले, एम. जी. रानाडे के सहयोग से मुख्य उद्देश्य: - अकाल राहत और आदिवासियों के कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही महिलाओं के लिए आर्थिक उत्थान और रोजगार पर विशेष बल दिया। - संवैधानिक साधनों का उपयोग कर भारतीयों के वास्तविक हितों को बढ़ावा देने और भारत के लिए समर्पित निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित किया। प्रकाशन: 1911 में अपने विचारों और प्रयासों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। गोखले की मृत्यु के बाद नेतृत्व: 1915 में गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने समाज के कार्यों को जारी रखते हुए अध्यक्ष का पद संभाला।
पूना सेवा सदन	1909, पुणे	संस्थापक: जी. के. देवधर और रमाबाई रानाडे (एम. जी. रानाडे की पत्नी) मुख्य उद्देश्य: महिलाओं के लिए शैक्षिक उन्नति और विधवाओं की स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया तथा महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया।
निष्काम कर्म मठ (निःस्वार्थ कर्म का मठ)	1910, पुणे	संस्थापक: धोंडो केशव कर्वे मुख्य उद्देश्य: - पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो अब मुंबई विश्वविद्यालय का हिस्सा है। - महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्त्व पर बल दिया।
भारत स्त्री मंडल	1910, कलकत्ता	संस्थापक: सरलाबाला देवी चौधरानी मुख्य उद्देश्य: - महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति का समर्थन। - भारत में महिलाओं के सामाजिक और बौद्धिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया।
सोशल सर्विस लीग	1911, बॉम्बे	संस्थापक: नारायण मल्हार जोशी मुख्य उद्देश्य: विद्यालय, पुस्तकालय और सहकारी समितियों जैसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों के माध्यम से आम जनता के लिए बेहतर परिस्थितियाँ बनाना। कानूनी सहायता, मलिन बस्तियों के लिए भ्रमण, चिकित्सा सहायता और लड़कों के क्लबों का समर्थन किया। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सेवा समिति	1914, इलाहाबाद	संस्थापक: हृदयनाथ कुंजरू मुख्य उद्देश्य: समाज सेवा और शिक्षा के माध्यम से पीड़ित वर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
भारतीय महिला संघ	1917, मद्रास	संस्थापक: एनी बेसेंट मुख्य उद्देश्य: अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन करके भारतीय महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य किया। सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों की वकालत की।

मुसलमानों में सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन

आंदोलन / संगठन	वर्ष और स्थान	विवरण
वहाबी आंदोलन	1820 के दशक से, रोहिलखंड, काबुल, NWFP, बंगाल, मध्य प्रांत	प्रमुख नेता: रायबरेली के सैय्यद अहमद (संस्थापक), विलायत अली, शाह मुहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, इनायत अली (सभी पटना से)। क्षेत्र: रोहिलखंड, काबुल, NWFP, बंगाल, मध्य प्रांत। प्रभाव: अब्दुल वहाब (अरब) और शाह वलीउल्लाह (1702-63) से प्रेरित। उद्देश्य: आंदोलन ने पैगंबर के समय के दौरान मौजूद प्रामाणिक इस्लाम और अरब संस्कृति को पुनर्जीवित करने की मांग की। इसने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभावों का विरोध किया और धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत विवेक के महत्व पर जोर दिया। राजनीतिक जुड़ाव: आरम्भ में पंजाब में सिखों पर लक्षित, आंदोलन ने बाद में पंजाब के विलय (1849) के बाद अंग्रेजों के विरोध पर ध्यान केंद्रित किया। 1857 के विद्रोह में भूमिका: ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने और प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

टीटू मीर का आंदोलन	1831	नेता: सैयद मीर निसार अली (टीटू मीर), सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य। उद्देश्य: बंगाल में शरीयत के सिद्धांत लागू करना। संघर्ष: हिंदू जमींदारों और ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ आंदोलन। 1831 में ब्रिटिश पुलिस से संघर्ष में टीटू मीर की मृत्यु।
फराजी आंदोलन	1819 में प्रारंभ	संस्थापक: हाजी शरीयतुल्लाह तथा बाद में उनके बेटे दूदू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया। प्रारंभिक केंद्र: इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम की पुनर्व्याख्या का विस्तार करना और गैर-इस्लामी प्रथाओं को मिटाना था, मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल में। क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तन (1840): क्षेत्र पर ब्रिटिश विजय के बाद, आंदोलन एक क्रांतिकारी शक्ति में परिवर्तित हो गया। दूदू मियाँ ने हिंदू जमींदारों और नील की खेती करने वालों को चुनौती देने के लिए एक अर्द्धसैनिक बल का गठन किया, जो गरीब किसानों का शोषण करते थे। संगठनात्मक प्रणाली: दूदू मियाँ ने ग्रामीण स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक एक संगठनात्मक संरचना विकसित की जिसमें खलीफा (अधिकृत प्रतिनिधि) प्रत्येक क्षेत्र की देखरेख करते थे। उग्रवादी चरण: इस आंदोलन ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह को भी जन्म दिया, जिसमें जमींदारों की त्वरित प्रतिक्रिया ने क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक नींव को उखाड़ फेंका।
तैयूनी आंदोलन	ढाका, 1839	प्रमुख नेता: करामत अली जौनपुरी। प्रभाव: इस आंदोलन की स्थापना शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं पर की गई थी। फराजी आंदोलन का विरोध: यह फराजी आंदोलन के विरोध में खड़ा था, फराजी आंदोलन द्वारा अपनाए गए क्रांतिकारी और सामाजिक सुधार लक्ष्यों के बिना एक अधिक परंपरावादी धार्मिक स्वरूप प्रस्तुत करता था।
मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी	कोलकाता	प्रमुख नेता: अब्दुल लतीफ़ उद्देश्य: मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना। उच्च तथा मध्यम वर्ग के मुसलमानों के बीच बहुविवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करना। हिंदू-मुस्लिम एकता: समाज ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य बंगाल में विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन को पाटना और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना था।
देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी	सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 1866	स्थापना: मुहम्मद कासिम ननौतवी (1832-80) और रशीद अहमद गंगोही (1828-1905) ने सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में की। प्रमुख व्यक्तित्व: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महमूद-उल-हसन, शिबली नुमानी। मुख्य आदर्श: कुरान की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा को अस्वीकार करना और इस्लाम की उदार व्याख्या की वकालत करना। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया तथा सैयद अहमद खां के संगठनों के विरुद्ध 1888 में फतवा जारी किया। मुख्य योगदान: महमूद-उल-हसन ने इस्लामी सिद्धांतों को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा। जमीयत-उल-उलेमा ने मुस्लिम अधिकारों को बरकरार रखा। शिबली नुमानी ने अंग्रेजी, यूरोपीय विज्ञान और हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया।
अलीगढ़ आंदोलन	1864	संस्थापक: सैयद अहमद खां (1817-98) मुख्य योगदान: प्रमुख धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण पर बल दिया। पश्चिमी शिक्षा के मूल्य को पहचाना और मुसलमानों में सामाजिक सुधार लाने का लक्ष्य रखा। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संबंधित पत्रिका: तहज़ीज़-अल-अखलाक (उर्दू)
अहमदिया आंदोलन	[कादियान, 1889]	संस्थापक: मिर्जा गुलाम अहमद (1839-1908) प्रमुख मान्यताएँ: मानवाधिकारों, सहिष्णुता और मस्जिद तथा राज्य के पृथक्करण को बढ़ावा दिया, जिहाद का विरोध किया, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, मिर्जा गुलाम अहमद ने मसीहा होने का दावा किया, धार्मिक युद्धों को समाप्त किया, बहाई धर्म के समान रहस्यमय तत्त्वों के लिए आलोचना की गई। अहमदिया समुदाय एकमात्र इस्लामी संप्रदाय है, जो यह विश्वास करता है कि मसीहा मिर्जा गुलाम अहमद के रूप में पहले ही आ चुके हैं।

सिखों और पारसियों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक सुधार आंदोलन		
नामधारी या कूका आंदोलन	1841-71, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP)	संस्थापक: भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह प्रमुख आदर्श: यह आंदोलन सिख समुदाय के भीतर एक धार्मिक-राजनीतिक पुनरुत्थान था जिसमें प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से एक ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया था, जैसा कि “रहतनामा” में बताया गया है। इसने जाति व्यवस्था, शिशु हत्या और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों का विरोध किया जबकि समतावादी प्रथाओं के लिए आनंद विवाह समारोहों को बढ़ावा दिया। प्रभाव: इस आंदोलन ने सिख समुदाय के भीतर सामाजिक प्रथाओं को सुधारने और भ्रष्ट मानी जाने वाली पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अकाली आंदोलन	1921-25	उत्पत्ति: सिंह सभा आंदोलन की एक शाखा उद्देश्य: भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से सिख गुरुद्वारों को मुक्त करना, जिनके पद वंशानुगत हो गए थे। मुख्य उपलब्धियाँ: 1922: सिख गुरुद्वारा अधिनियम (1925 में संशोधित) पारित किया, जिससे गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख जनता को मिल गया तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) को गुरुद्वारा प्रशासन के लिए सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में सशक्त बनाया गया। विशेषताएँ: 1921 में शुरू किया गया अहिंसक, असहयोग आंदोलन; हालाँकि यह क्षेत्रीय था, लेकिन सांप्रदायिक नहीं था।
सिंह सभा आंदोलन	1873	संस्थापक: ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह मुख्य उद्देश्य: इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक साहित्य प्रकाशित करके, पंजाबी के उपयोग को बढ़ावा देकर और सिख धर्मत्यागियों को पुनः संगठित करके सिख धर्म को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करना था। इसने सिख शिक्षा प्रयासों में अंग्रेजों को शामिल करने और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने तथा ईसाई मिशनरियों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और मुस्लिम मौलवियों सहित बाह्य प्रभावों का मुकाबला करने के लिए पंजाब में खालसा स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया। इसका महत्व सिख शिक्षा को आगे बढ़ाने और बाह्य खतरों से सिख धर्म की रक्षा करने में निहित है।
निरंकारी आंदोलन	1851	संस्थापक: बाबा दयाल दास मुख्य आदर्श: इस आंदोलन ने मूर्ति पूजा और मकबरे की पूजा का विरोध किया, उग्रवादी खालसा बंधुत्व को खारिज कर दिया तथा जीवित गुरुओं को आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वीकार किया। इसने जन्म, स्वास्थ्य और विवाह के लिए अनुष्ठानों को सरल और मानकीकृत भी किया। प्रभाव: निरंकारी आंदोलन ने मानव के ईश्वर से जुड़ाव पर जोर दिया तथा सिख धार्मिक प्रथाओं को अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया।
रहनुमाई मजदायासन सभा	1851	संस्थापक: दादाभाई नौरोजी, नौरोजी फुरदोनजी और एस. एस. बंगाली। मुख्य उद्देश्य: इस आंदोलन का उद्देश्य रूढ़िवादी पारसी प्रथाओं में सुधार करना, सामाजिक रीति-रिवाजों को आधुनिक बनाना, महिलाओं की शिक्षा में सुधार करना तथा विवाह प्रथाओं में सुधार करना था। इसने पारसी समुदाय के भीतर विरासत और विवाह पर समान कानून लागू करने एवं पारसी धर्म की पवित्रता को बहाल करने का समर्थन किया।



नागरिक विद्रोह

भारत में ब्रिटिश विस्तार को किसानों, कारीगरों, आदिवासियों, सैन्य कर्मियों और शासक वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक समूहों से व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिरोध 1857 से पहले और बाद में कई रूपों में सामने आया - नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और सैन्य विद्रोह।

प्रमुख कारण:

- अर्थव्यवस्था, प्रशासन एवं भू-राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन।
- तत्कालीन ज़मींदार अपनी ज़मीन खोने के कारण क्रोधित थे तथा वे सरकारी अधिकारियों, साहूकारों आदि से बदला लेना चाहते थे।
- राजाओं, ज़मींदारों जैसे पारंपरिक संरक्षकों की समाप्ति की स्थिति में और औपनिवेशिक औद्योगिक नीतियों के कारण कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के अस्तित्व पर संकट आ गया।
- पुजारियों, पंडितों और मौलवियों ने अपने पारंपरिक संरक्षक खो दिए।
- ब्रिटिश शासकों की छवि सदैव विदेशी बनी रही वे आम जनता के साथ तिरस्कार व असंवेदनशील व्यवहार करते रहे।

संन्यासी विद्रोह (1763-1800) [बिहार और बंगाल]	• यह बंगाल में संन्यासियों और साधुओं का विद्रोह था। उनके साथ बड़ी संख्या में बेदखल छोटे जमींदार, सैनिक एवं ग्रामीण गरीब भी शामिल हो गए। • हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कंपनी के कारखानों और कोषागारों पर छापे मारे तथा कंपनी की सेनाओं से लड़ाईयाँ लड़ी। • कारण: वर्ष 1770 का बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। • नेता: मजनूँ शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देबी चौधरानी आदि। • बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंदमठ (1882) और देवी चौधरानी (1884) नामक उपन्यास लिखे। • इस आंदोलन को दबाने में वारेन हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मोआमरिया का विद्रोह (1769-99) [असम]	• मोआमरिया निम्न जाति के किसान थे, जो अनिरुद्धदेव की शिक्षाओं का पालन करते थे, असम के अहोम राजाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए और उनकी सत्ता को कमजोर किया। • मोआमरिया ने भटियापार को अपना मुख्यालय बनाया। • वर्ष 1792 में, दर्रांग (Darrang) के राजा कृष्णनारायण ने अपने बुर्कान्देज समूह (मुस्लिम सेनाओं और जमींदारों के हतोत्साहित सैनिक) की सहायता से कमजोर अहोम साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। • अहोम राजाओं को विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों से मदद का अनुरोध करना पड़ा, लेकिन बर्मी आक्रमण के आगे घुटने टेक दिए और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए।
नागरिक विद्रोह (1781, उत्तर प्रदेश)	• नेतृत्वकर्ता: जमींदार, किसान, अलेक्जेंडर हन्ना के विरुद्ध शिकायत लेकर आए ब्रिटिश एजेंट। • कारण: हन्ना द्वारा अत्यधिक राजस्व माँगा। • प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सैन्य हस्तक्षेप के कारण हन्ना को बर्खास्त कर दिया गया तथा इजारा प्रणाली का अंत हो गया। • परिणाम: जमींदारों ने ब्रिटिश राजस्व खेती की खामियों को उजागर करते हुए नियंत्रण हासिल कर लिया।
मिदनापुर और धालभूम में विद्रोह (1766-74) [बंगाल]	• प्रमुख नेता: दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढला। • वर्ष 1772 की नई भू-राजस्व प्रणाली के कारण ज़मींदार रैयतों के पक्ष में और अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध हो गए।

चुआर विद्रोह (1700 के अंत में, मिदनापुर)	- नेता: मिदनापुर में आदिवासी नेता। - कारण: ब्रिटिश शोषण और राजस्व नीतियों के खिलाफ आदिवासी असंतोष। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया। - परिणाम: आदिवासी समुदायों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरूआती प्रतिरोध को चिह्नित किया गया।
पोलिगर विद्रोह (1795-1805) [तमिलनाडु]	- जब अर्कोट के नवाब ने तिन्नेवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन व नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो पोलिगरो ने विद्रोह कर दिया। इससे पोलिगर नाराज हो गए, जो लंबे समय से अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र संप्रभु प्राधिकारी मानते थे। - उत्तरी अर्कोट के पोलिगरो ने विद्रोह कर दिया जब उन्हें कवल शुल्क (Kaval Fees) वसूलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। - गौरतलब है कि 'कवल' या 'घड़ी' तमिलनाडु में एक वंशानुगत ग्राम पुलिस कार्यालय था। - यह आंदोलन दो चरणों में हुआ: - पहले चरण का नेतृत्व कट्टाबोम्मान नायकन ने किया था। - दूसरा चरण अधिक हिंसक था और इसका नेतृत्व ओमानथुराई ने किया था।
गंजाम और गुमसूर विद्रोह (1800, 1935-37, उड़ीसा)	- नेता: स्थानीय जमींदार और किसान। - कारण: दमनकारी कराधान और कठोर राजस्व नीतियाँ। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश दमन। - परिणाम: गंजम और गुमसूर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना।
पलामू विद्रोह (1800-02, झारखंड)	- नेता: जनजातीय सरदार और किसान। - कारण: राजस्व संग्रह के माध्यम से शोषण और जनजातीय स्वायत्तता की हानि। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सेना द्वारा दमन। - परिणाम: अंग्रेजों ने छोटानागपुर पर नियंत्रण मजबूत कर लिया और जनजातीय प्रतिरोध कमजोर कर दिया।
केरल वर्मा पड़ासी राजा का विद्रोह (1797-1805) [केरल]	- केरल वर्मा पड़ासी राजा, जिन्हें "केरल सिंहम" या "पाइचे राजा" के नाम से भी जाना जाता है, मालाबार क्षेत्र में कोट्टायम के वास्तविक प्रमुख थे। - उन्होंने वर्ष 1793 और 1805 के बीच हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की सेनाओं का सक्रिय रूप से विरोध किया। - तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध के परिणामस्वरूप कोट्टायम पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। अंग्रेजों ने वीरा वर्मा को राजा नियुक्त किया, जिन्होंने अत्यधिक कर लगाया, जिसके कारण वर्ष 1793 में पाइचे राजा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान प्रतिरोध हुआ। - वर्ष 1797 में एक शांति संधि के बावजूद, वर्ष 1800 में वायनाड पर एक संघर्ष ने शत्रुता को फिर से जन्म दिया, जिससे पड़ासी राजा को नायर, मण्णिलास और पठानों सहित एक विविध सेना को संगठित करने के लिए प्रेरित किया गया। - नवंबर 1805 में एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई।
विजयनगरम के राजा का विद्रोह (1794) [आंध्र प्रदेश]	- वर्ष 1758 में, अंग्रेजों और आनंद गजपतिराजू (विजयनगरम के राजा) के बीच संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार से फ्राँसीसियों को बाहर करने के लिए एक संधि हुई। - अंग्रेज 1758 की संधि से पीछे हट गए और राजा चिन्ना विजयरामाराजू (आनंद गजपतिराजू के उत्तराधिकारी) को श्रद्धांजलि देने तथा अपनी सेना को भंग करने के लिए कहा। - राजा को अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त था और वह विद्रोह पर उतारू हो गया। वर्ष 1793 में उन्हें पकड़ लिया गया और वर्ष 1794 में पद्मनाभम (आंध्र प्रदेश के आधुनिक विशाखापत्तनम जिले में) में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। अंततः विजयनगरम कंपनी शासन के अधीन आ गया।
अवध नागरिक विद्रोह (1799, पूर्वी उत्तर प्रदेश)	- नेता: जमींदार और किसान। - कारण: अवध की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में ब्रिटिश हस्तक्षेप। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सेना द्वारा दमन। - परिणाम: ब्रिटिश प्रभाव के तहत अवध का स्थानीय नियंत्रण कम हो गया।
हरियाणा विद्रोह (1803 से)	- नेता: स्थानीय मुखिया और किसान। - कारण: सुरजी-अर्जुनगाँव की संधि के बाद हरियाणा का अंग्रेजों को सौंप दिया जाना। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सेना द्वारा दमन। - परिणाम: हरियाणा को ब्रिटिश भारत में एकीकृत किया गया, जिससे ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना हुई।

वेल्लोर विद्रोह (1806, तमिलनाडु)	- नेता: भारतीय सिपाही। - कारण: ब्रिटिश सैन्य ड्रेस कोड को धार्मिक अपमान के रूप में माना गया, पारंपरिक पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। - प्रतिक्रिया: विद्रोह को दबा दिया गया; अंग्रेजों ने ड्रेस कोड वापस ले लिया। - परिणाम: भारतीय धार्मिक प्रथाओं के संबंध में ब्रिटिश नीतियों में संवेदनशीलता पैदा हुई।
बुंदेलखंड अशांति (1808-12)	- नेता: स्थानीय सरदार और किसान। - कारण: अंग्रेजों द्वारा थोपे गए सविदात्मक दायित्वों (इकरनामा) पर नाराजगी। - प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सेना द्वारा दमन। - परिणाम: बुंदेलखंड में ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण।
दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह (1808-09) [त्रावणकोर]	- वेल्लेजली के साथ सहायक संधि समझौते (1805) के बाद त्रावणकोर में कठोर परिस्थितियों के कारण क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। - कंपनी के अड़ियल रवैये के कारण प्रधानमंत्री वेलु थम्पी को नायर सैनिकों के समर्थन से उनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। उन्होंने खुले तौर पर कुंडारा उद्धोषणा में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान किया, जिससे व्यापक विद्रोह भड़क उठा। - शांति बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान आवश्यक था क्योंकि त्रावणकोर के महाराजा कंपनी के पक्ष में चले गए थे। अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने से बेहतर वेलु थम्पी ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अंततः विद्रोह धीमा पड़ गया।
पार्लिकिमेडी विद्रोह (1813-34, ओडिशा)	- नेता: स्थानीय आदिवासी नेता और जमींदार। - कारण: अत्यधिक भूमि एवं राजस्व करा। - प्रतिक्रिया: अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रशासनिक समायोजन। - परिणाम: पार्लिकिमेडी औपचारिक रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में एकीकृत हो गया।
बरेली विद्रोह (1816, उत्तर प्रदेश)	- नेता: जमींदार और किसान। - कारण: ब्रिटिश द्वारा लगाए गए पुलिस कर से असंतोष। - प्रतिक्रिया: दमन, नेताओं को पकड़ लिया गया या मार दिया गया। - परिणाम: औपनिवेशिक कराधान नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष को उजागर किया।
पाइका विद्रोह (1817) [ओडिशा]	- पाइका ओडिशा के वंशानुगत पारंपरिक पैदल सैनिक थे जो लगान-मुक्त भूमि (निष्कर जागीर) के बदले में सैन्य सेवाएँ देते थे और पुलिस का कार्य करते थे। - इसे खुर्दा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था (खुर्दा के राजा के सिंहासन से हटने के कारण पाइको की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई थी)। कारण वाल्टर ईवर आयोग ने सिफारिश की कि पाइका की लगान-मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए। इसके परिणामस्वरूप पाइका ने जमींदारों और किसानों के समर्थन में हथियार उठा लिए। - नमक की कीमत में वृद्धि, कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन (स्थानीय मुद्रा समाप्त करना), चाँदी में कटौती का भुगतान और जबरन वसूली वाली भूमि राजस्व नीतियाँ। प्रमुख नेता: बख्शी जगबन्धु बिद्याधर, मुकुंद देव और दीनबन्धु संतरा (Dinabandhu Santra) आदि। - उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। - वर्ष 1818 तक विद्रोह का बेरहमी से दमन कर दिया गया था। पुरी मंदिर के पुजारी, जिन्होंने जगबन्धु को आश्रय दिया था, उन्हें पकड़ लिया गया और फाँसी की सजा दे दी गई। - पाइका विद्रोह बकाया राशि में बड़ी छूट, कर निर्धारण में कटौती, निश्चित कार्यकाल पर एक नया समझौता आदि की वजह से निम्नलिखित लाभ हुए, जिनमें शामिल हैं-
अहोम विद्रोह (1828) [असम]	प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26) के बाद अंग्रेज असम से नहीं हटे और उन्होंने अहोम क्षेत्रों को अपने में मिलाने की कोशिश की, जिससे लोग आक्रोशित हो गए तथा विद्रोह शुरू हो गया। - अंग्रेजों ने सुलह की नीति अपनाई और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह (अहोम राजा) को सौंप दिया गया। प्रमुख नेता: गोमधर कोंवर (अहोम राजकुमार), महाराजा पुरंधर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह आदि।

कच्छ विद्रोह (1816-1832, गुजरात)	- नेता: महाराजा भारमल द्वितीया - कारण: कच्छ के प्रशासन में ब्रिटिश हस्तक्षेप - प्रतिक्रिया: सैन्य कार्रवाई के बाद सुलह। - परिणाम: कच्छ के शासकों के लिए कुछ स्वायत्तता बरकरार रखते हुए ब्रिटिश प्रभाव सीमित कर दिया गया।
वाघेरा विद्रोह (1818-1820, गुजरात)	- नेता: वाघेरा सरदार। - कारण: बड़ौदा की किलेबंदी पर विवाद। - प्रतिक्रिया: शांति संधि के साथ समाप्त हुआ। - परिणाम: स्थानीय शासकों से जुड़े संघर्षों के लिए बातचीत के जरिए समाधान की मिसाल कायम की।
वहाबी आंदोलन (1830-61) [बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब]	- यह एक इस्लामवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो शरिया के पूर्ण पालन की वकालत करता था। - इस आंदोलन का नेतृत्व राय बरेली के सैयद अहमद ने किया था, जो अब्दुल वहाब (सऊदी अरब) और शाह वलीलुल्लाह (दिल्ली) की शिक्षाओं से प्रेरित थे। टीटू मीर ने बंगाल क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद अहमद ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम तथा समाज की ओर वापसी की वकालत की। सिथाना (उत्तर-पश्चिमी आदिवासी बेल्ट) को संचालन के लिए आधार के रूप में चुना गया था। हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई में मिशनों के साथ, पटना एक महत्वपूर्ण केंद्र था। - पंजाब के सिक्ख साम्राज्य के खिलाफ जिहाद की घोषणा की गई। वर्ष 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसके कब्जे के बाद, वहाबियों ने अपने हमलों को पूरी तरह से भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ कर दिया।
सतारा विद्रोह (1840, महाराष्ट्र)	- नेता: धर राव पवार, नरसिंह पेटकर। - कारण: छत्रपति प्रतापसिंह को अंग्रेजों द्वारा पदच्युत करना। - प्रतिक्रिया: अंग्रेजों द्वारा दमन। - परिणाम: ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध मराठों में आक्रोश और प्रतिरोध को बढ़ावा मिला।
गडकरी विद्रोह (1844, महाराष्ट्र)	- नेता: गडकरी समुदाय। - कारण: ब्रिटिश राजस्व नीतियों के तहत भूमि, विशेषाधिकारों की हानि। - प्रतिक्रिया: अंग्रेजों द्वारा दमन। - परिणाम: मराठों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार; पारंपरिक वर्गों के प्रतिरोध को प्रदर्शित किया।

वंदे मातरम् गीत का जिक्र आनंदमठ उपन्यास में किया गया था।

आदिवासी विद्रोह

जनजातीय आंदोलनों का सबसे आम कारक आदिवासी समुदायों की पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन था। (UPSC 2011) जनजातीय आंदोलनों को उनकी घटना के आधार पर मुख्य भूमि जनजातीय विद्रोह और सीमांत जनजातीय विद्रोह में विभाजित किया जा सकता है।

प्रथम चरण (1795 - 1860)

पहाड़िया विद्रोह (1778) [राज महल पहाड़िया]	- राजमहल पहाड़ियों के पास पहाड़ी निवासी थे, जो वन उपज और स्थानांतरित खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। भौगोलिक अलगाव उनकी स्वतंत्रता बनाए रखते थे। - ब्रिटिश प्रभाव से पहले, उन्होंने निर्वाह के लिए मैदानी इलाकों की ओर स्थानांतरित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से जमींदारों तथा व्यापारियों की सहमति प्राप्त की। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश-प्रचारित स्थायी कृषि के साथ संघर्ष बढ़ गया, जिससे पहाड़िया छापे तेज हो गए। 1770 के दशक में, अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों पर हिंसक हमला किया, जिससे वर्ष 1778 में राजा जगनाथ के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1780 के दशक में, ब्रिटिश शांति में उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए पहाड़िया प्रमुखों को वार्षिक भत्ते शामिल थे।
--	--

तिलका मांझी का विद्रोह [संथाल परगना]	● तिलका मांझी (जबरा पहाड़िया) ने परगना में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, विशेषकर फूट डालो और राज करो की रणनीति का विरोध किया। ● सुल्तानगंज के आसपास काम करते हुए, तिलका ने गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी की नावों को निशाना बनाया, ब्रिटिश खजाना लूट लिया और लूट का माल गरीबों में बाँट दिया। ● उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई, जिसमें संथाल महिलाएँ भी शामिल थीं। वर्ष 1778 में, तिलका ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर, रामगढ़ कैप पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1784 में, उन्होंने भागलपुर पर हमले का नेतृत्व किया तथा कथित तौर पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टल क्लीवलैंड को गोली मार दी। ● अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वर्ष 1785 में तिलका को पकड़ लिया और फाँसी दे दी। तिलका को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है।
जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह (1776) [छोटा नागपुर]	● शुरुआती विद्रोह जंगल के जमींदारों पर लगाए गए राजस्व में बढ़ोतरी की प्रतिक्रिया में भड़का, जो वर्ष 1767 में मिट्टी के किलों को ध्वस्त करने के ब्रिटिश निर्देशों से और भी उग्र हो गया था। ● प्रभावित क्षेत्र: छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानी इलाकों (बीरभूम, बांकुरा और मिदनापुर में परगना) के मध्या ● वर्ष 1768 में, घाटशिला के जमींदार, जगन्नाथ सिंह और हजारों चुआर अनुयायियों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण कंपनी सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वर्ष 1771 में, चुआर सरदार श्याम गंजन, सुबला सिंह और दुबराज विद्रोह में उठे, लेकिन बाद में इसे दबा दिया गया। ● सबसे महत्वपूर्ण चुआर विद्रोह वर्ष 1798 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो स्थायी बंदोबस्त और पुलिस नियमों में बदलाव सहित ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के प्रति असंतोष से प्रेरित था। ○ विद्रोह में पाइक, साधारण चुआर और जंगल के जमींदार शामिल थे। रायपुर के आसपास केंद्रित विद्रोह को वर्ष 1799 में हिंसक रूप से दबा दिया गया था। ○ उल्लेखनीय नेताओं में माधब सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मन सिंह शामिल थे।
तमाड़ विद्रोह (उराँव और मुंडा, 1798; 1914-15, तमाड़, छोटा नागपुर)	● नेता: भोलानाथ सहाय (1798); जतरा भगत, बलराम भगत (1914-15) ● भूमि कर एवं बेगार के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ● जमींदारों और ब्रिटिश जमींदारों द्वारा शोषण पर असंतोष। ● दोनों अवधियों में विद्रोह, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करना था।
भील विद्रोह (1817-19, पश्चिमी घाट, खानदेश, दक्षिण राजस्थान)	● नेता: गोविंद गुरु (1913 मानगढ़ नरसंहार) ● भीलों ने पर्वतीय मार्गों और नजराना प्रणालियों पर ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध किया। औपनिवेशिक नीतियों से आर्थिक कठिनाई पर शिकायतें। ● विद्रोह पूरे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैल गया। ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया।
रामोसी विद्रोह (1822-1829, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)	● नेता: चित्तूर सिंह, उमाजी नाइक, बापू त्र्यंबकजी सावंत ● मराठों की हार के बाद सत्ता खोने के बाद पूर्व मराठा सैनिकों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ● सतारा पर ब्रिटिश कब्जे का विरोध। पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र में विद्रोह। ब्रिटिश सेना ने अंततः विद्रोह को दबा दिया।
अहोम विद्रोह (1828-1833, असम)	● नेता: गोमधर कोंवर, धनजय बोरगोहेन, जयराम खरघरिया फुकन ● यैंडबू की संधि (1826) के ब्रिटिश उल्लंघन के कारण प्रतिरोध हुआ। ● अहोम कुलीन वर्ग ने ब्रिटिश कब्जे और हस्तक्षेप का विरोध किया। ● विद्रोहों का उद्देश्य संप्रभुता पुनः हासिल करना था। ब्रिटिश सेना द्वारा दमन किया गया।
कोल विद्रोह (1831-32, छोटानागपुर क्षेत्र)	● नेता: बुद्धो भगत ● ब्रिटिश राजस्व नीतियों एवं शोषण का प्रतिरोध। ● शिकायतें भूमि अधिकारों और ब्रिटिश हस्तक्षेप पर केंद्रित थीं। विद्रोहों को अंततः ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दबा दिया गया।
खासी विद्रोह (1829-33, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ)	● नेता: तीरथ सिंह ● खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर ब्रिटिश कब्जा और कर लगाना। जनजातीय भूमि और परंपराओं पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध। ब्रिटिश सेना के साथ झड़पों को दबा दिया गया।

संथाल विद्रोह (1855-56) [बिहार]	1770 के दशक के अंत और 1780 के दशक की शुरुआत में संथाल एक व्यवस्थित जीवन निर्वाह के लिए राजमहल क्षेत्र में चले आए। - संथाल और पहाड़िया विवाद (इसे कुदाल और हल के बीच की लड़ाई कहा गया है: कुदाल पहाड़ियों का प्रतीक है जो स्थानांतरित खेती में उपकरण का उपयोग करते थे तथा हल संथालों का प्रतीक है, जो इसे व्यवस्थित कृषि के लिए इस्तेमाल करते थे) किसके गठन से सुलझाया गया था? दामन-ए-कोह (एक फ़ारसी शब्द जिसका अर्थ है पहाड़ियों के बाहरी किनारे) तलहटी में भूमि का एक हिस्सा संथालों का घोषित किया गया। - कंपनी सरकार द्वारा वर्ष 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के तहत उनकी भूमि पर लगाए गए कर अधिक थे और ऋण चुकाने के लिए धन उधार लेना पड़ता था, लेकिन दिकू (बाहरी) साहूकार बहुत ऊँची ब्याज दरें वसूलते थे और जब ऋण नहीं चुकाया जाता था, तो ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते थे। धीरे-धीरे ज़मींदार दामिन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे। - विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया। संथालों ने विद्रोह को 'हुल' कहा, जिसका अर्थ मुक्ति के लिए आंदोलन था। - कंपनी शासन को समाप्त करने और एक स्वायत्त क्षेत्र बनाने के लिए सिद्धू तथा कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। - शुरुआत ज़मींदारों और साहूकारों के खिलाफ हुई लेकिन बाद में इसने ब्रिटिश विरोधी चरित्र अपना लिया। गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग विशेष रूप से सफल रहा और अंततः इसने अंग्रेज़ों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। - विद्रोह के बाद, संथाल परगना को आदिवासियों के लिए विशेष कानूनों के साथ भागलपुर और बीरभूम जिलों से बनाया गया था।
खोंड विद्रोह (1837-56)	- इसका नेतृत्व उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक फैले पहाड़ी क्षेत्र में चक्र बिसोई ने किया था। - मानव बलि के दमन, नए करों और अपने क्षेत्रों में ज़मींदारों के प्रवेश का विरोध करने के लिए घुमसर, कालाहांडी तथा अन्य आदिवासी इसमें शामिल हुए।
कोली विद्रोह (1822-29, महाराष्ट्र; 1857, गुजरात)	नेता: रामजी भांगरे (1822-29), मगनलाल भुखन, द्वारकादास, जेठा माधवजी (1857) - कराधान, भूमि हानि और ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण संबंधी शिकायतें दर्ज की गईं। - महाराष्ट्र और गुजरात में विद्रोह, जिसमें 1857 का विद्रोह भी शामिल था। - ब्रिटिश सैन्य बलों द्वारा इसका दमन कर दिया गया किंतु इससे व्यापक औपनिवेशिक असंतोष का संकेत मिलता है।
दूसरा चरण (1860-1920)	
नेता और वर्ष कारण	विशेषताएँ और प्रभाव
हो और मुंडा विद्रोह (1820-37; 1890, सिंहभूम और राँची, छोटानागपुर क्षेत्र)	1765 में, छोटानागपुर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्से के रूप में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। सिंहभूम के राजा ने शुरू में 1 वर्ष 767 में अंग्रेज़ों से सुरक्षा माँगी, लेकिन 1820 में ब्रिटिश सामंती नियंत्रण स्वीकार कर लिया।
बिरसा मुंडा विद्रोह (1890-1901) [सिंहभूम और राँची]	- इसे 'उलगुलान' (महान उथल-पुथल) के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य: धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना था। - अंग्रेज़ों द्वारा ज़मींदारी प्रथा लागू करने के कारण जनजातीय भूमि पर लगान लगाया गया, भुगतान न करने पर बेदखली हुई और सूदखोर साहूकारों पर निर्भरता बढ़ गई। इसलिए, यह आंदोलन साहूकारों और ईसाई मिशनरियों सहित बाहरी लोगों ('दिकूओं') के खिलाफ असंतोष से शुरू हुआ। - बाद में, सरकार ने अनिवार्य बेगार को समाप्त करने और वर्ष 1903 के किरायेदारी अधिनियम को पारित करने जैसे कदम उठाए, जिसने मुंडाओं की खुंटकट्टी प्रणाली को मान्यता दी, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में पारित किया गया था।
नायकदा आंदोलन (1860 के दशक, मध्य प्रदेश और गुजरात)	नेता: अनिर्दिष्ट - ब्रिटिश सत्ता और उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ विद्रोह। - जनजातीय क्षेत्रों ने ब्रिटिश और उच्च जाति के हितों के बढ़ते प्रभुत्व का विरोध किया। - इन क्षेत्रों में औपनिवेशिक और जातीय उत्पीड़न को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

खरवार विद्रोह (1870 का दशक, बिहार)	- नेता: अनिर्दिष्ट - खरवार जनजातियों ने अपने पारंपरिक अधिकारों का दावा करने और ब्रिटिश राजस्व नीतियों का विरोध करने के लिए विद्रोह किया। - ब्रिटिश राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के विरोध पर ध्यान केंद्रित किया।
कोया विद्रोह (19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के प्रारंभ तक, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश)	- नेता: अनिर्दिष्ट - ब्रिटिश द्वारा थोपी गई नई सामंती व्यवस्था और वन करों के कारण विद्रोहों को बढ़ावा मिला। - ब्रिटिशों द्वारा वनों के शोषण और वन संसाधनों पर कर लगाने के कारण जनजातीय अशांति उत्पन्न हुई।
भुयान और जुआंग विद्रोह (19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी के प्रारंभ तक, ओडिशा)	- नेता: अनिर्दिष्ट - ब्रिटिश द्वारा थोपी गई वन नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध। - भुइयों और जुआंग जनजातियों ने आदिवासी जंगलों पर ब्रिटिश अतिक्रमण और प्रतिबंधात्मक नीतियों का विरोध किया।
कोया विद्रोह (1879-80, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और ओडिशा का मलकानगिरी क्षेत्र)	- नेता: टोमा डोरा - वनों पर पारंपरिक अधिकारों का ह्रास, लकड़ी और चरागाह पर भारी कर, पुलिस द्वारा जबरन वसूली, साहूकारों द्वारा शोषण, साथ ही ताड़ी उत्पादन पर नए उत्पाद शुल्क नियम। - टोमा डोरा ने सन् 1880 में एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया, एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया, एक ब्रिटिश टुकड़ी को हराया और मलकानगिरी के "राजा" की उपाधि हासिल की। - टोमा डोरा के निधन के बाद, राजा अनंतयार ने सन् 1886 में एक और विद्रोह का आयोजन किया।
खोंडा डोरा अभियान (1900, डाबर क्षेत्र, विशाखापत्तनम)	- नेता: कोर्मा मलाया - कोर्मा मलाया ने क्षेत्र में ब्रिटिश घुसपैठ का विरोध करने के लिए खोंडा डोरस का आयोजन किया। - स्थानीय संसाधनों, स्वायत्तता की रक्षा और ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए लामबंदी प्रयासों का नेतृत्व किया।
बस्तर विद्रोह (1910, जगदलपुर)	- नेता: अनिर्दिष्ट - सामंती शोषण और वन करों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। - जनजातियों ने जनजातीय भूमि अधिकारों का उल्लंघन करने वाले औपनिवेशिक शोषण और सामंती संरचनाओं का विरोध किया।
ताना भगत आंदोलन (1914-15) [छोटानागपुर क्षेत्र]	- राँची के जतरा ओरांव ने अप्रैल 1914 में खुद को राजा बनने के लिए दैवीय रूप से नियुक्त घोषित कर दिया। इस उद्घोषणा के कारण झारखंड में ताना भगत आंदोलन का जन्म हुआ। - यह आंदोलन कृषि असंतोष की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों, जमींदारों और मध्यस्थ किरायेदारों द्वारा लगाए गए जबरन श्रम (बेगार) एवं अन्यायपूर्ण लगान वृद्धि का विरोध किया गया। - वे साहूकारों और मिशनरियों दोनों के खिलाफ थे। - ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक था। - इस आंदोलन में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले सत्याग्रह आंदोलन का रूप दिखता है। - वर्ष 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान, ताना भगतों ने स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष में भाग लेते हुए खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया।
तीसरा चरण (1920-1947)	
नेता(नेता) और वर्ष कारण	विशेषताएँ और प्रभाव
रंपा विद्रोह (मण्यम विद्रोह) (1922-1924, गोदावरी एजेंसी के कोया, आंध्र प्रदेश)	- नेता: अल्लूरी सीताराम राजू - यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन श्रम लगाने, लघु वनोपज एकत्र करने पर प्रतिबंध तथा पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर रोक लगाने के विरोध में किया गया था। अगस्त 1922 में, अल्लूरी सीताराम राजू ने गोदावरी एजेंसी में पुलिस स्टेशनों पर तीन दिवसीय हमले का नेतृत्व किया, जिसमें 26 कार्बाइन राइफलें और 2,500 राउंड गोला बारूद सफलतापूर्वक जब्त कर लिया। राजू ने आदिवासियों को ब्रिटिश पुलिस, वन और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ लामबंद किया। राजू के प्रयास 1882 के मद्रास वन अधिनियम का विरोध करने पर केंद्रित थे, जिसमें वन उपज पर आदिवासियों के अधिकारों का दावा किया गया था। उनके नेतृत्व ने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह और महत्वपूर्ण आदिवासी लामबंदी को प्रेरित किया। - विरासत: उनका प्रतिरोध सन् 1924 में उनके पकड़े जाने और फाँसी दिए जाने तक जारी रहा, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में एक शहीद के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हो गई।

चेंचू आदिवासी आंदोलन (1921-1922, नल्लामलाई वन, आंध्र प्रदेश)	● नेता: वेंकटप्पा, के. हनुमंतु ● यह आंदोलन वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण के जनजातीय विरोध से प्रेरित था। वेंकटप्पा और के. हनुमंतु गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, जिसके कारण वन सत्याग्रह शुरू हुआ। ● चेंचू अहिंसक प्रतिरोध में लगे रहे, और ब्रिटिश शुल्क की अवहेलना में अपने मवेशियों को जंगल में स्वतंत्र रूप से चरने की अनुमति दी। यह आंदोलन पलनाड तक फैल गया, जहाँ लोगों ने स्वराज की घोषणा की और पुलिस का सामना किया। यह 1920 के दशक के दौरान व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ तालमेल बिठाते हुए ब्रिटिश थोपे जाने के प्रति व्यापक जनजातीय प्रतिक्रिया का हिस्सा था। आंदोलन ने जनजातीय प्रतिरोध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को प्रदर्शित किया।
रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन (1930 का दशक, जेलियानग्रोंग क्षेत्र, मणिपुर)	● नेता: रानी गाइदिन्ल्यू ● हेपौ जादोनांग के नेतृत्व में हेराका आंदोलन, एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन था जो नागा स्वशासन और ब्रिटिश मिशनरियों के खिलाफ प्रतिरोध तथा जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के उनके प्रयासों की वकालत करता था। रानी गाइदिन्ल्यू ने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाने के बाद 17 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। ● नागा जनजातियों ने करों का भुगतान करने और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन में सुधारवादी धार्मिक उद्देश्य तो थे ही, साथ ही ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाले मजबूत राजनीतिक स्वर भी थे। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से भयभीत ब्रिटिश अधिकारियों ने सन् 1931 में जादोनांग को गिरफ्तार कर लिया और फाँसी दे दी। सन् 1932 में गाइदिन्ल्यू को पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दमन के बावजूद, आंदोलन का नागा प्रतिरोध पर दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ा।
गोंड विद्रोह (1940 का दशक)	● नेता: अनिर्दिष्ट ● गोंड विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ गोंड धर्म के अनुयायियों को एकजुट करने पर केंद्रित था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश उत्पीड़न का विरोध करने के लिए आदिवासी एकता और धार्मिक पहचान पर जोर दिया। यह विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ मध्य भारत में व्यापक जनजातीय प्रतिरोध का हिस्सा था।

बाद में वर्ष 1914 में उड़ीसा क्षेत्र में खोंड विद्रोह इस उम्मीद से शुरू हुआ था कि विदेशी शासन समाप्त हो जाएगा और वे एक स्वायत्त सरकार हासिल कर सकेंगे।

खुंटकट्टी प्रणाली आदिवासी वंश द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत, मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। खेती योग्य भूमि का स्वामित्व तब पूरे कबीले के पास होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के पास।

उत्तर-पूर्व भारत के जनजातीय आंदोलन

आंदोलन	स्थान	नेता	मुख्य कारण एवं घटनाएँ
खासी विद्रोह (1833 तक)	गारो और जयंतिया पहाड़ी, मेघालय	तीरथ सिंह	बाहरी लोगों (अंग्रेजों, बंगाली और मैदानी मजदूरों) के खिलाफ खासी, गारो, खम्पटिस और सिंगफोस द्वारा संगठित प्रतिरोध। हालाँकि इस विद्रोह को वर्ष 1833 तक दबा दिया गया।
सिंहफोस विद्रोह (वर्ष 1830 से आगे)	असम	निरंग फिदु	वर्ष 1839 में विद्रोह के कारण ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट की मृत्यु हो गई। वर्ष 1843 में ब्रिटिश चौकी पर हमले के साथ एक और महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ।
कूकी विद्रोह (1917-1919)	मणिपुर		प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिक भर्ती की ब्रिटिश नीति के कारण।
जेलियांगसोंग आंदोलन (1920)	मणिपुर	जेमी, लियांगमेई, रोंगमेई जनजातियाँ	वर्ष 1917-19 में कूकी विद्रोह के दौरान उनकी रक्षा करने में ब्रिटिश विफलता के खिलाफ जेमी, लियांगमेई और रोंगमेई जनजातियों के नेतृत्व में।
नागा आंदोलन (1905-1931)	मणिपुर	जादोनांग	जादोनांग ने 'नागा राज' स्थापित करने के लक्ष्य के साथ, अंग्रेजों के खिलाफ नागाओं का नेतृत्व किया।
हेराका पंथ (1930)	मणिपुर	रानी गाइदिन्ल्यू	ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर प्रतिरोध और नागा संस्कृति का संरक्षण। ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दमन, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1946 में काबुई नागा एसोसिएशन का गठन हुआ।
सिंटेंग विद्रोह (1860-62)	जयंतिया हिल्स		जयंतिया पहाड़ी में ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध। जयंतिया हिल्स की जनजातियों ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध शुरू किया।

फुलागुड़ी किसान विद्रोह (1861)	असम	अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह। असम में ब्रिटिश विरोधी शुरुआती किसान विद्रोहों में से एक।
सफलाओं का विद्रोह (1872-73)	असम	ब्रिटिश द्वारा लागू की गई वन और राजस्व नीतियों के खिलाफ विद्रोह। सफलास समुदाय ने ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिरोध को संगठित किया।
कछा नागा विद्रोह (1882)	कछार	औपनिवेशिक शोषण और जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण का विरोध किया। अपने भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कछा नागाओं के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया।
खाम्ती (Khamti) विद्रोह (1839-1842)	असम	ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिरोध और स्थानीय शासन में व्यवधान। असम में ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध भयंकर विद्रोह।
लुशाई विद्रोह (1842-1844)	मणिपुर	ब्रिटिश गठबंधन और शोषण के प्रति प्रतिक्रिया। ब्रिटिश-सहयोगी गाँवों पर अनेक हमले हुए, जो जनजातीय असंतोष को दर्शाते हैं।

1857 से पहले सैन्य विद्रोह

1857 से पहले हुए सैन्य विद्रोहों ने भारतीय सैनिकों या सिपाहियों के बीच विभिन्न शिकायतों के कारण गहरे असंतोष को उजागर करके 1857 के भारतीय विद्रोह की नींव रखी। हालाँकि ये विद्रोह स्थानीय थे, लेकिन उन्होंने बड़े विद्रोह का पूर्वाभास दिया और ब्रिटिश नीतियों एवं प्रथाओं के प्रति सिपाहियों के असंतोष को उजागर किया।

कारण:

भेदभाव: ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में सिपाहियों को असमान वेतन और सीमित पदोन्नति का सामना करना पड़ा।

दुर्व्यवहार: ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बार-बार दुर्व्यवहार से आक्रोश बढ़ता था। विदेश सेवा भत्ता न दिया जाना: दूर-दराज के इलाकों में तैनात किए जाने पर सिपाहियों को मुआवजा नहीं दिया जाता था।

धार्मिक चिंताएँ:

- जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट (1856): सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, जो उच्च जाति के हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था।
- अन्य उदाहरण, जैसे पगड़ी की जगह चमड़े का कोकेड (1806) या समुद्र पार करने का आदेश, जिससे जाति का हास हुआ।
- नागरिक शिकायतों के साथ तालमेल: सिपाहियों ने व्यापक भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाले सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असंतोष को साझा किया।

1857 से पहले के प्रमुख विद्रोह

- बंगाल सिपाही विद्रोह (1764): सिपाही अशांति के प्रारंभिक संकेत।
- वेल्लोर विद्रोह (1806): सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप की प्रतिक्रिया में विद्रोह; विद्रोहियों ने मैसूर का झंडा फहराया।
- 47वाँ नेटिव इन्फैंट्री विद्रोह (1824): जबरन तैनाती के कारण हुआ।
- ग्रेनेडियर कंपनी विद्रोह (1825, असम) तथा शोलापुर विद्रोह (1838)।
- 34वीं, 22वीं, 66वीं और 37वीं नेटिव इन्फैंट्री के विद्रोह (1844-1852): विभिन्न रेजिमेंटों में छिटपुट विद्रोह।

- श्वेत विद्रोह (1859): यह ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय सैनिकों द्वारा इंग्लैंड की रानी की सेवा में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ किया गया विद्रोह था। यह वर्ष 1859 और 1861 के बीच हुआ था, एवं यह ब्रिटिश सेना का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह था।

किसान आंदोलन (1857-1947):

स्वतंत्रता-पूर्व किसान आंदोलन

स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान, भारत में किसान आंदोलन आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक जागरूकता के कारण बढ़ गए, जो किरायेदारी अधिकारों, उचित लगान एवं ऋण राहत पर केंद्रित थे।

संगठनों का उदय: सन् 1922 से 1927 तक, किसानों और मजदूरों के समर्थन के लिए कई संगठन बने, जिनमें लेबर स्वराज पार्टी (बंगाल), कांग्रेस लेबर पार्टी (बॉम्बे), कीर्ति किसान पार्टी (पंजाब) और लेबर किसान पार्टी ऑफ़ हिंदुस्तान (मद्रास) शामिल थे। इस दौर में 1920 के दशक की शुरुआत में लगभग 200 हड़तालें भी हुईं, जिनमें गण वाणी और मेहनतकश जैसी पत्रिकाओं ने समर्थन जुटाया।

औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों के लिए अग्रणी कारक

कृषि में ठहराव: कृषि में कोई निवेश नहीं, सिंचाई की उपेक्षा, आधुनिक तकनीकों का अभाव कम उत्पादकता।

भूमि राजस्व नीतियाँ:

- जमींदारी (1793) - उच्च निश्चित राजस्व; किसानों का शोषण
- महालवाड़ी (1819) - ग्राम आधारित राजस्व; सामुदायिक उत्तरदायित्व
- रैयतवाड़ी (1820) - प्रत्यक्ष किसान-सरकार संबंध; उच्च किराया।

कृषि का व्यावसायीकरण: नकदी फसलों (कपास, जूट) की ओर स्थानांतरण खाद्य असुरक्षा, भूमिहीन मजदूर, असमान लाभ।

ऋणग्रस्तता: भारी कर साहूकारों से उच्च ब्याज पर जबरन ऋण भूमि हानि, किरायेदार की स्थिति।

अकाल: बार-बार पड़ने वाले अकाल और आर्थिक मंदी विद्रोह।

सामाजिक असमानता: जाति-आधारित भेदभाव; निचली जातियों का शोषण। कांग्रेस और करिश्माई नेताओं का उदय: कांग्रेस, नेताओं (गांधी, गाइदिन्ल्यू बिरसा मुंडा) ने किसान आंदोलन को प्रेरित किया।

महत्त्वपूर्ण किसान आंदोलन

प्रथम चरण: 1857 से पहले किसान आंदोलन

आंदोलन वर्ष और क्षेत्र	नेता कारण और परिणाम:
संन्यासी विद्रोह (1763-1800) [बिहार और बंगाल]	- यह बंगाल में संन्यासियों और साधुओं का विद्रोह था। उनके साथ बड़ी संख्या में बेदखल छोटे जमींदार, सैनिक और ग्रामीण गरीब भी शामिल हो गए। - हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कंपनी के कारखानों और कोषागारों पर छापे मारे तथा कंपनी की सेनाओं से लड़ाईयाँ लड़ी। कारण: वर्ष 1770 का बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। नेता: मजनूँ शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी आदि। - बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संन्यासी विद्रोह पर आधारित आनंदमठ (1882) और देवी चौधरानी (1884) नामक उपन्यास लिखे। - इस आंदोलन को दबाने में वारेन हेस्टिंग्स ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नकैलबेरिया विद्रोह: वर्ष 1782-1831, पश्चिम बंगाल	नेता: मीर निथार अली (टीटू मीर) कारण: फ़राज़ियों पर दाढ़ी कर लगाने वाले हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किरायेदारों का प्रतिरोध। ब्रिटिश नील बागान मालिकों का विरोध। स्वरूप: सशस्त्र विद्रोह, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान विद्रोह माना जाता है। विकास: वहाबी आंदोलन के साथ विलय होकर एक धार्मिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। वहाबी आंदोलन के व्यापक धार्मिक और सामाजिक-राजनीतिक उद्देश्य थे।
पागल पंथी (हाजोंग और गारो जनजाति के)	- वर्ष 1825-1833, मयमनसिंह, पहले बंगाल में नेता: करम शाह और टीपू शाह कारण: जमींदार उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण लगान दावों के विरुद्ध प्रतिरोध। आंदोलन का उद्देश्य किसानों को जमींदारों द्वारा शोषण से बचाना था। स्वरूप: धार्मिक भिक्षुओं, पागलपंथियों के नेतृत्व में अर्ध-धार्मिक किसान विद्रोह। परिणाम: सरकार ने किराये में कटौती और अन्य रियायतों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। आंदोलन विभाजित हो गया, जिससे शांति की वापसी हुई। टीपू शाह और विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।
दूसरा चरण: 1857 के बाद किसान आंदोलन	
‘नील विद्रोह’ (1859-60 ई.) [UPSC 2020]	बंगाल में यूरोपीय नील बागान मालिकों ने स्थानीय किसानों का शोषण किया और उन्हें चावल जैसी अधिक लाभदायक फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। बागान मालिकों ने किसानों को फँसाने के लिए जबरदस्ती की रणनीतियाँ अपनाईं, जैसे अग्रिम रकम देना और धोखाधड़ीपूर्ण अनुबंध करना। - बागान मालिकों ने किसानों को डराने के लिए कई तरह की हिंसक रणनीतियों का इस्तेमाल किया, जिसमें अपहरण, कोड़े मारना, गैर-कानूनी हिरासत, महिलाओं और बच्चों पर हमले, मवेशियों को जब्त करना, घर को तोड़ना तथा जलाना एवं फसल को नष्ट करना शामिल था। - किसान प्रतिरोध (1859 ई.) का नेतृत्व नादिया जिले के दिगंबर विश्वास और बिष्णु विश्वास ने किया तथा दबाव देकर कारवाई जाने वाली नील की खेती का विरोध किया। - प्रतिरोध में बागान मालिकों के दबाव का मुकाबला करना, हड़ताल पर जाना, बड़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार करना और बंगाली बुद्धिजीवियों के समर्थन से हमलों के खिलाफ संगठित होना आदि शामिल था। - बंगाली बुद्धिजीवियों ने किसानों की शिकायतों को रेखांकित करने वाले ज्ञापनों का मसौदा तैयार करके, बड़े पैमाने पर सभाएँ आयोजित करके, अदालती मामलों में उनका समर्थन करके तथा समाचार पत्र अभियान चलाकर, किसानों के हित को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। - सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया जिससे नवंबर, 1860 ई. में एक अधिसूचना जारी हुई, जिसने किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर होने से बचाया। 1860 ई. के अंत तक, कारखाने बंद होने लगे थे और बंगाल में नील की खेती लगभग समाप्त हो गई।

दक्कन दंगे (1874 ई.)	● रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत दक्कन क्षेत्र के किसानों को भारी कर का सामना करना पड़ता था। बाहरी साहूकारों, मुख्यतः मारवाड़ी या गुजरातियों ने भी उनका शोषण किया। ● 1864 ई. में अमेरिकी गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में गिरावट, 1867 ई. में भू-राजस्व में पचास प्रतिशत की वृद्धि करने के सरकार के फैसले और लगातार हुई खराब फसल ने स्थिति को और भी खराब कर दिया था। ● बढ़ते तनाव के कारण बाहरी साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और कृषि दंगे (1874 ई.) हुए। नाई, धोबी, मोची उनकी सेवा नहीं करते थे। ● यह सामाजिक बहिष्कार तेजी से पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गाँवों तक फैल गया। जल्द ही, सामाजिक बहिष्कार साहूकारों के घरों और दुकानों पर व्यवस्थित हमलों के साथ कृषि दंगों में बदल गया। ऋण बॉण्ड और विलेख जब्त कर लिए गए एवं सार्वजनिक रूप से जला दिए गए। ● सरकार ने आंदोलन का दमन किया और एक सुलह उपाय के रूप में, वर्ष 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। ● महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने भी किसानों के मुद्दे का समर्थन किया।
पाबना कृषि लीग	● पूर्वी बंगाल में जमींदारों ने दमनकारी लगान में वृद्धि की और 1859 ई. के अधिनियम X के तहत किरायेदारों को अधिवास अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ● उन्होंने जबरन बेदखली, मवेशियों और फसलों की जब्ती तथा लंबे समय तक मुकदमेबाजी जैसी रणनीति अपनाई। ● जमींदारों की माँगों का विरोध करने के लिए किसानों द्वारा पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया। लीग ने बढ़े हुए लगान का भुगतान करने से इनकार करते हुए और जमींदारों को अदालत में चुनौती देते हुए लगान हड़ताल का आयोजन किया। ● किसान कानूनी प्रतिरोध में लगे हुए थे, अदालती मामलों के लिए धन जुटा रहे थे। ● सरकार ने 1885 ई. में बंगाल किरायेदारी अधिनियम के साथ जवाब दिया, जिसमें जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ विधायी सुरक्षा की पेशकश की गई। ● बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त जैसे युवा भारतीय बुद्धिजीवियों और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने किसानों के मुद्दे का समर्थन किया।
रामोसी विद्रोह 1877-87; महाराष्ट्र	● नेता: वासुदेव बलवंत फडके ● कारण: वर्ष 1776-1777 के दक्कन अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की दमनकारी भूमि कर नीतियों और उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और फडके का उद्देश्य उनकी पीड़ा को कम करना था। ● प्रकृति: फडके के पास धन की कमी थी, इसलिए उन्होंने एक सेना बनाने और ग्रामीणों का समर्थन करने के लिए सरकारी खजानों पर छापा मारा। पहला छापा धमारी (पुणे जिला) में हुआ, जहाँ एक घर में जमा आयकर को निशाना बनाया गया। भूखे समुदायों की सहायता के लिए शिरूर और खेड़ तालुकाओं में राजकोषीय छापे मारे गए। फडके ने अपने छापे के दौरान रणनीतिक रूप से ब्रिटिश संचार लाइनों को निष्क्रिय कर दिया। ● परिणाम: विद्रोह तब कमजोर हो गया जब ब्रिटिश सेना ने घात लगाकर आंदोलन के नेता नाइक को गोली मार दी।
पंजाब किसान विद्रोह	● 19वीं सदी का अंतिम दशक; पंजाब ● नेता: अनिर्दिष्ट ● कारण: पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम (1900) का उद्देश्य भूमि स्वामित्व हस्तांतरण को प्रतिबंधित करना था, विशेष रूप से किसानों से गैर-कृषि वर्गों को भूमि के हस्तांतरण को लक्षित करना। इस अधिनियम ने शहरी पेशेवरों और व्यापारियों को किसानों से जमीन खरीदने पर रोक लगाते हुए, भूमि लेनदेन पर 15 साल की सीमा लगा दी।
चंपारण सत्याग्रह	● 1917 ई. में; बिहार, चंपारण के किसानों द्वारा ● यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा थोपी गई तीनकठिया प्रणाली के खिलाफ; चंपारण कृषि अधिनियम ने तीनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
खेड़ा सत्याग्रह	● 1918 ई. में; गुजरात में गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा के किसानों द्वारा फसल खराब होने की स्थिति में भू-राजस्व की माफी के लिए नजर-अंदाज की गई अपील के खिलाफ; आखिरकार माँगें पूरी हुईं।
किसान सभा आंदोलन (1918-1921 ई.)	● 1857 ई. के विद्रोह के बाद, अवध के तालुकदारों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और किसानों पर ऊँचे लगान एवं दमनकारी प्रथाएँ लागू कर दीं। ● होमरूल कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया। फरवरी, 1918 ई. में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने भी उनके प्रयासों का समर्थन किया। जून, 1919 तक उत्तर प्रदेश किसान सभा का विस्तार 450 शाखाओं तक हो गया। ● इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं में झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र शामिल हैं। बाबा रामचंद्र के निमंत्रण के कारण नेहरू ने गाँवों का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया।

अवध किसान सभा (अक्टूबर, 1920 ई.)	- राष्ट्रवादी पदों में मतभेद के कारण अक्टूबर, 1920 ई. में अवध किसान सभा का गठन हुआ। - सभा ने किसानों से आग्रह किया कि वे बेदखली-भूमि को जोतने से इनकार कर दें, हरि और बेगार (अवैतनिक श्रम) की पेशकश न करें, आज्ञा न मानने वाले व्यक्तियों का बहिष्कार करें तथा विवादों को पंचायतों के माध्यम से हल करें। - आंदोलन मुख्य रूप से राय बरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में बड़ी बैठकों से लूटपाट, झड़प एवं व्यवधान में बदल गया। - सरकारी दमन के कारण आंदोलन में गिरावट आई। अवध किराया (संशोधन) अधिनियम ने गिरावट में और योगदान दिया, जिससे आंदोलन अंततः समाप्त हो गया।
एका आंदोलन (1921-1922 ई.)	- वर्ष 1921 के अंत में, संयुक्त किसानों के उत्तरी जिलों (हरदोई, बहराईच और सीतापुर) में उच्च लगान, ठिकानेदार उत्पीड़न और बटाई-किराया प्रथाओं को लेकर असंतोष उभरा। - किसानों ने प्रतीकात्मक अनुष्ठानों में भाग लिया और समय पर दर्ज लगान का भुगतान करने, बेदखली का विरोध करने, जबरन श्रम से इनकार करने, अपराधियों से दूर रहने और पंचायत के फैसलों का पालन करने का वचन दिया। - इसका नेतृत्व मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के नेताओं ने किया। - मार्च, 1922 ई. तक आंदोलन को अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन का सामना करना पड़ा और अंततः यह समाप्त हो गया।
मोपला विद्रोह (1921 ई.)	19वीं शताब्दी के दौरान मालाबार क्षेत्र में, मोपला के नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम किरायेदारों को मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। - उनका असंतोष असुरक्षित कार्यकाल, उच्च किराये और दमनकारी शुल्क जैसे मुद्दों से उत्पन्न हुआ। - मोपलाओं को स्थानीय कांग्रेस निकाय में समर्थन मिला, जिसने किरायेदार-मकान मालिक संबंधों को विनियमित करने के लिए सरकारी कानून की वकालत की। इस संरक्षण ने खिलाफत आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए आधार तैयार किया। - गांधी, शौकत अली और मौलाना आजाद जैसे नेताओं से समर्थन प्राप्त करते हुए, मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ गया। - राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के साथ, स्थानीय मोपला नेताओं ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और आंदोलन को स्वतंत्र रूप से संचालित किया। अगस्त, 1921 ई. में सम्मानित मौलवी नेता, अली मुसलियार की गिरफ्तारी से व्यापक दंगे भड़क उठे। - प्रारंभ में, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक और अलौकप्रिय हिंदू जमींदार प्राथमिक लक्ष्य थे। जैसे ही अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया और दमन तेज हो गया, मोपला विद्रोह बदल गया। जिन हिंदुओं को अधिकारियों की सहायता करने वाला माना जाता था, वे निशाना बन गए। - इस सांप्रदायिक मोड़ ने मोपलाओं को व्यापक खिलाफत-असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया। दिसंबर, 1921 ई. तक सांप्रदायिक तनाव से उत्पन्न विद्रोह रुक गया, जो मोपला प्रतिरोध के अंत का संकेत था।
बारदोली सत्याग्रह (1926-1928 ई.)	राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर गांधी के उद्भव के साथ सूरत जिले के बारदोली तालुका का महत्वपूर्ण राजनीतीकरण हुआ। - जनवरी, 1926 ई. में अधिकारियों ने भू-राजस्व में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिससे असंतोष फैल गया। - कांग्रेस नेताओं ने विरोध करते हुए जाँच के लिए बारदोली जाँच कमेटी का गठन किया। समिति ने राजस्व वृद्धि को अनुचित माना। - फरवरी, 1926 ई. में वल्लभभाई पटेल ने बारदोली की महिलाओं से 'सरदार' की उपाधि अर्जित करते हुए कार्यभार संभाला। - किसानों ने तब तक संशोधित मूल्यांकन भुगतान से इनकार करने का फैसला किया जब तक कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया जाता या मौजूदा राशि स्वीकार नहीं की जाती। - पटेल ने आंदोलन के संगठन के लिए तालुका में 13 कार्यकर्ता शिविरों (छावनी) की स्थापना की। - जनमत एकत्रित करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया। किरायेदार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक खुफिया विंग की स्थापना की गई और एक सामाजिक बहिष्कार ने आंदोलन विरोधियों को लक्षित किया। महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए संगठित करने पर जोर दिया गया। - के.एम. मुंशी और लालजी नारनजी ने आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए बॉम्बे विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। - अगस्त, 1928 ई. तक तनाव बढ़ गया और बंबई में संभावित रेलवे हड़तालें होने लगीं। गांधी जी आपातकालीन सहायता के लिए बारदोली पहुँचे। सरकार ने एक सम्मानजनक वापसी की माँग की तथा पहले बढ़े हुए किराए का भुगतान करने की शर्त रखी (वास्तव में भुगतान नहीं किया गया) और फिर इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसने 6.03% की वृद्धि की सिफारिश की। 1930 के दशक में किसान, महामंदी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। विभिन्न क्षेत्रों में नो-रेंट, नो-रेवेन्यू आंदोलन तेजी उभरे। वर्ष 1932 में सक्रिय चरण के आंदोलन के पतन के बाद, नए राजनीतिक प्रवेशकों ने एक आउटलेट के रूप में किसानों को संगठित करने की ओर रुख किया।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा (1936-1937 ई.) [UPSC 2019]	- अप्रैल, 1936 ई. में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा का गठन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं एन. जी. रंगा इसके महासचिव बने। - किसान घोषणा पत्र जारी किया गया तथा इंदुलाल याम्निक ने एक पत्रिका शुरू की। - अखिल भारतीय किसान कांग्रेस/सभा और कांग्रेस ने 1936 ई. में फैजपुर में अपने सत्र आयोजित किए। एआईकेएस के एजेंडे का 1937 ई. के प्रांतीय चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र, विशेषकर कृषि नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
बकाशत आंदोलन	1936, बिहार नेता: स्वामी सहजानंद सरस्वती कारण: बकाशत भूमि (पहले किसानों द्वारा बसाई गई भूमि) से काशतकारों को जबरन विस्थापित करने तथा दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध प्रतिरोध। प्रमुख घटनाएँ: इस आंदोलन को पूरे बिहार में व्यापक समर्थन मिला। 1938: बिहार प्रांतीय किसान सभा द्वारा वैनी में अपने वार्षिक सम्मेलन में जमींदारों के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रभाव: इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बिहार काशतकारी अधिनियम और बकाशत भूमि कर लागू किया गया।
बंगाल में तेभागा आंदोलन [UPSC 2013]	1946 ई. में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने बाढ़ आयोग की सिफारिशों पर तेभागा के कार्यान्वयन की वकालत की, जिसका उद्देश्य मौजूदा आधे हिस्से के बजाय फसल का दो-तिहाई हिस्सा बटाईदारों (बरगदार/अध्वार) को आवंटित करना था। - केंद्रीय नारा, “निज खमारे धन तोलो”, ने बटाईदारों को अपनी उपज को अपने खलिहान तक ले जाने पर जोर दिया और इसे जमींदारों तक पहुँचाने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती दी। - शहरी छात्र मिलिशिया सहित कम्युनिस्ट कैडर, किराये की जमीनों पर काम करने वाले बरगदारों को संगठित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गए। आंदोलन को गति मिली क्योंकि कैडरों ने बटाईदारों को सशक्त बनाने और स्थापित कृषि मानदंडों को चुनौती देने की दिशा में काम किया। - आंदोलन का तूफान केंद्र उत्तरी बंगाल में था, मुख्य रूप से राजबंशियों के बीच, जो एक निम्न जाति का आदिवासी समूह था। बड़ी संख्या में मुसलमानों की भागीदारी ने आंदोलन के विविध समर्थन आधार को प्रदर्शित किया। - लेकिन लीग मंत्रालय द्वारा बारगाईरी विधेयक को दी गई छूट, तीव्र दमन, अलग बंगाल के लिए हिंदू महासभा के आंदोलन के लोकप्रिय होने और कलकत्ता में नए सिरे से हुए दंगों के कारण यह नष्ट हो गया।
तेलंगाना आंदोलन	- असफजाही निजामों के अधीन हैदराबाद को धार्मिक-भाषायी वर्चस्व और जमींदारों द्वारा अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे मुख्य रूप से हिंदू-तेलुगु, मराठी और कन्नड़ भाषी आबादी में असंतोष फैल गया। देशमुख और जागीरदारों द्वारा जबरन मजदूरी (वेथी) और अवैध वसूली ने असंतोष को बढ़ावा दिया। - कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्लाओं ने युद्धकालीन वसूली, राशन के दुरुपयोग, अत्यधिक लगान और वेथी जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए, तेलंगाना के गाँवों में एक मजबूत आधार स्थापित किया। - जुलाई, 1946 ई. में नलगोंडा के जनगाँव तालुका में एक ग्रामीण उग्रवादी की हत्या के बाद विद्रोह भड़क उठा, जो तेजी से वारंगल और खम्मम तक फैल गया। एक ग्रामीण उग्रवादी की हत्या के बाद, यह सभी क्षेत्रों में फैल गया और अगस्त, 1947 ई. तथा सितंबर, 1948 ई. के बीच तीव्र हो गया। - कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई, अवैध रूप से जब्त की गई भूमि बहाल की गई, और सीमा तय करने तथा भूमि के पुनर्वितरण के लिए उपाय किए गए। इस आंदोलन से सिंचाई, हैजा की रोकथाम और महिलाओं की स्थिति में ठोस सुधार हुआ। - एक बार जब भारतीय सुरक्षा बलों ने हैदराबाद पर नियंत्रण कर लिया तो इस आंदोलन ने रजाकारों (निजाम के तूफानी सैनिक) की हार में योगदान दिया। - भाषायी आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना एक महत्वपूर्ण परिणाम थी, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप थी।

भारतीय प्रांतों में किसान लामबंदी	
क्षेत्र/ प्रमुख संगठन और नेता	प्रमुख अभियान और प्रमुख कार्यक्रम प्रभाव और सफलताएँ
केरल संगठन: कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, किसान संघम (किसान संगठन)	- कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालाबार क्षेत्र में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। - अनेक 'कार्यकर्ता संघ' (किसान संगठन) उभरे। - वर्ष 1938 में, किसानों ने मालाबार काशतकारी अधिनियम, 1929 में संशोधन के लिए अभियान चलाया।

आंध्र प्रदेश संगठन: इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट (एन.जी. रंगा द्वारा स्थापित, 1933) समर स्कूल (पी.सी. जोशी, अजॉय घोष, आर.डी. भारद्वाज द्वारा)	- कांग्रेसियों द्वारा चुनावी हार के बाद जमींदारों को गिरती प्रतिष्ठा का सामना करना पड़ा। - प्रांतीय रैयत संघ सक्रिय थे और एन. जी. रंगा ने 1933 ई. में इंडिया पीजेंट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की। - अर्थशास्त्र और राजनीति के ग्रीष्मकालीन स्कूलों का आयोजन पी. सी. जोशी, अजॉय घोष तथा आर. डी. भारद्वाज जैसे नेताओं द्वारा किया गया एवं उन्हें संबोधित किया गया।
बिहार संगठन: स्वामी सहजानंद सरस्वती कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजिती	- सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, जामुन करजिती आदि प्रमुख व्यक्ति थे। वर्ष 1935 में प्रांतीय किसान सम्मेलन ने जमींदारी विरोधी नारा अपनाया। सम्मेलन में 'बकाशत भूमि' मुद्दे पर कांग्रेस के साथ अनबन हो गई। अगस्त, 1939 ई. तक आंदोलन में गिरावट आई।
पंजाब संगठन: कीर्ति किसान पार्टी, पंजाब नौजवान भारत सभा, अकाली, पंजाब किसान समिति	- कीर्ति किसान पार्टी, कांग्रेस, पंजाब नौजवान भारत सभा और अकाली दल पंजाब में पिछली किसान लामबंदी के आयोजन के लिए जिम्मेदार थे। वर्ष 1937 में पंजाब किसान समिति ने आंदोलन को नई दिशा दी। - पश्चिमी पंजाब में संघवादी मंत्रालय को नियंत्रित करने वाले जमींदार, आंदोलन के प्राथमिक लक्ष्य थे। - पहले उठाए गए मुद्दों में अमृतसर और लाहौर में भू-राजस्व का स्थानांतरण, साथ ही मोंटगोमरी तथा मुल्तान की नहर कॉलोनियों में पानी की दरों में बढ़ोतरी थी, जहाँ निजी ठेकेदार सामंती लेवी का अनुरोध कर रहे थे। यहाँ किसानों ने हड़ताल की और आखिरकार रियायतें प्राप्त करने में सफल रहे। - गतिविधि के प्रमुख केंद्र शेखपुरा, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लायलपुर थे। दक्षिण-पूर्वी पंजाब (आधुनिक हरियाणा) के हिंदू किसान और पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किरायेदार मुख्य रूप से अप्रभावित रहे।

सांस्कृतिक प्रभाव: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में विद्रोह के सार को दर्शाया गया है।

विश्व युद्ध के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) विभाजन

- कम्युनिस्टों के युद्ध-समर्थक रुख के कारण विभाजन हो गया, सहजानंद, इंदुलाल याग्निक और एन. जी. रंगा जैसे नेताओं ने सभा छोड़ दी।
- विभाजन के बावजूद, किसान सभा ने काम करना जारी रखा और वर्ष 1943 के अकाल के दौरान सहायता प्रदान की।

श्रमिक वर्ग आंदोलन

19वीं सदी के अंत में भारत में आधुनिक उद्योग का उदय हुआ, विशेष रूप से कोयला, कपास और जूट में, जो भारतीय श्रमिक वर्ग की रीढ़ थे। मजदूरों, कारखाने के श्रमिकों और खनिकों को कम वेतन, लंबे समय तक काम करने तथा असुरक्षित परिस्थितियों के साथ कठोर शोषण का सामना करना पड़ा, जबकि उनका संघर्ष स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ था।

आधुनिक उद्योगों की स्थापना (1850-1870)

1853 में रेलवे का विकास: मशीनरी की शुरुआत हुई, जिससे रेलवे, कोयला, कपास, जूट और चाय उद्योगों का विकास हुआ।

- पहली कपास मिल: बॉम्बे, 1854;
- पहली जूट मिल: कलकत्ता, 1855.
- 1901 तक, भारत में फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 584,000 थी।

कार्य स्थितियों में सुधार के लिए प्रारंभिक पहल

- शसिपदा बनर्जी (1870):** भारत श्रमजीवी की स्थापना की और श्रम अधिकारों की वकालत करने के लिए एक वर्किंगमेन क्लब की स्थापना की।
- सोराबजी शापूरजी बंगाली (1878):** मजदूरों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तावित किया।
- नारायण मेघाजी लोखंडे (1880):** दीनबंधु अखबार की स्थापना और बॉम्बे मिल एंड मिलहैंड्स एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने श्रमिकों के अधिकारों की वकालत की। [UPSC 2018]

- ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक (1899):** ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिन्हें तिलक के केसरी और मराठा जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों से मजबूत समर्थन मिला।

ब्रिटिश शासन के दौरान प्रमुख कारखाना अधिनियम:

- पहला कारखाना अधिनियम (1881)** मुख्य रूप से बाल श्रम के मुद्दे से संबंधित था। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे: [UPSC 2018]
 - 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रोजगार निषिद्ध है।
 - बच्चों के लिए काम के घंटे प्रति दिन 9 घंटे तक सीमित।
 - एक महीने में चार छुट्टियाँ मिलेंगी; और
 - खतरनाक मशीनरी को ठीक से बाड़े-बंद किया जाना चाहिए।
- भारतीय कारखाना अधिनियम (1891)** ने बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष और अधिकतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी; बच्चों के लिए काम के अधिकतम घंटों को घटाकर प्रतिदिन 7 घंटे कर दिया गया; महिलाओं के लिए डेढ़ घंटे के अंतराल के साथ प्रति दिन 11 घंटे अधिकतम काम के घंटे तय किए गए (पुरुषों के लिए काम के घंटे अनियमित छोड़ दिए गए और सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया)।
- जूट उद्योग के लिए कारखाना अधिनियम (1909 और 1911)**
 - विशेष रूप से जूट मिलों में काम के घंटों को विनियमित करने और सुरक्षा मानकों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों को इन कानूनों से बाहर रखा गया, मजदूरों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया।

राजनीतिक चेतना का उदय

20वीं सदी की शुरुआत में भारत के मजदूर वर्ग में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ, जिसमें प्रमुख घटनाओं ने उनकी बढ़ती जागरूकता और सक्रियता को उजागर किया।

1908 बम्बई में राजनीतिक हड़ताल

लोकमान्य तिलक की सजा और कारावास के जवाब में श्रमिकों ने लगभग एक सप्ताह तक राजनीतिक हड़ताल की।

इस हड़ताल ने भारतीय मजदूरों की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को उजागर किया, जिसने लेनिन जैसे अंतरराष्ट्रीय हस्तियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने भारतीय सर्वहारा वर्ग की वर्ग-चेतना और राजनीतिक जन संघर्ष की क्षमता को पहचाना।

स्वदेशी आंदोलन के दौरान

स्वदेशी आंदोलन (स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रवादी उभार) में राजनीतिक और औद्योगिक संघर्षों में सक्रिय कार्यकर्ता भागीदारी देखी गई।

हड़तालें: अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष जैसे नेताओं ने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे तथा जूट जैसे उद्योगों में हड़तालें आयोजित कीं। ये हड़तालें व्यापक राष्ट्रवादी उद्देश्यों से जुड़ी थीं।

ट्रेड यूनियन: ट्रेड यूनियन बनाने के शुरुआती प्रयास किए गए, हालाँकि उन्हें शुरुआती सफलता सीमित मिली। इन यूनियनों का उद्देश्य बेहतर अधिकारों और कल्याण के लिए श्रमिकों को संगठित करना था।

नेता की भूमिका: सुब्रमण्यम शिवा और चिदंबरम पिल्लई ने स्थानीय शिकायतों को संबोधित करते हुए तूतीकोरिन तथा तिरुनेलवेली में महत्वपूर्ण हड़तालों का नेतृत्व किया। दोनों को उनकी सक्रियता के लिए गिरफ्तार किया गया था।

चेन्नई श्रमिक संघ का गठन (1918): बी.पी. वाडिया ने चेन्नई लेबर यूनियन की स्थापना की, जो आधुनिक तर्ज पर काम करने वाला पहला भारतीय ट्रेड यूनियन था, जिसने श्रमिक संगठन में एक मील का पत्थर स्थापित किया।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना- 1920 ई.

- 31 अक्टूबर, 1920 ई. को स्थापित AITUC का उद्देश्य बढ़ते असंतोष के बीच श्रमिकों को संगठित करना था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने उन्होंने पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच संबंध पर जोर दिया। दीवान चमन लाल को इसके प्रथम महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया।

“साम्राज्यवाद और सैन्यवाद, पूँजीवाद की जुड़वाँ संतानें हैं”

– लाला लाजपत राय

- सी. आर. दास ने मजदूरों और किसानों से संबंधित मुद्दों में कांग्रेस की भागीदारी की वकालत की एवं कांग्रेस के ‘गया सम्मेलन’ (1922 ई.) के दौरान AITUC के गठन का स्वागत किया। उन्होंने AITUC के तीसरे और चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की।

- नेहरू, सुभाष बोस, सी. एफ. एंड्रयूज, जे. एम. सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वी. वी. गिरी और सरोजिनी नायडू जैसे प्रमुख नेताओं ने AITUC के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा।

- अपने प्रारंभिक वर्षों में, AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। बाद में, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन का आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा।

AITUC का प्रारंभिक अभिविन्यास

सामाजिक लोकतांत्रिक प्रभाव: प्रारंभ में, AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित था, एन.एम. जोशी जैसे नेताओं ने व्यापक राजनीतिक गतिविधियों के बजाय आर्थिक सुधार की वकालत की थी।

गांधीवादी प्रभाव: समय के साथ, अहिंसा, ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन ने आंदोलन को आकार दिया, जिससे हड़तालों कम हुईं तथा सहकारी प्रयास अधिक हुए। गांधीजी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (1918) को संगठित करने में मदद की, जिससे श्रमिकों के लिए 27.5% वेतन वृद्धि (बाद में 35% तक बढ़ गई) सुनिश्चित की गई।

प्रमुख घटनाक्रम:

गया कांग्रेस अधिवेशन (1922): कांग्रेस ने AITUC के गठन का स्वागत किया, इसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक समिति का गठन किया।

सी.आर.दास की वकालत: सी.आर.दास ने तर्क दिया कि कांग्रेस को श्रमिकों और किसानों को आंदोलन से अलग होने से रोकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना चाहिए।

व्यापार विवाद अधिनियम (टीडीए), 1929[UPSC 2017]

- इसने औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए जाँच न्यायालयों और परामर्श बोर्डों की नियुक्ति को अनिवार्य बना दिया।
- डाक, रेलवे, पानी और बिजली जैसी जन उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया, जब तक कि हड़ताल की मंशा रखने वाले प्रत्येक कामगार ने प्रशासन को एक महीने की अग्रिम सूचना नहीं दी हो।
- सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों सहित, जबरन या पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के साथ व्यापार संघों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

- ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघों के रूप में मान्यता दी गई।
- ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए शर्तें निर्धारित की गईं।
- राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंधों के साथ, वैध गतिविधियों के लिए नागरिक और दंड प्रक्रिया में छूट प्रदान की गई।

साम्यवाद का प्रभाव और विधायी प्रतिबंध -

1920 के दशक के अंत में

- यह आंदोलन साम्यवाद से काफी प्रभावित था, जिसने इसे एक चरमपंथी और क्रांतिकारी प्रकृति प्रदान की। गिरनी कामगार संघ ने वर्ष 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में छह माह की लंबी हड़ताल का नेतृत्व किया।

- सोहन सिंह जोशी, पी. सी. जोशी, मुजफ्फर अहमद, एस. ए. डांगे और अन्य लोगों के नेतृत्व में कई कम्युनिस्ट संगठन स्थापित हुए।
- कट्टरपंथ के कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर, सरकार ने विधायी सीमाएं लागू की जिससे व्यापार विवाद अधिनियम (टीडीए), 1929 और सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (1929) अधिनियमित किया गया।

सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश (1929): यह अध्यादेश, वर्ष 1928 में विधान सभा में पेश किया गया और वर्ष 1929 में अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य श्रमिक आंदोलनों तथा सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को विनियमित एवं सीमित करना था।

- कांग्रेस मंत्रालयों के तहत ट्रेड यूनियन (1937-1947)
- यूनियनों में वृद्धि: 1938 तक 296 यूनियनें
- कानपुर श्रमिकों की हड़ताल (1937): 10,000 श्रमिक, 55 दिन की हड़ताल
- श्रम जाँच समिति: बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में
- विधायी सुधार: बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम (1938), बॉम्बे शॉप असिस्टेंट अधिनियम (1939), सी.पी. मातृत्व अधिनियम (1939)
- समितियाँ: कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकारों द्वारा गठित श्रम जाँच समितियाँ

1931 ई. के बाद (कांग्रेस मंत्रालय)

- एन. एम. जोशी ने AITUC से अलग होकर वर्ष 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की।
- 1935 ई. में कम्युनिस्ट पुनः AITUC में शामिल हो गए।
- वाम मोर्चे में अब कम्युनिस्ट, कांग्रेस समाजवादी और जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे वामपंथी राष्ट्रवादी शामिल थे।
- वर्ष 1937 के चुनावों में AITUC ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया।
- कांग्रेस मंत्रालय आम तौर पर श्रमिकों की माँगों के प्रति सहानुभूति रखते थे और अनुकूल श्रम कानून पारित करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद

- प्रारंभ में, श्रमिकों ने युद्ध का विरोध किया, लेकिन रूस की भागीदारी के बाद वामपंथियों का समर्थन मिलने लगा।
- वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया और शांतिपूर्ण औद्योगिक की नीति की वकालत की।
- श्रमिकों ने युद्ध के उपरांत के राष्ट्रीय विद्रोह में भाग लिया तथा 1945 ई. में, बॉम्बे और कलकत्ता के गोदी श्रमिकों ने इंडोनेशिया में युद्धरत सैनिकों के लिए रसद ले जाने वाले जहाजों पर रसद लादने से इनकार कर दिया। वर्ष 1946 में उन्होंने रॉयल सेना के नाविकों के समर्थन में हड़ताल कर दी।



PRELIMS POWERPREP 2025

Prelims Crash Course + Rigorous Practice


LIVE
Lectures


Daily
Practice


LIVE Video
Solutions


Mentorship
Webinar


G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)

Hinglish | Online ₹ 15,999/- ₹ 7,999/-

**FOR EXTRA
DISCOUNT**

USE COUPON CODE

PWOIAS500

9920613613 | pwonlyias.com

औपनिवेशिक भारत के आर्थिक शोषण के चरण

आर्थिक समीक्षक **रजनी पाम दत्त** ने भारत में साम्राज्यवादी शासन के इतिहास में तीन अतिव्यापी चरणों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं।

[UPSC 2015]

प्रथम चरण

व्यापारिक पूँजी या वाणिज्यवाद का काल (1757–1813)

इसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना और राज्य की सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से सरकारी राजस्व पर अधिकार करना था।

- प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, कृषि या औद्योगिक उत्पादन के तरीकों, व्यवसाय प्रबंधन या आर्थिक संगठन के रूपों, शिक्षा या सामाजिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, हालाँकि सैन्य संगठन और शीर्ष स्तर के राजस्व प्रशासन में बदलाव प्रस्तुत किए गए।
- भारत से बड़े पैमाने पर धन का निकास (ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 2-3%)। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण में निकासी से प्राप्त धन ने भूमिका निभाई।
- भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात नहीं हुआ, बल्कि इसका उलटा हुआ, भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई।

द्वितीय चरण

मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद

इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से हुई और 1860 के दशक तक जारी रही। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटिश पूँजीवादी हितों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित हो गया था।

विशेषताएँ

- मुक्त व्यापार के माध्यम से भारत को ब्रिटिश और विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया।
- ब्रिटिश पूँजीपतियों को भारत में विभिन्न गतिविधियों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। भारत ने ब्रिटिश निर्यात का 10 से 12 प्रतिशत और ब्रिटेन के वस्त्र निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत अवशोषित (आयात) किया।
- कृषिगत पूँजीवादी परिवर्तन के लिए स्थायी बंदोबस्त और रयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई।
- अंदरूनी गाँवों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच के लिए व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन।

- व्यापक रूप से विस्तारित प्रशासन को सस्ते कर्मचारी प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई।
- भारतीय सेना का उपयोग एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार के लिए किया गया।
- आर्थिक प्रभाव के कारण लाभांश और मुनाफे को पूरा करने के लिए कच्चे माल के निर्यात में तेज़ वृद्धि हुई। भारत को अधिक ब्रिटिश वस्तुएँ खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता थी।

तृतीय चरण

विदेशी निवेश का युग (1860 से आगे)

- विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए और ब्रिटिश औद्योगिक वर्चस्व को यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा चुनौती दी गई। इसने वैज्ञानिक प्रगति और अंतरराष्ट्रीय परिवहन में नवाचारों के माध्यम से विश्व बाज़ार के एकीकरण के कारण औद्योगीकरण की गति को बढ़ाया।
- भारत पर नियंत्रण मजबूत करने के तीव्र प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण; उदारवादी साम्राज्यवादी नीतियों से प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीतियों में बदलाव; भारत में रेलवे, ऋण, व्यापार और विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूँजी निवेश।
- अंग्रेज़ों के विचार में परिवर्तन आया, जैसे भारतीय लोगों को स्व-शासन के लिए प्रशिक्षण देने की जगह भारतीयों को स्थायी संरक्षण; नस्लीय कारण बताकर भारतीयों को स्थायी रूप से अपरिपक्व, स्वशासन या लोकतंत्र के लिए अयोग्य घोषित करना। साथ ही 'श्वेत अधिभार सिद्धांत' ने ब्रिटिश शासन को बर्बर लोगों को सभ्य बनाने के रूप में उचित ठहराया।

अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में **संरचनात्मक परिवर्तन** किए और विभिन्न नीतियों के माध्यम से इसके **धन की निकासी** का मार्ग प्रशस्त किया।

विऔद्योगीकरण, जिसके कारण कारीगर और हस्तशिल्पी बर्बाद हो गए

- वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों को **एकतरफ़ा मुक्त व्यापार** से लाभ हुआ।
- भारतीय वस्त्रों को 80% टैरिफ का सामना करना पड़ा जिससे इसने यूरोपीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी।
- रेलवे ने यूरोपीय उत्पादों की आवक को सुगम बनाया तथा भारत **निर्यातक से आयातक** बन गया।
- औद्योगीकरण के बिना पारंपरिक आजीविका समाप्त हो गई।
- भारत का विऔद्योगीकरण यूरोप की तीव्र औद्योगिक क्रांति के विपरीत था।
- कारीगर राज्य द्वारा संरक्षण से वंचित हो गए।

- विऔद्योगीकरण के कारण कई शहरों का पतन हो गया।
- कारीगर अब गाँवों में चले गए और कृषि में लग गए। इससे भूमि पर दबाव बढ़ने से कृषि पर अत्यधिक बोझ पड़ा और गाँवों में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया।

किसान वर्ग की दरिद्रता

- सरकार ने लगान को अधिकतम कर दिया और स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे काश्तकारों के लिये असुरक्षा पैदा हो गई।
- ज़मींदारों ने अवैध बकाया की माँग की, काश्तकारों को बेदखल किया और कृषि सुधार के लिए प्रोत्साहन की कमी थी।
- काश्तकारों को साहूकारों से उधार लेने और कम कीमतों पर उपज बेचने के लिए मजबूर किया गया।
- सरकार, ज़मींदार और साहूकार के शोषण के तिहरे बोझ से काश्तकारों की कठिनाइयाँ बढ़ गईं।

बिचौलियों का उद्भव, अनुपस्थित

ज़मींदारवाद और पुराने ज़मींदारों का विनाश

- व्यापारी और साहूकार ज़मीन हड़प कर नए ज़मींदार बन गए।
- बिचौलियों में वृद्धि के कारण अनुपस्थित ज़मींदारी प्रथा को बढ़ावा मिला।
- नए ज़मींदारों ने ब्रिटिश शासन को कायम रखने हेतु राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया।

कृषि में अकर्मण्यता और गिरावट

- कृषकों के पास कृषि निवेश के लिए साधनों और प्रोत्साहनों का अभाव था।
- ज़मींदारों का गाँवों में कोई जुड़ाव नहीं था और कृषि सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था।
- कृषि, तकनीकी या जनशिक्षा पर बहुत कम सरकारी खर्च।

अकाल और गरीबी

औपनिवेशिक ताकतों द्वारा फैलाई गई गरीबी के कारण अकाल पड़ा। वर्ष 1850 से 1900 के बीच अकाल में करीब 2.8 करोड़ लोगों की मौत हुई।

भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण [UPSC 2018]

- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में, कृषि जीवन शैली से वाणिज्यिक उद्यम में स्थानांतरित हो गई।
- कपास, जूट, मूंगफली और अन्य चीज़ें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उगाई जाती थीं।
- भारतीय किसानों के प्रति जबरन दबाव के कारण भारी ऋणग्रस्तता, अकाल और कृषि दंगे हुए।
- वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक थे: मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, परंपरा की जगह प्रतिस्पर्धा, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, बेहतर संचार और ब्रिटिश वित्त पूँजी।

उद्योग का विनाश एवं आधुनिक उद्योग के विकास में देरी

- अंग्रेज़ों ने भारतीय वस्त्रों के लिए पाउंड में भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा नष्ट हो गई।

- ब्रिटिश जहाज़ों को एकाधिकार दे दिया गया, भारतीय जहाज़ों को भारी करों का सामना करना पड़ा एवं नए कानूनों ने भारतीय निर्मित जहाज़ों को प्रतिबंधित कर दिया।
- भारतीय इस्पात आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ब्रिटिश उपयोग के लिए उच्च मानक उत्पादन को मजबूर होना पड़ा।
- भारतीय व्यापारियों, साहूकारों और बैंकरों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण में भूमिका निभाई।
- आधुनिक मशीन-आधारित उद्योग 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शुरू हुए, जिनमें ज्यादातर विदेशी स्वामित्व वाले थे। **पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना (1853)** बॉम्बे में कोवासजी नानाभाय द्वारा की गई थी। इसके अलावा, **पहली जूट मिल** वर्ष 1855 में बंगाल के रिषड़ा में स्थापित की गई थी।

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादियों द्वारा आलोचना

19वीं सदी के शुरुआती बुद्धिजीवियों ने शुरू में आधुनिकीकरण और पूँजीवादी आर्थिक संगठन के लिए ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। 1860 के दशक के बाद मोहभंग हुआ, क्योंकि राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों ने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविकता की जाँच शुरू कर दी।

आर्थिक समालोचक के रूप में अग्रणी विश्लेषक थे:

- दादाभाई नौरोजी (पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया), न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त (भारत का आर्थिक इतिहास), गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वीचंद्र रे।

[UPSC 2015]

धन निकासी का सिद्धांत [UPSC 2012]

- दादाभाई नौरोजी ने “पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया” में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- इन्होंने भारत की उत्पादक पूँजी में कमी की निंदा की, जहाँ भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक हिस्सा राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन चला गया और भारत को अपर्याप्त वापसी मिला।
- निकासी के घटक थे- वेतन, पेंशन, ऋण पर ब्याज, विदेशी निवेश पर लाभ, शिपिंग के लिए भुगतान, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ।
- पूँजी निर्माण में प्रतिबंध और बाधा, भारत की कीमत पर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास, वित्तीय पूँजी के रूप में अधिशेष का पुनः प्रवेश।
- भारत से धन की निकासी से देश के भीतर आय और रोजगार की संभावनाएँ बाधित होती हैं।
- राष्ट्रवादियों ने आर्थिक निकास का अनुमान कुल भूमि राजस्व से अधिक, कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत के एक तिहाई लगाया।

ब्रिटिश नीतियाँ और आर्थिक आलोचना

- आलोचकों का तर्क है कि उपनिवेशवाद ने भारत को कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के आपूर्तिकर्ता, ब्रिटिश निर्माताओं के लिए एक बाजार और ब्रिटिश पूँजी के लिए एक क्षेत्र में बदल दिया।

- राष्ट्रवादी विश्लेषक **आर्थिक स्वतंत्रता के लिए** बौद्धिक आंदोलन आयोजित करते हैं।
- दावा यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत को गरीब बना दिया और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना।
- गरीबी को एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में देखा गया, जिसके लिए उत्पादक क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास के माध्यम से समाधान की आवश्यकता थी।
- औद्योगीकरण को विकास के समान माना जाना चाहिए, जो विदेशी पूँजी पर नहीं, बल्कि भारतीय पूँजी पर आधारित होना चाहिए।
- विदेशी पूँजी द्वारा भारतीय पूँजी के दमन ने ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करके आर्थिक निष्कासन किया।

व्यापार और रेलवे की आलोचना

- विदेशी व्यापार पैटर्न ने तैयार माल के आयात और कच्चे माल के निर्यात का समर्थन किया।
- रेलवे के विकास को भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित नहीं किया गया, जिससे औद्योगिक क्रांति के बजाय वाणिज्यिक क्रांति हुई।
- रेलवे ने विदेशी वस्तुओं को स्वदेशी उत्पादों से अधिक बिकने में सक्षम बनाया, जिससे ब्रिटिश हितों को लाभ हुआ।

एकतरफा मुक्त व्यापार और टैरिफ (सीमा शुल्क) नीति

- एकतरफा मुक्त व्यापार के प्रभाव में असमान और अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए।
- निर्देशित सीमा शुल्क नीति ब्रिटिश पूँजीवादी हितों से प्रभावित थी।
- वित्त और कराधान गरीबों पर बोझ डालते थे तथा ब्रिटिश पूँजीपति और नौकरशाह इससे मुक्त थे।
- भू-राजस्व में कमी, नमक कर की समाप्ति, आयकर लगाना और अमीर मध्यम वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाना शामिल था।

धन निकासी का परिणाम

- धन निकासी के कारण भारत को अपनी उत्पादक पूँजी की कमी का सामना करना पड़ा।
- उस युग के दौरान **राष्ट्रवादी अनुमानों के परिमाण** ने प्रमुख वित्तीय संकेतकों को पार करते हुए व्यापक धन निकासी को उजागर किया जो कुल भू-राजस्व से अधिक या कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत का एक तिहाई (राष्ट्रीय उत्पाद के 8%) के बराबर था।

राष्ट्रीय अशांति के उत्प्रेरक के रूप में आर्थिक मुद्दा

आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस धारणा को चुनौती दी कि विदेशी शासन से भारतीयों को लाभ हुआ। इसने स्वतंत्रता संग्राम (1875-1905) के मध्यम चरण के दौरान बौद्धिक अशांति और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को प्रेरित किया।

औपनिवेशिक आर्थिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द

औरंग: गोदाम के लिए प्रयुक्त फ़ारसी शब्द जहाँ बिक्री से पहले माल एकत्र किया जाता था।

बनिया: संस्कृत शब्द वणिज से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है 'व्यापारी'; बनिया बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे।

मिरासदार: वंशानुगत भूस्वामियों के लिए एक उर्दू शब्द, जिन्हें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत एकमात्र मालिक के रूप में मान्यता दी गई, किरायेदारी के अधिकार छीन लिए गए तथा वे अपनी जमीन बेचने में असमर्थ थे।

ब्रिटिश नीतियों का कृषि प्रभाव

ब्रिटिश द्वारा दीवानी अधिकार (1765) के अधिग्रहण के बाद, कृषि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गई, पहले यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रमुख थी। **नई भूमि पट्टेदारी और राजस्व प्रशासन प्रणालियों** की शुरुआत हुई, जिससे आर्थिक चुनौतियाँ पैदा हुईं और कृषि तथा व्यापार के उत्पादकता में गिरावट आई।

वॉरेन हेस्टिंग की राजस्व प्रणाली (1769-70)

- उसने **इजारेदारी प्रणाली** (जिसे कृषि प्रणाली भी कहा जाता है) को अपनाया।
- बोली प्रणाली के आधार पर चयनित ठेकेदारों को पाँच साल तक राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया। बाद में वर्ष 1777 में इसे वार्षिक कर दिया गया।
- ठेकेदारों द्वारा जबस वसूली और उत्पीड़न का उद्देश्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करना तथा किसानों के कल्याण की उपेक्षा करना था। ठेकेदारों की बोलियों में अत्यधिक वादे भूमि की उत्पादन क्षमता से अधिक हो गए।
- पारंपरिक ज़मींदारों को बोली लगाने से हतोत्साहित किया गया। परिणामस्वरूप, कई वंशानुगत ज़मींदार हटा दिए गए।
- भ्रष्टाचार चरम पर था, जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व कम हो गया।

स्थायी बंदोबस्त

[UPSC 2011]

फिलिप फ्रांसिस (हेस्टिंग्स काउंसिल के सदस्य) ने वर्ष 1776 में एक स्थायी भूमि राजस्व निपटान का प्रस्ताव रखा। **लॉर्ड कॉर्नवालिस** को ज़मींदारों के साथ स्थायी भूमि राजस्व निपटान के निर्देश के साथ गवर्नर-जनरल के रूप में भेजा गया था। उन्होंने इस मुद्दे की जाँच के लिए स्वयं, सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के साथ एक समिति का गठन किया।

स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएँ

- इसमें ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 19% क्षेत्र शामिल था और इसे **बंगाल तथा बिहार में पेश किया गया था एवं ओडिशा, बनारस (वाराणसी) व उत्तरी मद्रास तक बढ़ाया गया था।**
- ज़मींदारों को उनकी भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया गया।
- वर्ष 1790 में, दस-वर्षीय समझौता किया गया, जिसके बाद वर्ष 1793 में स्थायीकरण किया गया।
- भूमि पर लगाया जाने वाला निश्चित कर, जो ज़मींदारों द्वारा कृषकों (रैयतों) से वसूला जाता था।
- ज़मींदारों को **राजस्व के दसवें हिस्से से ग्यारहवें हिस्से** के बीच रखने की इजाज़त थी; शेष कंपनी (सरकार) को दे दिया गया।
- ज़मींदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार दिए गए जिससे वे भूमि बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या हस्तांतरित कर सकते थे; विरासत के अधिकार स्थापित किए गए।

स्थायी बंदोबस्त की कमियाँ

- राजस्व की दरें ऊँची तय की गई, जिससे कई ज़मींदारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- ज़मींदारों ने संपदा को छोटे-छोटे हिस्सों (पटनी तालुक) में विभाजित कर दिया, जिससे उप-संघर्ष हुआ; इससे अनुपस्थिति-ज़मींदारीवाद बढ़ गया।
- ज़मींदार, किसानों को लिखित अनुबंध (पट्टा) प्रदान करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप शोषण और उत्पीड़न हुआ।
- कृषकों को दास प्रथा में बदल दिया गया, साहूकारों के हाथों में सौंप दिया गया।
- ज़मींदारों ने भूमि और कृषि सुधारों की उपेक्षा करते हुए केवल लगान वसूली पर ध्यान केंद्रित किया।
- सरकार कर बढ़ाने में असमर्थ थी, जिससे विस्तारवादी कंपनी के लिए वित्तीय बाधाएँ पैदा हुईं।

रैयतवाड़ी प्रणाली

[UPSC 2017]

थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने वर्ष 1792 में मद्रास प्रेसीडेंसी के बारामहल क्षेत्र में इस प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली को औपचारिक रूप दिया, जो स्थायी बंदोबस्त के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, मद्रास प्रेसीडेंसी के विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तारित हुई। इस प्रणाली को बिचौलियों के बिना गाँवों से सीधे राजस्व एकत्र करके अधिकतम करने के लिए निर्मित किया गया था। उन्होंने कर को सकल उपज का एक तिहाई कर दिया। डेविड रिकार्डों के लगान के सिद्धांत सहित उपयोगितावादी विचारों ने इसे प्रभावित किया।

रैयतवाड़ी व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और दबाव

- किसानों को मनमाने कर जुमाने का सामना करना पड़ा, जो अक्सर पिछले भुगतानों पर आधारित होता था।
- सकल उपज के एक-तिहाई पर उच्च कर निर्धारित किया जाता है, जो अक्सर आर्थिक किराये के बराबर होता है, जिससे किसानों में गरीबी पैदा होती है। रैयतों ने राजस्व वसूलने के लिए दबाव डाला और यातनाएँ दीं, जिससे वे साहूकारों के बंधन में बंध गए।
- मद्रास टॉचर कमीशन रिपोर्ट (1855) में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ।

सुधार और कृषि समृद्धि

- एक वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण (1855) शुरू किया गया और नए सिरे से मूल्यांकन किया गया, जिससे कर का वास्तविक बोझ कम हो गया।
- सुधारित बंदोबस्त (1864) में राजस्व दर तीस वर्षों के लिए उपज के शुद्ध मूल्य का आधा निर्धारित की गई।
- समृद्धि और कृषि विस्तार के कारण वर्ष 1865-66 और 1876-78 में अकाल के बावजूद कृषि समृद्धि हुई।

रैयतवाड़ी प्रणाली का विस्तार

- वर्ष 1818 में पेशवा के क्षेत्र की विजय के बाद, एल्फिन्स्टन की देखरेख में बॉम्बे प्रेसीडेंसी तक विस्तारित किया गया।
- एक दोषपूर्ण सर्वेक्षण के आधार पर राज्य की माँग शुद्ध उपज का 55% तय की गई, जिससे अति-मूल्यांकन हुआ।
- विंगेट और गोल्डस्मिथ ने वर्ष 1836 के आसपास इस प्रणाली में सुधार किया और वर्ष 1865 तक डेक्कन के अधिकांश हिस्से को इसके अंतर्गत लिया गया।
- यह प्रणाली बरार, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सों और कूर्ग तक विस्तारित थी।

विशेषताएँ

[UPSC 2012]

- स्वामित्व और दखलकारी अधिकार रैयतों के पास थे। भूमि स्वामित्व की कोई सीमा नहीं थी; वे उप-पट्टे, ट्रांसफर या बेचने के लिए स्वतंत्र थे।
- यह कंपनी को प्रत्यक्ष कर भुगतान (अनुमानित उत्पादन के आधार पर 45-55%) था।
- यह समय-समय पर संशोधन के साथ एक अस्थायी समझौता था।
- भूमि खेती के विकल्प सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र थे लेकिन अक्सर बाहरी कारकों से प्रभावित होते थे।
- सरकारी नियंत्रण में बंजर भूमि पर साझा राजस्व की शर्त पर खेती की जा सकती थी।
- भुगतान न करने पर ज़मीन ज़ब्त कर ली गई।

कमियों में राजस्व का अधिक मूल्यांकन, अनम्य संग्रह विधियाँ, यातना शामिल होना, मूल्यांकन प्रक्रिया में बढ़ता भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं।

महालवाड़ी व्यवस्था (1819-1822)

होल्ट मैकेंजी ने वर्ष 1819 में उत्तरी भारत में भूमि राजस्व निपटान के लिए इसकी सिफारिश की। 1922 के विनियमन VII ने सिफारिश को औपचारिक रूप दिया। जटिल सर्वेक्षण विधियाँ, उच्च राजस्व माँगें और कठोर निस्सारण विधियाँ इस योजना के टूटने का कारण बनती हैं। वर्ष 1828 की कृषि मंदी ने इसे और अधिक बदतर बना दिया।

1833 का विनियमन

- विलियम बेंटिक ने उत्पादन का आकलन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया।
- मेर्टिस बर्ड, जिन्हें उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है, ने नई योजना की देखरेख की।
- राज्य का हिस्सा किराये के मूल्य का 66% तय किया गया था और 30 वर्षों के लिए स्थायित्व किया गया था।

राज्य की माँग में संशोधन और कमी

- वर्ष 1855 में, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की माँग को किराये के मूल्य के 50% तक सीमित करने के निर्देश जारी किए। इस प्रणाली को संशोधित ज़मींदारी प्रणाली के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि गाँव का मुखिया कृषकों और सरकार के बीच की कड़ी था।

- उत्तर-पश्चिमी प्रांत (जिसे 'मौजावर' के नाम से जाना जाता है), मध्य प्रांत (जिसे 'मालगुजारी' के नाम से जाना जाता है) और पंजाब सहित कुल ब्रिटिश शासित क्षेत्र के लगभग 30% में लागू किया गया।

विशेषताएँ

- **महाल (गाँव या गाँवों का समूह)** राजस्व निर्धारण का आधार था।
- राजस्व का निर्धारण एक महाल के उत्पादन पर आधारित था।
- ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना जाता था, जबकि व्यक्तिगत स्वामित्व कृषक के पास होता था।
- **संग्रह और भुगतान** की जिम्मेदारी **ग्राम प्रधान** या समुदाय के नेताओं की होती है।
- बेंटिक के शासन में, राज्य का राजस्व हिस्सा शुरू में 66% था, जिसे बाद में संशोधित कर 50% कर दिया गया।
- मिट्टी की विभिन्न श्रेणियों के लिए औसत किराए की अवधारणा पेश की गई थी।
- महालवाड़ी क्षेत्रों में, **भू-राजस्व को समय-समय पर संशोधित किया गया था।**

कमियाँ

- सभी अधिकारों को दर्ज करने और भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर कर तय करने की आवश्यकता अव्यावहारिक थी।
- आधिकारिक गणनाएँ अक्सर गलत होती हैं, अनुमान पर आधारित होती हैं और बढ़े हुए राजस्व के लिए हेर-फेर की जाती हैं।
- इस प्रणाली ने अत्यधिक कर निर्धारण से ग्राम समुदायों को बर्बाद कर दिया।
- कर के दरों को पूरा करने में असमर्थता के कारण बड़े पैमाने पर बेदखली हुई जिससे भूमि, साहूकारों और व्यापारियों के पास चली जाती है।
- इस प्रणाली ने उत्तर भारत में कृषक समुदायों की दरिद्रता में योगदान दिया।
- वर्ष 1857 में लोकप्रिय विद्रोहों में आक्रोश और असंतोष व्यक्त किया गया।
- बंदोबस्त प्रणाली को कंपनी के दृष्टिकोण से देखा गया।

कुल मिलाकर, ब्रिटिश भूमि राजस्व प्रणालियों का किसानों, ज़मींदारों और भारतीय गाँवों के सामाजिक ताने-बाने पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ, असमान भूमि स्वामित्व तथा कृषि का व्यावसायीकरण हुआ।

उद्योग पर औपनिवेशिक नीति

- **विऔद्योगीकरण:** ब्रिटिश नीतियों का उद्देश्य औद्योगीकरण को रोकना था, तथा भारत को ब्रिटेन के लिए कृषि आधार के रूप में बनाए रखना था।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** हालाँकि, शाही जरूरतों के कारण सड़कों, रेलवे और संचार प्रणालियों का निर्माण हुआ, जिससे आधुनिक उद्योग के लिए आधार तैयार हुआ।

भारतीय स्वदेशी उद्योग पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव

- **हस्तशिल्प का पतन:** ब्रिटिश शासन के तहत भारत में पारंपरिक कुटीर और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ।
- **कपड़ा प्रतिस्पर्धा:** 1830 के दशक तक सस्ते ब्रिटिश वस्त्रों की भारतीय बाजारों में बाढ़ आ गई। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों को भारी आयात शुल्क का

सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश वस्त्रों ने यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी बाजारों पर कब्जा कर लिया।

- **मशीन-निर्मित बनाम हस्तनिर्मित:** मशीन-निर्मित ब्रिटिश वस्त्र भारतीय उत्पादों की तुलना में सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले थे।
- **आर्थिक निर्भरता:** भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत बन गया। भारत ब्रिटिश निर्मित उत्पादों के लिए एक आर्थिक उपनिवेश में तब्दील हो गया।
- **संरक्षकों में कमी:** राजाओं, सरदारों और जमींदारों से समर्थन न मिलने से हस्तशिल्प क्षेत्र कमजोर हो गया।
- **औद्योगिक नींव:**
 - रेलवे: 1853 में पहली रेलवे लाइन (बॉम्बे से ठाणे)।
 - कॉटन मिल्स: पहली कॉटन मिल, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में काउज़ज़ी नानाभोय डावर द्वारा। [UPSC 2020]

भारतीय पूँजीवादी उद्यम का विकास

वस्त्र उद्योग फोकस: कपड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से बॉम्बे में, पारसियों और गुजरातियों की शुरुआती उद्यमशीलता गतिविधि देखी गई, जिन्हें ब्रिटिश आयात और शत्रुतापूर्ण औपनिवेशिक नीतियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

चुनौतियाँ: उद्योग को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा:

- ब्रिटिश कपड़ा उत्पादों से प्रतिस्पर्धा।
- भेदभावपूर्ण शुल्क और नीतियाँ।
- यूरोपीय-प्रभुत्व वाले बैंकों से ऋण तक सीमित पहुँचा।
- ब्रिटिश वस्तुओं के लिए अनुकूल माल ढुलाई दरें।
- उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता।

लचीलापन: इन चुनौतियों के बावजूद, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित भारतीय उद्योगपतियों ने लागत में कमी की रणनीति अपनाई और भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दिया।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी: 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित, यह कंपनी भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिसने बाद के वर्षों में कच्चा लोहा और इस्पात का उत्पादन किया।

अन्य उद्योगों में वृद्धि: 19वीं सदी के अंत तक, जूट, कोयला और बागान (नील, चाय, कॉफी) जैसे उद्योगों का विस्तार होना शुरू हो गया, हालाँकि कई उद्योग अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण और निवेश के अधीन थे।

प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव: युद्ध ने विदेशी आयात को कम करके और आपूर्ति के लिए सरकारी मांग में वृद्धि करके भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे निर्माताओं को लाभ हुआ, जबकि मजदूरी स्थिर रही, जिससे उत्पादन लागत कम रही। राजनीतिक रूप से, युद्ध ने आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योग संरक्षण की माँगों को जन्म दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया में औद्योगिक विकास का समर्थन करना शामिल था, जिसमें औद्योगिक आयोग (1916) ने भारतीय पूँजी के लिए अवसरों की खोज की, और भारतीय युद्ध सामग्री बोर्ड (1917) ने घरेलू सैन्य उत्पादन की वकालत की।

अंतरयुद्ध अवधि के दौरान सुरक्षा (1918-1939)

आर्थिक आत्मनिर्भरता की बढ़ती आवश्यकता: अंतरयुद्ध काल में भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी।

लागू किये गये प्रमुख उपाय

भंडार खरीद समिति (1919): स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम ऑर्डर की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार: भारत की राजकोषीय स्वायत्तता के पक्ष में एक नीति प्रस्तुत की गई, जिससे भारत सरकार और उसके विधानमंडल द्वारा सहमत राजकोषीय मामलों में भारत के राज्य सचिव के हस्तक्षेप को कम किया गया।

राजकोषीय आयोग (1921-1923): सर इब्राहिम रहीमटोला के अधीन नवोदित उद्योगों के लिए राजकोषीय संरक्षण का आकलन करने और सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया। संरक्षण के लिए त्रि-सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया गया:

- उद्योगों के पास प्राकृतिक लाभ (कच्चा माल, श्रम, बाजार) होना चाहिए।
- उद्योगों को इष्टतम गति से विकसित होने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है।
- उद्योगों को भविष्य में बिना संरक्षण के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए।

टैरिफ बोर्ड की स्थापना: राजकोषीय सुरक्षा के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए राजकोषीय आयोग द्वारा अनुशंसित, यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किन उद्योगों की सुरक्षा की जाएगी।

विभिन्न उद्योगों के लिए संरक्षण

- भारत सरकार ने भी ओटावा इंपीरियल कॉन्फ्रेंस (1932) से इंपीरियल प्राथमिकता प्रणाली को अपनाया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों के बीच रियायती शुल्क शामिल थे। हालाँकि, भारत पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण 1936 में इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था।
- रुपये के अत्यधिक मूल्य, 1929-30 की महामंदी और शाही प्राथमिकता प्रणाली जैसी बाधाओं के बावजूद, भारतीय उद्योग ने 1923 से 1939 तक

महत्वपूर्ण प्रगति की। इन सुरक्षात्मक उपायों ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया।

औद्योगिक विकास, राज्य की नीति और भारतीय पूँजीपति वर्ग (1939-1947)

1939 से 1947 तक की अवधि, जो द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा चिह्नित थी, का औद्योगिक विकास, राज्य नीति और भारतीय पूँजीपति वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा।

द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव: युद्ध के कारण आम जनता को अभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन औद्योगिक आयात में कमी के कारण भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा मुनाफ़ा हुआ। व्यापारियों ने सट्टेबाजी, जमाखोरी और कालाबाजारी के माध्यम से मुनाफ़ा बढ़ाया।

- **सीमित नए उद्यम:** युद्ध प्रतिबंधों ने नए उद्योगों की स्थापना में बाधा उत्पन्न की।
- **पूँजीगत गतिविधि:** मौजूदा उद्यमों का विस्तार हुआ, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ।
- **सहयोगी उद्यम:** बैंकिंग और सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण के साथ-साथ भारतीय और विदेशी पूँजीपतियों के बीच साझेदारी बढ़ी।

सरकार का टैरिफ बोर्ड (1945): टैरिफ बोर्ड ने अधिक उदार दिशानिर्देशों के साथ उद्योग सुरक्षा दावों का मूल्यांकन किया। उद्योगों को सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों और स्वतंत्र विकास की क्षमता का प्रदर्शन करना था।

भारतीय पूँजीपति वर्ग को मजबूती: पूँजीपति वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रवादी आंदोलन से शक्ति प्राप्त हुई। स्वतंत्रता तक, यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक शक्ति बन गई थी, जो राजनीतिक निर्णयों को आकार देने में सक्षम थी।



ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

UPSC OPTIONAL COURSE 2025

Hinglish / हिन्दी

Anthropology

PSIR

History

Sociology

Geography

Public Administration

Mathematics

हिन्दी साहित्य

भारतीय शिक्षा एवं प्रेस में विकास

स्वतंत्रता से पहले भारत में समितियाँ/आयोग

भारत में अपने शासन के दौरान, अंग्रेजों ने शिक्षा और कानून प्रवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समितियाँ और आयोग स्थापित किए। इन आयोगों का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुधारों को लागू करने और परिचालन संरचनाओं को आधुनिक बनाने के लिए किया गया था।

समिति/आयोग/वर्ष/अध्यक्ष	उद्देश्य	गवर्नर जनरल/वायसराय
कृषि एवं सिंचाई		
स्कॉट-मॉनक्रिफ़ आयोग - 1901 अध्यक्ष: सर कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ़	सिंचाई पर व्यय की योजना बनाना।	लॉर्ड कर्जन
मद्रास कृषि समिति- 1890	किसान (रैयत) की प्रथाओं और स्थितियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले उसे समझाने के प्रयास छोड़ने की आवश्यकता का परीक्षण करना।	लॉर्ड लैंसडाउन
मैक्लेगन समिति- 1914-15 अध्यक्ष: मैक्लेगन	सहकारी वित्त पर सलाह देना।	लॉर्ड हार्डिंग
लिनलिथगो आयोग- 1928 अध्यक्ष: लिनलिथगो	कृषि की समस्याओं का अध्ययन करना (लिनलिथगो द्वारा रिपोर्ट)।	लॉर्ड इरविन
शिक्षा		
हंटर आयोग- 1882 अध्यक्ष: विलियम हंटर	शिक्षा में विकास का अध्ययन करना।	लॉर्ड डफरिन
विश्वविद्यालय आयोग- 1902 अध्यक्ष: थॉमस रैले	विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और सुधार लाना।	लॉर्ड कर्जन
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग- 1917 अध्यक्ष: माइकल सैडलर	विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना।	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
भारतीय विघटन समिति- 1923 अध्यक्ष: लॉर्ड इस्लिंगटन	शिक्षा समिति पर चर्चा करना।	लॉर्ड रीडिंग
सार्जेंट योजना- 1944 अध्यक्ष: जॉन सार्जेंट	शिक्षा के स्तर को ब्रिटेन के स्तर के बराबर बढ़ाना।	लॉर्ड वेवेल
शासन		
हंटर समिति रिपोर्ट (पंजाब अशांति) - 1919 अध्यक्ष: लॉर्ड चेम्सफोर्ड	पंजाब में हुई गड़बड़ियों की जाँच करना।	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
मुडिमन समिति-1924 अध्यक्ष: लॉर्ड रीडिंग	मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की जाँच करना।	लॉर्ड रीडिंग
साइमन कमीशन- 1928 अध्यक्ष: लॉर्ड इरविन	शासन योजना की प्रगति की जाँच करना तथा नए सुधारों का सुझाव देना।	लॉर्ड इरविन

बटलर आयोग- 1927 अध्यक्ष: लॉर्ड इरविन	भारतीय राज्यों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंधों की जाँच करना।	लॉर्ड इरविन
आर्थिक आयोग/समितियाँ		
राष्ट्रीय योजना समिति- 1938 अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू	आर्थिक योजना तैयार करना।	लॉर्ड लिनलिथगो
विहटले आयोग- 1929 अध्यक्ष: एलएच व्हाइटले	उद्योगों एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना।	लॉर्ड इरविन
भारतीय मापन समिति- 1935 अध्यक्ष: एल.एफ. हरमंद	संघीय विधानसभा में श्रमिकों को शामिल करने की व्यवस्था करना।	लॉर्ड विलिंगडन
सप्रू आयोग (बेरोजगारी)- 1935 अध्यक्ष: लॉर्ड लिनलिथगो	बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करना।	लॉर्ड लिनलिथगो
चैटफील्ड आयोग (सेना) - 1939 अध्यक्ष: लॉर्ड लिनलिथगो	सेना की आवश्यकताओं और सुधारों का आकलन करना।	लॉर्ड लिनलिथगो
फ्लौड आयोग (किराएदारी मुद्दे) - 1940 अध्यक्ष: लॉर्ड लिनलिथगो	बंगाल में किरायेदारी संबंधी मुद्दों की जाँच करना।	लॉर्ड लिनलिथगो
अकाल		
कैम्पबेल आयोग- 1866 अध्यक्ष: सर जॉन लॉरेंस	ओडिशा में अकाल के कारणों की जाँच करना और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाना। इसने त्रासदी के लिए सरकारी तंत्र को दोषी ठहराया और राहत उपाय सुझाए।	लॉर्ड लॉरेंस
स्ट्रैची आयोग- 1880 अध्यक्ष: रिचर्ड स्ट्रैची	अकाल संहिता का निर्माण, सिंचाई सुविधाओं का विकास, अकाल के दौरान भू-राजस्व संग्रह का निलंबन, भारतीय कृषि और कृषक वर्ग के बारे में डेटा का संग्रह तथा अकाल निधि की स्थापना सहित सिफारिशें प्रदान करना।	लॉर्ड लिटन
लायल आयोग- 1886 अध्यक्ष: जेम्स लायल	सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश करना।	लॉर्ड एल्लिन
मैकडोनेल आयोग- 1900 अध्यक्ष: एंथनी मैकडोनेल	हाल के अकालों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परिवर्तनों की सिफारिश करना तथा इस बात पर बल देना कि अकाल से निपटने वाली आधिकारिक मशीनरी को खाद्यान्न की कमी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए वर्ष भर काम करना चाहिए।	लॉर्ड कर्जन
अकाल निरीक्षण आयोग 1943-44 अध्यक्ष: जॉन वुडहुड	बंगाल के अकाल की घटनाओं की जाँच करना।	लॉर्ड वेवेल
विधि/कानून		
प्रथम विधि आयोग- 1834 अध्यक्ष: लॉर्ड मैकाले	दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य मामलों के संहिताकरण की सिफारिश करना।	लॉर्ड विलियम बेंटिक
द्वितीय विधि आयोग- 1853 अध्यक्ष: सर जॉन रोमिली	भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम आदि की सिफारिश करना।	लॉर्ड डलहौजी
तृतीय विधि आयोग- 1861 अध्यक्ष: सर जॉन रोमिली	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम आदि की सिफारिश करना।	लॉर्ड कैनिंग
चतुर्थ विधि आयोग- 1879 अध्यक्ष: डॉ. विहटली स्टोक्स	(Negotiable Instruments), ट्रस्ट कानून, संपत्ति हस्तांतरण, सुखभोग, दंड प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया पर संहिताओं की सिफारिश करना।	लॉर्ड लिटन
स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग- 1955 -	विधि आयोगों के माध्यम से भारत में विधि सुधार की परंपरा को जारी रखना।	-

मुद्रा		
हर्शेल समिति- 1893 अध्यक्ष: हर्शेल	मुद्रा के संबंध में सुझाव प्रदान करना।	लॉर्ड लैंसडाउन
अफीम आयोग- 1893 -	स्वास्थ्य पर अफीम के प्रभावों की जाँच करना।	लॉर्ड लैंसडाउन
हेनरी फाउलर आयोग- 1898 अध्यक्ष: एच. फाउलर	मुद्रा पर सुझाव प्रदान करना।	लॉर्ड एल्लिन
बबिंगटन स्मिथ आयोग - 1919 अध्यक्ष: बबिंगटन स्मिथ	भारतीय मुद्रा की स्थिति की जाँच करना और सुधार का सुझाव देना।	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
हिल्टन यंग आयोग- 1926 -	मुद्रा नीतियों की समीक्षा करना।	लॉर्ड लिनलिथगो
सिविल सेवा		
एचिसन आयोग- 1886 अध्यक्ष: चार्ल्स एचिसन	सिविल सेवा में अधिकाधिक भारतीयों को शामिल करना।	लॉर्ड डफरिन
फ्रेजर आयोग- 1902 अध्यक्ष: फ्रेजर	पुलिस की कार्यप्रणाली की जाँच करना।	लॉर्ड कर्जन
सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन- 1912 अध्यक्ष: लॉर्ड इस्लिंगटन	उच्च पदों पर 25% पद भारतीयों को देने की सिफारिश करना।	लॉर्ड हार्डिंग
ली आयोग - 1924 अध्यक्ष: लॉर्ड ली	सिविल सेवा में दोषों को दूर करना।	लॉर्ड रीडिंग
सैंडहर्स्ट समिति- 1926 अध्यक्ष: एंड्रयू स्कीन	सेना के भारतीयकरण का सुझाव देना।	लॉर्ड रीडिंग
भारतीय जेल सुधार समिति- 1919 अध्यक्ष: सर अलेक्जेंडर कार्ड्यू	कैदियों की स्थिति में सुधार करना।	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
अन्य समितियाँ/आयोग		
लॉटरी समिति- 1817	कलकत्ता में सार नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता करना।	हेस्टिंग्स
शोर समिति- 1914	1914 के कोमागाटा मारू हादसे के यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ना।	हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह
रौलेट समिति (सिडनी रौलेट)- 1917	एक राजद्रोह समिति जिसने ब्रिटिश भारत में रहने वाले आतंकवाद के संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दो वर्ष तक गिरफ्तार करने का अधिकार दिया।	चेम्सफोर्ड
साउथबोरो समिति या भारतीय फ्रेंचाइज समिति (फ्रांसिस हॉपवुड) 1918-19	मताधिकार के मुद्दे पर निर्णय लेना।	चेम्सफोर्ड
फ्रीथम फंक्शन कमेटी (रिचर्ड फ्रीथम) 1918-19	इसमें केन्द्र और प्रांतों के बीच विषयों के आवंटन का सुझाव दिया गया, साथ ही प्रान्तीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित करने का भी सुझाव दिया गया।	चेम्सफोर्ड
मुद्दीमन समिति या सुधार जाँच समिति (अलेक्जेंडर मुद्दीमन) 1924	इसने द्वैध शासन की आलोचना की और गैर-सरकारी भारतीयों की जिम्मेदारियों में मामूली समायोजन का प्रस्ताव रखा। इसने 1919 के भारत सरकार अधिनियम के ढाँचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया।	लॉर्ड रीडिंग
भारतीय फ्रेंचाइज समिति या लोथियन समिति (लोथियन) 1932	1932 के सांप्रदायिक पंचाट ने लोथियन समिति के निष्कर्षों पर आधारित अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें आवंटित कीं। उल्लेखनीय रूप से, दलित वर्गों को अड़हत्तर आरक्षित सीटें दी गईं।	विलिंगडन
चैटफील्ड समिति 1939	भारतीय रक्षा को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित बनाना	लिनलिथगो

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास

ब्रिटिश शैक्षिक नीति का अवलोकन

- भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति द्वैतवादी थी, जो पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी जबकि स्वदेशी और प्राच्य शिक्षा प्रणालियों को सीमित करती थी।
- यह दृष्टिकोण डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के रूप में जाना गया और इसने हंटर आयोग सहित बाद की नीतियों और आयोगों को प्रभावित किया।

कंपनी नियम और प्रारंभिक शैक्षिक पहल

मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा में न्यूनतम रुचि दिखाई (1813 तक)। अंग्रेजों द्वारा की गई कुछ सीमित पहल इस प्रकार हैं:

[UPSC 2018]

- **कलकत्ता मदरसा (1781):** वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी।
- **संस्कृत कॉलेज (1791):** जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में इसकी स्थापना की थी।
- **फोर्ट विलियम कॉलेज (1800):** वेलेजली ने कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति-रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की थी (1802 में बंद कर दिया गया)।

[UPSC 2020]

कॉलेज का नाम	संस्थापक	स्थापना वर्ष	विवरण
कलकत्ता मदरसा	वॉरेन हेस्टिंग्स	1781	भारत में मुस्लिम संस्कृति और परंपराओं के अध्ययन के लिए पहला संस्थान।
संस्कृत महाविद्यालय (वाराणसी)	जोनाथन डंकन	1791	संस्कृत अध्ययन और प्राचीन भारतीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
हिंदू कॉलेज (कलकत्ता)	डेविड हेयर	1817	भारत में पश्चिमी शिक्षा शुरू करने वाली पहली संस्थाओं में से एक।
वेदांत कॉलेज (कलकत्ता)	राजा राम मोहन राय	1825	इसका उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा को वेदांतिक आदर्शों के साथ संश्लेषित करना था।
बेथून स्कूल (कलकत्ता)	ईश्वर चंद्र विद्यासागर (जेई बेथून द्वारा स्थापित)	1849	कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला स्कूल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रवर्तित।
तीन विश्वविद्यालय (कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे)	लॉर्ड कैनिंग (गवर्नर जनरल)	1857	भारतीयों को शिक्षित करने की ब्रिटिश नीति के एक भाग के रूप में इसकी स्थापना की गई।
थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग (आईआईटी रुड़की)	जेम्स थॉमसन	1847	इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध संस्थान, अब आईआईटी रुड़की का हिस्सा।
सेंट्रल हिंदू स्कूल - बनारस	एनी बेसेंट (मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित)	तिथि निर्दिष्ट नहीं	प्रारंभ में इसे एक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया।
मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (एमएओ)- अलीगढ़	सर सैय्यद अहमद खान	1875	बाद में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, जो मुस्लिम शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय	सैय्यद अहमद बरेलवी (बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया बन गए)	तिथि निर्दिष्ट नहीं	इसकी स्थापना प्रारंभ में अलीगढ़ में हुई थी, बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।
न्यू इंग्लिश स्कूल (बॉम्बे)	विष्णुशास्त्री चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक, एमबी नामजोशी, जीजी अगरकर	1880	बाद में यह फर्ग्यूसन कॉलेज बन गया, जो पुणे का एक प्रमुख संस्थान है।
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (कलकत्ता)	अरबिंदो घोष	1906	अरबिंदो घोष के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया।
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय	महर्षि कर्वे	1916	महर्षि कर्वे द्वारा स्थापित, महिला शिक्षा पर केंद्रित।

1813 का चार्टर एक्ट: एक मामूली शुरुआत

- आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया, शिक्षा के लिए सालाना एक लाख रुपये आवंटित किए गए। हालाँकि, कार्यान्वयन 1823 तक विलंबित रहा। [UPSC 2018]

- राजा राममोहन राय ने कलकत्ता कॉलेज (1817) के लिए वित्त पोषण को प्रभावित किया जिसे पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित किया गया था।
- सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में तीन संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किये।

आंग्ल-प्राच्य विवाद: शिक्षा पर 19वीं सदी की बहस:

- प्राच्यविद्याविदों ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा का समर्थन किया जबकि आंग्लवादियों ने पश्चिमी-केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। [UPSC 2018]
- आंग्लवादियों के बीच मतभेद में शिक्षा का माध्यम भी शामिल था, जो अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के बीच विभाजित था।

लॉर्ड मैकाले का स्मरण-पत्र मिनट (1835)

- लॉर्ड मैकाले का मानना था कि “भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से निम्नतर थी”।
- यह आंग्लवादियों के पक्ष में गया। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी बन गया जिससे जन शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य को समर्पित सरकारी संसाधनों की उपेक्षा हुई।
- इसने उच्च मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई जो दुभाषियों के रूप में काम करेंगे और “रक्त और रंग में भारतीय होंगे लेकिन स्वाद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज होंगे”। इसे डाउनवर्ड फ़िल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है।

थॉमसन की ग्रामीण शिक्षा (1843-53)

- जेम्स थॉमसन (उत्तर-पश्चिम प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर) ने स्थानीय भाषा पर आधारित ग्रामीण शिक्षा की शुरुआत की तथा राजस्व और लोक निर्माण विभाग के कर्मियों को व्यावहारिक विषय पढ़ाए।

चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र (Despatch) (1854)

- गवर्नर-जनरल: लॉर्ड डलहौजी

- उद्देश्य: भारत में एक संरचित शैक्षिक नीति विकसित करना।
- अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा [UPSC 2018]
- मुख्य सिफारिशें:
 - पश्चिमी शिक्षा: पाठ्यक्रम के मूल के रूप में यूरोपीय विज्ञान, कला, दर्शन और साहित्य पर जोर दिया गया जिससे उदार शिक्षा को बढ़ावा मिला।
 - प्राथमिक माध्यम: उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, साथ ही आम जनता तक पहुँचने के लिए स्थानीय भाषाओं के महत्व पर भी बल दिया गया।
 - संस्थागत संरचना: गाँवों में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय, जिला स्तर पर एंग्लो-वर्नाक्युलर हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज।
 - अनुदान सहायता प्रणाली: शिक्षा में निजी प्रयासों को समर्थन देने के लिए एक प्रणाली का सुझाव दिया गया, जो गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर आधारित हो।

वुड्स डिस्पैच के बाद के घटनाक्रम (19वीं सदी के अंत में)

- कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना (1857)।
- बेथून स्कूल, जे.ई.डी. बेथून द्वारा कलकत्ता में स्थापित (1849)। बेथून शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे और उनके प्रयासों के कारण, लड़कियों के स्कूलों को सुदृढ़ आधार पर स्थापित किया गया और उन्हें सरकारी अनुदान सहायता और निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया।
- पूसा (बिहार) में कृषि संस्थान और रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान जैसे तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए।
- वुड्स डिस्पैच (19वीं शताब्दी) में आदर्शों के प्रभुत्व के कारण शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण हुआ तथा यूरोपीय-संचालित संस्थान अस्तित्व में आए।
- इसके अलावा, मिशनरी उद्यम और निजी भारतीय प्रयास भी धीरे-धीरे उभरे।

हंटर आयोग (1882)- गवर्नर-जनरल: लॉर्ड रिपन

- उद्देश्य: वुड्स डिस्पैच के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा का आकलन करना।
- मुख्य सिफारिशें:
 - हाई स्कूल शिक्षा में दोहरी शिक्षा पद्धति: दो प्रकार की माध्यमिक शिक्षा की बकालत की गई जिसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए साहित्यिक अध्ययन के साथ-साथ व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
 - प्राथमिक शिक्षा पर जोर: व्यावहारिक विषयों के साथ स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पर जोर और निजी प्रयासों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन सार्वजनिक प्रावधान के तहत।
 - विकेन्द्रीकरण: सिफारिश की गई कि जिला और नगर बोर्ड प्राथमिक शिक्षा का प्रभार संभालें।

रैले आयोग (1902)- गवर्नर-जनरल: लॉर्ड कर्जन

- उद्देश्य: भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली का आकलन करना और सुधारों का सुझाव देना।
- मुख्य सिफारिशें:
 - विश्वविद्यालय स्वायत्तता: विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के संकाय और कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया।
 - निर्वाचित फेलो: विश्वविद्यालय फेलो की संख्या सीमित कर दी गई (बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े विश्वविद्यालयों के लिए 20; अन्य के लिए 15)।
 - संबद्धता और सीमाएँ: गवर्नर-जनरल को विश्वविद्यालय की सीमाओं और कॉलेजों के साथ संबद्धता निर्धारित करने की शक्ति दी गई।
 - भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) का प्रभाव: इसके परिणामस्वरूप कॉलेजों की संख्या कम हो गई, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ गई।
 - आने वाले वर्षों में भारतीयों की भागीदारी से माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा का तेजी से विकास और विस्तार हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय (1882) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1887) जैसे शिक्षण-सह-परीक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904

- रैले आयोग (1902) की स्थापना भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं का अध्ययन करने तथा उनके गठन और कामकाज में सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए की गई थी। आयोग ने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट करने से मना कर दिया। रैले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 (Indian University Act, 1904) पारित किया। अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे:
- विश्वविद्यालयों को अध्ययन और अनुसंधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।
- विश्वविद्यालय फेलो की संख्या कम कर दी गई और सरकारी नामांकन बढ़ा दिया गया। सरकार को विश्वविद्यालय के नियमों को वीटो करने और संशोधित करने का अधिकार प्राप्त हो गया।
- निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए कड़ी शर्तें लागू की गईं।
- उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए धनराशि (5 लाख प्रति वर्ष) स्वीकृत की गई।

कर्जन ने गुणवत्ता और दक्षता के नाम पर इन उपायों को उचित ठहराया, लेकिन वास्तव में शिक्षा को प्रतिबंधित करने और शिक्षित लोगों को सरकार के प्रति वफादारी के लिए अनुशासित करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादियों ने इसे साम्राज्यवाद को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा। गोखले ने इसे “प्रतिगामी उपाय” कहा।

शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प (1913)

शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव (1913) बड़ौदा के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (1906) और गोखले के 1910 के संकल्प से प्रभावित एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा आगे बढ़ाए गए इन विकासों का उद्देश्य शिक्षा में संरचित सुधार लाना था। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

1910 का गोखले का प्रस्ताव

- अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा: उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया, जहाँ 6-7 वर्ष के कम से कम 35% लड़के पहले से ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे
- लागत साझाकरण: राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को शिक्षा लागत के लिए वित्तीय योगदान निर्धारित करने की अनुमति दी गई।
- केंद्रीय शिक्षा विभाग: अनिवार्य शिक्षा की देखरेख के लिए केंद्र सरकार के अधीन एक अलग शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई।
- शिक्षा सचिव: प्रगति की निगरानी और बजट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक शिक्षा सचिव की नियुक्ति का सुझाव दिया।
- शैक्षिक सुधारों को संबोधित करने के सरकारी आश्वासन के आधार पर प्रस्ताव वापस ले लिया। [UPSC 2018]

सरकार की प्रतिक्रिया और नीति परिणाम

- अनिवार्य शिक्षा: सरकार ने अनिवार्य शिक्षा की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निरक्षरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध रही। प्रांतों को गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- निजी प्रयासों के लिए समर्थन: शिक्षा में निजी पहल को बढ़ावा दिया गया और माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई।
- प्रांतीय विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई।

महिला शिक्षा

- व्यावहारिक पाठ्यक्रम: परीक्षाओं पर जोर कम करते हुए लड़कियों के लिए व्यावहारिक उपयोगिता-केंद्रित पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया।
- महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि: महिला शिक्षा को समर्थन देने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक महिला शिक्षकों और निरीक्षकों की नियुक्ति की वकालत की गई।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919)

अध्यक्ष: माइकल सैडलर

उद्देश्य: आयोग की स्थापना शुरू में कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थीं। इसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- 12-वर्षीय स्कूली शिक्षा प्रणाली: 12-वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम की वकालत की गई, जहाँ छात्र तीन साल के डिग्री कोर्स के लिए इंटरमीडिएट चरण (मैट्रिकुलेशन के बजाय) के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे।
 - इसका उद्देश्य था:
 - ◆ छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना।
 - ◆ विश्वविद्यालयों को अयोग्य छात्रों के बोझ से मुक्ति दिलाना।
 - ◆ उन छात्रों के लिए कॉलेज शिक्षा प्रदान करना, जो विश्वविद्यालय नहीं जाना चाहते।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए पृथक बोर्ड: शिक्षा के इन चरणों को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा के हेतु एक अलग बोर्ड के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
- विश्वविद्यालय स्वायत्तता: विश्वविद्यालयों को स्वायत्त निकायों के रूप में केंद्रीकृत करने का सुझाव दिया गया तथा विश्वविद्यालय के नियमों में कम कठोरता की वकालत की गई।
- महिला एवं तकनीकी शिक्षा: महिला शिक्षा का विस्तार करने, अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा व्यावसायिक कॉलेजों सहित शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार करने की सिफारिश की गई।

प्रभाव:

- 1916 से 1921 तक सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किये गए जिनमें मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया शामिल थे।
- विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई तथा शिक्षण एवं आवासीय विश्वविद्यालय भी अधिक संख्या में खुल गए।

- **ऑनर्स पाठ्यक्रम** शुरू किए गए जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियाँ बढ़ गईं।
- **आंतरिक प्रशासन में सुधार**, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा और अनुसंधान सहित अन्य कार्यों के लिए नई **अकादमिक परिषदें** बनाई गईं।
- विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय को सुगम बनाने के लिए **1925** में अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- पहली बार विश्वविद्यालयों में **छात्र कल्याण** एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में **छात्र कल्याण बोर्ड** स्थापित किए गए। [UPSC - 2017]

द्वैध शासन के तहत शिक्षा (1919)

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय मंत्रालयों को सौंप दी गई। इस अवधि में शिक्षा प्रशासन में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। [UPSC - 2019]

हार्टोग समिति (1929)

अध्यक्ष: फिलिप हार्टोग। **साइमन कमीशन** द्वारा नियुक्त यह समिति भारत में शिक्षा के गिरते स्तर का आकलन करने के लिए गठित की गई थी। इसकी मुख्य सिफारिशें ये थीं:

प्राथमिक शिक्षा

- **सरकारी नियंत्रण:** गतिरोध और बर्बादी के मुद्दों को हल करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और निरीक्षण की वकालत की गई।
- **स्थानीय प्रासंगिकता:** सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम स्थानीय वातावरण और आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए तथा छात्रों के लिए विषयों का व्यावहारिक मूल्य होना चाहिए।
- **शिक्षक सुधार:** प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए अनुशंसित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **सामुदायिक केंद्र:** प्रस्ताव था कि प्राथमिक विद्यालयों को सामुदायिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वयस्क शिक्षा, चिकित्सा सहायता और मनोरंजक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा

- **विविध पाठ्यक्रम:** परीक्षा-केंद्रित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की गई तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों सहित अधिक विविध पाठ्यक्रम की वकालत की गई।

उच्च शिक्षा

- **संबद्ध विश्वविद्यालय:** एकात्मक मॉडल के साथ-साथ संबद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में सुधार तथा सम्मान पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई।
- **योग्यता के आधार पर प्रवेश:** रटने की बजाय योग्यता और अभिरुचि के आधार पर प्रवेश की वकालत की गई।

महिला शिक्षा

- **समान महत्व:** लड़कों और लड़कियों की शिक्षा को समान महत्व देने का प्रस्ताव किया गया।

- **महिला शिक्षक:** लड़कियों के लिए अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया तथा शिक्षण कार्य के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया।
- **पाठ्यक्रम में परिवर्तन:** लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम में स्वच्छता, गृह विज्ञान और संगीत जैसे विषय शामिल करने की सिफारिश की गई।

प्रभाव: समिति की सिफारिशों ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार में योगदान दिया और अधिक संबद्ध कॉलेजों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। [UPSC - 2016]

सार्जेंट शिक्षा योजना (1944)

उद्देश्य: भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट द्वारा तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय शिक्षा में सुधार करना था। इसमें मुख्य सिफारिशें शामिल थीं:

- **निःशुल्क पूर्व-प्राथमिक शिक्षा:** प्रशिक्षित महिला शिक्षकों के साथ 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की वकालत की गई।
- **अनिवार्य शिक्षा (6-14 वर्ष):** 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की गई है जिसमें शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **छह वर्षीय हाई स्कूल शिक्षा:** 11-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए छह साल की हाई स्कूल शिक्षा प्रस्तावित है, जिसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों धाराएँ शामिल होंगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी और अंग्रेजी अनिवार्य दूसरी भाषा होगी।
- **विश्वविद्यालय शिक्षा:** उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, तीन वर्षीय विश्वविद्यालय की डिग्री प्रस्तावित की गई जिसमें विश्वविद्यालय के मानकों में सुधार और प्रवेश प्रक्रियाओं में बदलाव करके सक्षम छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी गई।
- **गरीब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता:** सुझाव दिया गया कि शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- **शिक्षकों में सुधार:** इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षकों को सक्षम बनाया जाना चाहिए तथा उनकी सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए।
- **अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा:** स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में उच्च मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **अखिल भारतीय समन्वय:** विश्वविद्यालय की गतिविधियों के समन्वय के लिए इंग्लैंड में विश्वविद्यालय अनुदान समिति की तरह एक अखिल भारतीय निकाय के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
- **अतिरिक्त प्रावधान:** वयस्क निरक्षरता को समाप्त करने, वयस्क शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूलों में चिकित्सा जाँच और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा का आह्वान किया गया।

प्रभाव: इस योजना ने भारत में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास की नींव रखी। [UPSC - 2020]

वर्धा बेसिक शिक्षा योजना (1937)

जाकिर हुसैन समिति के तहत कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया

सिद्धांत: नई तालीम या 'गतिविधि के माध्यम से सीखना' योजना गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी और इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देना था।

प्रमुख विशेषताएँ:

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (7-14 वर्ष): हस्तशिल्प पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 7-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई।
- मातृभाषा और हिंदी: शिक्षा मातृभाषा में दी जानी थी और उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाई जानी थी, जहाँ यह स्थानीय भाषा नहीं थी।
- सामुदायिक सहभागिता: स्कूलों के आसपास सेवा गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।
- पाठ्यक्रम: इसमें गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, संगीत और शारीरिक शिक्षा शामिल थे जबकि धार्मिक शिक्षा को बाहर रखा गया।

प्रभाव: इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के साथ व्यावहारिक कौशल को एकीकृत करना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के कारण इसका विकास सीमित हो गया। [UPSC - 2015]

नोट: चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 और प्राच्य और आंग्ल विवाद के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं (UPSC 2018)

भारतीय प्रेस का विकास

भारतीय प्रेस ने जनमत, सरकारी नीतियों और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। समाज और सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ इसकी भूमिका विकसित हुई है।

पृष्ठभूमि

- पुर्तगालियों ने भारत में मुद्रण कला की शुरुआत 1557 में की जब गोवा के जेसुइट्स ने पहली पुस्तक प्रकाशित की थी।
- 1684: ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में एक प्रेस की स्थापना की। हालाँकि, कंपनी के क्षेत्रों में लगभग एक सदी तक कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। इसके पीछे कदाचार की खबरों को दबाना बड़ी वजह थी।
- 1776: कंपनी द्वारा निंदा किये जाने के बाद विलियम बोल्ट्स ने इसके गलत कार्यों को उजागर करने के लिए एक समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया।
- 1780: जेम्स ऑगस्टस हिकी ने पहला भारतीय अखबार द बंगाल गज़ेट शुरू किया। यह सरकार की मुखर आलोचना के लिए जाना जाता था। अधिकारियों पर हमले के कारण 1782 में हिकी के प्रेस को जन्त कर लिया गया।

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रयास

- 1824: राजा राममोहन राय ने प्रेस प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग शुरू की।
- 1870-1918: प्रेस ने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राजनीतिक प्रचार और शिक्षा के लिए द हिंदू, बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका जैसे समाचार पत्रों का उपयोग किया।
- जी. सुब्रमण्यम अय्यर, दादाभाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक जैसे पत्रकारों ने राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा में प्रेस की भूमिका को आकार दिया।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 124A: ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने का प्रयास करने वालों को दंडित करने के लिए राजद्रोह का दंड दिया गया। राष्ट्रवादी पत्रकारों ने प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए निष्ठा के बयानों के साथ आलोचनात्मक लेखन शुरू करने या विदेशी स्रोतों का हवाला देने जैसी रणनीतियाँ अपनाईं।
- धारा 124 ए (राजद्रोह) जैसे कानूनों के बावजूद, राष्ट्रवादी पत्रकारों ने कानूनी बाधाओं को पार कर लिया और 1878 के बर्नाक्विलर प्रेस एक्ट ने राष्ट्रवादी प्रकाशनों को निशाना बनाया, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चल रहे निरंतर संघर्षों को दर्शाता है।

भारतीय प्रेस का विकास, संबंधित अधिनियम और विनियमन

- प्रेस सेंसरशिप एक्ट, 1799: लॉर्ड वेलेजली द्वारा फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका में लागू किया गया। प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए जिसमें प्री-सेंसरशिप भी शामिल थी। प्रकाशकों को सरकारी स्वीकृति के लिए सामग्री प्रस्तुत करनी होती थी। उल्लंघन करने पर तत्काल निर्वासन का प्रावधान था। विस्तार (1807): पत्रिकाओं, पर्चों और पुस्तकों पर लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, 1818 में प्री-सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था, हालाँकि संपादकों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे ताकि सरकारी अधिकार को कमजोर करने वाली सामग्री के प्रकाशन को रोका जा सके।
- लाइसेंसिंग विनियमन, 1823: कार्यवाहक गवर्नर-जनरल जॉन एडम्स द्वारा लागू किया गया। प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया गया। बिना लाइसेंस के छपाई करने पर 400 रुपये का जुर्माना या कारावास; मजिस्ट्रेट बिना लाइसेंस वाली प्रेस को जब्त कर सकते थे। मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों और भारतीयों द्वारा संपादित समाचार पत्रों को लक्षित किया गया। राजा राम मोहन राय के "मिरात-उल-अखबार" को प्रकाशन बंद करने के लिए मजबूर किया गया और कलकत्ता में केवल कुछ ही समाचार पत्र जारी रहे।
- 1835 का प्रेस अधिनियम (मेटकाफ अधिनियम): चार्ल्स मेटकाफ ने 1823 के नियमों को निरस्त कर दिया और "भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता" के रूप में जाने गए। प्रिंटर और प्रकाशकों को अपने परिसर के बारे में सटीक विवरण प्रदान करने की आवश्यकता थी। घोषणा द्वारा परिचालन बंद करने की अनुमति दी गई। इससे पूरे भारत में समाचार पत्रों का तेजी से विस्तार हुआ। यह उदार दृष्टिकोण 1856 तक चला।
- लाइसेंसिंग अधिनियम, 1857: 1857 के विद्रोह के बाद आपातकालीन उपाय के रूप में पेश किया गया। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को सख्त किया गया; सरकार के पास लाइसेंस रद्द करने और सामग्री के प्रकाशन या संचलन

को रोकने का अधिकार था। यह एक अस्थायी उपाय था, जो एक वर्ष तक चलना था। लेकिन, चार्ल्स मेटकाफ के पिछले नियम लागू रहे।

- **पंजीकरण अधिनियम, 1867:** इसने 1835 के मेटकाफ अधिनियम की जगह ली और प्रतिबंध के बजाय विनियमन पर ध्यान केंद्रित किया। प्रत्येक पुस्तक या समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम, प्रकाशक और प्रकाशन का स्थान प्रदर्शित करना अनिवार्य था। एक प्रति स्थानीय सरकार को एक महीने के भीतर जमा करनी होती थी। 1890, 1914, 1952 और 1963 में संशोधन किए गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के समानांतर पेश किया गया, जो राजद्रोह से संबंधित थी।
- **वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878:** 1857 के विद्रोह के बाद वर्नाक्यूलर प्रेस विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार की आलोचना में अधिक मुखर हो गई। 1876-77 के अकाल और लॉर्ड लिटन के प्रशासन के दौरान सरकार के बेतहाशा खर्च के कारण जनता में असंतोष बढ़ गया। वर्नाक्यूलर भाषाओं में 'देशद्रोही' लेखन पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया गया।
- **वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, 1878 के प्रावधान**
 - जिलाधिकारियों को प्रिंटों और प्रकाशकों को बांड भरने के लिए मजबूर करने का अधिकार दिया गया जिससे ऐसी प्रकाशन सामग्री रोकी जा सके जो असंतोष को भड़काए या वैमनस्य पैदा करे।
 - **अपील का कोई अधिकार नहीं:** मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होते थे तथा न्यायालय में उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी।
 - **सेंसरशिप:** दंड से बचने के लिए प्रेस अपनी सामग्री सरकारी सेंसर को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकती थी।
 - **उपकरणों की जब्ती:** बार-बार उल्लंघन करने पर मुद्रण मशीन और उपकरणों की जब्ती हो सकती थी।
 - **सुरक्षा जमा:** प्रकाशकों से सुरक्षा राशि जमा करवाई जा सकती थी, जो नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जब्त कर ली जाती।
 - **भेदभाव:** इस अधिनियम के तहत स्थानीय भाषा के प्रेस के साथ अंग्रेजी प्रेस की तुलना में अधिक कठोरता से व्यवहार किया गया, जिसके कारण इसे अपमानजनक शब्द "गैंगिंग एक्ट" (गला घोटने वाला अधिनियम) कहा गया।
- **निरसन और परिणाम:** पूर्व-सेंसरशिप खंड हटाया गया (1878) लॉर्ड क्रेनब्रुक की आपत्तियों के बाद पूर्व-सेंसरशिप खंड हटा दिया गया। प्रेस को सटीक समाचार प्रदान करने के लिए एक प्रेस आयुक्त नियुक्त किया गया।
- **लॉर्ड रिपन के शासनकाल में व्यापक विरोध के बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया (1882),** क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं रह गया था।

1882 के बाद का विकास

- **सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1883):** बंगाली में एक न्यायाधीश की आलोचना करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार। बंगाली धार्मिक भावनाओं के प्रति कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की असंवेदनशीलता की आलोचना करने के लिए उन्हें जेल भेजा गया था।
- **धारा 124ए संशोधन (1898):** इस संशोधन ने राजद्रोह कानूनों का विस्तार किया जिससे भारत सरकार की अवमानना करना या वर्गों के बीच घृणा भड़काना एक आपराधिक अपराध बन गया।

चरमपंथी दौर के दौरान राष्ट्रीय पत्रकारों के खिलाफ दमन

- **बाल गंगाधर तिलक की भूमिका:** अपने समाचार पत्रों केसरी और मराठा तथा गणपति और शिवाजी उत्सवों जैसी पहलों के माध्यम से तिलक ने साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश नीतियों के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार (1896) और कर-मुक्ति आंदोलन (1897) का नेतृत्व किया।
 - **प्लेग अशांति (1897):** सरकार के प्लेग विरोधी उपायों का समर्थन किया, लेकिन कठोर तरीकों से जनता में असंतोष फैल गया और चापेकर बंधुओं द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी गई।
 - **तिलक के खिलाफ राजद्रोह का आरोप:** शिवाजी के कार्यों को उचित ठहराने वाली एक कविता प्रकाशित करने और भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 18 महीने की जेल की सजा हुई। उनके कारावास ने देश भर में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया जिससे उन्हें लोकमान्य ("लोगों द्वारा सम्मानित") का दर्जा दिया गया।

स्वदेशी आंदोलन के दौरान दमनकारी कानून

- **समाचार पत्र (अपराधों के लिए उकसावा) अधिनियम, 1908:** इसका उद्देश्य उग्र राष्ट्रवादी प्रेस को दबाना था और मजिस्ट्रेटों को भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रेस संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के तहत तिलक को गिरफ्तार किया गया जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए।
- **भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910:** स्थानीय सरकारों को प्रकाशकों से सुरक्षा की मांग करने और आपत्तिजनक सामग्री के लिए प्रेस को जब्त करने का अधिकार दिया गया। 991 प्रेस को निशाना बनाया गया और भारी जुर्माना लगाया गया।

भारत की रक्षा नियम (प्रथम विश्व युद्ध):

- इन नियमों का उपयोग युद्धकालीन सुरक्षा के तहत राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए किया गया। कांग्रेस से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ विशेष रूप से सेंसरशिप को कड़ा किया गया।
- **1921 की प्रेस समिति:** तेज बहादुर सप्रू ने समिति की अध्यक्षता की जिसने 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश की। इससे प्रेस विनियमन में बदलाव का संकेत मिला।

सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रेस अधिनियम

- **प्रेस अध्यादेश 1930:** इस अध्यादेश का उद्देश्य "प्रेस पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करना" था और इसने 1910 के प्रेस अधिनियम के प्रावधानों को पुनर्जीवित किया।
- **भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियाँ) अधिनियम, 1931:** 1931 में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियाँ) अधिनियम पेश किया गया, जिसने प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित मीडिया को दबाने के लिए व्यापक अधिकार दिए।
 - **धारा 4(1):** दण्डनीय गतिविधियाँ जो हिंसा भड़काती हैं या हिंसक अपराधों में शामिल व्यक्तियों का समर्थन करती हैं।

- 1932 का आपराधिक संशोधन अधिनियम: अधिनियम की शक्तियों का विस्तार किया गया तथा सरकारी प्राधिकार को कमजोर करने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला को आपराधिक बना दिया गया।

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान

भारत रक्षा नियमों के कारण सेंसरशिप सख्त हो गई तथा प्रेस पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया।

- पूर्व-सेंसरशिप: किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले सरकारी अधिकारियों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था ताकि किसी भी आलोचनात्मक या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्रतिबंधित किया जा सके।
- प्रेस आपातकालीन अधिनियम: 1910 के प्रेस अधिनियम को फिर से लागू करते हुए इसे सशक्त किया गया। अधिकारियों को प्रकाशकों से वित्तीय सुरक्षा की मांग करने और नियमों का पालन न करने वाले समाचार पत्रों को बंद करने का अधिकार दिया गया।
- सरकारी गोपनीयता अधिनियम: संवेदनशील सरकारी जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया। किसी भी खुलासे के लिए दंड का प्रावधान किया गया।

प्रेस जाँच समिति (1947)

1947 में, भारत की स्वतंत्रता की ओर संक्रमण तथा भारतीय संविधान में निहित सिद्धांतों के आलोक में प्रेस कानूनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेस जाँच समिति का गठन किया गया था। प्रमुख सिफारिशें:

समाचार पत्र और पत्रिकाएँ

समाचार पत्र/ संस्थापक	विवरण
बंगाल गजट, जिसे ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है (1780) जेम्स ऑगस्टस हिक्की	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल, बिहार और उड़ीसा। भारत में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र। यह अपनी उत्तेजक पत्रकारिता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुखर आलोचना के लिए जाना जाता था।
मद्रास कूरियर (1784/85) रिचर्ड जॉनस्टन	प्रकाशन स्थान - मद्रास। यह मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था।
इंडिया गजट (1787) हेनरी लुईस विवियन डेरोज़ियो	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता।
बॉम्बे हेराल्ड (1789) बंगाल गजट (1818) हरीश चंद्र रे	प्रकाशन स्थान - बम्बई। यह बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। अंग्रेजी में इसका नाम इंडियन हेराल्ड था। प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। यह पहला बंगाली समाचार पत्र था।
संवाद कौमुदी (1821 से 1852 तक) 31 वर्ष) राजा राम मोहन राय	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार। एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र जिसने सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया। इसने बंगाली पत्रकारिता के विकास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मिरात-उल-अखबार (1822) राजा राम मोहन राय	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार। यह पहली फ़ारसी भाषा की पत्रिका थी जो समसामयिक घटनाओं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती थी।

- भारतीय आपातकालीन शक्तियाँ अधिनियम, 1931 का निरसन: राजनीतिक आंदोलनों और असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए कानूनों को समाप्त करना।
- प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधन: लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना तथा प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- आईपीसी की धारा 124-ए और 153-ए में परिवर्तन: स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करना और असहमति के विरुद्ध दुरुपयोग को रोकना।
- भारतीय राज्य संरक्षण अधिनियमों को निरस्त करना: इसका उद्देश्य रियासतों में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था।

अन्य विधायी विकास: समय के साथ, अतिरिक्त अधिनियमों ने भारतीय प्रेस के नियामक वातावरण को और अधिक आकार दिया, जिनमें शामिल हैं:

- प्रेस (आपत्तिजनक मामले) अधिनियम, 1951
- प्रेस आयोग, 1952
- पुस्तक एवं समाचार पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954
- श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955
- समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, 1956
- संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960

जाम-ए-जहाँ नुमा (1822) इसका संचालन एक अंग्रेजी फर्म द्वारा किया जाता था।	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता यह उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र था।
बंगदूत (1822) राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर, अन्य	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो चार अलग-अलग भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी में प्रकाशित होती थी।
बॉम्बे समाचार (1822) फरदुनजी मर्ज़बान	प्रकाशन स्थान - बम्बई यह गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था।
बॉम्बे टाइम्स (1838) थॉमस बेनेट	प्रकाशन स्थान - बॉम्बे। बाद में, 1861 से इसे टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा और आज तक प्रकाशित होता है। रॉबर्ट नाइट द्वारा स्थापित लेकिन वास्तविक प्रकाशन थॉमस बेनेट द्वारा शुरू किया गया।
हिंदू पैट्रियट (1853) गिरीशचंद्र घोष	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता बाद में, हरिश्चंद्र मुखर्जी मालिक-सह-संपादक बन गए।
रास्त गोफ्तार (1854 से 1887 तक) दादाभाई नौरोजी	प्रकाशन स्थान - बम्बई। प्रसार - बम्बई, गुजरात और सिंध यह एक गुजराती पाक्षिक समाचार पत्र था जो भारतीयों के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की वकालत करता था। नौरोजी ने इस समाचार पत्र का इस्तेमाल भारतीयों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लामबंद करने के लिए किया।
वॉयस ऑफ इंडिया (1883) दादाभाई नौरोजी	प्रकाशन स्थान - बम्बई बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया गया।
ईस्ट इंडियन (19वीं सदी) हेनरी लुईस विवियन डेरोज़ियो	यह एक दैनिक समाचार पत्र था।
सोम प्रकाश (1858 से 1879 तक) जिसके संपादन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाचार पत्र शुरू किया	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार यह एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक सुधारों को बढ़ावा देता था। इसका उपयोग महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए किया जाता था।
इंडियन मिरर (1862) देवेन्द्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार यह एक अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उसकी नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीय स्वशासन की वकालत करता था।
द बंगाली (1862) गिरीश चंद्र घोष द्वारा शुरू किया गया और बाद में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा संभाला गया	प्रकाशन स्थल - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ अपने आलोचनात्मक रुख के लिए जाना जाता था। इसने भारत के आर्थिक शोषण, भारतीयों के राजनीतिक दमन और ब्रिटिश शासन की सामाजिक बुराइयों पर लेख प्रकाशित किए।
द पायनियर (1865) जॉर्ज एलन	प्रकाशन स्थान - इलाहाबाद विस्तार - संयुक्त प्रांत
नेशनल पेपर (1865) देवेन्द्रनाथ टैगोर	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता
अमृत बाज़ार पत्रिका (1868) सिसिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता। प्रसार - बंगाल और बिहार शुरुआत में यह बंगाली थी, लेकिन बाद में यह अंग्रेजी हो गई। यह बंगाली मध्यम वर्ग की एक प्रमुख आवाज़ बन गई।

तहज़ीब-उल-अख़लाक़ (1871) सर सैयद अहमद ख़ान	प्रकाशन स्थान - अलीगढ़। प्रसार - उत्तर भारत। एक उर्दू भाषा की पत्रिका जो महिला शिक्षा, मुस्लिम पारिवारिक कानून में सुधार और मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण की वकालत करती थी।
बंगदर्शन(1873) बंकिम चंद्र चटर्जी	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता बंगाली भाषा में
इंडियन स्टेट्समैन (1875) रॉबर्ट नाइट	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता बाद में इसका नाम बदलकर द स्टेट्समैन कर दिया गया
द हिंदू (1878) जीएस अय्यर, वीर राघवाचार्य और सुब्बा राव पंडित	प्रकाशन स्थान - मद्रास। प्रसार - मद्रास और मैसूर यह प्रारम्भ में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था; जो अपने उदारवादी राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था।
स्वदेशीमित्रन (1882) जी. सुब्रमण्य अय्यर	प्रकाशन स्थान - मद्रास यह सबसे प्रारंभिक तमिल समाचार पत्रों में से एक है तथा सबसे लम्बे समय तक प्रकाशित हुआ।
द एडवोकेट (1878) जीपी वर्मा	प्रकाशन स्थान - लखनऊ विस्तार - संयुक्त प्रांत
केसरी (1881) बाल गंगाधर तिलक	प्रकाशन स्थान - पूना। प्रसार - बम्बई और मध्य भारत एक मराठी दैनिक समाचार पत्र जो भारतीय स्वशासन की वकालत करता था। मराठा (1881): एक अंग्रेजी साप्ताहिक
द ट्रिब्यून (1881) दयाल सिंह मजीठिया	प्रकाशन स्थान - लाहौर। प्रसार - पंजाब और उत्तर भारत यह एक दैनिक समाचार पत्र था
आर्य गजट (1882) पंडित दयानंद सरस्वती	प्रकाशन स्थान - लाहौर। प्रसार - पंजाब और उत्तर भारत यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित हुआ और इसने आर्य समाज के आदर्शों, जैसे सामाजिक सुधार, धार्मिक शिक्षा और हिंदू एकता को बढ़ावा दिया।
अख़बार-ए-आम (1886) मौलवी ज़काउल्लाह	प्रकाशन स्थान - लाहौर विस्तार - पंजाब और उत्तर भारत
गुजराती (1886) बेहरामजी मालाबारी	प्रकाशन स्थान - बम्बई विस्तार - बम्बई और गुजरात
परिदासक (1886) बिपिन चंद्र पाल (प्रकाशक)	यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था।
सुधारक (1888) गोपाल कृष्ण अगरकर	प्रकाशन स्थान - पूना। प्रसार - बम्बई और मध्य भारत एक मराठी भाषा का समाचार पत्र जो सामाजिक सुधार को बढ़ावा देता था।
हितवाद (1891) गोपाल कृष्ण गोखले	प्रकाशन स्थान - नागपुर। प्रसार - मध्य भारत यह अंग्रेजी और मराठी दोनों में प्रकाशित हुआ था। इसमें सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास की वकालत की गई थी
द सर्वेंट ऑफ़ इंडिया (1916) गोपाल कृष्ण गोखले	प्रकाशन स्थान - पूना। प्रसार - बम्बई और मध्य भारत इसने ब्रिटिश सरकार के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को पारित करने के निर्णय की आलोचना करते हुए लेख प्रकाशित किए, जबकि रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन का समर्थन किया

इंदु प्रकाश(1888)	प्रकाशन स्थान - पूना
गोपालहरि देशमुख	विस्तार - बम्बई और मध्य भारत
द लीडर (1888)	प्रकाशन स्थान - इलाहाबाद
मदन मोहन मालवीय	विस्तार - संयुक्त प्रांत
हिंदू पैट्रियट (1892)	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता
गिरीश चंद्र घोष	विस्तार - बंगाल और बिहार
प्रबुद्ध भारत (1896)	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता
स्वामी विवेकानन्द के कहने पर पी. अय्यासामी, बीआर राजम अय्यर, जीजी नरसिम्हाचार्य और बीवी कामेश्वर अय्यर	प्रसार - भारत और विश्व यह एक अंग्रेजी भाषा की मासिक पत्रिका थी, जो हिंदू दर्शन और संस्कृति को बढ़ावा देती थी।
उद्बोधन (1899)	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता
स्वामी विवेकानंद	प्रसार - भारत और विश्व
इंडियन ओपिनियन (1903)	प्रकाशन स्थान - डरबन, दक्षिण अफ्रीका।
मोहनदास करमचंद गांधी	प्रसार - दक्षिण अफ्रीका और भारत। एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो भारतीय प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करता था।
यंग इंडिया (1919)	प्रकाशन स्थान - अहमदाबाद।
मोहनदास करमचंद गांधी	प्रसार - बॉम्बे प्रेसीडेंसी एक साप्ताहिक पत्रिका जो गांधीजी के अहिंसा और सविनय अवज्ञा के दर्शन को बढ़ावा देती थी
नव जीवन (1929)	प्रकाशन स्थान - अहमदाबाद।
मोहनदास करमचंद गांधी	प्रसार - बम्बई। गुजराती भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र जो सामाजिक सुधारों और गांधी दर्शन को बढ़ावा देता था।
हरिजन (1932)	प्रकाशन स्थान - अहमदाबाद।
मोहनदास करमचंद गांधी	प्रसार - बम्बई। दलितों के अधिकारों की वकालत करने वाली अंग्रेजी और हिंदी साप्ताहिक पत्रिका
संध्या (1906)	प्रकाशन स्थान-बंगाल
ब्रह्मबोध उपाध्याय	
काल (1906)	प्रकाशन स्थान- महाराष्ट्र
शिवराम महादेव परांजपे	विस्तार - बम्बई और मध्य भारत
मुसलमान (1906)	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता
जफर अली खान	विस्तार - बंगाल और बिहार
युगान्तर (1906)	प्रकाशन स्थान - बंगाल।
बरिन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्र दत्ता	यह एक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के लिए प्रचार माध्यम के रूप में कार्य करती थी। इसने स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी हिंसा की व्याख्या और औचित्य सिद्ध किया।
कर्मयोगी (1909)	प्रकाशन स्थान - पुडुचेरी
अरबिंदो घोष	प्रसार - भारत और विश्व। यह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था।
कुडी अरामु (1910)	तमिल भाषा में
ईवी रामास्वामी नायकर (पेरियार)	
कॉमरेड (1911)	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता।
मौलाना मोहम्मद अली	प्रसार - बंगाल और बिहार। एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक जो भारतीय स्वशासन और मुस्लिम अधिकारों की वकालत करता था।

अल-बलाग (1912) अबुल कलाम आज़ाद	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता प्रसार - बंगाल और बिहार एक उर्दू साप्ताहिक जो भारतीय स्वशासन और मुस्लिम अधिकारों का समर्थन करता था।
आज़ाद (1912) अबुल कलाम आज़ाद	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता प्रसार - बंगाल और बिहार उर्दू में प्रकाशित
अल-हिलाल (1912) अबुल कलाम आज़ाद	प्रकाशन स्थान - कलकत्ता प्रसार - बंगाल और बिहार एक उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र जो इस्लामी विचारों और संस्कृति को बढ़ावा देता था
प्रताप (1913) गणेश शंकर विद्यार्थी	प्रकाशन स्थान - कानपुर विस्तार - संयुक्त प्रांत
बॉम्बे क्रॉनिकल (1913) इसकी शुरुआत फ़िरोज शाह मेहता ने की थी और इसका संपादन बी.जी. हॉर्निमैन ने किया था	प्रकाशन स्थान - बम्बई विस्तार - बम्बई और गुजरात यह एक दैनिक समाचार पत्र था
न्यू इंडिया (1914) एनी बेसेंट	प्रकाशन स्थान - मद्रास विस्तार - मद्रास और मैसूर
स्वतंत्र इंडिपेंडेंट (1919) मोतीलाल नेहरू	प्रकाशन स्थान - इलाहाबाद विस्तार - संयुक्त प्रांत
हिंदुस्तान टाइम्स (1920) सुन्दर सिंह लायलपुरी बाद में के.एम. पणिक्कर द्वारा संपादित	प्रकाशन स्थान - दिल्ली प्रसार - अखिल भारतीय। एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र, इसका उपयोग अकाली दल आंदोलन के हिस्से के रूप में किया गया था।
मूक नायक (1920) बी.आर. अंबेडकर	प्रकाशन स्थान - बम्बई प्रसार - बॉम्बे। मराठी भाषा का साप्ताहिक जो दलितों के अधिकारों की वकालत करता है।
बहिष्कृत भारत (1927) बी.आर. अंबेडकर	एक मराठी पाक्षिक
स्वराज्य (1921) सी. राजगोपालाचारी	प्रकाशन स्थान - मद्रास प्रसार - मद्रास और मैसूर। अंग्रेजी में प्रकाशित
द मिलाप (1923) एम.के. चंद	प्रकाशन स्थान - लाहौर
क्रांति (1927) एसएस मिराजकर, केएन जोगलेकर, एसवी घाटे	प्रकाशन स्थान - महाराष्ट्र
लांगल और गणबानी (1927) गोपू चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी	प्रकाशन स्थान - बंगाल
द फॉरवर्ड (1933) सीपी रामास्वामी अय्यर	प्रकाशन स्थान - बम्बई बम्बई और गुजरात में प्रसार
फ्री हिंदुस्तान (1936) तारक नाथ दास	प्रकाशन स्थान - कनाडा और अमेरिका। भारत और विश्व में प्रसार। एक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका जो स्वशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करती थी।
हिंदुस्तान दैनिक (1936) मदन मोहन मालवीय	प्रकाशन स्थान - लखनऊ। संयुक्त प्रांत में प्रसार। एक हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र जो हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करता था।

बंदी जीवन: सचिन्द्रनाथ सान्याल	प्रकाशन स्थान - बंगाल
नेशनल हेराल्ड (1938) जवाहरलाल नेहरू	लखनऊ में स्थापित। इसकी स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के साधन के रूप में की गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इसे 1945 तक प्रतिबंधित कर दिया था।
इंडियन सोसिओलॉजिस्ट श्यामजी कृष्णवर्मा	प्रकाशन स्थान - लंदन
बंदे मातरम मैडम बीकाजी कामा	प्रकाशन स्थान - पेरिस
तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय	प्रकाशन स्थान - बर्लिन
गदर लाला हरदयाल	प्रकाशन स्थल - सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी ने इस साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशित किया जिसका अर्थ है "विद्रोह" और इसे एक छोटे हैंड प्रेस का उपयोग करके निकाला गया। यह सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित हुआ, उसके बाद गुरुमुखी में। बाद में इसे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया।




ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

RPP 2025

Rigorous Prelims
Test-Series Program

English / हिन्दी | Online / Offline


**Daily Practice
& LIVE Video Solutions**


**G.S. & CSAT Tests
(Sectional + Full Length)**


**Mentorship
Webinar**

Offline ₹ 12,999/- **₹ 4,999/-**
Online ₹ 8,999/- **₹ 3,999/-**

FOR EXTRA DISCOUNT

USE COUPON CODE
PW0IAS500

9920613613 | pwonlyias.com

Offline Centres


KAROL BAGH


मुखर्जी नगर


PRAYAGRAJ


LUCKNOW


PATNA

भारतीय व्यक्तित्व

राजा राम मोहन राय (1772-1833)

राजा राम मोहन राय, जिन्हें “भारतीय पुनर्जागरण के जनक” के रूप में जाना जाता है, एक प्रगतिशील विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने **एकेश्वरवाद**, **महिला अधिकारों**, **सामाजिक समानता और शिक्षा** के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। तर्कसंगतता और सुधार के लिए उनके प्रयासों और तर्कों ने भारतीय समाज और धर्म पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया।

धार्मिक एवं सामाजिक सुधार

- **एकेश्वरवाद**: इन्होंने एकेश्वरवादियों को एक उपहार या तुलफ़त उल मुवाहिदीन (1809) की रचना की और हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए वेदों का अनुवाद किया।
- **आत्मीयसभा (1814)**: यह एकेश्वरवाद का प्रचार करने, मूर्तिपूजा, अंधविश्वास और जातिगत रुढ़ियों का विरोध करने के लिए स्थापित सभा थी।
- **ब्रह्म समाज (1828)**: बहुदेववाद, मूर्तिपूजा और जातिगत भेदभाव को अस्वीकार करते हुए एक शाश्वत, निराकार सत्ता की पूजा करने के लिए स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना की।
- **सती प्रथा विरोधी अभियान**: इसे वर्ष 1818 में शुरू किया तथा सती विनियमन अधिनियम (1829) के तहत इस प्रथा को अपराध घोषित किया गया।
- **महिला अधिकारों का समर्थन**: बहुविवाह का विरोध किया, उत्तराधिकार का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया।

शैक्षिक योगदान

- **डेविड हेयर** के सहयोग से **हिंदू कॉलेज** (1817) की स्थापना की, पश्चिमी विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया।
- **वेदांत कॉलेज** (1825) की स्थापना की, जिसके माध्यम से भारतीय और पश्चिमी शिक्षा के मिश्रण का आधार बनाया गया।
- **स्कॉटिश चर्च कॉलेज** (1830) की स्थापना में अलेक्जेंडर डफ का सहयोग किया।

धर्म पर वैचारिक दृष्टिकोण

- पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर तर्कवाद और वैज्ञानिक विचारों को आत्मसात किया।
- **रूढ़िवादी हिंदू धर्म और बहुदेववाद** की आलोचना की, जिसका उद्देश्य इस्लामी एकेश्वरवाद को वेदांतवाद के साथ एकीकृत करना था।
- **प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस** (1820) की रचना की, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया तथा नए नियम के नैतिक दर्शन को चमत्कारों से अलग किया गया।

राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार

- उन्होंने उच्च स्तर की सेवाओं के **भारतीयकरण** तथा भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच न्यायिक समानता का समर्थन किया, जिसमें **जूरी द्वारा सुनवाई** के अधिकार की व्यवस्था की गई।
- **बंगाली जमींदारों** की आलोचना की गई। **न्यूनतम किराया** निर्धारित करने तथा **कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्** करने का समर्थन किया।
- भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति में सुधार के लिए भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले **निर्यात शुल्क को कम** करने का आह्वान किया।
- **प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन**: प्रकाशित पत्रिकाएँ: **ब्राह्मणिकल मैगजीन** (1821), **संवाद कौमुदी** (1821) (बंगाली साप्ताहिक), **मिरात-उल-अखबार** (फारसी साप्ताहिक)।
- **साहित्यिक विरासत और महत्व**: एकेश्वरवादियों को एक उपहार या तुलफ़त-उल-मुवाहिदीन (1803) प्रकाशित किया, जिसमें हिंदू धर्म में व्याप्त तर्कहीन प्रथाओं की आलोचना की गई। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें “**भारत पथिक**” के रूप में वर्णित किया, जो **भारतीय सभ्यता के सहिष्णुता और बहुलवाद** के मूल्यों का प्रतीक है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर

रबीन्द्रनाथ टैगोर (1861-1941), जिन्हें **गुरुदेव**, **कविगुरु** और **विश्वकवि** के नाम से भी जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध बंगाली कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे जिन्होंने पश्चिम को भारतीय संस्कृति से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर ने राष्ट्रीय एकीकरण की कुंजी के रूप में **विविधता में एकता** पर बल दिया तथा **महात्मा गांधी** को “**महात्मा**” की उपाधि देने का श्रेय उन्हें ही जाता है।

एकता और सत्यनिष्ठा हेतु किये गये प्रयास

- विभाजन के बाद (1905) बंगालियों को एकजुट करने के लिए “**बांग्लार माटी बांग्लार जोल**” की रचना की।
- उनके गीत “**आमार सोनार बांग्ला**” (अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान) ने सांस्कृतिक व राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया।
- उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हुए बंगाल विभाजन के विरोध में, **राखी उत्सव** मनाया।

सांस्कृतिक योगदान

- **रवींद्र संगीत** के नाम से प्रसिद्ध **2000 से अधिक गीतों** की रचना की।
- **अभिव्यक्तिवाद और आदिम कला** को मिलाकर **2000 से अधिक पेंटिंग** बनाई।
- **भारत के राष्ट्रगान** की रचना की और भारत में आधुनिकतावादी कला को आगे बढ़ाया।

- जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
- मदनपल्ले में भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया।

(UPSC 2021)

- शैक्षिक योगदान: रचनात्मक, अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांतिनिकेतन स्कूल (1901) और विश्वभारती विश्वविद्यालय (1921) की स्थापना की।

पुरस्कार

- गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार (1913) मिला।
- ब्रिटिश साम्राज्य की नाइट कमांडर/हुड (1915) की उपाधि, जिसे बाद में उन्होंने त्याग दिया।
- मरणोपरांत भारत गौरव सम्मान (2019)।

प्रमुख कार्य

- गीतांजलि, घरे-बैरे, गोरा, मानसी, बलाका, सोनार तोरी
- एकला चलो रे - लचीलेपन का प्रतीक।

बाल गंगाधर तिलक

बाल गंगाधर तिलक (1856-1920), भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें “भारतीय अशांति के जनक” के रूप में जाना जाता था, वे लाल-बाल-पाल तिकड़ी के प्रमुख नेता थे। उन्होंने स्वराज (स्व-शासन) को भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक उपकरण बताया।

राजनीतिक रणनीति

- जन-आंदोलन, स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया।
- स्वशासन के लिए शिक्षित भारतीयों को एकजुट करने के लिए अखिल भारतीय होम रूल लीग (1916) की सह-स्थापना की।
- लखनऊ समझौता (वर्ष 1916): हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया।

विचारधारा

- गणेश चतुर्थी और शिव जयंती का उपयोग राष्ट्रीय एकता को प्रेरित करने के लिए किया।
- स्वराज को आवश्यक बताते हुए, उन्होंने कहा- “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।”
- राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर भी जोर दिया।
- शैक्षिक योगदान: भारतीय शिक्षा और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी (1884) और फर्ग्यूसन कॉलेज (1885) की स्थापना की।
- पत्रकारिता और लेखन: राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करने के लिए केसरी और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदाज की रचना की।
- स्वतंत्रता संग्राम: स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व किया और छः वर्ष मांडले जेल में रहे। स्वशासन के लिए भारतीय होम रूल आंदोलन का मार्गदर्शन किया।

- ब्रिटिश शासन की आलोचना: ब्रिटिश शोषण को जनता के समक्ष उजागर किया और अपने नारे “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” के साथ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की।

महात्मा ज्योतिराव फुले (1827-1890)

सामाजिक सुधार और अन्य योगदान:

- सत्यशोधक समाज (1873): ज्योतिराव फुले ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी, समानता को बढ़ावा देने और हाशिए पर स्थित समूहों, विशेषकर निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
- सभी के लिए शिक्षा: 1848 में, ज्योतिराव फुले ने निम्न और अछूत जातियों की बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला, जिससे समाज के शोषित वर्ग के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- जाति और लैंगिक समानता: जाति व्यवस्था के एक कट्टर आलोचक के रूप में महात्मा फुले ने अछूतों और महिलाओं के सशक्तीकरण का समर्थन किया।
- ब्राह्मणवादी आदर्शों को चुनौती: उन्होंने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की, समाज की निम्न जातियों के मध्य एकता को बढ़ावा दिया और आर्यों के प्रभुत्व को खारिज किया।

साहित्यिक प्रकाशन:

- गुलामगिरी (1873): जाति-आधारित उत्पीड़न और गुलामी की आलोचना।
- शतकार्याचा आसुड (1881): किसानों के संघर्ष पर केंद्रित।
- तृतीया रत्न (1855) और पोवाड़ा (1869)।
- प्रमुख संस्थाएँ: पुणे में नेटिव फीमेल स्कूल (1863) और महार, मांग और अन्य निम्न जातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी की स्थापना की।

डॉ भीम राव अम्बेडकर

- भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को महू (मध्य-प्रदेश) में एक महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था।
- 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'
- स्थापना: वर्ष 1924 में, अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतों का नैतिक और भौतिक उत्थान करना था।
- महासंघ या संगठन की स्थापना: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र मजदूर पार्टी।

(UPSC 2012)

राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और पूना पैक्ट

- राजनीति में प्रवेश: वर्ष 1930 में, अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना शुरू किया और राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे।
- गोलमेज सम्मेलन (1930-1932): एक प्रतिनिधि के रूप में, अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1932 में कम्युनल अवार्ड पारित हुआ, जिसके माध्यम से दलित वर्गों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त हुआ।

- **पूना पैक्ट/समझौता:** गांधी के आमरण अनशन के बाद, 24 सितंबर, 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की।

अनुसूचित जाति महासंघ

गठन: वर्ष 1942 में, अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की, जो एक राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य निम्न जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था।

संवैधानिक विकास में अम्बेडकर की भूमिका

- **संविधान सभा:** अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वे इसके मुख्य निर्माता थे। उनके योगदान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्थापित किया, अस्पृश्यता को समाप्त किया।
- **हिंदू कोड बिल:** उन्होंने हिंदू लॉ के आधुनिकीकरण के लिए हिंदू कोड बिल पर कार्य किया, हालांकि इसे रूढ़िवादियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

साहित्यिक योगदान

- **पुस्तकें:** रुपये की समस्या - इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, (द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी-इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन) अछूत: वे कौन हैं?, राज्य और अल्पसंख्यक, अछूतों की मुक्ति, जाति का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, अछूत: वे कौन हैं और वे अछूत क्यों बन गए, बुद्ध और उनका धम्म, हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन।
- **पत्रिकाएँ:** मूकनायक (1920), अछूतों और निम्न जातियों की दुर्दशा पर केंद्रित, बहिष्कृत भारत (1927), अछूतों के बहिष्कार और उनके सामाजिक अधिकारों के लिए समर्पित, समता (1929), इसके माध्यम से उत्पीड़ित जातियों हेतु समानता और न्याय का समर्थन किया गया, जनता (1930), इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए निम्न जातियों और हाशिए पर स्थित लोगों को संगठित करना था।
- **दलित सशक्तीकरण में योगदान:** अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की निंदा की और दलित अधिकारों के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन किया। उन्होंने वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें महाड़ में सार्वजनिक जल की टंकी से दलितों को बाहर रखने की घटना/परंपरा को चुनौती दी गई। टंकी से पानी पीने के उनके प्रतीकात्मक कार्य ने एक विरोध को उत्पन्न किया, परंतु यह दलित अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
- **स्वतंत्र भारत के संविधान ने** अम्बेडकर के दृष्टिकोण से प्रभावित भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया, जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी बना दिया और न्याय पर केंद्रित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया की।

जवाहरलाल नेहरू

“आधुनिक भारत के निर्माता” कहे जाने वाले नेहरू एक राष्ट्रवादी नेता, समाजवादी लोकतंत्रवादी, मानवतावादी और दूरदर्शी व्यक्ति थे।

अर्थव्यवस्था पर नेहरू के विचार

- **आर्थिक आधुनिकता:** गरीबी को समाप्त करने के लिए तीव्र औद्योगिकीकरण का समर्थन किया।

- **मिश्रित अर्थव्यवस्था:** सामाजिक कल्याण के साथ आर्थिक प्रगति को संतुलित करने के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रण को बढ़ावा दिया।
- **नियोजित विकास:** राष्ट्रीय योजना समिति (1938) के अध्यक्ष के रूप में, नेहरू ने गरीबी और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास के महत्व पर बल दिया।

राजनीतिक रणनीति और नेतृत्व

- **अहिंसक संघर्ष:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति, नेहरू ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का समर्थन किया।
- **रणनीतिक नेतृत्व:** भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू

- **संविधान और गणतंत्र:** 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन:** नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता की नीति को बढ़ावा दिया। किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन न करने का विकल्प चुना जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) कहा जाता है।
- **बाल दिवस:** नेहरू का जन्मदिन, 14 नवंबर को बच्चों के प्रति उनके प्रेम और उनके कल्याण के लिए उनके प्रयासों के सम्मान में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

नेहरू द्वारा लिखित पुस्तकें

- डिस्कवरी ऑफ इंडिया
- ग्लिमप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
- एन ऑटोबायोग्राफी
- लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर

दादाभाई नौरोजी

- **जन्म:** 4 सितंबर, 1825 को नवसारी में जन्मे दादाभाई नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किये जाने वाले भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। (UPSC 2012)
- **राजनीतिक योगदान:**
 - **उपाध्यक्ष:** बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885)।
 - **संसद सदस्य:** हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम भारतीय (1902), लिबरल पार्टी, सेंट्रल फिन्सबरी।
 - **प्रमुख संगठन:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे।

भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- **प्रमुख भूमिकाएँ:** ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना (1867), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (1886, 1893, 1906) सर्वाधिक बार।
- **रॉयल कमीशन:** भारतीय व्यय पर सदस्य (1895)।
- **प्रकाशन:** विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता पर जोरास्ट्रियन के कर्तव्य।

सरदार वल्लभभाई पटेल

- **जन्म:** सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में हुआ।
- **उपाधि:** पटेल को "भारत का लौह पुरुष" के नाम से जाना जाता है।
- **एकता दिवस:** उनके जन्म दिन 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजनीतिक योगदान

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख नेता।
- **नमक सत्याग्रह (वर्ष 1930):** ब्रिटिश नमक कानूनों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया।
- **कराची कांग्रेस अधिवेशन (वर्ष 1931):** इस सत्र की अध्यक्षता की, जहाँ गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।
- **द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (वर्ष 1931):** भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन (वर्ष 1942):** आंदोलन में प्रमुख नेता, जिसके कारण उन्हें वर्ष 1945 तक कारावास में रहना पड़ा।

स्वतंत्रता के बाद प्रमुख योगदान

- **रियासतों का एकीकरण:** 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान।
- **राज्यों का पुनर्गठन:** भारतीय राज्यों को संगठित किया तथा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे नए राज्यों का निर्माण किया।
- **सिविल सेवा सुधार:** प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन के साथ भारत की सिविल सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कार्य किया।
- **कृषि और सिंचाई सुधार:** सरदार सरोवर बांध जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण किया।
- **सार्वजनिक सुरक्षा:** कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना की।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- भारतीय राष्ट्रवाद और संप्रभुता का समर्थन किया।
- उन्होंने **खेड़ा सत्याग्रह (1918)** में भाग लिया और **असहयोग आंदोलन (1920)** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका के कारण कई बार जेल कारावास की यात्रा भी की।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- **उद्घाटन:** 31 अक्टूबर, 2018, को सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापना गुजरात के नर्मदा जिले में की गई।
- **विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा:** 182 मीटर ऊँची, जो चीन के स्प्रिंग टेंपल बुद्ध से भी ऊँची है।
- **मान्यता:** इसे जनवरी 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के आठ अजूबों में शामिल किया गया।

ई.वी. रामास्वामी नायकर (पेरियार)

- **जन्म:** रामास्वामी नायकर का जन्म वर्ष 1879, इरोड, तमिलनाडु में हुआ था।
- **आत्म-सम्मान आंदोलन (1921):** इसके माध्यम से उन्होंने हाशिए पर स्थित समुदायों को सशक्त बनाया, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। (UPSC 2019)

- **तर्कवाद के समर्थक:** धार्मिक हठधर्मिता, अंधविश्वास और जाति-आधारित भेदभाव का विरोध किया।
- **द्रविड़ कड़गम (1944):** जस्टिस पार्टी का नाम परिवर्तित किया तथा DMK और AIADMK की नींव रखी।
- **शिक्षा:** तमिल भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया, पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय और तर्कवाद पर ध्यान केंद्रित किया।
- **विरासत:** सामाजिक सुधार, जाति-विरोधी आंदोलन और द्रविड़ राजनीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं।

मुहम्मद अली जिन्ना

- **जन्म:** 25 दिसम्बर 1876, कराची में जन्मा।
- **बैरिस्टर:** लिनकन इन, लंदन में प्रशिक्षित।
- **राजनीतिक परिवर्तन:** कांग्रेस से मुस्लिम लीग (1916-1940) में शामिल हुए थे।
- **लाहौर प्रस्ताव (1940):** पाकिस्तान नामक, एक मुस्लिम राज्य की मांग हेतु लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- **भारत का विभाजन (1947):** दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके कारण अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
- **महत्वपूर्ण योगदान:**
 - नमक कर का विरोध किया।
 - **लखनऊ समझौते (1916)** में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम अधिकारों के लिए 14 सूत्री योजना का मसौदा तैयार किया गया था।
 - मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर शिमला प्रतिनिधिमंडल (1906)।
- **राष्ट्रवाद पर विचार:** मुस्लिम विशिष्ट पहचान और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत पर बल दिया।
- **विरासत/परंपरा:** पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल की भूमिका निभाई। 11 सितंबर, 1948 को निधन हो गया।

मौलाना अबुल कलाम आजाद

जन्म: 11 नवम्बर 1888, मक्का (सऊदी अरब) में हुआ था।

प्रमुख योगदान:

- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस:** मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विभाजन का विरोध किया।
- **अल-हिलाल और अल-बिलाल :** एकता को बढ़ावा देने वाली पत्रिकाएँ, अलगाववादी विचारों के कारण अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई।
- **असहयोग आंदोलन:** वर्ष 1920 में समर्थित, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष बने (1923)।
- **नमक सत्याग्रह:** वर्ष 1930 में अबुल आजाद को नमक सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार किया गया। वो लगभग 1.5 वर्ष तक जेल में रहे।
- **विभाजन का विरोध:** बंगाल विभाजन (1905) का सक्रिय रूप से विरोध किया, क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार किया।

शिक्षा पर विचार:

- सार्वभौमिक, उदार शिक्षा का समर्थन किया, पूर्वी (आध्यात्मिकता) और पश्चिमी (सामाजिक प्रगति) आदर्शों के सम्मिश्रण पर बल दिया।
- जामिया मिलिया इस्लामिया (1920), आईआईटी (IIT), आईआईएससी (IISc), यूजीसी (UGC) और योजना संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

साहित्यिक योगदान:

- “इंडिया विन्स फ्रीडम”, “बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान” की रचना की।

आधुनिकता और राष्ट्रवाद:

- तकलीफ (अनुरूपता) को खारिज कर, ताजदीद (नवाचार) को अपनाया।
- जमालुद्दीन अफगानी और सर सैयद अहमद खान जैसे पैन-इस्लामिक विचारकों से प्रभावित।
- राजनीतिक परिवर्तन के लिए अहिंसा और सविनय अवज्ञा का समर्थन किया।

स्वतंत्रता के बाद:

- प्रथम शिक्षा मंत्री (वर्ष 1947-1958) के रूप में कार्य किया।
- सांस्कृतिक योगदान: साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना की।
- वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित।

स्वामी विवेकानंद (1863-1902)

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्ता (वकील) और भुवनेश्वरी देवी (गृहिणी) के घर में हुआ। उनका नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था।

दार्शनिक और आध्यात्मिक यात्रा

- रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर रामकृष्ण मिशन में शामिल हुए।
- नव-वेदांतवाद का समर्थन किया, आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ ही, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के मिश्रण पर बल दिया।
- पश्चिम को भारतीय वेदांतवाद और योग दर्शन का परिचय कराया।
- राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए मानव-निर्माण शिक्षा पर बल दिया।

प्रमुख योगदान

- 1893 विश्व धर्म संसद, शिकागो: यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया, भारतीय आध्यात्मिकता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु आह्वान किया।
- रामकृष्ण मिशन (1897) की स्थापना की, जिसका ध्यान शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, आदिवासी कल्याण और राहत पर केंद्रित था।
- आध्यात्मिकता और व्यावहारिक ज्ञान को एक साथ कर जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रवाद

- राजनीतिक राष्ट्रवाद की तुलना में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता पर बल दिया।

- इनका विश्वास था कि भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण इसके पुनरुत्थान की ओर ले जाएगा।
- सामाजिक कार्य, मानवता की सेवा और व्यावहारिक ज्ञान का समर्थन किया।

जाति और सामाजिक सुधार

- जाति व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को स्वीकार किया, आध्यात्मिक जागृति और शिक्षा के माध्यम से एकता को बढ़ावा दिया।
- मानव सेवा को शिव की पूजा के समान बताया।

विरासत और प्रभाव

- “आधुनिक भारत के निर्माता” (सुभाष चंद्र बोस द्वारा) के रूप में जाने जाते हैं।
- उनकी जन्म जयंती (12 जनवरी) राष्ट्रीय युवा दिवस, के रूप में मनाया जाता है।
- बेलूर मठ (1899) को अपने स्थायी निवास और अपनी शिक्षाओं के प्रसार के केंद्र के रूप में स्थापित किया।
- मानवता की सेवा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया, सामाजिक कार्य और व्यावहारिक ज्ञान पर प्रकाश डाला।

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883)

इनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती या मूलचंद एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे।

प्रमुख योगदान

- आर्य समाज: वर्ष 1875 में बॉम्बे (बाद में लाहौर स्थानांतरित) में स्थापित, आर्य समाज ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
- “वेदों की ओर लौटो”: स्वामी दयानंद सरस्वती ने “वेदों की ओर लौटो” नारे को लोकप्रिय बनाया, वैदिक शिक्षाओं की ओर लौटने का समर्थन किया और बाद में पुराणों और अंधविश्वासों जैसे जोड़े गए तत्वों को खंडन किया।
- दर्शन: वे ईश्वर, आत्मा और पदार्थ (प्रकृति) की विशिष्टता में विश्वास करते थे, और शास्त्रों की व्यक्तिगत व्याख्या पर बल दिया। उन्होंने अज्ञानी पुजारियों और मूर्ति पूजा की आलोचना की।
- सामाजिक सुधार: उन्होंने जातिविहीन, वर्गविहीन समाज, लैंगिक समानता और जाति-आधारित भेदभाव के उन्मूलन की वकालत की।
- शिक्षा: 1886 में दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूलों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों को शामिल करके शैक्षिक प्रणाली में बदलाव करना था। प्रथम दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके प्रधानाध्यापक महात्मा हंसराज थे।
- वर्ष 1893: आगे चलकर दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) कॉलेज दो शाखाओं कॉलेज पार्टी (अंग्रेजी शिक्षा, मांसाहार) और महात्मा पार्टी (स्वदेशी शिक्षा, शाकाहार) में विभाजन हो गया।
- वैदिक और संस्कृत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की।
- ब्रिटिश शासन पर विचार: भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को क्षीण बनाने के लिए ब्रिटिश शासन की आलोचना की।

- **दृष्टिकोण**
 - वैदिक सिद्धांतों पर आधारित स्वराज और एकीकृत भारत का समर्थन किया।
 - जन्म के स्थान पर व्यवसाय और योग्यता के आधार पर जाति का समर्थन किया।
 - सामाजिक उत्थान के लिए वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
 - हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की।

सर सैयद अहमद खान (1817-1898)

- **जीवन:** ये ब्रिटिश न्यायिक सेवा के वफादार, वर्ष 1888 में नाइट की उपाधि से सम्मानित, तथा इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य थे।
- **मुख्य विचार:** पश्चिमी शिक्षा को कुरान की शिक्षाओं के साथ सम्मिलित करने के पक्षधर थे तथा इनका विश्वास था कि धर्म को समय के साथ विकसित होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया, पर्दा, बहुविवाह और पीरी-मुरीदी प्रणाली का विरोध किया। धार्मिक एकता और हिंदुओं और मुसलमानों के साझा हितों पर बल दिया।
- **योगदान:** 1875 में मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की स्थापना की। सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तहजीब-उल-इखलाक की रचना की।
- **विरासत:** शुरुआत में मुस्लिम एकता और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, बाद में ब्रिटिश 'फूट डालो और राज करो' की नीतियों से जुड़ गए, जिससे एक अलग मुस्लिम पहचान को बढ़ावा मिला।

एम.एन. रॉय (1887-1954)

- **राजनीतिक चरण:**
 - राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी (वर्ष 1919 तक): 'युगांतर' संगठन से जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शांतिपूर्ण तरीकों का विरोध किया और क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया।
 - कम्युनिस्ट पार्टी (वर्ष 1919 के बाद): भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, मार्क्सवाद का समर्थन किया और समाजवादी आर्थिक सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।
 - कट्टरपंथी मानवतावादी: बाद में स्वयं को मार्क्सवाद से दूर कर लिया और वैश्विक साम्राज्यवाद-विरोध और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले कट्टरपंथी मानवतावादी के रूप में विकसित हुए।
- **मुख्य योगदान:** कृषि और उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करने तथा तीव्र बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीपुल्स प्लान (1945) का मसौदा तैयार किया। आर्थिक असमानता और संकेन्द्रित धन का मुकाबला करने के लिए समाजवादी सुधारों का पक्ष लिया। लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म (1927) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैश्विक स्तर पर चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया।

श्री अरबिंदो घोष (1872-1950)

- **जन्म:** श्री अरबिंदो घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार ये शास्त्रीय और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में पारंगत हुए। इन्होंने योग और संस्कृत का भी अध्ययन किया।

- **राजनीतिक भागीदारी**
 - ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे।
 - ये अनुशीलन समिति (1902) के संस्थापक थे और वंदे मातरम का संपादन किया।
 - उन्हें वर्ष 1908 में, अलीपुर बम कांड के लिए गिरफ्तार किया गया था।
 - उन्होंने वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया तथा स्वदेशी आंदोलन और स्वराज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **अध्यात्म की ओर झुकाव:** श्री अरबिंदो घोष कारावास के बाद, वर्ष 1910 में पांडिचेरी चले गए और उन्होंने अध्यात्म पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की और सामाजिक परिवर्तन के साथ आत्म-साक्षात्कार को मिलाकर इंटीग्रल योग विकसित किया।
- **साहित्यिक और दार्शनिक योगदान:** इनके लेखन में गीता पर निबंध, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री शामिल हैं। इंटीग्रल योग ने मानवीय चेतना और आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन के मध्य संबंध पर बल दिया।

लाला लाजपत राय (1865-1928)

- **प्रारंभिक जीवन:** इनका जन्म पंजाब में हुआ ये स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित थे। लाहौर में कानून की पढ़ाई की तथा बाद में हिसार में वकालत की। उन्होंने हिसार बार काउंसिल की स्थापना की।
- **राजनीतिक योगदान:**
 - लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी गुट के नेता, प्रत्यक्ष कार्यवाई और उग्रवादी प्रतिरोध के समर्थक थे।
 - वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया तथा वर्ष 1907 में बर्मा निर्वासित किए गए तथा पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में पुनः लौट आए।
 - वर्ष 1917 में, लाला लाजपत राय ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की, वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया।
 - लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष (1920) बने और गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया।
- **प्रमुख कार्य:** लाला लाजपत राय ने रौलट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया। वर्ष 1926 में केंद्रीय विधान सभा के उपनेता चुने गए और वर्ष 1928 साइमन कमीशन का विरोध किया।
- **साहित्यिक और सामाजिक योगदान:** लाला लाजपत राय ने "यंग इंडिया" जैसी कृतियों की रचना की तथा मैजिनी, शिवाजी और श्रीकृष्ण जैसी हस्तियों की जीवनी लिखी। (UPSC 2018), वर्ष 1905 में सर्वेड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की तथा वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की सह-स्थापना की।
- **विचारधारा:** लाला लाजपत राय क्रांतिकारी माध्यमों, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे, गदर आंदोलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया।

डॉ राजेंद्र प्रसाद (1884-1963)

- **जन्म:** डॉ राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में एम.ए. की

डिग्री प्राप्त की। डॉन सोसाइटी और बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस (1906) में शामिल रहे। इन्होंने शिक्षक और वकील के रूप में कार्य किया तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

- **राजनीतिक योगदान:** ये गांधी की अहिंसा की नीति के अनुयायी, वर्ष 1937 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। वर्ष 1942 में **भारत छोड़ो आंदोलन** में गिरफ्तार हुए। खाद्य तथा वर्ष 1946 में **कृषि मंत्री के रूप में कार्य** किया और **कृषि आत्मनिर्भरता** पर बल दिया। वर्ष 1950 में भारत के **प्रथम राष्ट्रपति** चुने गए और वर्ष 1952 तथा वर्ष 1957 में **पुनः राष्ट्रपति** निर्वाचित हुए।
- **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान :** गांधी से प्रभावित होकर वर्ष 1911 में कांग्रेस में शामिल हुए। **चंपारण** (वर्ष 1918), **असहयोग आंदोलन** (वर्ष 1920) में योगदान दिया और वर्ष 1934 के बिहार तथा वर्ष 1935 के **क्वेटा भूकंप** के समय राहत प्रयासों में योगदान किया।
- **संवैधानिक पद की भूमिका (राष्ट्रपति) :** आर्थिक विकास, कृषि और राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया। **भारतीय संविधान** को एक आकार प्रदान किया तथा प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की।

विनायक दामोदर सावरकर (1883–1966)

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:** इनका जन्म महाराष्ट्र के भगूर में हुआ, पुणे के फर्ग्युसन कॉलेज में अध्ययन किया। ये **बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल** जैसे नेताओं से प्रभावित थे।
- **क्रांतिकारी गतिविधियाँ:** उन्होंने **मित्र मेला** (वर्ष 1899) और **अभिनव भारत सोसाइटी** (वर्ष 1904) की स्थापना की। इंडिया हाउस (UK) और **फ्री इंडिया सोसाइटी** से जुड़कर अनेक कार्य किये। **दामोदर सावरकर** **ग्यूसेप माजिनी** से अत्यधिक प्रेरित थे।
- **कारावास:** वर्ष 1909 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार हुए। इसके लिए उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में **50 वर्षों** की सजा सुनाई गई। 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्युपर्यंत उपवास रखने का फैसला किया। **26 फरवरी 1966** को तेज ज्वर (बुखार) के कारण बम्बई में इनकी मृत्यु हो गई।
- **राजनीतिक विचार:** इन्होंने उग्र राष्ट्रवाद और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन किया। 1857 के विद्रोह के लिए **"स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध"** शब्द गढ़ा। इन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों पर बल दिया।
- **राष्ट्रवाद:** इन्होंने हिंदुत्व, हिंदुओं की एकता और एक मजबूत भारतीय पहचान पर केंद्रित किया।
- **साहित्यिक योगदान :** दामोदर सावरकर ने **"हिंदुत्व: हिंदू कौन है?"** और **"भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास"** पुस्तक लिखी।
- **नेतृत्व:** इन्होंने वर्ष 1937-43 में **हिंदू महासभा** का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए **जाति एकता और राष्ट्रीय एकीकरण** का समर्थन किया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय (1916–1968)

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:** पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को हुआ था। जब वह काफी छोटे थे तभी इनके माता-पिता का देहांत हो गया, लेकिन वह शैक्षणिक रूप से मेधावी थे। अपने छात्र वर्षों

के दौरान ही वह संघ में शामिल हो गए और वर्ष 1942 से संघ के पूर्णकालिक सदस्य व कार्यकर्ता बन गए।

- **योगदान और नेतृत्व:** इन्होंने **श्यामा प्रसाद मुखर्जी** द्वारा स्थापित **भारतीय जनसंघ** में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1953 में मुखर्जी की मृत्यु के बाद, इन्होंने ने **15 वर्षों** तक पार्टी का नेतृत्व किया, जिससे इसकी प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पार्टी की विचारधारा को विकसित किया और वर्ष 1967 के **ऐतिहासिक अधिवेशन** का नेतृत्व किया।
- **अर्थव्यवस्था: समाजवाद और पूंजीवाद** के तत्वों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जिसमें सभी के कल्याण पर बल दिया गया। भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करते हुए **एकात्म मानववाद** का दर्शन प्रस्तुत किया।
- **प्रकाशन और पत्रकारिता:** उन्होंने **"पंचजन्य"** और **"स्वदेश"** जैसे प्रकाशनों की स्थापना की। **राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और द ऑर्गनाइजर** के संपादक और योगदानकर्ता के रूप में कार्य किया। वह एक ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर थे।
- **साहित्यिक योगदान:** उन्होंने कई उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी, जिनमें **"सम्राट चंद्रगुप्त", "जगतगुरु शंकराचार्य"** और **"एकात्म मानववाद"** शामिल हैं। उनकी रचनाओं में भारत की **पंचवर्षीय योजनाओं** और आधुनिक शासन में पारंपरिक मूल्यों की भूमिका के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

आचार्य विनोबा भावे (1895–1982)

- **प्रारंभिक जीवन:** आचार्य विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह महात्मा गांधी के अहिंसा और समानता के सिद्धांतों से प्रभावित थे।
- **ब्रिटिश शासन का विरोध:** असहयोग और सत्याग्रह में शामिल हुए, अहिंसक प्रतिरोध के लिए जेल गए और प्रथम **व्यक्तिगत सत्याग्रही** बने।
- **आर्थिक विचार:** उन्होंने **ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता, खादी उत्पादन और स्वदेशी वस्तुओं** के उपयोग का समर्थन किया। वर्ष 1932 में वह अपनी गतिविधियों के कारण जेल गए।
- **भूदान आंदोलन:** भूमिहीन लोगों के लिए भूमि दान एकत्र करने के लिए सम्पूर्ण भारत में पदयात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप **4.4 मिलियन एकड़ भूमि** का वितरण हुआ।
- **राष्ट्रवाद:** सर्वोदय (सभी के लिए कल्याण) और **समानता** को बढ़ावा दिया।
- **सामाजिक सुधार:** सरलता, आत्म-अनुशासन और सेवा का समर्थन किया। महिलाओं के लिए **आश्रम और ब्रह्म विद्या मंदिर** की स्थापना की।

केशव चंद्र सेन (1838-1884)

- **भूमिका:** वर्ष 1858 में, **केशव चंद्र सेन** को ब्रह्म समाज के **आचार्य** के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बंगाल के बाहर विचारों का प्रसार किया, **अंतरजातीय विवाह** को बढ़ावा दिया और **जाति व्यवस्था** की आलोचना की।
- **विवादित निर्णय :** वर्ष 1865 में **केशव चंद्र सेन** को **ब्रह्म समाज की शाखा** से निष्कासित कर दिया गया और वर्ष 1878 में कूच-बिहार के महाराजा से अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह करने के कारण ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया।

- महत्त्वपूर्ण योगदान : भारतीय सुधार संघ की स्थापना (1870), टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना की और वर्ष 1910 में लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया। (UPSC 2016)
- प्रभाव : उनके सुधारों के कारण आनंद मोहन बोस और अन्य अनुयायियों द्वारा साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया गया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर (1820-1891)

- सुधार: ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1850 में एक संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया।
- विरासत: भारतीय और पश्चिमी विचारों को एकीकृत किया, एक नया बंगाली प्राइमर तैयार किया और एक आधुनिक गद्य शैली विकसित की।
- बेथून स्कूल में योगदान : उन्होंने हिंदू महिला स्कूल, की वकालत की, जिसे बाद में बालिका शिक्षा के लिए बेथून महिला स्कूल (1849 में स्थापित, 1856 में नाम बदला गया) के रूप में जाना गया। उन्होंने इस कॉलेज के सचिव के रूप में भी कार्य किया। (UPSC 2021)

बालशास्त्री जांभेकर (1832-1840)

- योगदान: इन्होंने दर्पण (1832) और दिग्दर्शन (1840) नामक समाचार-पत्रों का सम्पादन किया। वह जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे।
- प्रमुख संस्थाएँ: बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की, और एल्फिंस्टन कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया।
- विरासत: उन्होंने मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं कोलाबा वेधशाला में संचालक के तौर पर कार्य किया।

गोपाल बाबा वलंगकर (1840-1900)

- महाराष्ट्र के एक महार परिवार में जन्मे वलंगकर ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया।
- ज्योतिबा फुले से प्रभावित होकर उन्होंने अनार्य दोष-परिहार मंडली की स्थापना की और सेना में महार भर्ती का समर्थन किया।
- जाति के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्ष 1888 में विटल विध्वंसक और वर्ष 1889 में विटल विधुवंसन नामक पत्रिकाएँ प्रकाशित की। (UPSC 2020)
- ये हिंदू धर्म दर्पण (1894) के लेखक और सुधारक और दीनबंधु जैसी पत्रिकाओं में योगदान दिया।

सखाराम गणेश देउस्कर (1839-1902)

- ये मराठी इतिहासकार, लेखक और समाज सुधारक थे।
- इन्होंने महिला शिक्षा और जाति उन्मूलन का समर्थन किया।
- गणेश देउस्कर एक प्रमुख मराठी समाचार पत्र 'प्रभाकर' का संपादन और प्रकाशन किया।
- गणेश देउस्कर मराठा इतिहास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मराठी साहित्य और ऐतिहासिक शोध में योगदान दिया।

- इन्होंने 19वीं सदी के महाराष्ट्र में बौद्धिक सुधारों को प्रभावित किया।
- गणेश देउस्कर द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई "देशेर कथा" ने औपनिवेशिक राज्यों के मन पर स्वापक या काल्पनिक विजय के विरुद्ध चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के प्रदर्शन को प्रेरित किया। (UPSC 2020)

किसन फागुजी बनसोड (1879-1946)

- नागपुर में एक महार परिवार में जन्मे बनसोड ने दलित बच्चों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- इन्होंने चोखामेला गर्ल्स स्कूल की स्थापना की तथा निराश्रित हिंदू नगर और माजुर पत्रिका जैसी पत्रिकाएँ प्रकाशित की।
- वर्ष 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन के सचिव बने।
- भक्ति पंथ, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से प्रभावित हुए थे।

विठ्ठल रामजी शिंदे (1873-1944)

- मराठी परिवार में जन्मे शिंदे तुकाराम, एकनाथ और रामदास से अत्यधिक प्रभावित थे।
- पुणे में एक रात्रि विद्यालय (1905) और बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन (1906) की स्थापना की।
- साउथबोरो फ्रेंचाइज कमेटी (1919) में अछूतों के लिए विशेष प्रतिनिधित्वका समर्थन किया।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, यरवदा सेंट्रल जेल में रहे।
- ये भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न लेखक थे।

गोपाल हरि देशमुख (1823-1892)

- गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध, महाराष्ट्र के एक तर्कवादी और समाज सुधारक थे।
- उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत एक न्यायाधीश के रूप में काम किया और प्रभाकर पत्रिका के संपादन में योगदान दिया।
- तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता और समानता के आधार पर समाज के पुनर्गठन का समर्थन किया। हितचू, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोकहितवादी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया।

गोपाल गणेश अगरकर (1856-1895)

- ये एक प्रमुख शिक्षाविद्, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज और न्यू इंग्लिश स्कूल के सह-संस्थापक थे।
- अगरकर लोकमान्य तिलक की पत्रिका केसरी के प्रथम संपादक थे।
- अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को संबोधित करते हुए सुधारक नामक पत्रिका की शुरुआत की।

अब्दुल गफ्फार खान (1890-1988)

- भूमिका : सीमान्त गांधी की उपाधि, खिलाफत आंदोलन के नेता।
- योगदान: अहिंसा, शिक्षा और पशतूनों के अधिकारों का समर्थन किया। उनके खुदाई खिदमतगार आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एकता और अहिंसा पर बल दिया।
- विरासत: खान का आंदोलन पशतून क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सामाजिक सुधार का एक स्थायी प्रतीक है।

मदन मोहन मालवीय (1861-1946)

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर, 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वह एक प्रमुख वकील और शिक्षक थे।

राजनीतिक जीवन:

- मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वह वर्ष 1909, वर्ष 1918 और वर्ष 1930 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे।
- वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया, स्वराज और हिंदू-मुस्लिम एकता का समर्थन किया।
- वह असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे।
- शैक्षिक योगदान: वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना में योगदान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की, भारतीय संस्कृति को आधुनिक शिक्षा के साथ सम्मिलित किया। शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया।
- विरासत: महामना के रूप में जाने जाने वाले, उनके प्रयास भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर केंद्रित थे। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (1848-1925)

- जन्म: 10 नवंबर, 1848, कलकत्ता।
- शिक्षा: प्रेसीडेंसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन।
- मुख्य भूमिकाएँ: इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक (वर्ष 1876), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य (वर्ष 1885), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष (वर्ष 1895)।
- राजनीतिक दृष्टिकोण: संवैधानिक सुधारों, सेवाओं के भारतीयकरण, स्वशासन के पक्षधर।
- योगदान: इन्होंने सिविल सेवा सुधारों, महिला शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। इनके द्वारा द बंगाली और द इंडियन मिरर का संपादन किया गया।

गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

- जीवन परिचय: ये एक शिक्षक, विद्वान और समाज सुधारक तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के संस्थापक सदस्य थे।
- प्रमुख योगदान:
 - इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज (पुणे) की स्थापना की तथा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
 - मोर्ले-मिंटो सुधारों (1909) का समर्थन किया, भारतीय राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया।
 - आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया और भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की।
 - अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति: वैश्विक समर्थन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में भारतीय मुद्दों को उठाया।

- विरासत: गांधी, तिलक और लाजपत राय जैसे नेताओं को प्रभावित किया। अहिंसक सुधार और सतही स्तर पर सशक्तीकरण पर बल दिया।

बिरसा मुंडा (1875-1900)

प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी

- जन्म: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875, छोटानागपुर (वर्तमान झारखंड), में मुंडा जनजाति में हुआ था।
- मृत्यु: 9 जून, 1900, संदिग्ध परिस्थितियों में ब्रिटिश हिरासत में हुई थी।
- प्रभाव: वैष्णववाद, ईसाई धर्म और आदिवासी मान्यताओं के बारे में जाना परंतु बाद में आदिवासी परंपराओं की ओर पुनः लौट आए।
- मुंडा विद्रोह (उलगुलान): ब्रिटिश नीतियों-भूमि अलगाव, उच्च कराधान, जबरन धर्मांतरण के कारण आदिवासियों के मध्य अशांति उत्पन्न की। उन्होंने भूमि अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और ब्रिटिश नियंत्रण का विरोध करने के लिए मुंडा विद्रोह ("उलगुलान") का नेतृत्व किया। उन्होंने मुंडा राज के लिए सफेद झंडा उठाया; आदिवासी समूहों को एकजुट करने के लिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया।
- महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:
 - भूमि अधिकार: विद्रोह के कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) पारित हुआ, जिससे आदिवासी भूमि को संरक्षण प्राप्त हुआ।
 - धार्मिक सुधार: बिरसाईत संप्रदाय की स्थापना की गई, जिसमें आदिवासी परंपराओं को हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के साथ मिलाया गया।
 - सांस्कृतिक प्रतीक: बिरसा भगवान के रूप में पूजनीय, भविष्य के आदिवासी आंदोलनों के प्रेरणास्रोत बने।
- विरासत: बिरसा मुंडा की जन्म जयंती (15 नवंबर) को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनकी विरासत के सम्मान में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा, विशेष रूप से झारखंड और ओडिशा में, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी गई।
 - 150वीं जयंती (2024) : प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर, 2024 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट और सिक्का जारी किया और सरकार ने उनके योगदान के लिए सम्मान के रूप में 15-26 नवंबर, 2024 तक राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया। तथा 2024-2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

प्रमुख भारतीय महिला नेत्रियाँ

- भीमा बाई होल्कर (1817): इंदौर की रानी और प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व।
- कित्तूर की रानी चेन्नामा (1824): "कित्तूर की शेरानी" (कित्तूर-कर्नाटक) के रूप में जानी जाने वाली, कित्तूर की रानी, वर्ष 1824 में, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके राज्य को हड़पने के प्रयास के खिलाफ एक भीषण युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया।
- बेगम हजरत महल (1857): अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध बहादुरी से संघर्ष का सामना किया।

- **महारानी वेलु नचियार (1772-1796):** तमिलनाडु में शिवगंगा की रानी, उन्होंने एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य पर कब्जा करने के बाद गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का उपयोग करके इसे फिर से हासिल किया।
- **रानी गाइदिनलू (1930 का दशक):** वर्ष 1915 में जन्मी, रानी गाइदिनलू एक नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थीं। मात्र 16 साल की उम्र में, उन्होंने नागालैंड में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें नागा संस्कृति के संरक्षण की वकालत की गई। गैडिलू का प्रतिरोध, नागा राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद विरोधी भावना का एक परिभाषित प्रतीक बना हुआ है।
- **रानी लक्ष्मी बाई:** वर्ष 1828 में वाराणसी में जन्मी, रानी लक्ष्मीबाई झाँसी की रानी थीं और वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थीं।
- **1857 के विद्रोह में भूमिका:** उन्होंने असाधारण साहस के साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया, 1858 में झाँसी के अंग्रेजों के हाथों में जाने तक वे अंत तक लड़ती रहीं। रानी लक्ष्मी बाई बहादुरी और सशक्तता का एक स्थायी पर्यायक बनी हुई हैं, जिन्हें प्रायः "योद्धा रानी" कहा जाता है।
- **रानी जिंदन कौर:** महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी और सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह की माँ के रूप में, उन्होंने राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का उपयोग करके पंजाब को अपने अधीन करने के ब्रिटिश प्रयासों का सक्रिय रूप से विरोध किया।
- **रानी तास बाई:** वे रानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो गईं और झाँसी क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ीं।
- **बाईजा बाई:** नागपुर के मराठा शासक की पत्नी के रूप में, उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध एक मजबूत विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अनेक सैन्य अभियान आयोजित किए और ब्रिटिश अतिक्रमण के खिलाफ कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया।
- **झलकारी बाई (1830-1858):** वे रानी लक्ष्मी बाई के नेतृत्व वाली झाँसी की सेना में शामिल हुईं। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान, उन्होंने झाँसी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ब्रिटिश सेना को भ्रमित करने के लिए रानी लक्ष्मी बाई का रूप धारण किया।
- **रानी दुर्गावती (1524-1564):** गोंडवाना की रानी, दुर्गावती गोंड जनजाति की एक कुशल नेता थीं। उन्होंने वर्ष 1564 में सम्राट अकबर के अधीन मुगलों का विरोध किया, पराजित होने से पहले अपनी सेना का बहादुरी से नेतृत्व किया।
- **अहिल्या बाई होल्कर (1725-1795):** इंदौर की रानी, उन्होंने अपने पति मल्हार राव होल्कर की जगह ली और एक योग्य शासिका बनीं।
- **प्रीतिलता वाडेकर:** वह एक क्रांतिकारी और कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने चटगाँव शस्त्रागार पर छापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से हथियार जब्त करना था। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी।
- **कल्पना दत्त:** उन्होंने चटगाँव शस्त्रागार छापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन किया।

- **विजया लक्ष्मी पंडित:** वर्ष 1900 में जन्मी, विजया लक्ष्मी पंडित एक प्रभावशाली राजनयिक और जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में भारत की पहली महिला राजदूत बनीं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सहित विभिन्न देशों में सेवा की। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं और उन्हें भारतीय कूटनीति में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है।

भिकाजी कामा (1861-1936)

- **भूमिका:** भिकाजी कामा एक प्रमुख क्रांतिकारी और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी।
- **योगदान:** उन्होंने वर्ष 1907 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अभिकल्पित किया, जो एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। विदेशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में कामा की भागीदारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान महत्वपूर्ण था।

सावित्री बाई फुले (1831-1897)

- **महिलाओं का समर्थन:** महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की।
- **सामाजिक सुधार:** उन्होंने विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रथा का विरोध करने के लिए नाई की हड़ताल का आयोजन किया और शिशु हत्या को रोकने के लिए वर्ष 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की सह-स्थापना की।
- **साहित्यिक योगदान:** उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की, जिनमें काव्यफुले और बावनकशी सुबोध रत्नाकर जैसे संग्रह शामिल हैं।
- **नेतृत्व:** ज्योतिराव की मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया और अपने सामाजिक सुधार कार्य को जारी रखा।

भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाली महिला नेत्रियाँ

- **सरोजिनी नायडू (1879-1949)**
 - **भूमिका:** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष (1925)।
 - **योगदान:** नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और महिलाओं के मताधिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - **विरासत:** स्वतंत्र भारत (UP) की प्रथम महिला राज्यपाल बनीं।
 - **प्रसिद्ध कृति:** "द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया" उनकी काव्य प्रतिभा के कारण।
- **दक्षायनी बेलायुधन (1912-1978)**
 - **भूमिका:** वह संविधान सभा में कार्यरत पहली दलित महिला थी।
 - **योगदान:** वांछित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और समान अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया।
 - **समर्थन:** दलित सशक्तीकरण और महिला अधिकारों के लिए काम किया।

- प्रतिनिधित्व : स्वतंत्रता के बाद के भारत में दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व किया।
- बेगम एजाज रसूल(1909-2001)
 - भूमिका: वह संविधान सभा में कुछ चुनिंदा मुस्लिम महिलाओं में से एक थीं।
 - योगदान: संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - स्वतंत्रता के बाद: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया।
 - विरासत: महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- हंसा जीवराज मेहता (1897-1995)
 - भूमिका: वह एक नारीवादी और समाज सुधारक थीं।
 - योगदान: संविधान सभा में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और महिला शिक्षा की वकालत की।
 - स्वतंत्रता के बाद: अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) की स्थापना की।
 - विरासत: संविधान में लैंगिक समानता के अधिकार और बाद में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- लीला रॉय (1900-1970)
 - भूमिका: लीला रॉय एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक थी।
 - योगदान: विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया।
 - समर्थन: व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया।
 - विरासत: महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए सुधारों की शुरुआत की।
- दुर्गाबाई देशमुख (1909-1981)
 - भूमिका: वह एक समाज सुधारक और गांधीवादी कार्यकर्ता थी।
 - योगदान: उन्होंने स्वतंत्र भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक कल्याण नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। आंध्र महिला सभा की स्थापना की और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वह राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अध्यक्ष (1958-1974) भी रही थी।
- अम्मू स्वामीनाथन (1894-1978)
 - भूमिका: अम्मू एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी।
 - योगदान: बाल विवाह कानूनों में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य किया।
 - विरासत: अपने महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान के लिए 'मदर ऑफ द ईयर' की उपाधि से सम्मानिता।
- रेणुका राय (1904-1997)
 - भूमिका: रेणुका राय एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थी।
 - योगदान: सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के लिए मुख्य अधिवक्ता, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया।
 - स्वतंत्र भारत के विकास में योगदान : ग्रामीण शिक्षा नीतियों के विकास में भूमिका निभाई और संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
 - विरासत: सामाजिक कल्याण में सुधारों की वकालत की।
- कमला चौधरी (1908-1970)
 - भूमिका: वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी।
 - योगदान: उन्होंने श्रमिक वर्ग के उत्थान और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। वह सामाजिक सुधार और शासन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की प्रबल समर्थक थी।
- पूर्णिमा बनर्जी (1911-1951)
 - भूमिका: वह सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता थी।
 - योगदान: ग्रामीण महिलाओं के कल्याण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।
 - विरासत: जमीनी स्तर पर सक्रियता को बढ़ावा दिया और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कार्य किया।
- राजकुमारी अमृत कौर (1887-1964)
 - भूमिका: अमृत कौर प्रमुख राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थी।
 - योगदान: समान नागरिक संहिता और महिलाओं के लिए शिक्षा का समर्थन।
 - स्वतंत्रता के बाद: भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों का नेतृत्व किया।
 - विरासत: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विजया लक्ष्मी पंडित (1900-1990): वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष (वर्ष 1953) बनी थी, भारत की प्रथम महिला राजदूत थी और वह कूटनीति में महिलाओं की पक्षधर थी।
- एनी बेंसेन्ट (1902-1963)
 - भूमिका: वकील, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ।
 - योगदान: कानूनी सुधारों, विशेष रूप से हिंदू कोड बिल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - विरासत: महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और भारत में लैंगिक समानता संबंधी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।
- सुचेता कृपलानी (1908-1974)
 - भूमिका: सूचिता कृपलानी महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थी।
 - योगदान: संविधान सभा में "वंदे मातरम" गाने वाली पहली महिला।
 - स्वतंत्रता के बाद: उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं (1963-67)।

- **विरासत:** महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों की पक्षधर थी।
- **मालती चौधरी (1904-1998)**
 - **भूमिका:** वह संविधान सभा की सदस्य थी।
 - **योगदान:** सार्वजनिक जीवन और सामाजिक कल्याण में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया।
 - **विरासत:** ग्रामीण क्षेत्रों में **महिला शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वदेशी आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व

- **सैयद हैदर रजा:** दिल्ली में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, स्वदेशी उद्योगों के लिए समर्थन जुटाया।
- **चिंदबरम पिल्लई:** मद्रास (अब चेन्नई) तक आंदोलन का विस्तार किया, तूतीकोरिन कोरल मिल में हड़ताल का आयोजन किया और **स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी** की स्थापना की।
- **बिपिन चंद्र पाल:** यह एक प्रमुख उग्रवादी नेता थे। उन्होंने **शहरी भारत में स्वदेशी** का समर्थन किया और **'न्यू इंडिया'** अखबार के संपादक के रूप में कार्य किया, जिसने स्वदेशी गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **लियाकत हुसैन:** पटना से संबंधित, उन्होंने बहिष्कार की रणनीति का प्रस्ताव रखा और वर्ष **1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे हड़ताल** का आयोजन किया। हुसैन के उत्प्रेरक उर्दू लेखन ने मुसलमानों को स्वदेशी के लिए प्रेरित किया।
- **श्यामसुंदर चक्रवर्ती:** एक स्वदेशी नेता, जिन्होंने बंगाल में हड़तालों के आयोजन में योगदान दिया और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया।
- **रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी:** बंगाल के विभाजन के दिन अरंधन (**चूल्हा न जलाना**) का समर्थन करके एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई, जिससे विरोध को चिह्नित किया।
- **अश्विनी कुमार दत्त:** स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की और स्वदेशी विरोध में बारिसाल में **मुस्लिम किसानों का नेतृत्व** किया।
- **प्रमोथा मित्तर और बरिद्रकुमार घोष:** जतिंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता में **अनुशीलन समिति** की स्थापना की तथा एक **सांस्कृतिक संघ** के रूप में में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
- **अब्दुल हलीम गुजनवी:** एक जमींदार और वकील थे। उन्होंने अनेक स्वदेशी उद्योग स्थापित किए और **अरबिंदो घोष को बंगाल से परे** क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार करने में मदद की। उनके प्रयासों को अबुल कलाम आजाद ने भी सहायता प्रदान की।
- **दादाभाई नौरोजी:** वर्ष **1906 के कांग्रेस अधिवेशन** में घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वदेशी के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना है।
- **आचार्य पी.सी. रॉय:** स्वदेशी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए **बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री** की स्थापना की।
- **मुकुंद दास, रजनीकांत सेन और द्विजेंद्रलाल रॉय:** इन्होंने क्रांति के चरण में उन गीतों की रचना की जो बाद में स्वदेशी आंदोलन के गीत बनकर गुनगुनाए जाने लगे, जिससे विरोध की सांस्कृतिक शक्ति में वृद्धि हुई।

- **अश्विनी कुमार बनर्जी:** स्वदेशी संदर्भ में श्रमिकों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए **'बज-बज'** में **भारतीय मिलहैंड्स यूनियन** का नेतृत्व किया।
- **सतीश चंद्र मुखर्जी:** **'डॉन सोसाइटी'** के माध्यम से शिक्षा पर स्वदेशी नियंत्रण को बढ़ावा दिया, जिसने **स्वदेशी का समर्थन** किया।
- **मोतीलाल घोष:** उग्रवाद और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाले लेख प्रकाशित करने के लिए **अमृत बाजार पत्रिका** का प्रयोग किया।
- **ब्रह्मबंधु उपाध्याय:** अपने **संध्या और युगांतर** प्रकाशनों के माध्यम से, बंगाल में क्रांतिकारी समूहों के बीच स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।
- **जोगेंद्रचंद्र:** स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण** के लिए छात्रों को विदेश भेजने के लिए एक कोष की स्थापना की।
- **कुंवरजी मेहता और कल्याणजी मेहता:** गुजरात में स्वदेशी संदेश विस्तार करने के लिए **पाटीदार युवक मंडल** का गठन किया।
- **लाला हरकिशन लाल:** इन्होंने **ब्रह्म समाज** के माध्यम से **पंजाब में आंदोलन** को बढ़ावा दिया और **पंजाब नेशनल बैंक** की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **मुहम्मद शफी और फजल-ए-हुसैन:** पंजाब में मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन के नेता, बहिष्कार के बजाय रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे।
- **वी. कृष्णस्वामी अय्यर:** मद्रास में **'माइलापुर'** समूह का नेतृत्व किया, लेकिन **जी. सुब्रमण्य अय्यर, टी. प्रकाशम और एम. कृष्ण राव** द्वारा विरोध किया गया, जो स्वदेशी के मुद्दे पर भी सक्रिय थे।
- **सुब्रमण्य भारती:** एक कवि और क्रांतिकारी, उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से **तमिल राष्ट्रवाद** को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी:** क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के अधिक उग्रवादी गुट के हिस्से के रूप में वर्ष **1908 में कैनेडी की हत्या** को अंजाम दिया।
- **पुलिन दास:** दक्कन अनुशीलन समूह का नेतृत्व किया, जो बराह डकैती सहित प्रमुख क्रांतिकारी कारवायों में शामिल था।
- **सर्वाद्रनाथ सान्याल:** यह बनारस के एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। जिन्होंने **मोखोदाचरण समाध्याय** समूह के साथ संबंधों के माध्यम से संगठन बनाया।
- **सावरकर बंधु:** वर्ष 1899 में **मित्र मेला के संस्थापक**, वे महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन के उग्रवादी गुट के केंद्रीय नेतृत्वकर्ता थे।

असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व

- **सी.आर. दास** ने वर्ष **1920 में नागपुर कांग्रेस में असहयोग** प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और **मोतीलाल नेहरू, एम.आर. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी और टी. प्रकाशम** जैसे अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। दास के सहयोगियों, जैसे **बीरेंद्रनाथ संसल, जे.एम. सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस** ने आंदोलन विस्तार करने और हिंदुओं एवं मुसलमानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **अली बंधु (शौकत अली और मुहम्मद अली), ने खिलाफत नेताओं के रूप में, गांधी के प्रयासों का समर्थन किया और मुसलमानों से ब्रिटिश**

सेना का बहिष्कार करने का आग्रह किया। वर्ष 1921 में उनकी गिरफ्तारी ने और अधिक विरोधों को जन्म दिया।

- **सी.आर. दास की पत्नी, बसंती देवी** वर्ष 1921 के दौरान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिलाओं में से एक बनीं।
- **अल्लूरी सीताराम राजू**, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी मांगों को असहयोग के कारण से जोड़ दिया।
- **प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद** ने अपनी स्कूली नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पत्रिका 'आज' के माध्यम से सामाजिक उत्थान हेतु एक मुखर समर्थक बन गए।
- **बाबा रामचंद्र** ने अवध में किसानों का नेतृत्व किया और उनके विद्रोह को बड़े आंदोलन के साथ एकीकृत करने में मदद की।
- **स्वामी विश्वानंद और स्वामी दर्शनानंद** ने रानीगंज-झरिया में कोयला खनिकों को असहयोग के लिए संगठित किया और श्रमिक संघर्षों पर जोर दिया।
- **एस.ए. डांगे, आर.एस. निंबकर और वी.डी. सथाये** समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित थे और गांधीवादी आंदोलनों के तरीकों से असहमत होने के बावजूद उन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग को बढ़ावा दिया।
- **दुर्गीराला गोपालकृष्णय्या** ने चिराला-पेरला में स्थानीय सरकार की योजनाओं का विरोध किया और गुंटूर जिले में कर-मुक्त आंदोलन का नेतृत्व किया।

सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व

- **सी. राजगोपालाचारी** ने आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए तमिलनाडु में त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्हें 30 अप्रैल, 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया।
- कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता **के. केलप्पन नायर** ने वायकूम सत्याग्रह का आयोजन किया और केरल में नमक कानूनों की अवहेलना करते हुए कालीकट से पयान्नेर तक मार्च का नेतृत्व किया।
- **पी. कृष्ण पिल्लई** ने कालीकट समुद्र तट पर राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की और बाद में केरल कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना की।
- **खान अब्दुल गफ्फार खान** ने खुदाई खिदमतगार (लाल कुर्ती संगठन) का गठन किया, जो उत्तर-पश्चिम भारत के उपनिवेश-विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण अहिंसक क्रांतिकारी समूह था।
- **सूर्य सेन** ने चटगाँव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया, एक अनंतिम सरकार की स्थापना की, जो व्यापक आंदोलन के भीतर उग्रवादी प्रतिरोध का प्रतीक था।
- **गांधीजी की गिरफ्तारी** के बाद **अब्बास तैयबजी** ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
- **अंबालाल साराभाई और कस्तूरभाई लखाई** ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर बॉम्बे के मिल-मालिकों और उद्योगपतियों के बीच समर्थन जुटाया।
- **जी.डी. बिड़ला, जमनालाल बजाज और अन्य उद्योगपतियों** ने इस आंदोलन को आर्थिक रूप से समर्थन दिया। बजाज ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जबकि अन्य ने व्यापार नीतियों पर भारतीय नियंत्रण का समर्थन किया।

- **चंद्रप्रभा सैकियानी** ने असम में कछारी ग्रामीणों को वन कानूनों की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आंदोलन का दायरा स्वदेशी समुदायों तक फैल गया।
- **सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता** ने बंगाल कांग्रेस गुट का नेतृत्व किया। तथा जब आंदोलन शिथिल हुआ था, तब सविनय अवज्ञा और असहयोग हेतु समानांतर संगठन का निर्माण किया।
- **कालका प्रसाद** ने रायबरेली में 'नो-रेंट' अभियान चलाया, जिससे स्थानीय समुदायों को आर्थिक शोषण के विरोध हेतु सशक्त बनाया गया।
- **शांति और सुनीति चौधरी** ने टिप्पेरा के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी, जिससे आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के भीतर एक उग्र प्रतिक्रिया हुई।
- **शेख अब्दुल्ला** ने कश्मीर में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया, श्रीनगर जेल पर हमला किया और राजशाही के खिलाफ जम्मू के हिंदुओं के साथ सहयोग किया।
- **मोहम्मद यासीन खान** ने पंजाब में मेव समुदाय को संगठित किया, राजस्व वृद्धि और मजदूरों की मांगों का विरोध किया।
- **के.एम. अशरफ** ने भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में योगदान दिया, जो राष्ट्रवाद को समाजवाद से जोड़ने के आंदोलन से जुड़े।
- **पंडित मदन मोहन मालवीय** ने गांधी के साथ गठबंधन किया, हालाँकि बाद में उन्होंने गांधी के हरिजन अभियान को लेकर स्वयं को उनसे दूर कर लिया और 'कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी' का गठन किया।
- **सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, एम.ए. अंसारी और बी.सी. रॉय** ने चुनावी राजनीति में पुनः प्रवेश करने का समर्थन किया और कांग्रेस के भीतर एक पुनर्जीवित स्वराज्य पार्टी के गठन का सुझाव दिया।
- **जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस समाजवादियों** ने कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा को पेश किया, जिसने नीतियों और स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया।
- **एन.वी. गाडगिल** ने मंदिर प्रवेश आंदोलनों का समर्थन किया और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ गैर-ब्राह्मण सत्यशोधक समाज के साथ गठबंधन स्थापित किया।
- **गोपबन्धु चौधरी** ने तटीय क्षेत्रों में नमक विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करते हुए उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।
- **यदुनंदन शर्मा** ने बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की और गया जिले में ग्रामीण किसानों को एकजुट किया।
- **दुर्गीराला बलरामकृष्णय्या** ने आंध्र प्रदेश में राजस्व-मुक्ति अभियान का नेतृत्व किया और तेलुगु गीत गांधी गीता की रचना की।
- **एन.वी. राम नायडू और एन.सी. रंगा** ने औपनिवेशिक वानिकी नीतियों का विरोध करने के लिए वेंकटगिरी, नेल्लोर में वन सत्याग्रह का आयोजन किया।
- **ए.के. गोपालन** ने किसानों के अधिकारों का समर्थन किया। वह केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए।
- **मनु गोंड और चैतु कोइकू** ने बैतूल में वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें आंदोलन के भीतर स्वदेशी अधिकारों पर प्रकाश डाला गया।
- **बी.टी. रानादिवे, एस.वी. देशपांडे, अब्दुल हलीम और सोमनाथ लाहिड़ी** द्वारा अनेक श्रमिक हड़तालों का आयोजन किया गया। इनके संगठित प्रयासों से श्रमिक अधिकारों और 'ट्रेड यूनियन' को बढ़ावा मिला।

गवर्नर जनरल और वायसराय

रॉबर्ट क्लाइव (1754-1767 ई.)	● बंगाल प्रेसीडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर। ● रॉबर्ट क्लाइव 1757-60 ई. और 1765-67 ई. तक बंगाल का गवर्नर रहा। ● वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 'फैक्टर' या कंपनी एजेंट के रूप में काम करने के लिए 1744 ई. में फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) पहुँचा। ● आर्कोट की घेराबंदी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्होंने अत्यंत प्रसिद्धि और प्रशंसा अर्जित की। ● प्लासी का युद्ध (1757 ई.) एवं बक्सर का युद्ध (1764 ई.)।
वॉरेन हेस्टिंग्स (1773-1785 ई.)	● 1773 ई. का रेगुलेटिंग एक्ट। ● 1781 ई. का अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल तथा काउंसिल और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के बीच क्षेत्राधिकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। ● 1784 ई. का पिट्स इंडिया एक्ट। ● 1774 ई. का रोहिल्ला युद्ध। ● 1775- 82 ई. में प्रथम मराठा युद्ध और 1782 ई. में सालाबाई की संधि। ● 1780- 84 ई. में द्वितीय मैसूर युद्ध। ● बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंध, जिसके कारण बाद में इंग्लैंड में हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। ● एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1784 ई.) की स्थापना।
लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93 ई.)	● तृतीय मैसूर युद्ध (1790-92 ई.) और श्रीरंगपट्टनम की संधि (1792 ई.)। ● कॉर्नवालिस कोड (1793 ई.) के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक सुधार एवं राजस्व प्रशासन और नागरिक क्षेत्राधिकार का पृथक्करण किया गया। ● बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, 1793 ई.। ● प्रशासनिक मशीनरी का यूरोपीयकरण और सिविल सेवाओं का आरंभ।
सर जॉन शोर (1793-98 ई.)	● 1793 ई. का चार्टर एक्ट। ● निजाम और मराठों के बीच खर्दा का युद्ध (1795 ई.)।
लॉर्ड वेलेजली (1798-1805 ई.)	● सहायक संधि प्रणाली का आरंभ (1798 ई.), हैदराबाद के निजाम के साथ प्रथम गठबंधन। ● चतुर्थ मैसूर युद्ध (1799 ई.)। ● द्वितीय मराठा युद्ध (1803-05 ई.)। ● तंजौर (1799 ई.), सूरत (1800 ई.) और कर्नाटक (1801 ई.) का शासन संभाला। ● बसीन (अब वसई) की संधि (1802 ई.)।
सर जॉर्ज बाल्फो (1805-07 ई.)	● वेल्लोर का सिपाही विद्रोह (1806 ई.)।
लॉर्ड मिंटो प्रथम (1807-13 ई.)	● रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809 ई.)।
लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-23 ई.)	● आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814-16 ई.) और सुगौली की संधि, 1816 ई.। ● तृतीय मराठा युद्ध (1817-19 ई.) और मराठा संघ का विघटन एवं कंपनी के साम्राज्य में विलय; बॉम्बे प्रेसीडेंसी का निर्माण (1818 ई.)। ● पिंडारियों से संघर्ष (1817-18 ई.)। ● सिंधिया के साथ संधि (1817 ई.)। ● मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना (1820 ई.)।

लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-28 ई.)	● प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26 ई.)। ● भरतपुर पर कब्जा (1826 ई.)।
लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-35 ई.)	● सती एवं अन्य कठोर संस्कारों का उन्मूलन (1829 ई.)। ● ठगी प्रथा का दमन (1830 ई.)। ● 1833 ई. का चार्टर एक्ट। ● 1835 ई. का संकल्प और शैक्षिक सुधार व अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा के रूप में शुरूआत। ● मैसूर (1831 ई.), दुर्ग (1834 ई.) और मध्य कछार (1834 ई.) का विलय। ● रणजीत सिंह के साथ 'निरंतर मित्रता' की संधि। ● कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित अपील और सर्किट प्रांतीय अदालतों को समाप्त करना, राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति।
लॉर्ड मेटकाफ (1835-36 ई.)	भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक नवीन प्रेस कानून का निर्माण किया।
लॉर्ड ऑकलैंड (1836-42 ई.)	● प्रथम अफगान युद्ध (1838-42 ई.)। ● रणजीत सिंह की मृत्यु (1839 ई.)।
लॉर्ड एलनबरो (1842-44 ई.)	● सिंध का विलय (1843 ई.)। ● ग्वालियर के साथ युद्ध (1843 ई.)।
लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844-48 ई.)	● प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46 ई.) और लाहौर की संधि (1846 ई.)। ● सामाजिक सुधारों के रूप में कन्या भ्रूण हत्या एवं मानव बलि का उन्मूलन किया गया।
लॉर्ड डलहौजी (1848-1856 ई.)	● द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49 ई.) और पंजाब पर कब्जा (1849 ई.)। ● निचले बर्मा या पेगू का विलय (1852 ई.)। ● व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ जिसके अंतर्गत सतारा (1848 ई.), जैतपुर और संबलपुर (1849 ई.), उदयपुर (1852 ई.), झांसी (1853 ई.), नागपुर (1854 ई.) व अवध (1856 ई.) का विलय। ● 1854 ई. का "बुड्स (चार्टर्स बुड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष) एजुकेशनल डिस्पैच" और एंग्लो-वर्नाकुलर स्कूलों और सरकारी कॉलेजों का उद्घाटन। ● 1853 ई. में रेलवे माइनट (स्मरण पत्र); और 1853 ई. में बंबई और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। ● टेलीग्राफ (कलकत्ता को बॉम्बे, मद्रास और पेशावर से जोड़ने के लिए 4,000 मील की टेलीग्राफ लाइनें) और डाक (डाकघर अधिनियम, 1854) सुधार। ● गंगा नहर को खोल दिया गया (1854 ई.); प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना। ● विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856 ई.)।
लॉर्ड कैनिंग (1856-57 ई.)	● 1857 ई. में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना। ● 1857 ई. का विद्रोह।
लॉर्ड कैनिंग (1858-62 ई.)	● ईस्ट इंडिया कंपनी से राजशाही को सत्ता हस्तांतरण, भारत सरकार अधिनियम, 1858। ● 1859 ई. में यूरोपीय सैनिकों द्वारा 'श्वेत विद्रोह'। ● 1861 ई. का भारत शासन अधिनियम।
लॉर्ड एल्लिन प्रथम (1862-63 ई.)	● वहाबी आंदोलन।
लॉर्ड जॉन लॉरेस (1864-69 ई.)	● भूटान युद्ध (1865 ई.)। ● कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना (1865 ई.)।
लॉर्ड मेयो (1869-72 ई.)	● भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। ● भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। ● कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। ● राज्य रेलवे की शुरूआत।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872-76 ई.)	● 1875 ई. में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। ● बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा। ● पंजाब में कूका आंदोलन।

लॉर्ड लिटन (1876-80 ई.)	1876-78 ई. के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब को प्रभावित किया; रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति (1878 ई.)। - राजकीय उपाधि एक्ट (1876 ई.), रानी विक्टोरिया ने 'कैसर-ए-हिंद' या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। - वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878 ई.)। - शस्त्र अधिनियम (1878 ई.)। - द्वितीय अफगान युद्ध (1878-80 ई.)।
लॉर्ड रिपन (1880-84 ई.)	- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1882 ई.) का निरसना। - श्रम दशाओं में सुधार हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम (1881 ई.)। - वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति का नियमतीकरण। - स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प (1882 ई.)। - सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति (1882 ई.)। - इल्बर्ट बिल विवाद (1883-84 ई.)। - मैसूर को पुनर्बहाल करना।
लॉर्ड डफरिन (1884-88 ई.)	- तृतीय बर्मा युद्ध (1885-86 ई.)। - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
लॉर्ड लैंसडाउन (1888-94 ई.)	- कारखाना अधिनियम (1891 ई.)। - सिविल सेवाओं का शाही, अस्थायी और अधीनस्थ के रूप में वर्गीकरण। - भारत परिषद अधिनियम (1892 ई.)। - भारत और अफगानिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच; रेखा का एक छोटा-सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत को स्पर्श करता है) के बीच डूरंड रेखा के निर्धारण हेतु डूरंड आयोग (1893 ई.) की स्थापना।
लॉर्ड एल्लिन द्वितीय (1894-99 ई.)	चापेकर बंधुओं द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या (1897 ई.) कर दी गई।
लॉर्ड कर्जन (1899-1905 ई.)	- पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के तहत पुलिस आयोग की नियुक्ति (1902 ई.)। - विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना (1902 ई.) और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904 ई.) का पारित होना। - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। - कलकत्ता निगम अधिनियम (1899 ई.)। - प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम (1904 ई.)। - बंगाल का विभाजन (1905 ई.)। - कर्जन-किचनर विवाद। - यंगहसबैंड का तिब्बत मिशन (1904 ई.)।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय (1905-10 ई.)	- विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों को लोकप्रिय बनाना। - सूरत में वर्ष 1907 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। - आगा ख़ाँ द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना (1906 ई.)।
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (1910-16 ई.)	1911 ई. में बंगाल प्रेसीडेंसी (बॉम्बे और मद्रास की तरह) की स्थापना। - राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण (1911 ई.)। - मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना (1915 ई.)। - दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा में राज्याभिषेक दरबार (1911 ई.) आयोजित किया गया।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-21 ई.)	- एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन (1916 ई.)। - कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन (1916 ई.); कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता (1916 ई.)। - गांधीजी की वापसी के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना (1916 ई.); चंपारण सत्याग्रह (1916 ई.), खेड़ा सत्याग्रह (1918 ई.) और अहमदाबाद में सत्याग्रह (1918 ई.) का आरंभ। - माटेग्यू की अगस्त घोषणा (1917 ई.); भारत सरकार अधिनियम (1919 ई.)। - रोलेट एक्ट (1919 ई.); जलियाँवाला बाग नरसंहार (1919 ई.); असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। - पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना (1916 ई.) और शैक्षिक नीति में सुधार हेतु सैडलर आयोग की नियुक्ति (1917 ई.)।

	● तिलक की मृत्यु (1 अगस्त, 1920 ई.)। ● बिहार के गवर्नर के रूप में एस.पी. सिन्हा की नियुक्ति (गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय)।
लॉर्ड रीडिंग (1921-26 ई.)	● चौरी-चौरा घटना (5 फरवरी, 1922 ई.) और उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी। ● केरल में मोपला विद्रोह (1921 ई.)। ● 1910 ई. के प्रेस अधिनियम और 1919 ई. के रोलेट अधिनियम का निरसन। ● आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास उत्पाद शुल्क का उन्मूलन। ● मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे। ● काकोरी ट्रेन डकैती (1925 ई.)। ● स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या (1926 ई.)। ● सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना (1922 ई.)। ● 1923 ई. से भारतीय सिविल सेवा हेतु दिल्ली और लंदन दोनों जगह एक साथ परीक्षा आयोजित करने का निर्णय।
लॉर्ड इरविन (1926-31 ई.)	● साइमन आयोग का भारत में आगमन (1928 ई.) और भारतीयों द्वारा आयोग का बहिष्कार। ● भारत के (भावी) संविधान हेतु सुझावों के लिए लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन (1928 ई.) आयोजित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट या नेहरू संविधान कहा गया था। ● हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति (1927 ई.)। ● लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट (1929 ई.); लाहौर षड्यन्त्र केस और दीर्घकालिक भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु (1929 ई.) और दिल्ली में ट्रेन में बम दुर्घटना (1929 ई.)। ● कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929 ई.); पूर्ण स्वराज संकल्प। ● सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधीजी द्वारा दोड़ी मार्च (12 मार्च, 1930 ई.)। ● लॉर्ड इरविन द्वारा 'दीपावली घोषणा' (1929 ई.)। ● प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930 ई.), गांधी-इरविन समझौता (1931 ई.) का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन।
लॉर्ड विलिंगटन (1931-36 ई.)	● द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931 ई.) एवं सम्मेलन की विफलता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत। ● सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा (1932 ई.) जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। ● यरवदा जेल में गांधीजी द्वारा 'आमरण अनशन', जो पूना संधि (1932 ई.) के बाद खत्म किया गया। ● तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1932 ई.)। ● व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का आरंभ (1933 ई.)। ● भारत सरकार अधिनियम, 1935। ● आचार्य चंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा (1936 ई.) एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (1934 ई.) की स्थापना। ● बर्मा भारत से पृथक हुआ (1935 ई.)।
लॉर्ड लिनलिथगो (1936-44 ई.)	● प्रथम आम चुनाव (1936-37 ई.); कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ● द्वितीय विश्व युद्ध (1939 ई.) शुरू होने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। ● कांग्रेस के 51वें सत्र (1938 ई.) में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ● 1939 ई. में बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन (1939 ई.)। ● मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव (मार्च, 1940 ई.) में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। ● वायसराय द्वारा 'अगस्त प्रस्ताव' (1940 ई.); कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना और मुस्लिम लीग द्वारा अनुसमर्थन। ● विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुने गए (1940 ई.)। ● सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन (1941 ई.) और आजाद हिंद फौज का गठन। ● भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान करने और एक संविधान सभा के गठन की क्रिप्स मिशन की क्रिप्स योजना; कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। ● कांग्रेस द्वारा 'भारत छोड़ो प्रस्ताव' का पारित किया जाना (1942 ई.); 'अगस्त क्रांति' का आरंभ; या राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 1942 ई. का विद्रोह। ● मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन (1944 ई.) में 'बाँटो और वापस जाओ' का नारा दिया गया।

लॉर्ड वेवेल (1944-1947 ई.)	- सी. राजगोपालाचारी का 'सी. आर. फॉर्मूला' (1944 ई.), गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता (1944 ई.)। - वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन (1942 ई.)। - द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति (1945 ई.)। - कैबिनेट मिशन (1946 ई.) के प्रस्ताव एवं कांग्रेस द्वारा उसकी स्वीकृति। - मुस्लिम लीग द्वारा 'प्रत्यक्ष कार्यवाई दिवस' (16 अगस्त, 1946 ई.) मनाया जाना, जिसे 1946 ई. कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। - संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन (सितंबर, 1946 ई.)। 20 फरवरी, 1947 ई. को क्लेमेंट एटली (इंग्लैंड के प्रधानमंत्री) द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा।
लॉर्ड माउंटबेटन (1947-1948 ई.)	3 जून योजना (3 जून, 1947 ई.) की घोषणा। - हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाना। - बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ के अधीन दो सीमा आयोगों की नियुक्ति।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी योगदानकर्ता

- 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में जन्मी **एनी बेसेंट** थियोसोफिकल सोसायटी से जुड़ी थीं और 1893 में भारत आईं। उन्होंने हिंदू धर्म और थियोसोफी को बढ़ावा दिया। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना की और बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। स्वशासन की वकालत करते हुए उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे प्रकाशनों के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया और 1917 के कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की। (UPSC 2013)
- चार्ल्स फ्रीर** एंड्रयूज, जिन्हें "स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजी मित्र" के रूप में जाना जाता है, एक ब्रिटिश पुजारी और गांधी के सहयोगी थे। उन्होंने 1915 में गांधी को भारत लौटने के लिए राजी किया, वाइकोम सत्याग्रह (1919) का समर्थन किया और बी.आर. की मदद की। अंबेडकर को दलितों की मांगें तैयार करने में मदद की (1933)। एंड्रयूज ने दूसरे लंदन गोलमेज सम्मेलन में बातचीत में गांधीजी की सहायता की और गरीबों के प्रति उनकी करुणा के लिए उन्हें "दीनबंधु" की उपाधि मिली।
- ब्रिटिश एडमिरल की बेटी **मेडेलीन स्लेड या मीराबेन** 1925 में गांधी के साबरमती आश्रम में शामिल हुईं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता का बचाव किया। उन्होंने 1931 के लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अहिंसा को बढ़ावा दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी हुईं। 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
- जलियाँवाला बाग नरसंहार से प्रेरित एक अमेरिकी **सत्यानंद स्टोक्स** (सैमुअल इवांस स्टोक्स) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की शुरुआत की और शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- स्वामी विवेकानंद की आयरिश अनुयायी **सिस्टर निवेदिता** (मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल) ने महिला शिक्षा और राष्ट्रवाद का समर्थन किया, स्वदेशी

आंदोलन में भाग लिया, ब्रिटिश नस्लीय नीतियों की आलोचना की और अकाल के दौरान काम किया।

- अल्फ्रेड वेब**, दादाभाई नौरोजी के एक आयरिश सहयोगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की अध्यक्षता करने वाले तीसरे गैर-भारतीय थे और उन्होंने ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक विकास पर जोर दिया था।
- जॉर्ज यूल ब्रिटिश** नागरिक थे और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले चौथे गैर-भारतीय थे; उन्होंने विधायी सुधारों और परिषदों में व्यापक प्रतिनिधित्व की वकालत की।
- विलियम वेडरबर्न**, एक स्कॉटिश सिविल सेवक, ने भूख, गरीबी और कृषि ऋण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1893 में एक उदारवादी सांसद के रूप में ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और भारतीय मुद्दों का समर्थन करने के लिए भारतीय संसदीय समिति का गठन किया।
- 1878 में आयरलैंड में जन्मी **मार्गरेट कजिंस** ने 1917 में महिला भारतीय संघ (WIA) की स्थापना की, 1919 में महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान चलाया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय के मद्रास विधान परिषद अभियान का शुभारंभ किया और भारत के राष्ट्रगान रबींद्रनाथ टैगोर के जन गण मन की धुन तैयार की।

ध्यान दें: **अलेक्जेंडर री, ए.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेंस और वाल्टर इलियट** पुरातात्विक उत्खनन में शामिल उल्लेखनीय व्यक्ति थे। एक ब्रिटिश पुरातत्वविद् **अलेक्जेंडर री** ने अपना काम दक्षिणी ब्रिटिश भारत में केंद्रित किया और उन्हें तमिलनाडु के पल्लवरम की पहाड़ियों में एक ताबूत की खोज के लिए जाना जाता है। **अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट**, जो एक ब्रिटिश पुरातत्वविद् और कला इतिहासकार भी थे, ने भारत और सीलोन दोनों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वे **सर जॉन मार्शल** के बहनोई थे, जिन्होंने 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। अक्टूबर 1913 में, लॉन्गहर्स्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दक्षिणी क्षेत्र का अधीक्षक नियुक्त किया गया था।

(UPSC 2023)





ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

INTERVIEW GUIDANCE PROGRAM 2024

English / हिन्दी



**Simulated
Mock Interviews**



**1-to-1 Sessions
with Bureaucrats**



**3rd Eye
View**



**Personalized
Mentorship**



**Personalized DAF
Filling Session**



**Interview Oriented
Content & Discussion**

Our Panellists



SUNIL OBEROI

Ex-IAS Officer,
Fr. UPSC Examiner



SANGEETA GUPTA

Ex-IRS Officer,
Fr. UPSC Board Member



SUNIL GULATI

Ex-IAS Officer,
Retd. Spl. C.S. (Delhi)



ANIL K. MEHRA

Ex-IRS Officer,
Fr. Comm'r (CBEC)



D.S. MALIK

Ex-IIS Officer



JALAJ SHRIVASTAVA

Ex-IAS Officer
Addl. C.S. (MoA & FW)

300+ Selections in UPSC CSE 2023

**SCAN
Here**



or

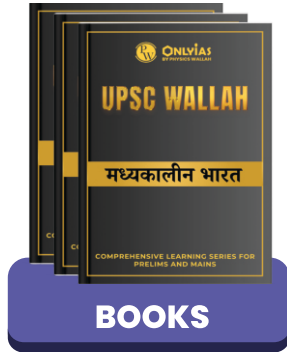


at 9971899954

Online / Offline
REGISTRATION FREE
for CSM 2024 Qualifiers

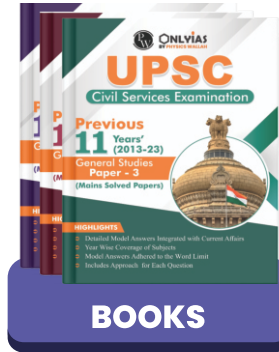
IGP Centre : 2/3, West Patel Nagar, Near Pillar No. 195, New Delhi 110008

अन्य पुस्तकें एवं कार्यक्रम



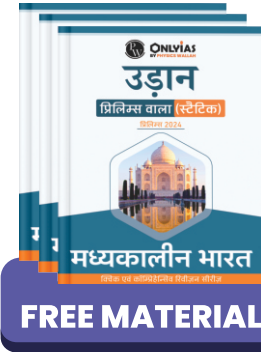
BOOKS

व्यापक कवरेज



BOOKS

पिछले 11 वर्षों के हल प्रश्न-पत्र (PYQs) (प्रारंभिक+ मुख्य परीक्षा)



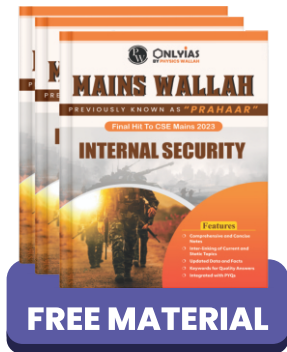
FREE MATERIAL

उड़ान (प्रिलिम्स स्टैटिक रिवीज़न)



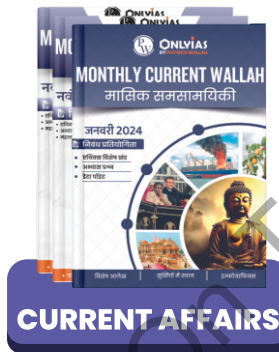
FREE MATERIAL

उड़ान प्लस 500 (प्रिलिम्स समसामयिकी रिवीज़न)



FREE MATERIAL

मेन्स रिवीज़न



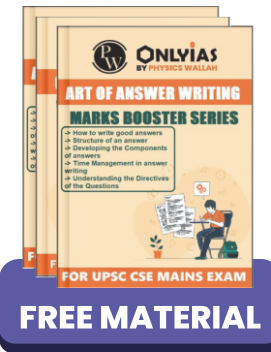
CURRENT AFFAIRS

मासिक समसामयिकी



CURRENT AFFAIRS

मासिक संपादकीय संकलन



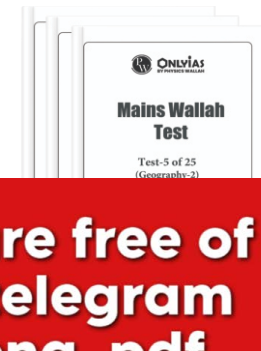
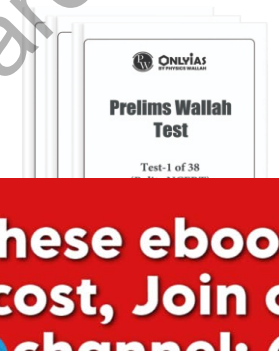
FREE MATERIAL

क्विक रिवीज़न बुकलेट

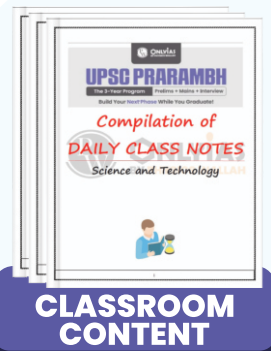


TEST SERIES

IDMP ईयर लॉन्ग टेस्ट



These ebooks are free of cost, Join our telegram channel: @apna_pdf



CLASSROOM CONTENT

डेली क्लास नोट्स और अभ्यास प्रश्न

All Content Available in **Hindi** and **English**

📍 Karol Bagh, Mukherjee Nagar, Lucknow, Patna